खण्ड-363, अंक-5
बुधवार, 16 भाद्रपद, शक संवत् 1905
(7 सितम्बर, 1983 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 363 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	.. 1–5
प्रश्नोत्तर	.. 7–19
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	.. 120
निर्वाचन क्षेत्र जलालाबाद (शाहजहांपुर) के कतिपय ग्रामों को गंगा तथा रामगंगा नदी की बाढ़ से हुई क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	.. 120–121
आगरा जनपद की तहसील किरावली में बाढ़ तथा गर्मी से फसलों को क्षति तथा बीमारियों के प्रकोप के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	.. 121
पर्वतीय क्षेत्र में कार्यरत मस्टर रोल कर्मचारियों को विद्युत् विभाग द्वारा नौकरी से हटाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	.. 122
निर्वाचन क्षेत्र मंझनपुर (इलाहाबाद) में सूखे का प्रकोप तथा सिंचाई व्यवस्था की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	.. 122
जनपद बुलन्दशहर में गन्ने की फसल को बीमारी के प्रकोप से रोकथाम की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	.. 122–123
आगरा जिले के कतिपय नालों की खुदाई का कार्य पूर्ण न किए जाने से पानी के भराव के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	.. 123
ग्राम चौधरी डीह, थाना हरैया, जनपद गोंडा में हरिजनों से बेगार लिए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	.. 123–24
श्री अकबर अहमद व श्री सुरेश बस पालीवाल के निलम्बन के शेष भाग को वापस लेने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	.. 124–125
जिले की विकास योजनाओं से सम्बन्धित समितियों की अध्यक्षता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेश के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	.. 125–132
उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, 1983 (सदन के पटल पर रखा गया)	.. 132
उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1983 (सदन के पटल पर रखा गया)	.. 132

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1983 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	132
मुख्य मंत्री के विरुद्ध श्री मलिक मोहम्मद कमाल युसुफ आदि द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	132-133
राजमंत्री, सहकारिता के विरुद्ध श्री भीखा लाल द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	133-134
शिक्षा मंत्री के विरुद्ध श्री सन्त बक्स रावत द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	135-136
दिनांक 23 मार्च, 1983 को श्री माता प्रसाद पान्डेय द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 6 के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तरों के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य ..	136-138
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं ..	138-149
उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र (द्वितीय) अध्यादेश, 1983 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र विधेयक, 1982 (जारी) ..	149-150
बुन्देलखंड की समस्याओं के सम्बन्ध में दी गयी कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर तुरन्त कार्यवाही किये जाने की मांग ..	150-153
श्री शंकर सिंह तथा श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री के सदन से निलम्बन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	153-154
श्री जसवन्त सिंह विष्ट द्वारा अपनी दी गयी कार्य-स्थगन की सूचना को लिए जाने की मांग ..	154-155
उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र (द्वितीय) अध्यादेश, 1983 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र विधेयक, 1982 (संकल्प अस्वीकृत तथा विधेयक पारित) ..	155-186
उत्तर प्रदेश केसारी (प्रतिषेध) (द्वितीय) अध्यादेश, 1983 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश केसारी (प्रतिषेध) विधेयक, 1983 (संकल्प अस्वीकृत तथा विधेयक पारित) ..	186-192
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) (द्वितीय) अध्यादेश, 1983 को अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1983 (संकल्प अस्वीकृत तथा विधेयक पारित) ..	152-201

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (तृतीय) अध्यादेश, 1983 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर विधेयक, 1983 (संकल्प अस्वीकृत तथा विधेयक पारित) ..	201-235
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं ..	235
श्री लल्लू सिंह, एडवोकेट निवासी 12 आर्यनगर, लखनऊ के अपहरण की घटना के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	235-240
श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही, सदस्य विधान सभा की गिरफ्तारी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	141-245
पूर्वी उत्तर प्रदेश में अवर्षण के कारण खरीफ की फसल नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा ..	245-268
सभिवयां ..	269-285

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 7 सितम्बर, 1983

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री धर्म सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य 378

अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजहर इमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमीरुद्दीन, श्री (बिजनौर)
अम्बली प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशफाक अहमद अंसारी, श्री (बरेली)
अशोक कुमार वाजपेयी, श्री (इलाहाबाद)
आजाद कुमार कदंम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लललू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री, (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (उर्फ सुल्तन भैय्या) (बीरी)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए० सी० फ्राइस, श्री (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला बरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्याण सिंह सोलंकी, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काजी मोहिउद्दीन, श्री (सहारनपुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किरन पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई) (बेगम एजाज रसूल)
कुबेर भंडारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्ण वीर सिंह, श्री (बदायूं)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केदार नाथ सिंह, श्री (गोरखपु)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र यादव, श्री (एडवोकेट) (एटा)
कैलाश टण्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
खवाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)

गुड़िया सत्येन्द्र चन्द्र, श्री (नैनीताल)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपाल राम दास, श्री (अल्मोड़ा)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवर्धन तिवारी, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैया, श्री (बलिया)
चन्दन सिंह, श्री (मथुरा)
चन्द्रलली ब्रह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
छदा ल ल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश नरायन, श्री (फतेहपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जगदीप सिंह बरार, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जावेद अली, श्री (मथुरा)
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल विकल (फैजाबाद)
साकेती श्री,
जीराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झग्गड़ सिंह, श्री (मेरठ)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
तेजपाल सिंह गहलौत, श्री (बिजनौर)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)

दलजीत सिंह, श्री (रामपुर)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीप नरायन बन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देबी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पान्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ अवन, श्री (देहरादून)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मपाल सिंह, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
धूप राय, श्री (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
नाजिर अली, श्री (शाहजहांपुर)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (बलिया)
(उर्फ लाल बाबू)
नेत्रपाल सिंह, श्री (एटा)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पंचानन राय, श्री (आजमगढ़)
पन्नेलाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुष्पा चौहान, श्रीमती (अलीगढ़)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)

प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवत, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलराम सिंह यादव, श्री (इटावा)
बलबीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तर काशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल बोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बुद्ध पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
बृज किशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ कुरील, श्री (लखनऊ)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवान दीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भानु प्रताप सिंह, श्री (बरेली)
भास्कर पान्डेय, श्री (देवरिया)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भीम सिंह, श्री (मेरठ)
भवर नारायण मिश्रा, श्री (कानपुर)
भृगनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पान्डय, श्री (बलिया)
मंगलदेव, श्री (गोंडा)
मण्डलेश्वर सिंह, श्री (आगरा)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मोहम्मद कमाल यसुफ, श्री (बस्ती)
मगरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी बोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अपमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोतीलाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ सिंह, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रईसउद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रती राम, श्री (बिजनौर)
रमाकान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री (रायबरेली)
रवीन्द्र, श्री (आजमगढ़)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राजमंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह, श्री (एटा)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)

राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधे श्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डा० (जौनपुर)
राम कृष्ण माहेश्वरी, श्री (मुरादाबाद)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरायन सिंह एडवोकेट, श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम नारायण पाठक, श्री (कानपुर)
रामपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
रामयश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवई, श्री (बाराबंकी)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूप राम, श्री (शाहजहांपुर)

रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
रेवती रमण सिंह, श्री (इलाहाबाद)
(उर्फ मणि जी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय प्रकाश, श्री (इलाहाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री
(टिहरी गढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, डाक्टर (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विलायती राम कश्यप, श्री (कानपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
वृद्धि नारायन सिंह, श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शरीयतुल्ला, श्री (मुरादाबाद)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिवमंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
शोभनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम नरायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल वाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)

बीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
बंकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सिकन्दर अली खां नवाब, श्री (शाहजहांपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुखबीर सिंह गहलौत, श्री (गाजियाबाद)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता, श्रीमती (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सैय्यद जकीउद्दीन, श्री (मेरठ)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरनरायन सिंह, श्री (रायबरेली)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद कुरील, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
हेमचन्द निमेष, श्री (मेरठ)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 7 सितम्बर, 1983

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

रानीखेत कैन्टोनमेन्ट बोर्ड के प्राइमरी तथा माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाले हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति तथा पुस्तकीय सहायता की मांग

*1--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1979 से 20-11-82 तक रानीखेत कैन्टोनमेन्ट बोर्ड के प्राइमरी तथा माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाले हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति एवं पुस्तकीय सहायता नहीं दी गई ? यदि हां, तो क्यों ? अब कब तक भुगतान हो जाने की आशा है ?

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री गुलाब सेहरा)--

जी हां । निदेशालय हरिजन एवं समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति एवं पुस्तकीय सहायता दिये जाने हेतु आवंटन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के निवर्तन पर दिया जाता है ।

चूंकि रानीखेत कैन्टोन्मेट के ये विद्यालय बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित न होकर स्वतंत्र इकाई द्वारा संचालित हैं । इन विद्यालयों में अध्ययन करने वाले हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति एवं पुस्तकीय सहायता स्वीकृत नहीं की जा सकी ।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि 1979 के पहले कन्टोमेन्ट बोर्ड के विद्यालयों को हरिजन समाज कल्याण विभाग से छात्रवृत्ति मिलती थी ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, जब कैन्टोनमेन्ट बोर्ड से छात्रों की मेरिट लिस्ट आ जाती है तो उनको स्कालरशिप और पुस्तकीय सहायता दी जाती है । इन्होंने लिस्ट भेजा ही नहीं तो फिर प्रदान करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट---

जहां तक मेरी जानकारी है उसके अनुसार कैन्टोन्मेन्ट बोर्ड के विद्यालयों द्वारा बराबर आवेदन-पत्र समाज कल्याण विभाग को भेजा जा रहा है लेकिन समाज कल्याण विभाग उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है । इसीलिए मैंने प्रश्न किया था । क्या हरिजन समाज कल्याण मंत्री इस पर विचार करके पुनः छात्रवृत्ति देने का कष्ट करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा—

मैं विष्ट जी से अनुरोध करूंगा कि कैन्टोनमेन्ट बोर्ड से लिस्ट भिजवा दें स्कालरशिप और पुस्तकीय सहायता दोनों प्रदान कर दी जायेगी ।

श्री पंचानन राय—

हरिजन समाज कल्याण विभाग छात्रवृत्ति देता है कैन्टोनमेन्ट ने लिस्ट नहीं भेजी, इनको बहाना मिल गया । छात्रवृत्ति न मिलने में उन निरअपराध छात्रों को क्यों मारा जा रहा है ? क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि लिस्ट प्राप्त करके हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति देगी ?

श्री गुलाब सेहरा—

मैं श्रीमन्, अपने दोस्त पंचानन राय को प्रक्रिया बता दूं प्रक्रिया यह है कि कक्षा 8 तक के छात्रों की मेरिट लिस्ट विद्यालय द्वारा प्राप्त होने पर स्कालरशिप और पुस्तकीय सहायता दी जाती है । जब तक मेरिट लिस्ट नहीं देंगे तब तक स्कालरशिप और पुस्तकीय सहायता कैसे दी जायेगी ? लिस्ट का आना आवश्यक है ।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । मैं यह जानना चाहता हूं हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिये सरकार वैधानिक रूप से बाध्य है । चाहे वह कैन्टोनमेन्ट के विद्यालय में पढ़ते हों या दूसरे विद्यालय में । कैन्टोनमेन्ट बोर्ड ने लिस्ट नहीं भेजी तो क्या लिस्ट प्राप्त करने के लिये सरकार कोई कानूनी उपाय करेगी ताकि निरपराध छात्रों के साथ ज्यादती न हो सके ?

श्री गुलाब सेहरा—

मैंने समझने की चेष्टा की । कक्षा 9 से एम० ए० तक को तो हम सीधे छात्रवृत्ति देते हैं । सीधे प्रार्थना-पत्र लेते हैं सीधे लिस्ट बनाते हैं, लेकिन 8 के नीचे के छात्रों के लिये जब तक मेरिट सर्टीफिकेट न मिले, नहीं देते हैं । मैं विष्ट जी से कहूंगा कि लिस्ट भिजवा दें, स्कालरशिप और पुस्तकीय सहायता प्रदान कर दी जायगी ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

सरकार स्वयं सक्षम है हर चीज के लिये । फिर हमसे लिस्ट भिजवाने के बजाय सरकार स्वयं लिस्ट क्यों नहीं मंगवाती ? मैं अनुरोध करूंगा कि सरकार स्वयं लिस्ट मंगवा लें ।

मुझे जानकारी है छात्रों को कोई सुविधा उसकी नहीं दी गयी है ।

श्री गुलाब सेहरा—

इसमें कोई आपत्ति नहीं है ।

इलाहाबाद जनपद की फूलपुर व हंडिया तहसीलों में बहने वाली बरना नदी को गहरा किये जाने हेतु बिलों का भुगतान

*2—श्री राधेश्याम पटेल—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद की फूलपुर, हंडिया तहसीलों के अन्तर्गत बहने वाली बरना नदी विगत वर्ष में गहरी की गयी है ? यदि हां, तो पहले इसकी गहराई क्या थी और अब किन-किन स्थानों पर कितनी गहरी की गयी है ? इस कार्य में कितना धन व्यय किया गया ? क्या यह सत्य है कि गहराई नाम मात्र की करके पूरे बिलों का भुगतान किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या जांच कराने की कृपा करेंगे ?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री गोपाल रामदास)—

इलाहाबाद जनपद की फूलपुर, हंडिया तहसीलों में बहने वाली बरना नदी कि0 मी0 195.25 से कि0 मी0 190 तक की सफाई वर्ष 1981 में मई से जुलाई तक अब से लगभग दो वर्ष पूर्व की गयी है ।

इस कार्य के अन्तर्गत दस मीटर चौड़ी क्यूनेट खोदी गई है तथा फूलपुर हंडिया तहसीलों में प्रत्येक किलोमीटर में की गई गहराई संलग्न तालिका में दी गयी है ।

इस कार्य के अन्तर्गत फूलपुर तथा हंडिया तहसीलों में 60.510 घनमीटर मिट्टी का कार्य कराया गया जिसकी लागत 1.52 लाख रुपया है ।

भुगतान के पूर्व अवर अभियन्ताओं द्वारा की गई मापों की 46.6 प्रतिशत सहायक अभियन्ताओं तथा 2.40 प्रतिशत अधिशासी अभियन्ता द्वारा चेकिंग करने के उपरान्त ही भुगतान किया गया है ।

भुगतान ठीक किया गया है, अतः जांच का प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 269 पर ।)

श्री राधेश्याम पटेल—

माननीय, इस सफाई से धन का गबन किया गया है । कागज के आधार पर इसकी लागत 1 लाख 52 हजार हो गई है । माननीय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि पहले उसकी खुदाई क्या हुई थी और अब तक कितनी खुदाई की गई है ? अब तक इस कार्य में कितना धन व्यय हुआ है ।

उद्योग एवं सिंचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

माननीय, जैसा कि उत्तर में दिया गया है प्रत्येक किलोमीटर में की गई गहराई संलग्न तालिका में दी गई है । इस कार्य के अन्तर्गत फूलपुर तथा हंडिया तहसीलों में 60,510 घनमीटर मिट्टी का कार्य कराया गया जिसकी लागत 1.52 लाख रुपया है । इसमें यह कहना गलत है कि यह सही नहीं है ।

श्री राधेश्याम पटेल—

माननीय, मेरे प्रश्न का उत्तर पूरा नहीं है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

माननीय, इसमें चेकिंग करने के बाद ही भुगतान किया गया है । जब विभाग में दो तीन आदमी चेकिंग कर लेते हैं तभी भुगतान किया जाता है ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि नदी की खुदाई हुई है में बहुत ही साफ तथ्य आपके सामने लाना चाहता हूं और माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि एक मीटर भी वरना नदी में मिट्टी नहीं खोदी गयी है । या आपका कहीं काम लगा हो । इसका प्रश्न नहीं है । मान्यवर, इलाहाबाद वाराणसी के बार्डर पर जो वाराणसी का हिस्सा है वहां वरना नदी पर लगभग 3-4 लाख का भुगतान हुआ है जबकि इसमें एक फावड़ा भी नहीं चलाया गया है । श्रीमन्, इसमें फर्जी भुगतान हुआ है । मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि जनता में बड़ा असन्तोष है और वहां की सभी पब्लिक जानती है कि बिलकुल फर्जी भुगतान हुआ है, तो क्या मंत्री जी किसी उच्च अधिकारी या टी० ए० सी० द्वारा इस घपले की जांच करायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, जैसा कि माननीय उपाध्याय जी ने कहा तो जो एक्जीक्यूशन है वह एक्जीक्यूटिव या जो इंजीनियर हैं उन्हीं के द्वारा होता है । काम उन्हीं के द्वारा किया जाता है । काम कराने के लिये यही व्यवस्था है । अगर यह जो व्यवस्था है । इसमें जो काम हुआ है आप कहते हैं कि सारा काम गलत हुआ है तो यह सही नहीं है । लेकिन जैसा माननीय उपाध्याय जी चाहते हैं टी० ए० सी० से जांच करा ली जायगी ।

श्री राधेश्याम पटेल—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह आश्वासन चाहता हूं कि जो जांच हो उसमें वहां के विधायकों और प्रश्नकर्ता को भी सूचित किया जाय ताकि वे भी जान सकें कि कितनी नदी की खुदाई हुई, कितनी नहीं हुई । इस पर क्रास क्वेश्चन भी होना चाहिये । इस नदी का पहले सर्वे हुआ होगा, उसकी रिपोर्ट होगी । उसमें यह बात होगी कि कितनी खुदाई होनी चाहिये । उसके आधार पर जांच होनी चाहिये । नहीं तो कह देंगे सिल्ट आ गयी, स्टोन आ गया । आप इसकी स्पष्ट जांच करा करके क्षेत्रीय विधायक को और प्रश्नकर्ता को भी सूचना देने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, जो व्यवस्था है वह यह है कि जब कोई शिकायत होती है तो उसकी जांच होती है । आप स्पेसिफिक शिकायत दे दें । जब टी० ए० सी० की जांच हो जायगी तो आपको बता दूंगा । सामान्य रूप से क्षेत्रीय विधायक को बुलाने की प्रथा नहीं है । आप शिकायत लिख कर दे दें तो शिकायत की जांच हो जायगी ।

श्री मेंहदी असगर—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब नदी में पानी चला गया तो उनके पास इस बात का क्या मापदंड है कि, यह कैसे पता लगेगा कि कितनी खुदाई हुई । आप इस बात को कैसे देखेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, नदी को साफ करने का कार्य हुआ, कुछ खर्च हुआ होगा, काम भी हुआ होगा । तो मान्यवर, यह जो मांग है सदन के माननीय सदस्यों की, इस

पर मैंने कहा कि जांच बैठायेंगे, जो रिपोर्ट आएगी उसको बाद में देखा जायेगा ।

श्री रामश्याम पटेल—

अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किलोमीटर 152 से किलोमीटर 161 तक इस नदी में सफाई या खुदाई हो गयी या नहीं । कितनी हुई है और उस पर कितना व्यय किया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, मैंने जांच कराने की बात कह दी है ।

संस्कृत पाठशालाओं में अन्य विद्यालयों के समान छात्रवृत्ति देने की मांग

*3—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि संस्कृत पाठशालाओं में अन्य पाठशालाओं की तुलना में छात्र-वृत्ति न्यून दरों पर तथा कम छात्रों को दी जाती है ? यदि हां, तो क्या संस्कृत पाठशालाओं को भी शासन अन्य विद्यालयों के समान छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था करेगा ?

श्री गुलाब सेहरा—

जी हां ।

निरीक्षक, संस्कृत, पाठशालयें उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से विचार-विमर्श करके संस्कृत पाठशालाओं को अन्य विद्यालयों के समान छात्रवृत्ति देने के प्रश्न पर निर्णय किया जा सकेगा ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अब तक संस्कृत विद्यालयों के छात्रों को अन्य विद्यालयों के छात्रों की भांति छात्रवृत्ति न दिये जाने का क्या कारण रहा है ? और जिस मीटिंग का जिक्र किया गया है, निरीक्षक के साथ, बैठकर निर्णय लिया जा सकेगा तो मान्यवर, समान छात्रवृत्ति देने के सम्बन्ध में यह निर्णय कब तक ले लेंगे और संस्कृत विद्यालय के छात्रों को अन्य विद्यालयों के छात्रों के समान छात्रवृत्ति दिये जाने का सिलसिला कब शुरू करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन, संस्कृत विद्यालय य छात्रों को छात्रवृत्ति तो दी जाती है, लेकिन रेट कम है । रेट को समान करने के लिये बैठक हुई है । पिछले साल घोषणा की गयी कि आठवीं कक्षा तक के समस्त छात्रों को छात्रवृत्ति देंगे । जो छात्रवृत्ति अन्य विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को दी जाती है, वही देंगे । निरीक्षक के साथ बैठकर तय करने के बाद इसमें 1,29,500 प्रोपोजल हैं । नवीं एवं दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों को भी अनिवार्य रूप से देंगे । प्रोपोजल शासन के विचाराधीन है । शीघ्र ही ये छात्रवृत्तियां दी जाएंगी ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

माननीय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सर्वप्रथम यह पूछना चाहता हूं कि आज तक संस्कृत पाठशालाओं को और अन्य पाठशालाओं को जो छात्रवृत्ति आज तक दी जाती थी, उनकी दरों में क्या अनुपात रहा था ? दूसरा, संस्कृत भाषा जो इस भारत वर्ष की देव भाषा रही है उसके बारे में शासन का क्या दृष्टिकोण है ?

श्री गुलाब सेहरा--

माननीय, जैसा कि मैंने बताया कि संस्कृत पाठशालाओं को छात्रवृत्ति दी जाती थी, किन्तु उनके रेट्स में अन्तर था जो इस प्रकार है :

1—आचार्य की डिग्री जो एम० ए० के समकक्ष होती है, उसके लिए 35 रु० प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाती थी ।

2—शास्त्रीय डिग्री के लिए 30 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाती थी।

3—उत्तर मध्यमा के लिए 20 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति दी जाती थी ।

4—प्रथमा के लिए 6 रुपये प्रति माह की छात्र वृत्ति दी जाती थी ।

5—पूर्व मध्यमा के लिए 12 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाती थी ।

इस प्रकार के अन्तर को समाप्त करने के लिए यह प्रपोजल चल रहा है । दूसरी बात, जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा है कि संस्कृत के प्रति शासन का दृष्टिकोण सौतेले भाई की तरह क्यों हो रहा है । माननीय, ऐसी कोई बात नहीं है । हरिजन छात्रों को भी संस्कृत की शिक्षा दी जा रही है । मैं समझता हूं कि जब हरिजन छात्र भी संस्कृत पढ़ने लगेगा तो एक क्रान्तिकारी परिवर्तन होगा । जबकि एक समय था हरिजन छात्रों को संस्कृत की शिक्षा नहीं दी जाती थी । उसे आज हमने शुरू किया है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

माननीय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि निरीक्षक, संस्कृत पाठशाला, उत्तर, प्रदेश के साथ बैठकर, जो न्यूनतम दरें छात्रवृत्ति की दी जाती थीं, उसके बारे में विचार-विमर्श किया । अब माननीय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि किस तरह से उन्होंने इस नीति को तय कर लिया ? दूसरा, संस्कृत पाठशालाओं में पढ़ने वाले हरिजन छात्रों की छात्रवृत्ति अन्य विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के समान करने के लिए क्या शासन ने नीति तय कर ली है ?

श्री गुलाब सेहरा—

माननीय, जैसा कि मैंने कहा कि शासन ने निर्णय लिया है कि अन्य विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को जो छात्रवृत्ति दी जाती है, वही छात्रवृत्ति संस्कृत पाठशालाओं में पढ़ने वाले छात्रों को भी दी जायेगी । जहां अनिवार्य है, वहां अनिवार्य रूप से उसके समकक्ष का जो है, उसमें भी छात्रवृत्ति दी जायेगी ।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जैसा कि उन्होंने कहा कि हरिजन छात्र संस्कृत शिक्षा से वंचित थे । वह कौन सा शासनादेश है जिसके अन्तर्गत हरिजन छात्रों को संस्कृत भाषा पढ़ने से वंचित किया गया है ?

श्री गुलाब सेहरा--

मान्यवर, हमारे माननीय सदस्य एक क्रान्तिकारी आदमी हैं । मैंने किसी शासनादेश का जिक्र नहीं किया है । मैंने यह कहा कि इस देश में कई ऐसी स्मृतियां लिखी गई हैं, जिसमें यह कहा गया है कि यदि एक भी शब्द संस्कृत का हरिजन के कान में गया तो, उस हरिजन के कान में शीशा को पिघलाकर डाल दिया जाय ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी --

यह असत्य है, घोर असत्य है ।

श्री विजय सिंह राना--

मान्यवर, ऐसा कोई शासनादेश हुआ है, तो उसका जिक्र कर दें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठें ।

टिहरी बांध के निर्माण से ग्रामीण विस्थापितों को पुनर्वासित किये जाने की व्यवस्था

*1--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निर्माणाधीन टिहरी बांध से कितनी जनसंख्या डूबे क्षेत्र में जाने से प्रभावित होगी ? इनके पुनर्वासित किए जाने की क्या व्यवस्था की गयी है ? 31 दिसम्बर, 1982 तक कितनी जनसंख्या पुनर्वासित की जा चुकी है और बाकी लोग कब तक पुनर्वासित किए जायेंगे ?

श्री गोपाल रामदास--

टिहरी बांध के निर्माण से लगभग 58,000 निवासी प्रभावित होंगे । उनमें से 8,000 नगर निवासी एवं 50,000 ग्रामीण निवासी होंगे ।

टिहरी नगर के 8,000 विस्थापित होने वाले नागरिकों के पुनर्वास के लिए नये नगर का निर्माण किया जा रहा है । अभी कोई नगर निवासी हटाया नहीं गया ।

15,000 ग्रामीण विस्थापितों के लिए जिला देहरादून एवं सहारनपुर के बनभूमि एवं अन्य स्रोतों से भूमि अर्जित की जा रही है । शेष 35,000 आंशिक रूप से प्रभावितों को नगद मुआवजा दिया जायेगा ।

31 दिसम्बर, तक लगभग 5,500 ग्रामीण विस्थापितों को पुनर्वासित कर दिया गया है । शेष का पुनर्वास बांध निर्माण होने से पूर्व कर दिया जायगा ।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

मान्यवर, मंत्री जी ने बताया कि टिहरी डैम से लगभग 58,000 विस्थापितों में से यह अभी तक 5,500 लोगों को पुनर्वासित कर सके हैं मैं यह जानना चाहता हूं कि इन लोगों को पुनर्वासित करने की पहले क्या अवधि निश्चित थी ? दूसरा सवाल में यह पूछना चाह रहा हूं कि, जैसा कि इन्होंने कहा है कि जिला देहरादून एवं सहारनपुर के बनभूमि एवं अन्य श्रोतों से भूमि अर्जित की जा रही है, तो कितनी बनभूमि अर्जित की जा रही है और कितनी भूमि अन्य श्रोतों से अर्जित की जा रही है और जो यह भूमि अन्य श्रोतों से अर्जित की जा रही है, उस भूमि की लागत क्या होगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, जैसा कि उत्तर में स्पष्ट कर दिया गया है कि ग्रामीण विस्थापितों के लिये देहरादून एवं सहारनपुर में भूमि की व्यवस्था की जा रही है और जहां तक टिहरी नगर के विस्थापित होने वाले लोगों का सवाल है, इस निमित्त एक नया टिहरी टाउन बनाया जायेगा और उस टिहरी टाउन के लिये लोगों को बसाने के लिए मास्टर प्लान बनाया जा रहा है और विकास प्राधिकरण के द्वारा उसकी योजना बनाकर, आधुनिक टाइप की वहां टाउन बना दिया जायेगा। जिसमें हर तरह की सुविधाएं दी जायेंगी, जो सुविधाएं उस टिहरी टाउन में, वहां पर नहीं है, वे भी सुविधाएं इसमें दी जा रही हैं। मान्यवर, जहां तक गांव वालों की बात है, जैसा कि अभी कहा गया है, जो प्रभावित हुए हैं, उसमें से 15 हजार ग्रामीण विस्थापित ऐसे हैं, जिनको बसाने की बात है। 35 हजार ऐसे लोग हैं, जोकि आंशिक रूप से प्रभावित हैं। तो 50,000 तो पूर्ण रूप से एवं आंशिक रूप से प्रभावित दोनों की संख्या है इन 50,000 लोगों में से किसी का खेत जा रहा है, किसी का पूरा मकान जा रहा है। इनमें से 15,000 लोग ऐसे हैं, जिनकी पूरी खेती चली गयी है, पूरा मकान चला गया है, उनको बसाने के लिये पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी। 35,000 लोग आंशिक रूप से प्रभावित हुए हैं, किसी की थोड़ी बहुत खेती जा रही है, थोड़ी, बहुत जमीन जा रही है। हम लोग सबके लिये सोच रहे हैं, और जो जिस तरह से प्रभावित हो रहे हैं, उनके लिये पूरी तरह से समुचित व्यवस्था की जायगी। हमने आश्वासन दिया है कि जिनकी जमीन जा रही है, उनको प्रति परिवार 2 एकड़ भूमि दी जायेगी और यदि वे जमीन नहीं लेना चाहते हैं तो 35 हजार रुपये नकद दिया जायेगा। मान्यवर, यह किया गया है कि जिनके मकान इससे प्रभावित हो रहे हैं, उनके मकानों का आज की दर पर मूल्यांकन कर आज के दर पर जो कीमत होगा अगर वह 10 हजार से कम है, तब भी उनको 10 हजार रुपया जरूर दिया जायेगा।

यह व्यवस्था की जा रही है ताकि गरीब को भी रहने की व्यवस्था की जा सके। देहरादून में बनियावाला में जो वन भूमि 7 हजार एकड़ लेने की बात थी उसमें पेड़ काटना शुरू हो गया है। जो एक हजार एकड़ लिया गया है, उसमें उनको पैसा दिया गया है। सहारनपुर में 1200 एकड़ जमीन ली जा रही है, वह सिंचाई विभाग की जमीन है उसी पर बसाने की बात की जा रही है। राजस्व विभाग की जमीन 350 एकड़ देहरादून में थी, उसको लिया जा रहा है। वहां के लोगों को बसाने के लिये जैसे-जैसे जमीन मिलती जा रही है उसके हिसाब से भूमि की व्यवस्था करते जा रहे हैं और लोगों को बसाते जा रहे हैं। जब तक यह पूरा डैम बन नहीं जायगा, लोगों की पूरा व्यवस्था कर नहीं ली जायगी। डैम बनने से पहले हर व्यक्ति को बसा दिया जायगा और किसी को कष्ट नहीं होने दिया जायगा।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जो डूब क्षेत्र के गांव हैं, ये अभी भी अनिश्चितता की स्थिति में हैं और अभी भी निश्चित नहीं हैं कि कब तक बसाया जायगा । सरकार की ओर से कोई भी योजना नहीं चलायी जा रही है । इस बारे में सरकार क्या कर रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जो भी डूब क्षेत्र में आते हैं सबको नोटिस दे दी गयी है कि आपको यह सुविधा दी जा रही है और आपको बसाने की व्यवस्था की गयी है, आप उस सुविधा का फायदा उठाइए और विस्थापित लोग उसका फायदा उठा रहे हैं । जो विलम्ब हो रहा है, तो वह लोग तो अपनी जमीन पर हैं, अपने घर में हैं उनका कोई नुकसान तो हो नहीं रहा है । जहां पर बसा रहे हैं, वहां पर स्कूल, अस्पताल भी खोल रहे हैं, पानी, बिजली की व्यवस्था भी कर रहे हैं । जहां से हटाना है, वहां पर किसी प्रकार का डेवलपमेंट करना उचित नहीं लगता है, इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है । मैं चाहूंगा कि जितनी जल्द बसाया जा सके अच्छा होगा ।

श्री मेंहदी असगर—

मैं पूछना चाहता हूं जैसा कहा गया है कि 50 हजार लोगों को सहारनपुर और देहरादून में जमीन दे दी गयी । पूरे प्रदेश में जितने भी बांध बन रहे हैं, सबके लिए एक पालिसी होनी चाहिये । मैंने नियम 56 में एक सवाल उठाया था । जैसे आपने दिल्ली के लोगों को जमीन दी है, क्या समस्त गांव जिसमें आ रहे हैं, उनको जमीन के बदले जमीन देंगे ?

श्री अध्यक्ष —

यह प्रश्न इससे नहीं उठता है, मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

श्री विद्यासागर नौटियाल—

बहुत दुख के साथ रख रहा हूं कि माननीय मन्त्री जी ऐसा समझ रहे हैं कि वह किसी चौराहे पर जवाब दे रहे हैं । इस आदरणीय सदन के अन्दर जो उत्तर दे रहे हैं, एक भी चीज सही नहीं है । वे बता दें कि उन्होंने कितने गांवों को नोटिस दी है कि उनको बसाया जा रहा है ? 92 गांव ऐसे हैं जिनको उखाड़ा जायगा, अभी तक केवल 5 गांवों को बसाया गया है । बाकी के लिये, मन्त्री जी को सरकार कहती है कि कोई योजना नहीं है । डूण्डा, थौलधार, जाखणीधार, भिलंगना, चम्बा और प्रतापनगर, इन 6 गांवों के लिये सरकार ने क्या किया है ?

इन 6 विकास खन्डों में इस सरकार ने खाद, बीज और पानी आदि देना बन्द कर दिया है और आई० आर० डी० का पैसा भी देना बन्द कर दिया है ।

श्री अध्यक्ष —

आप प्रश्न करें ।

श्री विद्या सागर नौटियाल—

मान्यवर, मैं प्रश्न कर रहा हूं कि क्या यह सरकार इस बात का आश्वासन देगी कि टेहरी नगर को पानी और बिजली के कनेक्शन तब तक देती रहेगी जब तक इन परिवारों को पुनर्वासित न कर दिया जाए ?

श्री अध्यक्ष --

मैं इतने लम्बे प्रश्न की आज्ञा नहीं दे रहा हूं । अपना प्रश्न आप स्पष्ट करें ।

श्री विद्यासागर नौटियाल—

क्या सरकार इन 92 गवों में रहने वाले परिवारों को जो आवश्यक चीजें उन्हें मिलनी चाहिये, वह क्या तब तक मिलती रहेगी जब तक उन्हें पुनर्वासित न कर दिया जाए ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

उनको जो सुविधाएं मिल रही हैं, वह अवश्य मिलती रहेंगी केवल डेवलप-मेंट के कार्य इस समय नहीं हो सकेंगे ।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

अगर ऐसा न किया गया कि उनकी जरूरत की चीजें खाद, पानी बिजली व अन्य सुविधायें जो आवश्यक हैं न मिलीं तो तब तक वहां सारा अनर्थ हो जायेगा ।

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, माननीय सदस्य जितने चिंतित हैं उतने ही हम भी चिंतित हैं कि वहां के लोगों की क्या-क्या इस समय जरूरतें हैं और उन्हें किस तरह पूरा किया जाना चाहिए तथा अन्य जो भी सुविधाएं हों, वह उन्हें पहुंचाई जाएं, इस ओर हम लोग भी चिन्तित हैं ।

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि टेहरी डैम के बनने से जो हजारों परिवार प्रभावित हुए हैं और माननीय सदस्य, श्री नौटियाल साहब का चिंतित होना स्वाभाविक है और जो टाऊन सहारनपुर और देहरादून क्षेत्र में बसाये जा रहे हैं, तो कृपापूर्वक इतना और बता दें कि यह टेहरी डैम आप कब तक पूरा करने जा रहे हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

इस डैम का पूरा होना निर्भर करता है धन की उपलब्धि पर, जैसे ही धन उपलब्ध हो जायेगा, डैम पूरा हो जायेगा वैसे इसमें निश्चित कोई समय बता पाना सम्भव नहीं है ।

श्री ऊदल--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो वहां के निवासियों के लिए आवश्यक सुविधाएं हैं जैसे शिक्षा पुरानी सिंचाई की नालियां, चिकित्सा, फर्टीलाईजर, बीज तथा कुछ अन्य सुविधाएं जो डेवलपमेंट में नहीं आती जो केवल दैनिक उपयोग की चीजें हैं, उन्हें तब तक दी जाती रहेंगी जब तक उन्हें कहीं पुनर्वासित न कर दिया जावे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

फर्टीलईजर व अन्य जो चीजें जरूरी हैं, वह सब दी जायेंगी। पानी है, अस्पतालों से दवाई है, वह सब मिलती रहेगीं जब तक उन्हें विस्थापित न कर दिया जायेगा ।

जिला पिथौरागढ़ की विकास खन्ड थारचूला व मूनसियारी को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की घोषणा

*5--श्री चारु चन्द्र ओझा--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दि0 20-6-82 को तत्कालीन मुख्य मन्त्री ने धारचूला, जिला पिथौरागढ़ की एक आम सभा में विकास खन्ड धारचूला व मुनस्यारी को अनुसूचित क्षेत्र (ट्राइबल एरिया) घोषित करने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो शासन ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री गुलाब सेहरा--

मुख्य मंत्री जी द्वारा जिला पिथौरागढ़ की धारचूला की आम सभा में धारचूला को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की घोषणा की गयी थी मूनसियारी की नहीं । फिर भी दोनों विकास खन्डों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया, परन्तु उनके द्वारा निर्धारित मापदन्डों के अनुसार जनजातियों की जनसंख्या--50 से अधिक होना अपेक्षित है, जो उक्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में पूरी नहीं है ।

श्री चारु चन्द्र ओझा--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि धारचुंला और मुन्सियारी विकास खंडों में जो जातियां जन-जातियां घोषित की गयी हैं, उनका प्रतिशत क्या है ?

श्री गुलाब सेहरा--

मान्यवर, इसमें जाति अनवारा है और इसका प्रस्ताव केन्द्र सरकार को जा चुका है कि इसको ट्राइबल एरिया घोषित कर दिया जाय । जहां तक मैं समझता हूं कि धारचूला में सर्वेक्षण कराया गया था तो वहां की जनजाति 50 प्रतिशत से ऊपर है और मुन्सियारी में जनजाति 20 प्रतिशत से अधिक नहीं है ।

श्री चारु चन्द्र ओझा--

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि किस जाति का उन्होंने जनजाति घोषित किया है, जरा इसको वे स्पष्ट कर दें ?

श्री गुलाब सेहरा--

वह जनजाति का एरिया घोषित होगा जिसमें इतनी जनजातियां इन्क्लूडेड हो जायेंगी जितनी कि निर्धारित हैं तभी वह जनजाति का एरिया घोषित होता है, उसमें जितनी जातियां हैं उन सबकी सुविधा मिलती है जो उस एरिया में रहती हैं ।

श्री गुलाब सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने जो ट्राइबल एरिया घोषित करने के लिये 50 प्रतिशत जनजाति को होना चाहिये और उसके आधार पर धारचूला ब्लाक में जो प्रतिशत जनसंख्या उनकी है और मुन्स्यारी में केवल 20 प्रतिशत है तो मैं यह पूछता हूं कि उसके बाद भी उन्होंने केन्द्र सरकार को सिफारिश की है कि इसको ट्राइबल एरिया घोषित कर दिया जाय ? मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में और भी जनजातियों के क्षेत्र हैं उसमें से कितने क्षेत्रों के लिये आपने केन्द्रीय सरकार से रिकमन्डेशन की है कि इन एरिया को भी ट्राइबल एरिया डिक्लेयर कर दिया जाय जहां कि 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या है ? मंत्री जी ने अभी कहा है कि जो 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं, संविधान में प्राविधान है और उसके लिये ये भारत सरकार से रिकमन्डेशन करते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उस आधार पर धारचूला और मुनस्यारी के लिये रिकमन्डेशन किया है। मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अन्य कितने ब्लाक और ऐसे हैं जिनको सरकार ने ट्राइबल एरिया डिक्लेयर करने की सिफारिश की है, केन्द्रीय सरकार से ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, यह तो बहुत विस्तृत है, इसमें सूचना की आवश्यकता है।

फैजाबाद नगर में अवैध बिस्कुट फैक्टरी के निर्माण में अनियमितताओं संबंधी शिकायती-पत्र

*6--श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही (अनुपस्थित)--

क्या मुख्य मंत्री को श्री अरविन्द सिंह, महामन्त्री, जिला जनता पार्टी, फैजाबाद एवं अन्य द्वारा हस्ताक्षरित तथा श्री माधव प्रसाद, एम0 एल0 ए0 द्वारा अग्रसारित दिनांक 8 सितम्बर, 1982 का रजिस्टर्ड शिकायती-पत्र जिसमें फैजाबाद नगर में एक अवैध बिस्कुट फैक्टरी के निर्माण में प्रशासन द्वारा गम्भीर अनियमिततायें करने का तथ्यात्मक विवरण है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पूरे तथ्य क्या हैं और अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां।

उसमें मुख्य रूप से यह बात कही गई है कि नगर के आवासीय क्षेत्र में अवैध रूप से सोना बिस्कुट मैन्युफक्चरिंग कम्पनी नामक उद्योग स्थापित किया गया है और एतदर्थ आवासीय नक्शा पास करा कर उद्योग लगाये जाने, उ0 प्र0 वित्तीय निगम द्वारा नियम विरुद्ध ऋण स्वीकृत और वितरित किये जाने, नगर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अपनी संस्तुति दिए जाने तथा विद्युत विभाग द्वारा जिलाधिकारी के आदेश के विरुद्ध विद्युत कनेक्शन दिए जाने की गम्भीर अनियमिततायें बरती गई हैं।

इस मामले की जांच कराये जाने पर यह बात सामने आई कि आवासीय क्षेत्र में उद्योग स्थापित किये जाने की जानकारी प्राप्त होने पर नियत अधिकारी (सिटी मजिस्ट्रेट) द्वारा उक्त इकाई को स्वीकृत मानचित्र को निरस्त करने हेतु आर0 बी0 आ0 ऐक्ट, 1958 की धारा 10 (1) व उक्त ऐक्ट के डाइरेक्शन 1960 की धारा 10 (अ) के अन्तर्गत नोटिस दी गई। इकाई के मालिक ने

नियत अधिकारी द्वारा आरम्भ की गई कार्यवाही को नियंत्रक अधिकारी (आयुक्त, फैजाबाद मण्डल) के यहां अपील दाखिल करके स्थगित करा दिया। अपील पर नियंत्रक अधिकारी का निर्णय प्रतीक्षित है।

जहां तक वित्तीय निगम द्वारा स्वीकृत व वितरित ऋण का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की गई है।

उक्त इकाई को अनियमित रूप से विद्युत् कनेक्शन दिये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का विद्युत परिषद् द्वारा प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण कर दिया गया है और उनके विरुद्ध विस्तृत जांच की जा रही है।

पर्वतीय क्षेत्र में बसे सभी गांवों की पेयजल समस्या की समाधान हेतु योजना

*7—श्री नरेन्द्र सिंह भन्डारी—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र में दूर-दराज के इलाकों में बसे सभी गांवों को पेयजल समस्या के समाधान हेतु सरकार द्वारा क्या कोई नीति निर्धारित की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि उत्तर प्रदेश सरकार, 1972 के सर्वे के अनुसार घोषित अभावग्रस्त गांवों को ही पेयजल योजना बना रही है और वर्तमान समय में वास्तविक रूप से घोर अभावग्रस्त गांवों की पेयजल समस्या के समाधान की दिशा में उदासीनता प्रकट कर प्रधान मंत्री के नए 20 सूत्रीय कार्यक्रम के आठवें सूत्र की उपेक्षा कर रही है ?

परिवहन एवं पर्वतीय विकास मंत्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)—

जी हां।

जी हां।

जी नहीं।

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

मान्यवर, आप कृपया मूल प्रश्न के प्रथम खंड को देखने की कृपा करें। मैंने उसमें यह पूछा था कि क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र के दूरदराज के इलाकों में बसे सभी गांवों की पेयजल समस्या के समाधान हेतु सरकार द्वारा क्या कोई नीति निर्धारित की गई है ? मंत्री जी ने जवाब दिया कि जी हां। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या नीति है जो सरकार ने पेय जल उपलब्ध कराये जाने के लिये बनाई है ? क्या इसको आप बताने की कृपा करेंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र के हर कोने-कोने में जो समस्या ग्रस्त गांव हैं तो 1972 में जो सर्वे हुआ था उसमें 7,771 ग्राम समस्याग्रस्त पाये गये। शासन ग्रामों को पानी पहुंचाने का काम कर रहा है। जून, 1983 तक 4,663 ग्रामों को पेयजल की व्यवस्था कर दी गयी है और इस वर्ष में 515 ग्रामों में पीने का पानी गांव वालों को दिया जायेगा, यह सरकार की योजना है।

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने यह स्वीकार किया है कि सन् 1972 के सर्वे के अनुसार पेय जल उपलब्ध कराया जा रहा है । मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि प्रधान मन्त्री के 20 सूत्री कार्यक्रम के 8वें सूत्र में यह लिखा गया है कि सभी दूर दराज के गांवों को पानी उपलब्ध कराया जायेगा । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप 20 सूत्री कार्यक्रम को मानने के लिए तैयार नहीं हैं जोकि सन् 1972 के सर्वे के अनुसार पानी देने की बात करते हैं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जिन गांवों में पेय जल की व्यवस्था की जा रही है वह सभी गांव 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत आते हैं और मैं कहना चाहता हूं कि जहां पर वह व्यवस्था नहीं है, वहां पर भी पानी की व्यवस्था उपलब्ध करायी जायेगी ।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

मान्यवर, मेरी जानकारी में आया है कि सन् 1972 में यह सर्वे किया गया था, वह कई माने में त्रुटिपूर्ण है और इस सम्बन्ध में कई बार माननीय मन्त्री जी से और पहाड़ पर जो गोष्ठियां हुई हैं, उन में यह कहा गया है कि वह सर्वे नहीं हुआ है । तो इन तमाम चीजों को देखते हुए क्या फिर से आप सर्वे करायेंगे ? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई गांव जो सन् 1972 की सर्वे में न लिया गया हो और वहां पर पानी की अधिक आवश्यकता हो । तो मैं यह आपके माध्यम से आश्वासन चाहता हूं कि क्या फिर से सर्वे करायेंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

मान्यवर, 1980 में जल निगम ने सर्वे किया था, लेकिन उस सर्वे की पूरी रिपोर्ट मेरे सामने नहीं है । सरकार जो 1972 में सर्वे हुआ था, उसी के अनुसार ग्रामों में पानी पहुंचाने का काम कर रही है । पहाड़ों में जो निर्माण का काम हुआ है और जो सड़कों का निर्माण हुआ है उसके कारण बहुत सारे गांवों का पानी सूख गया है, लेकिन जो योजना बनायी गयी है उसके अनुसार काम कर रहे हैं और उन ग्रामों में पानी पहुंचेगा जो अब सूखाग्रस्त हो गये हैं ।

श्री बिहारी लाल--

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने कहा कि 1972 में सर्वे हुआ था और 1982 में वह योजना समाप्त हो गयी । जल निगम और जल संस्थान जिस प्रकार का कुंआ बनवाते हैं उसका तो भगवान ही मालिक है । इनकी योजना कागज पर बन जाती है और उसी में समाप्त हो जाती है । मान्यवर, उखल कांडा ब्लाक, धारी ब्लाक और खटीमा ब्लाक में टनकपुर में पानी नहीं है । योजना बन गयी और वह समाप्त भी हो गयी । तो मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप की कितनी ऐसी योजनायें हैं जहां पर पानी पहुंच रहा है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अब तक जून, 1983 तक 4,663 ग्रामों में पेय जल की व्यवस्था की गयी है ।

श्री सूबेदार सिंह—

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि सन् 1972 में जो सर्वे हुआ था उसको हुए 11 साल हो गये हैं और आप उन ग्रामों में पेय जल की व्यवस्था नहीं कर पाये हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि 11 साल और लग जायेंगे । तो मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि वे क्या कोई समय सीमा निर्धारित करेंगे कि इतने समय के अन्दर सभी गांवों में पानी की व्यवस्था कर दी जायेगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए संसाधनों और धन की आवश्यकता होती है और धन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो तो जो अभावग्रस्त ग्राम हैं उनमें एक साथ पानी की व्यवस्था की जा सकती है किन्तु सरकार ने जो कार्यक्रम निर्धारित किया है उसके मुताबिक यह कार्य हो रहा है और हमें विश्वास है कि हम एक वर्ष में पर्वतीय क्षेत्र के उन ग्रामों में जो समस्याग्रस्त हैं, पानी पहुंचाने में सफल हो सकेंगे ।

सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ के विकास खंडों में अनवाल जाति के परिवारों को पिछड़ी जाति घोषित किये जाने की मांग

*8—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ के धारचूला, मुनस्यारी एवं डीडीहाट विकास खंडों में अनवाल लोग रहते हैं जो भूमिहीन, घरहीन हैं और कस्बों से दूर बीहड़ जंगलों में आदिवासियों की तरह रहते ह और दूसरे लोगों की भेड़-बकरियां चराकर जीवनयापन करते हैं तथा अभी भी बन्धुआ मजदूरों का जीवनयापन करते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन अत्यन्त पिछड़े लोगों के उन्नयन हेतु कोई कारगर कदम उठा रही है ? क्या सरकार उन्हें भी पिछड़ा जाति घोषित कर इनके विकास हेतु त्वरित योजना बनायेगी ?

श्री गुलाब सेहरा—

स्थानीय सर्वेक्षण के अनुसार विकास खंड धारचूला में अनवाल परिवार निवास करते हैं । इनमें से अधिकांश का व्यवसाय कृषि, बागवानी, कुटीर उद्योग तथा भेड़ पालन है तथा कुछेक सरकारी सेवा में कार्यरत हैं । कुछ अनवाल परिवार भेड़ चराने, मजदूरी तथा घोड़े एवं खच्चरों द्वारा ढुलान का कार्य भी करते हैं । इन लोगों में बन्धुआ मजदूरों का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है । अधिकांश अनवालों के पास पक्के मकान हैं तथा उन पर 20 नाली से कम भूमि है । इनका रहन-सहन क्षेत्र के अन्य हिन्दू लोगों की तरह है । आई0 आर0 डी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत 154 परिवारों को लाभान्वित किया गया है । अतः इनको पिछड़ी जाति घोषित करने का औचित्य नहीं है ।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि धारचूला मुंस्यारी और डीडीहाट में जिन भोटिया लोगों को जनजाति में घोषित किया गया है वह किस आधार पर किया गया है और ये जो अनवाल लोग हैं जो कि भोटिया लोगों की बकरी चराने वाले होते हैं उनको इस सुविधा से वंचित क्यों किया गया है ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, जो सुविधायें दी जाती हैं उसमें संविधान के अनुसार उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को देखते हुये उसका पूरा सर्वेक्षण होता है और जैसा कि मैंने पूर्व प्रश्न के उत्तर में बताया कि धारचूला और मुंस्यारी को ट्राइबल एरिया घोषित करन के लिये प्रदेश सरकार ने संस्तुति की है। पिछड़ी जाति का जहांतक प्रश्न है उसके बारे में जब हम इन क्षेत्रों को ट्राइबल एरिया घोषित करने की सिफारिश कर चुके हैं और यदि वे उसके अन्तर्गत आ जाते हैं तो उन्हें वे सारी सुविधायें प्राप्त हो जायेंगी।

देवरिया के "जलधारी देवी संस्कृत महाविद्यालय" के प्रधानाचार्य द्वारा हाई स्कूल के छात्र-छात्राओं के नाम पर आहरित की गयी धनराशि की जांच

*9--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

क्या हरिजन समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पोस्ट नूनखार, थाना खुखुन्दू, देवरिया के 'जलधारी देवी संस्कृत महाविद्यालय द्वारा हाई स्कूल के छात्र-छात्राओं के नाम पर 1981-82, 1982-83 के अन्दर एक लाख चौबीस हजार के लगभग धन प्रधानाचार्य द्वारा निकाले जाने के विषय पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा--

ग्राम व पोस्ट नुनखार, थाना खुन्खुदू देवरिया के "जलधारी देवी संस्कृत महाविद्यालय" द्वारा हाई स्कूल एवं इंटर के छात्र/छात्राओं के नाम पर वर्ष 1980-81 एवं 1981-82 (न कि 1981-82 व 1982-83) के अन्दर रु0 1,22,400 (एक लाख बाइस हजार चार सौ रुपए) की धनराशि प्रधानाचार्य द्वारा आहरित किये जाने के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0 आई0 आर0) दर्ज करा दी गयी है और पुलिस द्वारा विवेचना चल रही है।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रथम सूचना रिपोर्ट किस तिथि को दर्ज कराई गई तथा वर्ष 1980-81, 1981-82 तथा 1982-83 के मध्य 1,22,400 रुपये जो प्रधानाचार्य के माध्यम से आहरित किए गए हैं उस मिलीजुली भगत में समाज कल्याण अधिकारी ने उस विद्यालय के जिसके पास न अपना भवन है, न विद्यार्थी हैं, किन छात्रों को छात्रवृत्ति दी है ? उस हरिजन समाज कल्याण अधिकारी के ऊपर आपने क्या कार्यवाही की है ? तीसरी बात यह है कि क्या आप उन छात्रों की सूची प्रस्तुत करेंगे जिससे यह जाना जा सके कि यह रुपया किन छात्रों को दिया गया है ?

श्री गुलाब सेहरा--

माननीय सदस्य ने जो पूछा कि किस तिथि को एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराई गई। तो श्रीमन्, एफ0 आई0 आर0 दिनांक 8-10-82 को थाना खुखुन्दू में दर्ज कराई गई श्रीमन्, जिस डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर आफीसर की संस्तुति पर छात्रवृत्ति दी गई है उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल ऐक्शन हो रहा है।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि देवरिया के इस जलधारी देवी संस्कृत महाविद्यालय में जो घपला है इसके बारे में माननीय मंत्री जी ने समाचार-पत्रों में एक वक्तव्य दिया था। उसके सम्बन्ध में एफ0 आई0 आर0 हुए एक वर्ष का समय हो गया है और मेरी खुद की जानकारी है कि इस मामले में जो विद्यालय के प्रबन्धक हैं उनको बेदाग विवेचना के अन्तर्गत छोड़ा जा रहा है। इस एक वर्ष के दौरान जो आपने जांच कराई है उसमें किन-किन बिन्दुओं पर आपके सामने रिपोर्ट आई है ? उसकी रोशनी में कुछ लोगों को धर-पकड़ अथवा उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है, जिन-जिन व्यक्तियों के खिलाफ मामले आये हैं क्या उसमें प्रबन्धक भी शामिल हैं ?

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, यह देवरिया का मैटर था और जो अभियान हमारे विभाग की ओर से चलाया गया और जाली संस्थाओं ने विशेषरूप से छात्रवृत्ति अथवा अनुदान ले लिया है। तो इसमें जब देवरिया के माननीय सदस्यों ने सूचना दी तो मैंने अपने विभाग में एक विलिजेंस विभाग बनाया है उसके अधिकारी को देवरिया भेजा और उसने सबसे पहले यह पाया कि केवल बोर्ड लगा हुआ था और उसने कहा कि कोई छात्र नहीं था। उसने देखा कि विशेषरूप से जो प्रधानाचार्य हैं उन्होंने रुपये का गबन कर लिया। जब मैनेजमेंट के लोगों का बयान लिया तो उन्होंने कहा कि यही स्कालरशिप लाते थे हमारा उससे कोई मतलब नहीं था। हमने विशेषरूप से जो एफ0 आई0 आर0 कराई गई है उसमें हम खुद लगे हुये हैं किसी प्रकार से विवेचना पूरी होकर आये तो जो लोग दोषी हैं उनको कड़े से कड़ा दंड दिया जायेगा। मैं माननीय मोहन सिंह जी से कहूंगा कि मेरे मंत्रालय ने करीब 40 ऐसी संस्थायें हैं जिनको पकड़ा है। डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर आफिसर और प्रबन्धक में से 8 व्यक्तियों को जेल भेज चुके हैं। इसमें भी विवेचना कम्पलीट हो जायेगी तो मैं दोषी व्यक्तियों को जेल भेजूंगा इसमें कोई कोताही नहीं करूंगा।

श्री रुद्र प्रताप सिंह—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ज्यों ही ये मंत्री हुए उसके बाद इनका पहला बयान आया कि नूराखाल विद्यालय या अन्य विद्यालयों में जहां इस तरह के घपले हैं उनका तुरंत निस्तारण करूंगा। यह बयान देने में सिद्धहस्त हैं और यहां पर सिहर जाते हैं। तो आपकी वह ध्वनि कहां चली गई....?

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न करिये।

श्री रुद्र प्रताप सिंह—

मेरा प्रश्न यह है कि किस अधिकारी ने जांच की और जब मामला सिद्ध हो गया कि एक लाख 24 हजार का अनुदान दिया गया। जिसकी जांच हरिजन अधिकारी और सुपरवाईजर करते हैं और वही पैसा देते हैं। जब मामला सिद्ध

हो गया तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? मेरी जानकारी हैं कि इन्होंने 50 हजार रुपया लिया हैं । मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं मैं जानता हूं कि क्यों उस हरिजन अधिकारी के खिलाफ शो-काज नोटिस भी नहीं दिया गया ?

श्री गुलाब सेहरा--

माननीय सदस्य बहुत जोशीले हैं । जैसा मैंने प्रारम्भ में ही कहा मैंने विभाग में स्टेटलेविल का विजिलेंस डिपार्टमेंट बनाया हैं उसके अधिकारी शर्मा जी ने जांच की । जिस हरिजन अधिकारी की आप बात कह रहे हैं वह अब देवरिया में नहीं हैं ।

(व्यवधान)

मैंने पहले ही कहा कि विवेचना के बाद जो दोषी पाये जायेंगे जिनके खिलाफ एफ0 आई0 आर0 दर्ज की हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी कोई बख्शा नहीं जायेगा ।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि विवेचना तो चल रही हैं । प्रशासनिक कार्यवाही के आधार पर उनका निलम्बन आप क्यों नहीं कर रहे हैं ? सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध जांच में विन्दु आ गये हैं कि उन्होंने धन आहरित किया उनकी मिली भगत से यह हुआ है । तो माननीय मंत्री जी आश्वासन देंगे कि निलम्बन के आदेश यहां से जाने के बाद करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा--

मैं सम्मानित सदन को आश्वस्त करता हूं कि जो भी गरीब का रुपया खाया होगा उसको बख्शा नहीं जायेगा ।

(व्यवधान)

चाहे वह कोई हो ।

श्री रुद्र प्रताप सिंह--

सही उत्तर नहीं दे रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप संतुष्ट नहीं हैं तो नियम 49 में चर्चा की नोटिस दे कर चर्चा करा लें ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मंत्री जी ने कहा कि विवेचना हो रही हैं और एफ0 आई0 आर0 दर्ज करा दी गई हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि जब एक लाख 24 हजार रुपये का गबन पकड़ा गया तो विवेचना किस चीज की हो रही हैं ? सुपरवाइजर ने इंस्पेक्शन किया और रिपोर्ट दिया तथा आपके जिला हरिजन अधिकारी ने देखा तो जब प्राइमाफेसी केस सिद्ध हैं और आपका सुपरवाइजर एवं जिला हरिजन कल्याण

अधिकारी उसमें फंसा हैं तो इन दोनों अधिकारियों के निलम्बन न करने का क्या कारण है ? आपने कहा कि उनको हटा दिया गया है, तो यदि हटाना ही सजा है तो आपके इस आश्वासन का सारे अधिकारी लाभ उठायेंगे । इसलिए सम्बन्धित अधिकारियों, सुपरवाइजर और जिला हरिजन कल्याण अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही किया और कार्यवाही यदि नहीं किया, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री गुलाब सेहरा--

मैंने पहले ही कहा है कि एफ0 आई0 आर0 में वहां के प्रबन्धक के अलावा सम्बन्धित अधिकारियों को भी लिखाया गया हैं और यदि सम्बन्धित अधिकारी दोषी होंगे तो उनको अवश्य जेल भेजेंगे ।

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, मंत्री जी ने जवाब दिया कि अपने विभाग के विजिलेन्स के श्री शर्मा से जांच कराई और अधिकारियों के खिलाफ दोष प्रारदर्शन में सिद्ध हुआ, तो जब दोष सिद्ध हो चुका है तो उनको निलम्बित करने में क्या कठिनाई है ?

श्री गुलाब सेहरा--

जब तक पूर्ण विवेचना न हो जाय तब तक किसी को दंडित करना ठीक नहीं है लेकिन कोई बचेगा नहीं ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, छात्रवृत्ति या धन को निकाल कर खा लेना प्रबन्धकों का एक मुख्य पेशा हो गया हैं । इस प्रकार हमारे जिले में बहुत से लोगों ने खाया है । मैं जानना चाहता हूं कि जिला हरिजन अधिकारी, सुपरवाइजर, मैनेजर जिन्होंने मिलकर सारा रुपया खा लिया और उनके खिलाफ गम्भीर आरोप लगे तो उनको निलम्बन के आदेश क्यों जारी नहीं किये गये और प्रबन्धक के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, विजीलेन्स सेल से जांच में जितने लोगों के नाम आये उनके खिलाफ एफ0 आई0 आर0 दर्ज करायी गयी लेकिन अभी विवेचना चल रही है और पूरी नहीं हुई है परन्तु आश्वासन देता हूं कि चाहे जिला हरिजन अधिकारी हो या सुपरवाइजर, यदि उनका हाथ पाया जायेगा तो उनको बख्शा नहीं जायेगा ।

श्री पन्ने लाल--

मान्यवर, मंत्री जी ने उत्तर में बताया कि उस जिला हरिजन अधिकारी को देवरिया से गोरखपुर गबन से बचाने के लिए ट्रान्सफर कर दिया और उसके बाद गोरखपुर से भी ट्रान्सफर कर दिया । इसलिए मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उसको गोरखपुर से ट्रान्सफर करने के बाद अब ट्रान्सफर रोक क्यों दिया गया है और कब तक उसको गोरखपुर से हटायेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा--

मान्यवर, मैं सदन को बतलाना चाहता हूं जिसने रुपया खाया है वह उससे वसूल किया जायेगा और वह जेल भी जायेगा ।

(व्यवधान)

लैंड रेवेन्यू की तरह से वसूल होगा ,

(शोर)

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

इस सवाल को स्थगित कर दीजिये ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

कृपया शान्त रहें ।

श्री मृगुनाथ चतुर्वेदी--

(व्यवधान के बीच)

ऐसे गवन करने वाले अधिकारी को गोरखपुर में ही क्यों रखा गया है, आप उसे अपने यहां क्यों नहीं रखते ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

इस प्रश्न की महत्ता को देखते हुए मैं इसे स्थगित करता हूं ।

(मेजों की थपथपाहट)

जिला पौड़ी गढ़वाल में सिंचाई विभाग द्वारा नहरों का पुनर्निर्माण तथा स्वीकृत दरों के आधार पर लिया गया सिंचाई कर

*10-डाक्टर शिवानन्द नौटियाल तथा श्री नरेन्द्र सिंह मण्डारी--

क्या सिंचाई मन्त्री बतने की कृपा करेंगे कि जिला पौड़ी गढ़वाल में पाखरी सेंण-बोंसाल और नौगांव स्यूसी में जो पहले ग्रामीण लोगों की व्यक्तिगत गूलें थीं उन्हें सिंचाई विभाग ने अपने नियंत्रण में ले लिया है ? यदि हां, तो बिना पानी की मात्रा बढ़ाये गये उनसे सिंचाई की दरें क्यों ली जा रही हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सिंचाई विभाग ने इन नहरों का पुनर्निर्माण कराकर अपने नियंत्रण ने ले लिया है । इनका रखरखाव भी किया जा रहा है । नहरों की दशा सुधरी है और पानी की मात्रा में भी वृद्धि हुई है । चूंकि नहरों के रखरखाव पर व्यय विभाग द्वारा वहन किया जा रहा है अतः सिंचाई कर भी शासन द्वारा स्वीकृत दरों के अनुसार कृषकों से लिया जा रहा है ।

नोट--नियम 38(2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न 9 के उपरान्त तारांकित प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

विकास खण्ड डिबाई, जनपद बुलन्दशहर में बसे गांव उमारारी तथा चिलमापुर में बरसाती नाले पर पुल का निर्माण

*11--श्री स्वामी नेमपाल--

क्या सिंचाई मन्त्री को यह जानकारी है कि विकास खण्ड डिबाई, जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत बसे गांव उमारारी तथा चिलमापुर के बीच एक बरसाती नाले के कारण बरसात के मौसम में कई महीने के लिए मार्ग अवरुद्ध हो जाता है तथा उक्त नाले की दूसरी ओर से उक्त ग्रामों के ग्रामवासियों को कृषि सम्बन्धी तथा अन्य आवश्यक सामान लाने ले जाने में अत्यन्त कठिनाई होती है ? यदि हां, तो उक्त दोनों ग्रामों के बीच बहने वाले बरसाती नाले पर पुल का निर्माण कराने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड डिबाई में ग्राम उमरारी एवं चिलमापुर को मिलाने वाला ग्रामीण मार्ग नीम नदी को कि0 मी0 93.0 पर काटता है । वहां पर इस समय कोई पुल नहीं है ।

नीम नदी के रिमाडलिंग की एक परियोजना बनाई गई है इस परियोजना में उक्त स्थल पर पुल निर्माण किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

इसके विपरीत 99.4 कि0 मी0 पर एक पुराना पुल है जिसका जीर्णोद्धार प्रस्तावित है तथा कि0 मी0 86.6 पर एक नया पुल प्रस्तावित है । आशा है कि इससे इस क्षेत्र के यातायात को सुविधा मिलेगी ।

कि0 मी0 93.0 पर पुल बनाना इसलिए उचित नहीं समझा गया है क्योंकि एक ओर पुल बना हुआ है जिसका जीर्णोद्धार प्रस्तावित है तथा दूसरी ओर एक नया पुल प्रस्तावित है अतः इतना नजदीक नया पुल बनाना उपयुक्त नहीं है ।

इस परियोजना को उत्तर प्रदेश बाढ़ नियंत्रण परिषद् एवं गंगा बाढ़ नियंत्रण परिषद् की स्वीकृति मिलने पर तथा धन के उपलब्ध होने पर कार्यान्वित किया जाना सम्भव हो सकेगा ।

श्री महादेव अग्रवाल बेसिक प्राइमरी पाठशाला, कालपी, जनपद जालौन में अध्यापकों का बकाया वेतन

*12--श्री शंकर सिंह--

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि श्री महादेव अग्रवाल बेसिक प्राइमरी पाठशाला, कालपी, जनपद जालौन में अध्यापकों को पिछले चार महीने से वेतन नहीं दिया है ? यदि हां, तो क्यों इस विलम्ब का क्या कारण है और अध्यापकों को कब तक वेतन दे दिया जायगा ?

श्री गुलाब सेहरा--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

[बुधवार, 7 सितम्बर, 1983 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

परिवहन निगम की बसों में सामान की बुकिंग बन्द करने के आदेश

*1--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 रा0 स0 प0 निगम की बसों में सामान बुकिंग प्रधान प्रबन्धक के आदेश से बन्द कर दी गई हैं और बस स्टेशनों पर चल रहे सामान बुकिंग के काउन्टर भी बन्द कर दिये गये हैं जिससे एक ओर प्रदेश के छोटे व्यापारियों के सामने भयंकर कठिनाई उत्पन्न हो गई है तथा दूसरी ओर परिचालकों द्वारा खुला भ्रष्टाचार हो रहा है ? यदि हां, तो क्या जनहित में तत्काल इस आदेश को वापस लेने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जी नहीं।

परिवहन निगम की बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों को 18.7 किलो तक निजी सामान निःशुल्क ले जाने की सुविधा उपलब्ध है। 18.7 किलो से अधिक निजी सामान की बुकिंग की सुविधा पूर्ववत् चल रही है। व्यापारिक सामान की बुकिंग एवं उसकी ढुलाई पर रोक लगाई गई है क्योंकि भारी सामान की ढुलाई से बसों को क्षति पहुंचती थी तथा यात्रियों को अधिक असुविधा का सामना करना पड़ता था।

जहां तक परिचालकों द्वारा किये जाने वाले भ्रष्टाचार का प्रश्न है, उसे रोकने के लिए प्रभावी चेकिंग कराई जाती है।

परिवहन निगम का दायित्व यात्रियों को सुरक्षित यात्रा सुविधा प्रदान करना है। इस दृष्टिकोण से जारी किये गये आदेशों को वापस लिया जाना उचित नहीं होगा।

राजकीय प्रमाणित संस्था शिवकुटी (भिक्षुक गृह), इलाहाबाद की जांच तथा कार्यवाही

*2--श्री ऊदल--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय प्रमाणित संस्था शिवकुटी (भिक्षुक गृह), इलाहाबाद की जांच (निरीक्षण) मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (श्री आर0 के0 गुप्ता), इलाहाबाद ने 15-9-82 को किया था और 11 पेज की जांच रिपोर्ट शासन को भेजी है ? क्या यह सत्य है कि उक्त संस्था की अधीक्षिका (माया बिरमानी) के खिलाफ धोखाधड़ी, न्यायालय के आदेश को न मानना आदि से सम्बन्धित शिकायतें सही पाई गयी हैं ? यदि हां, तो इन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गुलाब सेहरा--

जी हां।

इस सम्बन्ध में प्रशासनिक जांच की जा रही है। जांच आख्या के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

*3--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[24वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या-4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रगति आश्रम हाई स्कूल बालागंज, लखनऊ के विरुद्ध कार्यवाही

*4--श्री राम आसरे वर्मा--

हरिजन तथा समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता को भेजे गए अर्धशासकीय पत्र संख्या सो0 एम0 125/26-1-82-9 (312)/80, दिनांक 30-9-82 पर प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ के विरुद्ध उनके द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा--

(अ) संस्था को वर्ष 1978-79 से 1980-81 तक स्वीकृत अनुदान की धनराशि का स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा की गयी आडिट रिपोर्ट के अनुसार कुल 98374.79 रु0 की धनराशि वसूल की जानी थी। वर्ष 1981-82 में संस्था को कुल स्वीकृत किये जाने वाले अनुदान में से 98375.00 रु0 की कटौती कर वसूल कर ली गयी है।

(ब) श्रीमती माधुरी पांडे ने पुनः अपने मामले में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद (लखनऊ बेंच) में अपना वाद दायर कर रखा है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है अतः माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के प्राप्त होने पर ही संस्था के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने के बिन्दु पर विचार एवं निर्णय सम्भव होगा।

प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ के लेखाकार श्री मोहन सिंह के विरुद्ध ज्ञापन तथा जांच

*5--श्री मोहन सिंह--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के 3रे बुधवार के अता0 प्र0 सं0 91 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ज्ञापन किन-किन दिनांकों को प्राप्त हुए थे, जांच अधिकारी द्वारा जांच कब प्रारम्भ की गयी तथा जांच आख्या कब तक प्राप्त होने की आशा है ?

श्री गुलाब सेहरा--

सूचना एकत्र की जा रही है।

मथुरा जिले में अतिवृष्टि से फसलों को क्षति तथा समाधान हेतु योजना का क्रियान्वयन

*6--श्री सरदार सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि गत कई वर्षों से लगातार अति वृष्टि के कारण बाढ़ एवं जल भराव की समस्या मथुरा जनपद के किसानों की फसल को अपार क्षति पहुंचा रही है और इस सम्बन्ध में उनका एवं शासन का जन-प्रतिनिधियों द्वारा समय-समय पर ध्यानाकर्षण किया जाता रहा है ? यदि हां, तो शासन ने इस समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस योजना बनाई है ? यदि हां, तो योजना का प्रारूप क्या है तथा यह कब तक क्रियान्वित कर दी जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां, मथुरा जनपद में पिछले कई वर्षों से अतिवृष्टि के कारण कुछ क्षेत्र को क्षति पहुंचती रही है ।

इस समस्या के निवारण हेतु मथुरा जनपद का ड्रेनेज मास्टर प्लान (अनुमानित लागत 167.00 लाख रुपये) वर्ष 1982 में बनाया गया था ।

इसके अतिरिक्त प्रस्तावित हुलवाना डाइवर्जन ड्रेन परियोजना को जनप्रतिनिधियों के विरोध के कारण रोके जाने के फलस्वरूप गोवर्धन नाले का पुनरीक्षण विचाराधीन है ।

इस योजनाओं का निष्पादन, योजना की स्वीकृति तथा वांछित धनराशि उपलब्ध होने पर सम्भव हो सकेगा ।

झांसी जनपद में बिजली के उद्योग क्षेत्र में इकाइयों की कार्यक्षमता में कमी

*7--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जनपद में बिजली के उद्योग क्षेत्र में शासन को दो वर्ष की घोषणा के बाद भी सड़कों, नालियों, यातायात, टेलीफोन, पानी, डाकघर, पुलिस थाना प्रकाश व्यवस्था का प्रबन्ध न होने के कारण वहा पर चल रही इकाइयों की कार्यक्षमता कम हो गयी है जिससे नई इकाइयां लोगों ने लगाना बन्द कर दिया है ? यदि हां, तो उपरोक्त सभी कार्यों को पूर्ण कराने हेतु शासन शीघ्र व्यवस्था करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गुलाब सेहरा, हरिजन समाज कल्याण मंत्री के पुत्र तथा पत्नी को दिया गया कथित ऋण

*8--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या राज्य सरकार कृपया बतायेगी कि श्री गुलाब सेहरा, हरिजन समाज कल्याण राज्य मंत्री के पुत्र श्री अशोक कुमार को 1 लाख आठ हजार रुपया तथा श्री गुलाब सेहरा की पत्नी को 1 लाख बीस हजार रुपए वित्त निगम से वर्ष 1980-81 व 1981-82 व 1982-83 में ऋण दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त धनराशि का उपयोग, लिए गये कारोबार में खर्च करके कारोबार किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्री गुलाब सेहरा, हरिजन समाज कल्याण राज्य मंत्री के पुत्र श्री अशोक कुमार एवं उनकी पत्नी को वर्ष 1980-81 व 1981-82 व 1982-83 में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम से कोई ऋण/अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया है । प्रश्न नहीं उठता है ।

*9--श्री भीखालाल--

[9वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

करछना तहसील, जनपद इलाहाबाद में ट्यूबवेल से पानी की व्यवस्था की मांग

*10–श्री रेवती रमण सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यहसही है कि करछना तहसील, जनपद इलाहाबाद में लिफ्टन नहर होने के कारण किसान को पानी सिंचाई के लिए नहीं मिल पाता है ? यदि हां, तो वहां ट्यूबवेल लगवा कर सिंचाई हेतु पानी की व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

लक्ष्मी कत्था फैक्ट्री, नजीबाबाद में तालाबन्दी, फैक्ट्री चालू करके मजदूरों को रोजगार दिए जाने की मांग

*11–श्री खैरुल बशर—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लक्ष्मी कत्था फैक्ट्री, नजीबाबाद पर पंजाब नेशनल बैंक का सत्तावन लाख बकाया, स्टेट बैंक का सात लाख, सरकारी बकाया 6 लाख, बिजली का बकाया 70 लाख रुपया है, जिसके कारण फैक्ट्री की तालाबन्दी की गई है ? यदि हां, तो सरकार को इस परिस्थिति में इस संस्थान का अधिग्रहण करने में कौन सी बाधा है ? क्या सरकार इसका अधिग्रहण करके इस संस्थान के मजदूरों को फैक्ट्री चालू करके मजदूरी की रोजी बहाल करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

भिक्षुक कर्मशाला इलाहाबाद की मुख्य दण्डाधिकारी, इलाहाबाद द्वारा जांच

*12—श्री राम स्वरूप वर्मा—

दिनांक 23–3–83 को ता0 प्र0 सं0 14 के उत्तर के संदर्भ में क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संदर्भित रपट में लाखों के घोटाले की जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा उक्त भिक्षु कमशाला की अधीक्षिका व वरिष्ठ लिपिक को निलम्बित करके वहां से दूर स्थानान्तरित करके कराने की संस्तुति की थी ? यदि हां, तो निष्पक्ष जांच के हित में ऐसा अब तक न करने का कारण क्या है ?

श्री गुलाब सेहरा—

जी नहीं ।

भिक्षुक कर्मशाला, इलाहाबाद की जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा नहीं कराई गई है, बल्कि मुख्य दन्डाधिकारी, इलाहाबाद द्वारा की गई है । संस्था के वरिष्ठ

क्लिपिक का स्थानान्तरण कर दिया गया है । साथ ही जिला स्तर पर प्रशासनिक जांच कराई जा रही है । प्रशासनिक जांच आख्या प्राप्त होने पर अधीक्षिका के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी ।

मैदानी छात्रों की तरह पर्वतीय क्षेत्र के छात्रों को यातायात साधन में अर्ध शुल्क की छूट दिए जाने की मांग

*13--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मैदानी छात्रों को रेल यात्रा में आधी छूट दी जाती है ? क्या इस पृष्ठभूमि में सरकार पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक व आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्हें यहां के यातायात साधन में अर्ध शुल्क मुक्ति प्रदान करेगी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार का अनुमानित कितना आर्थिक भार वहन करना होगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

उत्तरी रेलवे द्वारा अवगत कराया गया है कि कतिपय प्रयोजनों के लिए छात्रों को "डबल जर्नी सिंगिल फेयर" की सुविधा दी जाती है । परिवहन निगम पर्वतीय क्षेत्र के छात्रों को उक्त प्रकार की सुविधा देने की स्थिति में नहीं है । उक्त क्षेत्र के छात्रों को अर्ध शुल्क की छूट देने में लगभग 17 लाख रुपए वार्षिक का व्यय भार अनुमानित है ।

*14--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र --

[दिनांक 16-3-83 को अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या--1 द्वारा उत्तरित ।]

ऋषिकेश से टिहरी उत्तरकाशी चलने वाली सवारी गाड़ियों हेतु निर्धारित मार्ग

*15--श्री विद्यासागर नौटियाल --

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ऋषिकेश से टिहरी उत्तरकाशी की ओर जाने वाली सवारी गाड़ियों के लिए जो मार्ग मुनी की रेती कैलाश गेट होकर निर्धारित है उस पर न चल कर समस्त सवारी गाड़ियां ढालूवाला अनुगमन मार्ग से होकर आने-जाने लगी है ? जिसके सम्बन्ध में टिहरी गढ़वाल की जनता की ओर से आर0 टी0 ओ0, देहरादून को कई बार शिकायतें की गई हैं और प्रश्नकर्त्ता ने भी शिकायतें सन 82 व 83 में की है ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

ऋषिकेश से टिहरी-उत्तरकाशी चलने वाली सवारी गाड़िया मुनी की रेती कैलाश गेट होकर अथवा ढालावाला होकर आ जा सकती है । अतः उनका ढालावाला अनुगमन मार्ग से टिहरी उत्तरकाशी जाना अनियमित नहीं है ।

सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून के कार्यालय में इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । अतः उन पर कार्यबाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

कानपुर थानान्तर्गत बिल्हौर में ईसन नदी के पुल के पास टेम्पो टैक्सी दुर्घटना में मृतकों के परिवारें को मुआवजा

*16---श्री मोतीलाल देहलवी---

क्या परिवहन मन्त्री को जानकारी है कि विगत 1 अप्रैल, 1988 को बिल्हौर जनपद कानपुर थानान्तर्गत बिल्हौर में ईसन नदी के पुल के पास टेम्पो टैक्सी नं0 यू0 एस0 एफ0 9230 के परिवहन विभाग की बस से एक्सीडेंट के फलस्वरूप टेम्पों पर सवार 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी और एक सवार की मौत कानपुर अस्पताल में हुई ? यदि हां, तो क्या मृतकों के परिवारजनों को कोई मुआवजा दिया गया ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

शासन को प्राप्त सूचना के अनुसार इस दुर्घटना में टेम्पो टैक्सी नं0 यू0 एस0 एफ0 9230 पर सवार 4 व्यक्तियों की मृत्यु घटनास्थल पर हो गई थी। घटना की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है जिसके आधार पर मृतकों के उत्तराधिकारियों को नियमानुसार मुआवजे के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है ।

किला मोहम्मदी ड्रेन के सम्बन्ध में जांच आख्या तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

*17--श्री सन्त बक्स रावत---

प्रश्नकर्त्ता के अता0 प्र0 सं0 43, दिनांक 9-2-33 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राविधिक सम्परीक्षा पोस्ठ की जांच आख्या किला मोहम्मदी ड्रेन के सम्बन्ध में शासन को कब प्राप्त हुई और शासन ने उसी पर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ? यदि कार्यवाही नहीं की गई, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

प्रश्नगत मामले में प्राविधिक संपरीक्षा कोष्ठ (न कि पोस्ट) की जांच आख्या दिनांक 11 फरवरी, 1982 में प्राप्त हुई थी। कोष्ठ की आख्या पर प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग की संस्तुतियां मांगी गई, जो शासन को दिनांक 20 जुलाई, 1983 को प्राप्त हुई। शासन द्वारा मामले का परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण के फलस्वरूप जो अधिकारी दोषी पाये जावेंगे उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

ट्यूबवेल हेतु विद्युत् फीडर लाइन लागू करने पर विचार

*18---श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल---

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि ग्रामीण अंचल में विद्युत् की सप्लाई न होने के कारण ट्यूबवेल अपनी क्षमता के बराबर सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी प्रदेश के ट्यूबवेल हेतु विद्युत् फीडर लाइन अलग से बनवाने की योजना पर विचार कर रहे हैं ? यदि हां, तो उस पर निर्णय कब तक लेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां । विश्व बैंक द्वारा पोषित नलकूपों पर विद्युत् लाइन अलग से लगवाने की योजना चल रही है । यह प्रयोग सफल पाये जाने तथा धनराशि के उपलब्ध होने पर हो इस योजना को राजकीय नलकूपों पर लागू करने पर विचार करना सम्भव होगा ।

*19--श्री केदारनाथ सिंह--

[4थे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

चमोली, गढ़वाल के क्षेत्र कुनीगाड़ में चिकित्सालय की स्थापना तथा भवन का निर्माण

*20--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चमोली, गढ़वाल के क्षेत्र कुनीगाड़ के जिस आयुर्वेदिक चिकित्सालय की स्थापना गत 4 वर्ष पूर्व की गई थी उसके लिए भवन का निर्माण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी नहीं ।

चूंकि चिकित्सालयों के भवनों का निर्माण अब जनपद योजनान्तर्गत है, अतः जनपद समिति से अनुमोदित प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही शासन द्वारा इस पर विचार करना सम्भव है ।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

(प्रथम शुक्रवार दिनांक 2 सितम्बर, 1983 का स्थगित अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1)

राजकीय सड़क परिवहन निगम द्वारा बसों के यात्री किराये में वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव

**1--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री मित्रसेन--

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या हाल में ही उत्तर प्रदेश राजकीय सड़क परिवहन निगम द्वारा शासन को बसों के यात्री किराए में वृद्धि किये जाने की स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रस्ताव क्या है तथा शासन द्वारा उस पर क्या नीति तय की गई है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां । 30प्रतिशत किराया वृद्धि का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिस पर 25 प्रतिशत किराया वृद्धि करने हेतु शासकीय अधिसूचना संख्या 2646 टी/तोत-4-59-के एम/78, दिनांक 25 जून, 1983 के द्वारा आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे। अन्तिम निर्णय शासन के विचाराधीन है ।

श्री मित्रसेन--

मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि जनता की भावनाओं को देखते हुए क्या सरकार 25 प्रतिशत बस भाड़ा, जो बढ़ाया जा रहा है, इसे वापस लेने पर सहमत हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

लोगों ने अपने सुझाव और आपत्तियां भेजी हैं, उन सभी पर विचार किया जा रहा है और अभी अंतिम निर्णय होना है । जो भावनायें यहां सदन में व्यक्त की जा रही हैं उन पर विचार करके ही निर्णय लिया जायेगा ।

श्री हुकम सिंह--

बिना किसी शासनादेश के जो मालभाड़ा बढ़ा दिया गया है, क्या उसको भी कम करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ? क्या उसको आप समाप्त करेंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

18 के0 जी0 तक निःशुल्क कोई भी मुसाफिर सामान ले जा सकता है ।

(व्यवधान)

लेकिन 18 के0 जी0 से यदि अधिक होता है, तो 8·7..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

यह कहां का जवाब आप दे रहे हैं । यह जो प्रश्न पहले था, वह ही अभी चल रहा है, यह दूसरा प्रश्न आगे आएगा..

(व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यह मंत्री जो हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हैं, तो कोई मंत्री इनकी सहायता कर दे ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

हुकम सिंह जो आप अपना प्रश्न दोहरा दें ?

श्री हुकम सिंह--

मेरा प्रश्न यह था कि अभी मंत्री जी ने कहा है कि क्रम में किराये को बढ़ाया जाना विचाराधीन है और सदस्यों तथा अन्य लोगों की भावनाओं को देखते हुए उसमें निर्णय लिया जायेगा, लेकिन परिवहन निगम ने माल-भाड़े पर जो एक पक्षीय वृद्धि कर दी है, क्या आप उसको समाप्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

भाड़ा बढ़ाने का कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है ।

श्री मुख्तार अनीस--

वर्ष 1980 से लेकर कब-कब, कितना-कितना किराया परिवहन निगम ने अब तक बढ़ाया है, मंत्री जी इसको बता दें ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

1982-83 में, 5·32..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठिए, वह उत्तर दे रहे हैं ।

श्री मुख्तार अनीस--

मैंने 1980 से सवाल किया है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

1982-83 में 7·65 पैसा प्रति किलोमीटर था ।

श्री मुख्तार अनीस--

हमारा सीधा सवाल है, वर्ष 1980, वर्ष 1981, वर्ष 1982 और वर्ष 1983 तक प्रत्येक वर्ष कितना किराया परिवहन निगम ने बढ़ाया है, यह मंत्री जी वर्षवार बता दें ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

इसके लिए सूचना की आवश्यकता है ।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जनपद मिर्जापुर में सीमेन्ट कारखाना लगाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर सरकार की असहमति

**1--श्री मित्रसेन--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीमेन्ट कारपोरेशन आफ इन्डिया द्वारा प्रदेश के जनपद मिर्जापुर में 200 करोड़ रु0 की लागत से सीमेन्ट कारखाना लगाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर प्रदेश सरकार ने असहमति प्रकट कर दी है ? यदि हां, तो प्रस्ताव पर असहमति प्रकट किये जाने का औचित्य क्या है ? क्या उक्त विषय पर पुनः विचार करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सीमेन्ट कारपोरेशन आफ इन्डिया का प्रस्ताव चोपन, जिला मिर्जापुर में 2 हजार मैट्रिक टन प्रतिदिन उत्पादन क्षमता का एक सीमेन्ट प्लान्ट, निधा मारबुल पर आधारित लगाने का था । भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के अनुसार प्रास्पेक्टिंग करने से निधा मारबुल की अनुमानित रिजर्व 9 मिलियन टन होने की सम्भावना है । चूंकि उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट कारपोरेशन की कजरहट चुनार परियोजना के लिए 6 मिलियन टन निधा मारबुल की आवश्यकता है । अतः इस मारबुल पर आधारित सीमेन्ट कारपोरेशन आफ इन्डिया द्वारा चोपन में सीमेन्ट

प्लांट लगाया जाना सम्भव नहीं है क्योंकि उसके लिए भी 6 मिलियन टन मारबुल की आवश्यकता है । कजरहट चुनार परियोजना चालू हो चुकी है । अतः उसके लिये अपेक्षित मारबुल का आरक्षण किया जाना राज्य सरकार के हित में है । इस आधार पर राज्य सरकार द्वारा सीमेन्ट कारपोरेशन आफ इन्डिया को उनके द्वारा अपेक्षित निधां मारबुल उपलब्ध कराये जाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है । ऐसी स्थिति में प्रस्ताव पर पुनर्विचार का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

श्री मित्र सेन--

माननीय उद्योग मंत्री हर जगह फेल थे और वह उद्योग में भी फेल हैं । इतना बड़ा कारखाना, जो केन्द्र सरकार ने 2 सौ करोड़ रुपये से मिर्जापुर में लगाना प्रस्तावित किया था, उसको मंत्री जी ने लगाने से इंकार कर दिया । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया ने जो यह कारखाना लगाने का प्रस्ताव रखा है तो उसके लिये क्या प्रदेश सरकार ने अपनी रिपोर्ट या अपना प्रस्ताव भेजा था । अगर भेजा था तो प्रदेश सरकार की तरफ से जो कारखाना लगने वाला है उससे पहले प्रस्ताव गया था या उसके बाद में ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, भारत सरकार से जब सीमेन्ट कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा मिर्जापुर में चोपन में कारखाना लगाने की बात हुई थी तो उन्होंने यह कहा था कि उनको 3 मिलियन टन निंधा मारबुल की आवश्यकता होगी । जो हमारी रिक्वायरमेंट निंधा मारबुल की थी वह 4 मिलियन टन थी । जब नया प्लांट लगाया गया तो हमारी रिक्वायरमेंट 6 मिलियन टन निंधा मारबुल की हो गयी । भारत सरकार से जो आया तो उन्होंने 3 मिलियन टन से बढ़ाकर 6 मिलियन टन निंधा मारबुल की आवश्यकता कर दिया तो इस तरह से 6 मिलियन टन उनकी और 6 मिलियन टन हमारी आवश्यकता को यदि जोड़ दिया जाय तो यह 12 मिलियन टन निंधा मारबुल रिजर्व होना चाहिये । तो पहले जो रिजर्व आंका गया था उसकी मात्रा 7 मिलियन टन थी । बाद में जब देखा गया तो यह पाया गया कि रिजर्व की मात्रा 9 मिलियन टन हो सकती है । भारत सरकार की और हमारी आवश्यकता 12 मिलियन टन की है लेकिन रिजर्व 9 मिलियन टन निंधा मारबुल है तो कैसे स्वीकृति दें । जो हमने पहले कहा था कि अगर 3 मिलियन टन की आवश्यकता हो तो हम आज भी तैयार हैं देने के लिये । लेकिन वह कहते हैं कि 6 मिलियन टन दीजिये । तब हम लगायेंगे । अगर वह 3 मिलियन टन पर लगाने के लिये तैयार हैं तो हम उनके लिये हर तरह से इजाजत देने के लिये तैयार हैं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय, मेरी सूचना को सही न मानकर कि प्राइवेट सेक्टर में, इस देश का एक बहुत बड़ा पूंजीपति वहां कारखाना लगाने के चक्कर में है और उसके प्रभाव में आकर अधिकारियों ने ऐसी रिपोर्ट दी है तो क्या इस तथ्य की जानकारी कराने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

माननीय, ऐसी बात नहीं है । हमने कहा है कोई भी वहां लाइम स्टोन से लगाना चाहे तो कारखाना लग सकता है । सवाल केवल निंधा मारबुल का है। 6 मिलियन टन हमने अपने लिये रखा है उसके बाद हम दे सकते हैं । हमें लगाने देने में कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री मित्र सेन--

मान्यवर, मंत्री जो कह रहे हैं कि दोनों कारखाने यदि लगाये जायं तो 12 मिलियन टन निधा मारबुल की आवश्यकता होगी। भूतत्व एवं खनिज निदेशालय ने रिपोर्ट दी ह कि वहां पर 9 मिलियन टन निधा मारबुल है। तो क्या मंत्री जी इसकी पुनः जांच भूतत्व एवं खनिज निदेशालय द्वारा करायेंगे और उस क्षेत्र को बढ़ाकर जांच करायेंगे कि अगर यह मारबुल उपलब्ध हो जाता है तो भारत सरकार को वहां कारखाना लगाने की अनुमति देने को तैयार हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, यह देखा गया है, पहले वहां 7 मिलियन टन था। बाद में देखा गया तो पाया गया कि 9 मिलियन टन से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो रिजर्व जो है उसके अनुसार ही योजना बना सकते हैं। वहां 3 मिलियन टन की कोई फक्टरी लगा सकता है तो हम लगाने देने के लिये तैयार हैं। अगर लाइन स्टोन से सीमेंट बन सकती है तो हमें किसी प्रकार का आब्जेक्शन नहीं है।

भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रदेश में रासायनिक खाद के कारखाने, और उनके लिए धन की व्यवस्था तथा निर्माण कार्य

**2--श्री मोहन सिंह--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश को केन्द्र सरकार ने, जो चार खाद के बड़े कारखाने दिये थे, अब उनके निर्माण हेतु सरकार किन संसाधनों से धन की व्यवस्था कर रही है और इनका निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ हो रहा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

भारत सरकार द्वारा स्वीकृत उत्तर प्रदेश में गैस पर आधारित चार रासायनिक खाद परियोजनाओं में से 3 निजी क्षेत्र/सहकारी क्षेत्र में तथा एक पिकप के माध्यम से सहायता प्राप्त क्षेत्र में स्थापित किये जा रहे हैं। पिकअप द्वारा सहायतित इकाई में कुल अनुमानित लागत की अंश पूंजी को 11 प्रतिशत पिकप (राज्य सरकार के स्रोतों से) एवं 40 प्रतिशत निजी क्षेत्र के सहयोगी द्वारा पूर्ति की जायेगी। शेष 49 प्रतिशत अंशदान जनता के लिये जारी किया जायेगा।

2--परियोजनाओं के निर्माण कार्य आरम्भ की निश्चित तिथि अभी निर्धारित नहीं की गई है। भारत सरकार से आवश्यक आशय पत्र के लिये अनुरोध किया गया है और यह आशा की जाती है कि पिकप द्वारा सहायतित परियोजना का निर्माण कार्य अप्रैल, 1984 से प्रारम्भ हो जायेगा और उस समय तक केन्द्र सरकार से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त हो जाने की आशा है।

श्री मोहन सिंह--

3 साल से इस सरकार की यह चिल्लाहट सुनते आ रहे हैं कि चार कारखाने मिल गये और यह सुनते-सुनते कान पक गये लेकिन उत्तर से यह आभास होता है कि ये कारखाने मिलने वाले नहीं हैं। मैं साफ तौर से यह उत्तर चाहता हूं कि इन कारखानों में कितने निजी क्षेत्र के हैं और कितने सहकारी क्षेत्र के हैं? दूसरे आपका 11 फीसदी एक कारखाने में लगेगा पिकअप में, 49 फीसदी शेयर भी एलाट करने वाले हैं और बाकी तीन कारखानों में सारी पूंजी निजी क्षेत्र

तथा सहकारी क्षेत्र को होगी तो जो 11 फीसदी पूंजी आपकी लगनी है वह किस कारखाने में लगने वाली है और यह 11 फीसदी की पूंजी में कितनी रकम आयेगी और उसके लिए सरकार ने अपने किन संसाधनों की व्यवस्था की है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

एक कारखाना पिकअप जगदीशपुर, सुल्तानपुर में लगा रहा है । दूसरा कारखाना शाहजहांपुर में श्रीराम केमिकल्स फर्टीलाइजर लगा रहे हैं । तीसरा इफको द्वारा बदायूं में लगाने की बात है और चौथा बरेली में टाटा केमिकल्स द्वारा लगाये जाने की बात हो रही है । 11 परसेंट जो है वह पिकअप से सम्बन्धित है शेष गल्फ कंट्रीज का होगा । इसके बारे में बातचीत हो चुकी है । हमारा एग्रीमेन्ट भी हो चुका है । वह मिल हो जायेंगे । इसमें 40 परसेंट उनका होगा ।

श्री मोहन सिंह--

मैंने यह पूछा था कि 11 परसेंट में कितनी रकम होती है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

662 करोड़ रुपये का एक प्रोजेक्ट होगा और 700 करोड़ तक वह जा सकता है । इसमें 40 से 70 प्रतिशत तक गल्फ कंट्रीज से रुपया आयेगा, 11 परसेंट हमको देना होगा और बाकी शेयर्स से रुपया रेज किया जायगा ।

श्री मोहन सिंह--

तीन वर्ष लेटर आफ इंटेन्ट देने में लग गये । पता नहीं कितने वर्ष और लगेंगे । अब अपने संसाधनों से जो 11 प्रतिशत रुपया आप देंगे तो वह कितने करोड़ रुपया होगा और शासन ने उसके लिए क्या व्यवस्था की है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मैंने कहा कि 11 प्रतिशत हमारा होगा ।

श्री मुख्तार अनीस--

11 प्रतिशत धन कहां से जुटायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

स्टेट गवर्नमेन्ट से करेंगे ।

श्री अध्यक्ष--

आप किसकी आज्ञा से बोल रहे हैं । प्रश्नों का समय समाप्त ।

नोट--अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

अतारांकित प्रश्न

घाघरा नहर पर निर्माणाधीन पुल के बारे में शिकायती-पत्र

1--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या सिचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद में रौनाही के निकट घाघरा नहर पर निर्माणाधीन पुल के बारे में श्री मुन्ना सिंह, अध्यक्ष, युवा लोकदल, फैजाबाद द्वारा दि0 26-2-82 को जिलाधिकारी, फजाबाद को कोई शिकायती-पत्र प्रेषित कराया गया है ? यदि हां, तो शिकायतकर्त्ता की शिकायतों के बारे में किससे जांच कराई गई तथा शिकायतकर्त्ता के लिखित अथवा मौखिक साक्ष्य जांच के दौरान लिए गये ? यदि हां, तो शिकायतों का विवरण क्या है तथा अब तक सरकार की तरफ से उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

महरीपुर पम्प हाउस टाण्डा, फैजाबाद का निर्माण तथा कृषकों को सिचाई सुविधा

2--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या सिचाई मन्त्री कृपया बतलेंगे कि महरीपुर पम्प हाउस टाण्डा, फैजाबाद करोड़ों रुपये की लागत से निर्माण होने के बावजूद मौजूदा समय बेकार (ठप्प) हो गया जिसके माध्यम से किसानों को सिचाई हेतु पानी नहीं दिया जा सकता है ? यदि हां, तो सरकार उक्त क्षेत्रों के किसानों की सिचाई की क्या व्यवस्था कर रही है ? उक्त लागत से निर्माण पम्प हाउस के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं ।

महरीपुर पम्प हाउस वर्ष 1960 में 175 लाख रुपये की लागत से निर्मित हुआ तब से इस पम्प नहर से निरन्तर कृषकों को सिचाई सुविधा उपलब्ध है ।

इस नहर के निर्माण में घाघरा नदी का न्यूनतम जल स्तर 265 फीट लिया गया था । शारदा सहायक नहर बन जाने के कारण अब यह जल स्तर वर्ष के कुछ महीनों में 265 फीट से कम हो जाता है और तब पम्प नहीं चल पाते । टाण्डा पम्प नहर की लम्बाई 15.2 कि0 मी0 थी । पम्प बन्द हो जाने पर 7 से 15.2 कि0 मी0 तक के क्षेत्र में शारदा सहायक से पानी मिल जाता है । शीर्ष से कि0 मी0 7 में पानी की कठिनाई जनवरी से मई तक होती है । इस कमी को दूर करने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है । पम्प हाउस के सम्बन्ध में किसी अन्य व्यवस्था का अभी प्रश्न नहीं उठता ।

वाराणसी में काष्ठ-कला उद्योग को लकड़ी

3--श्री ऊदल--

क्या उद्योग मन्त्री को जानकारी है कि वाराणसी में काष्ठ कला उद्योग को लकड़ी नहीं मिल पा रही है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

क्षेत्राधिकारियों के प्रयास से वन निगम लकड़ी के कारीगरों को वांछित लकड़ी देने लग है ।

जनपद रायबरेली के ग्राम लोहड़ामऊ में सरकारी नलकूप बनाने हेतु छिद्रण का कार्य

4--श्री कृष्ण कुमार शुक्ल--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के लोहड़ामऊ ग्राम में सरकारी नलकूप बनाने हेतु मशीनें पहुंचा कर बिना कार्य किए जून, 1982 में वापस आ गई ? यदि हां, तो क्यों और शासन का इस पर क्या खर्चा आया ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं । जनपद रायबरेली के लोहड़ामऊ ग्राम में सरकारी नलकूप बनाने हेतु छिद्रण का कार्य दिसम्बर, 1982 में प्रारम्भ किया परन्तु समुचित स्ट्रेटा न मिलने के कारण असफल रहा और बोर का परित्याग करना पड़ा ।

जून, 1982 से पूर्व केवल एक ट्रक सामान भेजा गया था परन्तु तब तक स्थल चयन अन्तिम रूप से न होने के कारण मशीन नहीं भेजी गई थी ।

एक ट्रक सामान भेजने पर लगभग 400 रुपया व्यय हुआ ।

पावर धानी में प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को खादी बोर्ड से स्वीकृत ऋण तथा भुगतान

5--श्री झिलमिट राम--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, 1982 के पूर्व पावर धानी में प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश खादी बोर्ड से ऋण स्वीकृत किए गये थे और एग्रीमेन्ट के बावजूद भी अभी तक भुगतान नहीं किए गये ? क्या यह सही है कि ऐसे ऋण ग्रहियों को 4.20 प्रतिशत की दर से स्टैम्प शुल्क भी जमा करना पड़ा है ? यदि हां, तो क्या उसका ब्याज उन्हें मिलेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मार्च, 1982 के पूर्व 91 पावर धानी में प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश खादी बोर्ड द्वारा ऋण स्वीकृत किया गया था । इसमें से 83 अभ्यर्थियों को पावर धानी, शेड तथा कार्यशील पूंजी ऋण स्वीकृत एवं वितरित किया जा चुका है और शेष अभ्यर्थियों के समय से बन्धक विलेख पूर्ण न होने के कारण उन्हें खादी बोर्ड द्वारा ऋण का भुगतान नहीं किया जा सका था । अब इन 8 अभ्यर्थियों को धानी आपूर्ति करने हेतु इलाहाबाद पालिटेक्निक, इलाहाबाद को अग्रिम धन का भुगतान किया जा चुका है ।

जी हां ।

जो नहीं ।

6--श्री झिलमिट राम--

क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि मार्च, 1982 के बाद मशीनरी, ईंट, सीमेंट एवं कच्चे मालों की कीमत बढ़ने से योजना की तत्कालीन लागत की अपेक्षा वर्तमान लागत के अनुरूप ऋण दिया जायगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

तहसील बिल्हौर, जनपद कानपुर में बन्द पड़े राजकीय नलकूपों को चालू कराने विषयक पत्र

7---श्री मोती लाल देहलवी--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि तहसील बिल्हौर, जनपद कानपुर में बन्द पड़े 22 राजकीय नलकूपों के विषय में जो पत्र प्रश्नकर्त्ता ने उन्हें दिनांक 20 अक्तूबर, 1982 को दिया था ? उसके पश्चात् भी बन्द पड़े नलकूप 18 जनवरी, 1983 तक क्यों नहीं चलाए गये ? क्या सरकार इस विषय पर विचार कर रही है कि इतने लम्बे अर्से तक नलकूपों के बन्द रहने के कारण सरकार किसानों की हानि को सम्बन्धित अधिकारियों से किसानों को हरजाना दिलाया जाय ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

दिनांक 20 अक्तूबर, 1982 को दिये गये माननीय विधायक जी के पत्र के सम्बन्ध में दिनांक 18 जनवरी, 1983 तक 5 नलकूप चालू हालत में थे । 8 नलकूप क्रमशः दिनांक 8 फरवरी, 1983, 11 फरवरी, 1983, 13 फरवरी, 1983, 28 फरवरी, 1983, 5 मार्च, 1983, 7 मार्च, 1983, 9 मार्च, 1983 तथा 11 मार्च, 1983 को चालू हालत में हो गये थे । शेष 9 नलकूपों में से 4 नलकूप पूर्णतया असफल हैं तथा 5 नलकूप विभिन्न यांत्रिक दोषों से बन्द रहे जिन्हें चालू करने की कार्यवाही प्रगति में थी ।

विभिन्न यांत्रिक दोषों के बन्द नलकूपों को तत्परता से ठीक न कराये जाने हेतु दोषी व्यक्तियों को भर्त्सनात्मक प्रविष्टि एवं अन्य दंड दिये गये हैं । लम्बे अर्से तक बन्द नलकूपों के कारण हुई किसानों की हानि के सम्बन्ध में हरजाना दिलाये जाने का कोई प्राविधान नहीं है ।

मांट ब्रांच गंगा नहर, मथुरा को विकास कार्यों हेतु आवंटित की गयी धनराशि

8--श्री सरदार सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1982-83 में मांट ब्रांच गंगा नहर, मथुरा को कितना धन विकास कार्यों के लिए दिया गया ? कुल बजट को नहर के उपखंडों में कितना-कितना आवंटित किया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

वर्ष 1982-83 में मांट ब्रांच गंगा नहर, मथुरा में विकास कार्यों हेतु (मांट ब्रांच का आधुनिकीकरण एवं बाढ़ नियंत्रण कार्य) 24.5 लाख रुपये का धनराशि आवंटित हुई है । इस धनराशि को उपखंडों में निम्न प्रकार से आवंटित किया गया है :

क्रम-सं0	लेखा शीर्षक	खंड को आबंटित धनराशि (लाख रु0)	उपखंडों को आवंटित धनराशि			
			प्रथम उपखंड	द्वितीय उपखंड	तृतीय उपखंड	चतुर्थ उपखंड
1--533--सिंचाई नौपरिवहन--						
1	मांट ब्रांच का आधुनिकीकरण	12.00	4.00	3.00	3.00	2.00
2	बाढ़ नियंत्रण कार्य	12.50	..	2.25	10.25	..
	योग	.. 24.50	4.00	5.25	13.25	2.00

मांट ब्रांच खंड गंगा नहर, मथुरा में राजबहे व अल्पिकाओं की ओसराबन्दी की मांग

9--श्री सरदार सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मांट ब्रांच गंगा नहर, मथुरा में क्या ऐसी भी राजबहा (अल्पिकाएं) माइनर व कुलाबे हैं जिनकी बार बन्दी (ओसराबन्दी) अभी तक नहीं हुई है ? यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और शासन द्वारा अभी तक बारबन्दी न कराए जाने के कारण हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

मांट ब्रांच खंड गंगा नहर, मथुरा में ऐसे राजबहे व अल्पिकायें हैं जिनके कुलाबों का बारबंदी (ओसराबन्दी) अभी तक नहीं हुई ।

उनके नाम निम्नलिखित हैं :--

बसन्तपुर माइनर, बड़ौदा राजबाह, मल्हपुर माइनर, निजामपुर राज-बाह, हमीदपुर माइनर, प्रानगढ़ माइनर, कासिमाबाद माइनर, सराय दूल्हा माइनर, चूहरपुर माइनर, रसूलपुर राजबाह, बंचावली माइनर, निठारी माइनर, सेखापुर माइनर, बीछट माइनर, आलमपुर हटला माइनर, हसनपुर रा0, फरीदपुर माइनर, चोती माइनर, देवटा मा0 मसौता माइनर, महेवा माइनर, नूरपुर माइनर, गिरधरपुर राजबाह,

पतलाखेड़ा माइनर, दलेलगढ़ माइनर, वैर राजबाह हिरनौटी माइनर, गोविन्दपुर माइनर, साख ककौड़ मा0, सलेमपुर माइनर, सुनपेड़ा माइनर, तालडा राजबाह, गड़ाना माइनर, ठसराना माइनर, अलापुरा माइनर, वैलाना माइनर, खरेला माइनर, नंदकिशोर माइनर, अमरपुर पलाका माइनर, वीरमपुर माइनर, रन्हेरा माइनर, किशोरपुर माइनर, करनपुर माइनर, मालव माइनर, कौलोनी माइनर, उटरावली राजबाह, चौकी माइनर, उटरावली माइनर, तनाजा माइनर, निघसनी माइनर, चिन्तागढ़ी माइनर, पबीपुर माइनर, भद्रवन माइनर, गूज माइनर, भूड़ासानी माइनर, डहरुआ माइनर, शोशमल माइनर, करौल मा0, नबीपुर माइनर, कुरसण्डा राजबाहा, रदोई माइनर, सेमरा माइनर, दौलतपुर माइनर, गढ़सौली माइनर, नरायच माइनर ।

कैनाल एक्ट के अन्तर्गत निर्धारित नियमों के अनुसार ओसराबन्दी तभी की जाती है जब कि सम्बन्धित कृषक उसके लिए प्रार्थना पत्र दें तथा निर्धारित शुल्क जमा करें । अभी तक उन कृषकों के पत्र पर बारबन्दी नहीं की जा सकी है जहां के कृषकों ने इसके लिए प्रार्थना पत्र नहीं दिया है ।

आगरा नहर प्रणाली के ऊपरी व निचले आगरा नहर खंड में राजवाहे, अल्पिकाओं की ओसराबन्दी की मांग

10—श्री सरदार सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अपर आगरा कैनाल मथुरा व लोअर आगरा कैनाल आगरा में कितने राजवहा, माइनर (अल्पिकाएं) व कुलाबे हैं जिनकी ओसराबन्दी (बारबन्दी) अभी तक नहीं हुई है ? क्या शासन इनकी बारबन्दी शीघ्र कराने की कृपा करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

आगरा नहर प्रणाली के ऊपरी व निचले आगरा नहर खंड में 25 राजवाहे एवं 171 अल्पिकाओं पर 2629 कुलाबों की ओसराबन्दी नहीं हुई है । इनमें से 563 कुलाबों पर बारबंदी का कार्य प्रगति पर है । शेष 2066 कुलाबों की बारबन्दी के बारे में प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने एवं निर्धारित शुल्क जमा किए जाने पर कार्यवाही की जा सकेगी ।

श्री राम गरीब, ग्राम व पोस्ट कटेहरी बाजार, फैजाबाद द्वारा बस दुर्घटना में क्षतिपूर्ति भुगतान के सम्बन्ध में दिए गए पत्र पर परिवहन निगम द्वारा विचार

11—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम गरीब, ग्राम व पोस्ट कटेहरी, जनपद फैजाबाद को बस दुर्घटना क्षतिपूर्ति भुगतान के सम्बन्ध में दिनांक 27-8-80 को निजी सचिव, सिंचाई एवं परिवहन मन्त्री, उ0 प्र0 द्वारा उप प्रधान प्रबन्धक, परिवहन निगम, उ0 प्र0 को समुचित कार्यवाही हेतु आदेश दिया गया है जिसमें 1,000 रु0 मकान क्षतिपूर्ति हेतु राम गरीब व 7 हजार रुपया राम सरन बिकलांग तथा 500 रुपया उपचार हेतु मांग किया गया है ? यदि हां, तो उक्त क्षतिपूर्ति धनराशि का भुगतान करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां ।

श्री राम गरीब ग्राम एवं पोस्ट कटेहरी बाजार, फैजाबाद का उक्त पत्र उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम में प्राप्त हुआ है । दुर्घटना में क्षतिपूर्ति के लिए प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा भुगतान के सम्बन्ध में परिवहन निगम द्वारा विचार किया जा रहा है ।

12--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम गोकुल सिंह, पिटीशन आफिसर ने अपने अर्द्ध शा0 प0 1296/34-1980 उ0 प्र0 शासन अभ्यर्थना अनु-1, लखनऊ दि0 5-9-80 द्वारा प्रधान प्रबन्धक, उ0 प्र0 रा0 स0 परिवहन निगम, लखनऊ को श्री राम गरीब ग्राम व पो0 कटेहरी बाजार, फैजाबाद का आवेदन-पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां ।

उक्त पत्र उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम में प्राप्त हुआ है । श्री राम गरीब, ग्राम व पोस्ट कटेहरी बाजार फैजाबाद के आवेदन पत्र पर परिवहम निगम द्वारा विचार किया जा रहा है ।

जनपद मिर्जापुर में गंगा नदी के कटाव से नरायनपुर से चुनार तक तटबन्ध बनाए जाने का योजना

13--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि मिर्जापुर जनपद के अन्तर्गत गंगा नदी के कटाव से नरायनपुर से चुनार तक कितने गांवों के तबाह होने का खतरा पैदा हो चुका है ? क्या शासन द्वारा नरायनपुर से चुनार तक तटबन्ध बनाए जाने की योजना स्वीकृत है ? यदि हां, तो कब तक उक्त तटबन्ध बन जायगा ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

मिर्जापुर जनपद तहसील चुनार के अन्तर्गत गंगा नदी के कटाव से दाहिने किनारे पर ग्राम शेरपुर, विशेश्वर पुर, बधेड़ो एवं बायें किनारे पर ग्राम बसारत-पुर प्रभावित है ।

दाहिने किनारे के गांवों की योजना स्वीकृत हो चुकी है । बायें किनारे की योजना अभी विचाराधीन है ।

दाहिने किनारे की योजना धन उपलब्ध होने पर प्रारम्भ कर दी जाएगी। बायें किनारे की योजना तकनीकी दृष्टि से उचित पाई गई एवं राज्य बाढ़ नियन्त्रण परिषद से अनुमोदित हो गई तब उसे धन उपलब्ध होने पर बनाया जावेगा ।

खुर्जा से जहांगीराबाद जनपद बुलन्द शहर में संचालित बस सेवा

14--श्री छत्तर सिंह -

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त, 1982 से खुर्जा से जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर में रोडवेज की बस सर्विस शुरू की गई थी ? यदि हां, तो यह सर्विस कितने दिनों तक चली तथा क्यों बन्द कर दी गई ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जी हां ।

खुर्जा से जहांगीराबाद अराष्ट्रीयकृत मार्ग है । परिवहन निगम द्वारा इस मार्ग पर जनता की प्रबल मांग पर बस सेवा संचालित करने के लिए आवेदन पत्र संभागीय परिवहन प्राधिकरण मेरठ को प्रस्तुत कर बस सेवा दिनांक 13-10-81 से संचालित कर दी गई । परन्तु एक निजी बस मालिक श्री धन्नुमल द्वारा न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए जाने के कारण निगम को परमिट स्वीकृत नहीं हुए । परमिट के अभाव में बस सेवा दिनांक 31-3-82 से बन्द कर देनी पड़ी ।

जनपद बुलन्दशहर में स्याना से दनकोर बस सेवा की मांग

15--श्री छत्तर सिंह--

क्या परिवहन मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद बुलन्दशहर में स्याना से दनकोर रोडवेज की बस सेवा दिसम्बर, 1982 से शुरू की गयी थी ? यदि हां, तो वह क्यों बन्द कर दी गयी तथा पुनः कब चालू की जायेगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जी हां ।

स्याना से दनकोर मार्ग अराष्ट्रीयकृत है । इस मार्ग पर परमिट प्राप्त कर दिनांक 5 दिसम्बर, 1982 से निगम बस सेवा शुरू की गयी थी जो 23 दिसम्बर 1982 तक संचालित रही । उक्त अवधि में इस बस सेवा की आय प्रति कि0, मी0 रु0 0.87 से 1.60 के मध्य रही और लोड फैक्टर 22 से 34 प्रतिशत के मध्य रहा जो अत्यधिक कम है ।

अत्यधिक कम प्रति कि0 मी0 आय एवं लोड फैक्टर को दृष्टिगत रखते हुए इस बस सेवा को 24 दिसम्बर, 1982 से बन्द करनी पड़ी ।

यात्रियों की संख्या में कमी को देखते हुये पुनः इस मार्ग पर बस सेवा संचालित करना फिलहाल संभव नहीं है ।

झांसी क्षेत्र के परिवहन कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायती-पत्र

16--श्री रामस्वरूप वर्मा--

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता द्वारा अग्रसारित झांसी क्षेत्र के परिवहन कर्मचारियों द्वारा दो गयी भ्रष्टाचार की शिकायतों सम्बन्धी-पत्र दनांक 9 दिसम्बर, 1982 को उनको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसकी जांच

किन-किन अधिकारियों द्वारा करायी गयी और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद गाजीपुर में प्राइवेट बसें एवं उनके निर्धारित मार्ग

17--श्री राधेश्याम पटेल--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद में इस समय कितनी प्राइवेट बसें परमिट पर चल रही हैं तथा इनके मार्ग का क्या विवरण है ? इनके मालिकों का नाम एवं पता क्या है ? क्या यह सत्य है कि यह बसें निर्धारित सड़कों पर न चला कर राज्य परिवहन विभाग के लिए निर्धारित मार्ग पर चलायी जा रही हैं ? जिससे राज्य परिवहन विभाग को लाखों रुपया प्रति माह का घाटा हो रहा है ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में मुख्यालय से गुप्तचर विभाग की जांच कराने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

गाजीपुर जनपद में इस समय जो प्राइवेट बसें परमिटों पर चल रही हैं, इनके मालिकों के नाम व पते संलग्न † परिशिष्ट 'क' व 'ख' में दिये गये हैं । यह सत्य नहीं है कि ये बसें अपने निर्धारित मार्गों पर न चलकर राज्य परिवहन निगम के लिए निर्धारित मार्गों पर चलाई जा रही हैं । यह अवश्य है कि कुछ बसें यदा-कदा अवसर पाकर अनधिकृत संचालन करती हैं । इनकी चेकिंग की जाती है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाहीं की जाती है । गुप्तचर विभाग द्वारा उपरोक्त परिस्थिति में कोई जांच आवश्यक प्रतीत नहीं होती ।

प्रदेश में परिवहन निगम की बसों में डकैती की घटनाएं

18--श्री शंकर सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् 1982 में प्रदेश में परिवहन निगम की बसों में कितनी डकैती की घटनाएं हुई ? यह घटनाएं सन् 1981 की घटनाओं से कितनी कम अथवा अधिक हैं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

सन् 1982 में प्रदेश में परिवहन निगम की बसों में कुल 33 डकैती की घटनायें हुई । यह घटनायें सन् 1981 की घटनाओं से 11 कम हैं ।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, वाराणसी के यहां रजिस्ट्रेशन संख्या यू0 आर0 एच0 8206 की पंजीकृत गाड़ी

19--श्री राम चरण सिंह--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, वाराणसी के यहां वर्ष 1981-82 या 1982-83 से इंजन नं0 ओ0 डी0 ई0 50232 चेसिस नं0 एच0 टी0 डी0 354745 रजिस्ट्रेशन संख्या यू0 आर0 एच0

† छापे नहीं गये ।

8206 के किसी टेंकर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन वाराणसी मंडल निगम लिमिटेड, वाराणसी के नाम किया गया था ? यदि हां, तो उक्त गाड़ी इस समय उक्त नाम से पंजीकृत है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस समय उक्त गाड़ी किसके नाम से पंजीकृत है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी नहीं ।

यू0 आर0 एच0 8206 पंजीयन चिन्ह पर महेन्द्रा एन्ड महेन्द्रा जीप टैक्सी श्री भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री सरदार हारा सिंह, वाराणसी के नाम 24 जून, 1981 को पंजीकृत की गई है जिसका चेसिस व इंजन नं0 4 एस-32841 है । यह 25 मार्च, 1983 को इन्हीं के नाम में थी ।

मेसर्स हरी फर्टिलाइजर्स, साहूपुरी, वाराणसी के पास उद्योग लगाने हेतु भूमि तथा गन्दे पानी की निकासी की व्यवस्था ठीक न होने से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव

20--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या उद्योग मन्त्री को ज्ञात है कि हरी फर्टिलाइजर्स साहूपुर, जनपद वाराणसी के पास सैकड़ों एकड़ भूमि परती है ? यदि हां, तो मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितनी भूमि परती है ? क्या इस फालतू परती भूमि पर कोई उद्योग लगाया जायगा ? यदि हां, तो उद्योग कब तक लगाया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मेसर्स हरी फर्टिलाइजर्स, साहूपुरी, वाराणसी जनपद के पास 333.5 एकड़ भूमि है, जिसमें 95.11 एकड़ भूमि पर इकाई ने अपना कार्यशाला का निर्माण किया है, 70 एकड़ भूमि पर ड्रेन, ट्राली लाइन, डम्पिंग एवं रोड बनाया गया है तथा 168.39 एकड़ भूमि पर स्कूल, प्ले ग्राउन्ड, कैन्टीन, पार्क लेबर क्वार्टर्स, आफिसर्स क्वार्टर्स एवं एक्सपेरीमेन्टल फार्म, रेलवे साइडिंग एवं यार्ड तथा साइकिल स्टैन्ड बनाया गया है । खाली भूमि इस इकाई द्वारा अपने विस्तार के लिये सुरक्षित रखी गई है और शासन द्वारा इस भूमि पर कोई उद्योग लगाना प्रस्तावित नहीं है ।

21--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या उद्योग मन्त्री को ज्ञात है कि हरी फर्टिलाइजर्स, साहूपुरी, जनपद वाराणसी को कारखाने से गन्दे जल के निकासी की कोई व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गन्दा पानी कहां जाता है ? क्या इस दूषित व गन्दे जल भराव के कारण बखरा चांदीतारा, सीतापुर, व्यासपुर, नीबूपुर, नाथूपुर, भोजपुर, चौरहट, बहादुरपुर, डुमरी आदि गांवों की फसलें चौपट हो रही हैं ? तथा मकानों में सीलन व लोना लग गया है ? यदि हां तो शासन इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ।

श्री वीर बहादुर सिंह--

हरी फर्टिलाइजर, साहूपुरी जनपद वाराणसी के नाली में इफ्ल्यूयेन्ट के उपचार के पश्चात फैक्ट्री के बाहर नाली निकाली जाती है तथा खुली

जगह में उसको बहाया जाता है । एफलुयेन्ट खुली जगह में जाने से पूर्व ही उक्त ग्राम वाले उसको अपने खेतों में सिंचाई के लिए प्रयोग कर लेते हैं जिससे यह इधर-उधर बहकर दुर्गन्ध नहीं पैदा करता है । एफ्लु-एन्ट आवादी के अन्दर पहुंच ही नहीं पाता है । अतः गांव के घरों की दीवारों पर लोना लगने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता ।

22-श्री यदुनाथ सिंह--

क्या यह सही है कि इस गन्दे जल से उक्त गांव के निवासियों के स्वास्थ्य को भी खतरा है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

एफल्यूयेन्ट से गांव के निवासियों के स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है ।

बुढ़वा कलां, बस्ती पर पुल बनाने की योजना

23--श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के बर्डपुर नं0 9 में बुढ़वा कलां पर पुल बनाने की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

वर्डपुर के सिंचाई विभाग के निरीक्षण भवन का कथित निर्माण

24--श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय--

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि बस्ती जिले के नौगड़ तहसील में वर्डपुर में सिंचाई विभाग का जो डाक बंगला है उसकी चहारदीवारी टूट गई है ? यदि हां, तो उसे कब तक बनवा दिया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

प्रश्नगत निरीक्षण भवन की चहारदीवारी की लम्बाई 277.2 मीटर है । इसमें से 71.2 मीटर की लम्बाई में चारदीवारी टूट गई है ।

अभी चहारदीवारी के बनाये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

हरदोई डिपो में कार्यरत श्री एस0 आर0 पी0 दीक्षित का कार्यकाल एवं स्थानान्तरण तथा ए0 टी0 आ0 पद का कार्य दिए जाने का औचित्य

25--श्री खैरुल बशर--

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि हरदोई डिपो (उ0 प्र0 रा0 स0 प0 नि0) में कार्यरत श्री एस0 आर0 पी0 दीक्षित, परिचालक कितने

समय से उक्त डिपो में कार्यरत हैं ? कितने समय के लिए इनका स्थानान्तरण हरदोई डिपो से अन्यत्र किया गया था ? तथा इन्हें दुबारा हरदोई डिपो में ही स्थानान्तरण किए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

26--श्री खैरुल बशर--

क्या यह सही है कि श्री एस० आर० पी० दीक्षित परिचालक, हरदोई डिपो की बस की जांच का कार्य ए० टी० ओ० पद पर 8 अगस्त, 80 में सौपा गया था ? यदि हां, तो उक्त पद पर उन्हें कार्य दिए जाने का आधार क्या था ? क्या उक्त डिपो में उनसे वरिष्ठ अन्य परिचालक नहीं था ? यदि हां, तो कार्य सौपने वाले अधिकारी के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री राम प्रताप प्रसाद, अध्यापक, बेसिक हरिजन प्राइमरी पाठशाला, श्रीपालपुर, देवरिया का बकाया वेतन का भुगतान

27--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

अतारांकित प्रश्न संख्या 27 दिनांक 25-8-82 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री राम प्रताप प्रसाद, अध्यापक, बेसिक हरिजन प्राइमरी पाठशाला, रामपुर, श्रीपालपुर, देवरिया से सम्बन्धित बकाया वेतन का भुगतान किया गया ? यदि नहीं, तो कब तक किया जायगा ?

श्री गुलाब सेहरा--

कथित सहायक अध्यापक, श्री राम प्रताप प्रसाद को संस्था के व्यवस्थापक द्वारा अनधिकृत रूप से प्रश्नगत विद्यालय में दिनांक 1-1-1978 से नियुक्त कर लिया गया था । नियमानुसार किसी भी आवर्तीय अनुदान प्राप्त संस्था में बिना पूर्व स्वीकृति के और बिना जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी के अनुमोदन के अध्यापक की नियुक्ति करना अनियमित है । इस सहायक अध्यापक की नियुक्ति के सम्बन्ध में अभिलेख जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, देवरिया को 21 जनवरी, 82 को प्राप्त हुआ था जिसके सम्बन्ध में उप निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, गोरखपुर मंडल, गोरखपुर को निर्देश दिए गए हैं कि वह नियुक्तियों की वैधता को देखकर अनुदान की बचत से भुगतान करे ।

वास्तविकता में सहायक अध्यापक को वेतन भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संस्था का है । शासन द्वारा इसे नियमानुसार अनुदान दिए जाने की व्यवस्था है ।

जनपद मिर्जापुर में अनुसूचित जाति के छात्रों की विद्यालय वाइज सूची

28--श्री रामचरण सिंह--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर में वर्ष 1982 व 83 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कक्षा 9 व 10 के समस्त छात्रों को विद्यालय वाइज सूची उपलब्ध करायेंगे, जिनको छात्रवृत्ति प्रदान की गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा--

जनपद मिर्जापुर में वर्ष 1982-83 में कक्षा 9 व 10 के अनुसूचित जाति के 1323 छात्रों की विद्यालय वाइज सूची जिनको दिनांक 10-3-83 तक छात्र-वृत्ति स्वीकृत की गई है, संलग्न है ।

इस जनपद में भारत सरकार द्वारा अधिकृत जनजातियां निवास नहीं करती हैं ।

(देखिए नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 270 पर ।)

कचेहरी बस स्टेशन कटरा, इलाहाबाद में एक सिटी बस चालक के विरुद्ध शिकायत

29--श्री रुद्रप्रताप सिंह--

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि श्री राधेश्याम पटेल, विधायक ने दिनांक 6 जून, 1982 को कचेहरी बस स्टेशन कटरा, इलाहाबाद में एक सिटी बस चालक के विरुद्ध शिकायत दर्ज की थी ? यदि हां, तो वह शिकायत क्या है ? क्या जांच पूर्ण हो गयी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? क्या यह सत्य है कि दोषी चालक को सेवानिवृत्त करके पुनः उच्च अधिकारियों ने उसे सेवा पर बुला लिया है ? यदि हां, तो उसे बहाल करने के कारण क्या थे और उसे सेवानिवृत्त करने के क्या कारण थे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

सूचना एकत्र की जा रही है।

गोरखपुर जनपद के इटावा बांध में बाढ़ से फसल को क्षति

30--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि गोरखपुर जनपद के इटौवा बांध को विभागीय जे0 ई0 द्वारा इस साल की आई बाढ़ में कटवाने के कारण कई लाख एकड़ खड़ी फसल की क्षति हुई जिसके सन्दर्भ में प्रश्नकर्त्ता ने एक पत्र दिनांक 9-10-82 को उन्हें लिखा था, जिसकी स्वीकृति आपके पत्र दिनांक 29-11-82 द्वारा दी गई है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना अभी एकत्रित की जा रही है।

जनपद मथुरा में मगनाबरौली से जुगसना ब्योही तक बस सेवा संचालित किये जाने की मांग

31—श्री सरदार सिंह—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद में मगनाबरौली से जुगसना ब्योही तक का मार्ग पक्का होते हुए भी अब तक परिवहन निगम की बसें न चलाने का क्या कारण है? यदि निगम को अपनी बसें चलाने से कठिनाई हो रही है तो उक्त मार्ग पर निजी वाहन को परमिट देने में शासन को क्या कठिनाई है?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

प्रश्नगत मार्ग मगना–बरौली से जुगसना ब्योही तक का अराष्ट्रीय कृत है। मार्ग अराष्ट्रीयकृत होने के कारण उक्त मार्ग पर परिवहन निगम की बस–सेवायें संचालित करना संभव नहीं है।

मगना–बरौली में जुगसना ब्योही मार्ग के मंगना–जुगसना मार्ग पर प्राइवेट बसें संचालित हैं। जुगसना ब्योही के बीच का लगभग 3 कि0 मी0 का भाग कच्चा है जिस पर बस–सेवायें नहीं चल रही हैं और न ही उस पर बस चलाने हेतु कोई प्रार्थना–पत्र ही दिया गया है।

जनपद जौनपुर के जगदीशपुर पम्प नहर की सखोई और केशवपुर गांव के किसानों को मुआवजा

32—श्री प्रभूनारायण सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि जनपद जौनपुर के अन्तर्गत जगदीशपुर पम्प नहर की सखोई और केशवपुर गांव में पड़ने वाली नालियां या तो अधूरी हैं या जीर्ण–शीर्ण स्थिति में हैं? क्या यह भी सत्य है कि इनमें ली गई भूमि का मुआवजा सम्बन्धित किसानों को आज तक नहीं दिया गया? यदि हां, तो क्या सरकार इन नालियों को ठीक करवाकर क्षेत्रीय किसानों को मुआवजे का भुगतान शीघ्र करवाएगी?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं, जनपद जौनपुर के अन्तर्गत जगदीशपुर पम्प नहर की सखोई और केशवपुर गांव में पड़ने वाली नालियां न तो अधूरी हैं और न जीर्ण–शीर्ण स्थिति में ही हैं।

जो हां, ग्राम सखोई और केशवपुर के किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया है। शेष ग्रामों के किसानों को मुआवजा दे दिया गया है। मुआवजा के भुगतान के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

33—श्री राम लाल वर्मा—

[3रे गुरुवार में आतारांकित प्रश्न संख्या 164 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बाराबंकी में कल्यानी नदी को सोधा, गहरा व चौड़ा किए जाने हेतु कार्यवाही

34—श्री जमुना प्रसाद—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी में कल्यानी नदी को सोधा, गहरा व चोड़ा किए जाने हेतु दिनांक 15–9–82 को प्रश्नकर्त्ता

का पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सचिव, राजस्व अनुभाग-11 के अर्द्ध0 शा0 पत्र सं0 16643/1-11-82-राज0-11, दिनांक लखनऊ 16 दिसम्बर, 1982 के पत्र पैरा 3 में मुख्य अभियन्ता, सिंचाई (शारदा सहायक) को क्या आवश्यक निर्देश दिए गए और नदी को गहरा व सीधा, चौड़ा किए जाने के सम्बन्ध में तत्काल कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो सर्वेक्षण व कार्यवाही कब तक पूरा हो जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

जी हां। प्रश्नगत विषय में सिंचाई विभाग द्वारा मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक) से आख्या मांगी गई है।

सर्वेक्षण तथा प्रोजेक्ट तैयार करने की कार्यवाही की जा रही है।

चुनार तहसील, जनपद मिर्जापुर के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृति का भुगतान

35--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या समाज कल्याण मन्त्री को ज्ञात है कि चुनार तहसील, जनपद मिर्जापुर के माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 1981-82 का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के छात्रों को अवंटित छात्रवृत्तियां अभी तक नहीं दी गयीं ? उसके लिए कौन जिम्मेदार है ? क्या उनके विरुद्ध जांच करके दन्डात्मक कार्यवाही करेंगे ।

श्री गुलाब सेहरा--

चुनार तहसील, जनपद मिर्जापुर के वर्ष 81-82 का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के छात्रों को आवंटित छात्रवृतियों से संम्बंधित धनराशि इन विद्यालयों के प्रधानाचार्य को भुगतान की जा चुकी हैं ।

प्रधानाचार्यों द्वारा छात्रों को धनराशि भुगतान कर दी गयी अथवा नहीं, इसकी जानकारी प्रधानाचार्यों से मांगी गयी है छात्रवृत्ति भुगतान न होने की स्थिति में उत्तरदायित्व निर्धारण करके आवश्यक कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा ।

आजमगढ़ रोडवेज के बुकिंग क्लर्क के विरुद्ध अधिक पैसा टिकट का दाम चार्ज किए जाने सम्बन्धी शिकायती-पत्र

36--श्री राज कुमार राय--

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री विजय शंकर राय, सूरजपुर का शिकायती-पत्र प्रश्नकर्ता के संस्तुति पत्र दिनांक 2-2-83 के साथ इस आशय का मिला था कि आजमगढ़ रोडवेज के बुकिंग क्लर्क ने उनसे नियत किराए से अधिक पैसा टिकट का दाम चार्ज किया एव उन्हें अपमानित भी किया ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां। परिवाद की जांच के सम्बन्ध में क्षेत्रीय प्रबन्धक, आजमगढ़ ने शिकायतकर्ता को दिनांक 8-4-83 को साक्ष्य हेतु बुलाया था। परन्तु शिकायतकर्ता जांच अधिकारी के सामने उक्त दिनांक को उपस्थित नहीं हुए। अतः प्रमाण के अभाव में कथित बुकिंग क्लर्क के विरुद्ध आरोप सिद्ध न हो पाने के कारण कार्यवाही नहीं की गयी। निगम ने पुनः जांच करने के लिए आदेश क्षेत्रीय प्रबन्धक को भेजे हैं।

जनपद गोंडा में महाशाह विशेन लघु माध्यमिक विद्यालय, सुशेला के प्रधानाचार्य द्वारा हरिजन छात्रवृत्ति में अनियमितता सम्बन्धी शिकायती-पत्र

37—श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री बाबू लाल तथा श्री अम्बिका सिंह—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जनपद में महाशाह विशेन ल० मा० विद्यालय, सुशेला के प्रधानाध्यापक द्वारा हरिजन छात्रवृत्ति में 1979-82 तक की गयी अनियमितता के सम्बन्ध में शासन को कितनी शिकायतें 31-12-82 तक मिली और शासन ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री गुलाब सेहरा—

जी हां।

गोंडा जनपद में महाशाह विशेन लघु माध्यमिक विद्यालय द्वारा हरिजन छात्रवृत्ति में 1979 से 1982 तक की गयी अनियमितता के सम्बन्ध में दिनांक 31-12-82 तक विद्यालय के प्रबन्धक द्वारा दो शिकायती पत्र (दिनांक 11-11-82 व 8-12-82) जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, गोंडा को दिए गए, जिस पर जांच की गयी और जांच आख्या के आधार पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोंडा ने अपने पत्र सं० 9824-26, दिनांक 15-3-83 द्वारा श्री चन्द्र भान सिंह, प्रधानाध्यपक को निलम्बित कर दिया है। यह आदेश अब भी प्रभावी है।

वर्तमान सूचना के अनुसार छात्रों को स्वीकृत की गयी छात्रवृत्ति की धनराशि निलम्बित प्रधानाध्यापक द्वारा न वापस करने के फलस्वरूप जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, गोंडा द्वारा थानाध्यक्ष, तरबगंज, गोंडा के यहां प्रधानाध्यापक के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने के लिए एफ० आई० आर० दर्ज करा दी गयी है।

श्री एन० बी० गुप्त, सेवा प्रबन्धक, यू० पी० एस० आर० टी० सी० के गाजियाबाद एवं झांसी क्षेत्र के कार्यकाल में बसों के ब्रेक डाउन तथा टी० ए० चार्ज किए जाने का आरोप

38—श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री एन० बी० गुप्त, सेवा प्रबन्धक, यू० पी० एस० आर० टी० सी०, झांसी के गाजियाबाद एवं झांसी क्षेत्र के कार्यकाल में निगम की बसों के कितने ब्रेक-डाउन हुए तथा उनसे कितने किलोमीटर का स्थगन हुआ ? कितने रुपए की निगम को वित्तीय हानि हुई ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

श्री एन0 बी0 गुप्त, सेवा प्रबन्धक, यू0 पी0 एस0 आर0 टी0 सी0 के गाजियाबाद तथा मार्च 1983 तक झांसी क्षेत्र के कार्यकाल में निगम की बसों के कुल 11,939 ब्रेक-डाउन हुए और उससे 28,61,111 कि0 मी0 का स्थगन हुआ। ब्रेक-डाउन के कारण उस बस की सवारियों को पीछे से आने वाली बसों में भेज दिया जाता है अतः इससे प्रत्यक्ष रूप से निगम को वित्तीय हानि नहीं हुई ?

39--श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्री एन0 बी0 गुप्त, सेवा प्रबन्धक, यू0 पी0 एस0 आर0 टी0 स0, (उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम) झांसी के विरुद्ध गलत तरीके से, उनके गाजियाबाद एवं झांसी क्षेत्र के कार्यकाल में, कितने रुपये की टी0 ए0 चार्ज के कितने आरोप हैं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

श्री एन0 बी0 गुप्ता, सेवा प्रबन्धक, यू0 पी0 एस0 आर0 टी0 सी0, झांसी के विरुद्ध उनके गाजियाबाद एवं झांसी क्षेत्र के कार्यकाल में क्रमशः 6,336·15 रु0 तथा 3,790·53 रु0 के यात्रा भत्ता चार्ज करने के लिए क्रमशः 47 और 22 आरोप प्राप्त हुए हैं।

सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, देवरिया के भ्रष्टाचार के विरुद्ध पत्र

40--श्री हरिवंश सहाय--

क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, देवरिया (श्री अजर सिंह) के भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 6-2-83 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इसकी जांच कौन अधिकारी ने किया तथा जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां। इस पत्र में उल्लिखित आरोपों की जांच परिवहन निगम के मुख्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा की जा रही है। जांच रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है।

जनपद फैजाबाद के ब्लाकों में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान, चयन किए गए परिवारों को बैंकों द्वारा धन का भुगतान व क्रय समितियों का गठन

41--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में 1980 से 1982 तक कुल कितने ब्लाकों में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान चलाया जा रहा है ? क्या प्रत्येक ब्लाकवार पात्र परिवारों की सूची बनाई गयी ? यदि हां, तो प्रत्येक ब्लाक में चयनित व्यक्तियों की अलग-अलग संख्या क्या है ? चयन किए गए परिवारों को रोजगार हेतु कितना-कितना धन स्वीकृत किया गया ? स्वीकृत धन किस-किस बैंकों से दिलाया जा रहा है ? चयन किए गए समस्त परिवारों को बैंकों द्वारा धन भुगतान करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो किन-किन बैंकों में कितने परिवारों को अभी तक भुगतान नहीं कराया जा सका है ? अब तक भुगतान न कराए जाने का क्या कारण है ?

श्री गुलाब सेहरा--

जनपद फैजाबाद में 1980-82 तक 5 विकास खंडों में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान चलाया जा रहा था ब्लाकवार पात्र परिवारों की सूची बनाई गई है । प्रत्येक ब्लाक में चयनित व्यक्तियों की संख्या क्रमशः विकास खंड टांडा में 9,610, सुहावल में 3,666, रामनगर में 5,830, जलालपुर में 7,935 तथा अकबरपुर में 8,583 हैं । चयन किए गए परिवारों को रोजगार हेतु क्रमशः विकास खंड टांडा में 1·90, सुहावल में 1·39, रामनगर में 1·33, जलालपुर में 2 71 तथा अकबर पुर में 1·19 लाख रु0 का ऋण स्वीकृत किया गया । स्वीकृत ऋण क्रमशः बैंक ऑफ बड़ौदा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया तथा स्टेट बैंक द्वारा दिलाया जा रहा है । चयन किए गए समस्त परिवारों को बैंकों द्वारा धन अभी नही भुगतान किया गया है । पंजाब नेशनल बैंक में 6, स्टेट बैंक में 1, बैंक आफ बड़ौदा में 4, सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया में 21 तथा जिला सहकारी बैंक लिमिटेड में 49 परिवारों को अभी तक भुगतान नहीं कराया जा सका है । भुगतान न कराये जाने का कारण प्रर्याप्त विभागीय स्टाफ का न होना, बैंकों द्वारा हरिजनों को ऋण स्वीकृत करने में उदारता न बरतना तथा ऋण ग्रहीता द्वारा नकद रूप में ऋण की धनराशि की मांग करना आदि ।

42--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या यह भी सही है कि बैंकों द्वारा चयन किये गये परिवारों को धन भुगतान करने में व्यवधान आ रहे हैं ? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री गुलाब सेहरा--

हां, उक्त सम्बन्ध में योजना अनुसार क्रय समितियों का गठन किया जा रहा है तथा अन्य सामानों की पूर्ति हेतु प्रतिष्ठित फर्मों/दुकानों का पता कर उन्हें खरीद के लिए अनुमोदित किया जा रहा है ।

श्री जितेन्द्र कुमार ठेकेदार का सिंचाई निर्माण खंड, मथुरा के अधिकारियों द्वारा की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

43--श्री सरदार सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री जितेन्द्र कुमार, ठेकेदार ग्राम सोसा, पो0 अड़ीग, जिला मथुरा का सिंचाई निर्माण खंड मथुरा के अधिकारियों द्वारा उनके साथ की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में एक शिकायती-पत्र जिसे उन्होंने 30-9-82 को प्रधान मंत्री, भारत सरकार को दिया था और प्रधान मंत्री कार्यालय ने 6-10-82 को आवश्यक कार्यवाही हेतु अपने पत्र संख्या 10-3-82 के द्वारा उ0 प्र0 शासन को भेज दिया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शासन ने उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शासन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करेगा ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

शिकायती-पत्र के आरोपों की जांच करायी गयी । जांचोपरांत कोई अधिकारी दोषी नहीं पाया गया । अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा, तहसील फिरोजाबाद के ग्राम गोगिनी, राजपुर कोटला एवं सलेमपुर कोटला में राजकीय नलकूपों का छिद्रण एवं विद्युतीकरण

44--श्री हरगोविन्द वर्मा--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आगरा की तहसील फिरोजाबाद के ग्राम गोगिनी, राजपुर एवं सलेमपुर में किस-किस वर्ष में ट्यूबवेल निर्मित किये गये हैं ? अब तक कितनी सिंचाई की गयी ? इस समय कौन आपरेटर सेवारत है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जनपद आगरा, तहसील फिरोजाबाद के ग्राम-गोगिनी, राजपुर कोटला एवं सलेमपुर कोटला में राजकीय नलकूप वर्ष 1977 में छिद्रण किये गये हैं और वर्ष 1980 में विद्युतीकरण करके चालू किये गये हैं ।

उपरोक्त तीनों नलकूपों से क्रमशः 38.6 व 45 एकड़ मूल रकबे की सिंचाई की गयी है ।

इन कूपों पर पहले तीन कूप चालक स्थापित थे । लेकिन यह नलकूप लगातार न्यून वोल्टेज के कारण बन्द हैं और एक कूप चालक के चार्ज में कर दिये गये हैं जिसके नाम की पुष्टि की जा रही है ।

जनपद गोरखपुर के कौड़ीराम, पिपरौली व खोराबार विकास खण्डों में कम नलकूपों का छिद्रण

45--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद के कौड़ीराम, पिपरौली व खोराबार विकास खण्डों में वर्ष 1980-81, 1981-82 में जिले के अन्य कई विकास खण्डों से कम नलकूपों का छिद्रण किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या प्रश्नकर्ता ने अप्रैल, 1981 में मंत्री जी को उपरोक्त विकास खण्डों में से कौड़ीराम तथा खोराबार में 6-6 तथा पिपरौली में 8 ट्यूबवेल (नलकूप) लगाने के अतिरिक्त आदेश देने के लिए लिखा था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां, गोरखपुर जनपद के कौड़ीराम, पिपरौली व खोराबार विकास खंडों में वर्ष 1980-81 व 1981-82 में कुछ विकास खण्डों से कम नलकूपों का छिद्रण किया गया । वर्ष 1980-81 में विकास खंड कौड़ीराम में 6, खोराबार में 2 एवं पिपरौली में 1 नलकूप का छिद्रण किया गया । वर्ष 1981-82 म कौड़ीराम में 3, खोराबार में 3 एवं पिपरौली में 4 राजकीय नलकूपों का छिद्रण किया गया । नलकूपों का छिद्रण जिला सिंचाई सलाहकार समिति तथा जिला स्थल चयन समिति के अनुमोदन के अनुसार किया गया । माननीय विधायिका का एक पत्र माननीय सिंचाई मंत्री जी को सम्बन्धित 3/81 में प्राप्त हुआ था जिसमें

विकास खंड पिपरौली में 15 नलकूप, विकास खंड कौड़ीराम में 22 तथा विकास खंड खोराबार में 18 नलकूपों की मांग थी । विशेष आवंटन न होने के कारण इन विकास खंडों में नलकूपों का निर्माण सामान्य आवंटन के अन्तर्गत किया गया ।

हरदोई के वर्तमान अधिशासी अभियन्ता द्वारा अपने कार्यकाल में कराये गये कार्य

46--श्री राम आसरे बर्मा--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि हरदोई के वर्तमान अधिशासी अभियन्ता द्वारा लगभग 1 वर्ष के अपने कार्यकाल में कौन-कौन से कार्य कराये गये हैं ? क्या वह सही है कि उनकी नियुक्ति के पूर्व चल रहे सारे कार्य ज्यों के त्यों अधूरे ही पड़े हैं ? यदि हां, तो क्या उच्च अधिकारी द्वारा जांच कराकर यथोचित कार्यवाही पर विचार करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, हरदोई द्वारा अपने कार्यकाल में जो कार्य कराये गये, उनका विवरण संलग्न सूची "क" में दिया हुआ है ।

उनकी नियुक्ति के पूर्व कुछ कार्य अधूरे पड़े हुए थे, परन्तु उनमें से अधिकांश कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं और शेष कार्य प्रगति पर हैं । इसका विवरण सूची "ख" में दिया हुआ है । अतः जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिए नत्थी "ग" आगे पृष्ठ 274 पर ।)

शारदा सहायक नहर की पूरेदयाल माइनर के निर्माण के सम्बन्ध में हरिजन श्री विक्रमाजीत का पत्र

47--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक नहर की माइनर पूरेदयाल गांव सोरहां, परगना बरसेठी, तहसील मड़ियाहूं, जिला जौनपुर में चक नं0 28 से जो विक्रमाजीत वगैरह हरिजन की है, निकाली जा रही है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि विक्रमाजीत ने दिनांक 1-10-81 को माननीय मुख्य मन्त्री एवं अधीक्षण अभियन्ता, इलाहाबाद को एक प्रार्थना-पत्र दिया था कि बीचोबीच माइनर न निकाल कर पूरब से उसी चक के एक किनारे से निकाली जाय ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां । दयालपुर (न कि पूरेदयाल) माइनर का निर्माण हेड से कि0 मी0 1.70 तक किया जा चुका है । प्रार्थी का चक कि0 मी0 0.80 पर पड़ता है । माइनर ठीक समरेखन पर बनाई गई है तथा श्री विक्रमाजीत का प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने के पूर्व ही अनुमोदित लम्ब छिन्नक के अनुसार माइनर का निर्माण करा लिया गया था । अतः इसमें कोई परिवर्तन सम्भव नहीं है ।

प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ की सहायक अध्यापिका, श्रीमती माधुरी पाण्डेय की सेवा समाप्ति के सम्बन्ध में पत्र

48--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ की सहायक अध्यापिका, श्रीमती माधुरी पाण्डेय की सेवा समाप्ति के सम्बन्ध में जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी, लखनऊ को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ का पत्रांक सं0 7900-06-82-83, दिनांक 10-12-83 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो उसका कारण क्या है ?

श्री गुलाब सेहरा--

जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, लखनऊ को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ का प्रश्नगत-पत्र दिनांक 10-12-82 प्राप्त नहीं हुआ है । परन्तु उक्त पत्र की प्रतिलिपि शासन के माननीय सदस्य, विधान परिषद् श्री मान्धाता सिंह के पत्र दिनांक 16-12-1982 के साथ प्राप्त हुई है ।

अखिल भारतीय अपराध निरोधक समिति जिसके द्वारा प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ संचालित है निबन्धक, फर्म तथा सोसाइटीज द्वारा पंजीकृत संस्था है तथा उसका अपना संविधान है इसलिए वे विद्यालय की कथित सहायक अध्यापिका को नियुक्ति करने और सेवा समाप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं । इस मामले में संस्था को किसी नियम/अधिनियम के अधीन शासन द्वारा बाध्य नहीं किया जा सकता । माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन के लिए संस्था स्वयं ही उत्तरदायी है ।

राज्य सड़क परिवहन निगम क्षेत्र, आजमगढ़ में नियुक्तियां

49--श्री पंचानन राय--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सड़क परिवहन निगम क्षेत्र, आजमगढ़ में 1-1-1982 से 21-1-1983 तक विभिन्न पदों पर कुल कितनी नियुक्तियां हुयीं इनमें से कितनी नियमित की गयीं हैं तथा कितनी तदर्थ आधार पर की गयी हैं ? इन नियुक्तियों के लिए क्या मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं ? क्या हरिजन आरक्षण इन नियुक्तियों में पूरा है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री बदले प्रसाद, मन्त्री, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, फर्रुखाबाद के प्रार्थना-पत्र की जांच

50--श्री भोखालाल--

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बदले प्रसाद, मन्त्री, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिला फर्रुखाबाद का प्रार्थना-पत्र दिनांक 5-5-1982 प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 26-1-1983 के साथ उनको प्राप्त हुआ है जिसमें यह

शिकायत की गयी है कि हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, फर्रुखाबाद ने एक ही परिवार के सदस्यों को कई बार गृह अनुदान देकर अनियमित कार्य किया ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच कराई गयी और उसका क्या परिणाम निकला ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्री बदले प्रसाद, मन्त्री, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, फर्रुखाबाद का प्रार्थना-पत्र दिनांक 5-5-1982 माननीय सदस्य (प्रश्नकर्ता) के पत्र दिनांक 15-5-82 के साथ प्राप्त हुआ है । तदपश्चात् एक अन्य पत्र जनवरी, 1983 में भी प्राप्त हुआ ।

जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, फर्रुखाबाद द्वारा किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक बार गृह निर्माण अनुदान नहीं दिया गया है । विमुक्त जातियों के पुनर्वासन योजना में वर्ष 1977-78 में 7 परिवारों तथा 1979-80 एवं 1980-81 में 7 परिवारों को पुनर्वासित किया गया । इस प्रकार इस योजना में 14 भवनों का निर्माण कराया गया है :

गोरखपुर क्षेत्र में अभ्यर्थियों का परिचालक पद हेतु चयन

51--श्री हरिवंश सहाय--

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर रीजन में वर्ष 1980 में कितने परिचालकों की नियुक्ति हेतु चयन किया गया ? उसमें कितने नियुक्त किए गए ? कितने चयनित परिचालकों को नियुक्ति अब तक नहीं की गयी है ? क्या नियुक्तियां क्रम सख्या के अनुसार नहीं की गयी ? यदि हां, तो उसका कारण क्या है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

गोरखपुर क्षेत्र में वर्ष 1980 में 356 अभ्यर्थियों का परिचालक पद पर चयन किया गया था जिसमें 257 को नियुक्तियां दी गयीं तथा 99 को नहीं दी गयीं । नियुक्तियां क्रमांक के अनुसार नहीं दी गयी बल्कि जिन अभ्यर्थियों ने तैनाती की शर्तें पूरी की उसी के क्रम में नियुक्तियां दी गयीं ।

बाबा राघवदास कुष्ठ सेवाश्रम, देवरिया में जर्मन रिलीफ एसोसियेशन द्वारा प्राप्त कम्बल

52--श्री हरिवंश सहाय--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाबा राघवदास कुष्ठ सेवाश्रम, देवरिया को जर्मन रिलीफ एसोसियेशन में 40 गांठ कम्बल वर्ष 1982 में असहायों एवं कुष्ठ रोगियों में वितरण हेतु मिला है ? यदि हां, तो वे कम्बल कब आये थे तथा कब वितरण हुआ ? जिन-जिन व्यक्तियों को कम्बल दिया गया उनके नाम व पता क्या है ?

श्री गुलाब सेहरा--

जी हां ।

बाबा राघवदास कुष्ठ सेवा आश्रम, देवरिया को दिनांक 28 सितम्बर, 1982 को 35 बन्डल नये तथा 5 बन्डल पुराने कम्बल प्राप्त हुये थे ।

बाबा राघवदास कुष्ठ सेवा आश्रम देवरिया द्वारा उपरोक्त कम्बलों को दिनांक 30 जनवरी, 1983 से 11 मार्च 1983 तक की अवधि में 11 संस्थाओं को वितरण हेतु दिया गया ।

जिन व्यक्तियों को कम्बल वितरित किये गये उसके सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है ।

मूसा खण्ड बांध प्रखण्ड वाराणसी के प्रथम खण्ड चुनार में माइनरों की मरम्मत पर व्यय

53---श्री रामचरण सिंह--

प्रथम सत्र 1983 के दिनांक 9-2-83 के अतारांकित प्रश्न संख्या 136 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1981-82 व 1982-83 में क्रमशः 31 अल्पिकाओं और 22 अल्पिकाओं पर प्रत्येक पर अलग-अलग कितना व्यय हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

वर्ष 1981-82 में 31 अल्पिकाओं पर कुल व्यय 1,17,262 00 तथा वर्ष 1982-83 में 22 अल्पिकाओं पर व्यय रु0 1,99,402 व्यय हुआ। प्रत्येक अल्पिका पर व्यय की सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 278 पर ।)

विकास खण्ड सोरांव, मऊआइमा, बहरिया व फूलपुर में मेन्टीनेन्स एवं रिपेयरिंग पर हुये व्यय का विवरण

54--श्री राधेश्याम पटेल--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में विकास खण्ड सोरांव, मऊआइमा, बहरिया व फूलपुर के किन-किन राजकीय नलकूपों की मशीनों एवं नालियों की मरम्मत (मेन्टिनेन्स एवं रिपेयरिंग) कितनी लागत से वर्ष 1980-81 व 1981-82 व 1982-83 में की गयी ? क्या नलकूपों की नालियां अब भी खराब हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रश्नगत विकास खण्ड सोरांव, मऊआइमा, बहरिया व फूलपुर के नलकूप पर प्रश्नगत अवधि में मेन्टीनेन्स एवं रिपेयरिंग पर हुये व्यय का विवरण क्रमशः संलग्नक* क, ख, ग के रूप में संलग्न है ।

नलकूपों की नालियां अब भी पूर्ण रूप से ठीक नहीं हैं क्योंकि मरम्मत के कार्य सीमित मात्रा में धन की उपलब्धि के अनुसार कराये गये थे ।

---

†छापा नहीं गया ।

देवरिया जिले के मझने नाला के ऊपर अमौनी खास पर पुल बनाने की कथित योजना

55--श्री नन्दकिशोर सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के मझने नाला के ऊपर अमौनी खास (डोमर डोला घाट) पर पुल बनाने की कोई योजना है । यदि हां, तो पुल कब तक बन जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चूंकि प्रश्नगत संस्थान से 1·4 कि0 मी0 की दूरी पर लकड़ी का एक पुल बना हुआ है, अतः किसी नये पुल के निर्माण की कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

जनपद मैनपुरी की तहसील जसराना की ग्राम सभा खैरिया शिकमी गोहाना में ग्राम प्रधान व उनके सम्बन्धियों द्वारा निजी बोरिंग के विरुद्ध कार्यवाही

56--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि नहर विभाग हाथरस मण्डल के रजबहा नूह के कुलाबा नं0 64 की नाली से शाखा खसरा संख्या 261 में चकबन्दी से पूर्व एवं बाद में पानी जाता था और किसान सिंचाई करते थे ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि अब जनपद मैनपुरी की तहसील जसराना की ग्राम सभा खैरिया शिकमी गोहाना के मोहर सिंह प्रधान एवं उनके भाई व भतीजों ने पद का दुरुपयोग करके एवं किसानों एवं सरकारी आवासों को हानि पहुंचाने के लिए नाली नम्बर 261 में अपनी निजी बोरिंग कर लिया है ? यदि हां, तो अब तक इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री शंकर शरण लाल श्रीवास्तव, सींचपाल की समाप्त सेवायें

57--श्री पंचानन राय--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शंकर शरण लाल श्रीवास्तव, सींचपाल, शारदा सहायक खंड 25, बाराबंकी की सेवाएं अधिशासी अभियन्ता के पत्र दिनांक 23 नवम्बर, 1982 के द्वारा समाप्त कर दी गयी थी, जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 22 दिसम्बर, 1982 को स्थगित कर दिया ? यदि हां, तो क्या न्यायालय के आदेश के अनुपालन में श्री श्रीवास्तव को कार्यभार ग्रहण कराकर वेतन का भुगतान किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

श्री शंकर शरण लाल श्रीवास्तव, कार्य प्रभारित सींचपाल की सेवायें अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय ज्ञाप संख्या 3966/डब्लू–2, दिनांक 23 नवम्बर, 1982, जो अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय ज्ञाप संख्या 4130/डब्लू–2, दिनांक 2 दिसम्बर, 1982 में संशोधित किया गया, के द्वारा समाप्त कर दी गयी थी ।

माननीय उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 22 दिसम्बर, 1982 के निर्णय में दिनांक 22 दिसम्बर, 1982 की स्थिति बनाये रखने के आदेश दिया है । चूंकि श्री श्रीवास्तव की सेवायें 22 दिसम्बर, 1982 से पूर्व समाप्त की जा चुकी थी अतः पुनः कार्यभार ग्रहण करने तथा उसके बाद का वेतन भुगतान करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्रीमती पाविमा देवी तथा अन्य पांच विधवाओं को अनुदान न मिलने के सम्बन्ध में जांच

58––श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी––

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन एवं समाज कल्याण निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अपने पत्रांक 1977–78 स0 क0/म0 क0 दिनांक 25 जनवरी, 1982 के द्वारा सहायक निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, गढ़वाल मन्डल से श्रीमती पाविमा देवी तथा अन्य पांच विधवाओं के विधवा अनुदान न मिलने के कारणों की जांच करने के लिए कहा गया था ? यदि हां, तो जांच के परिणाम क्या हैं और क्षेत्रीय विधायक को अभी तक जांच के परिणाम की जानकारी क्यों नहीं दी गयी है ?

श्री गुलाब सेहरा––

जी हां ।

निदेशक, हरिजन तथा समाज कल्याण से प्राप्त सूचना के अनुसार श्रीमती पाविमा देवी तथा अन्य 5 विधवाओं को अनुदान के सम्बन्ध में स्थिति निम्न प्रकार है :––

(1) श्रीमती पाविमा देवी, ग्राम चोपड़ी हाल नौगांव बलेन स्यूं, तथा

(2) श्रीमती बीना देवी, ग्राम बकरोड़ा, पोस्ट बकरोड़ा, पट्टी कन्डवाल स्यूं को अनुदान इसलिय नहीं स्वीकृत किया जा सका क्योंकि वे निर्धारित मापदन्ड के अन्दर नहीं आती थीं ।

(3) श्रीमती सुबोधिनी विजल्वान, ग्राम गडेरा, सितोन स्यूं तथा

(4) श्रीमती गोली देवी, ग्राम निसनी पैंडुल स्यूं तथा पोस्ट– निसनी, को अनुदान इसलिये स्वीकृत नहीं किया जा सका क्योंकि इनके आवेदन–पत्र विलम्ब से प्राप्त हुये थे ।

(5) श्रीमती बिछना देवी पत्नी स्व0 श्री मनोहर सिंह, ग्राम निसनी पोस्ट निसनी पट्टी पैंडुल स्यूं तथा

(6) श्रीमती शान्ती देवी, ग्राम बकरोड़ा, पोस्ट सबधारखाले पट्टी कन्डवाल स्यूं को विधवा सहायक अनुदान स्वीकृत कर दिया गया है । वस्तुस्थिति से क्षेत्रीय विधायक को अवगत करा दिया गया है ।

जनपद पौड़ी-गढ़वाल के अन्तर्गत निराश्रित विधवाओं के भरण पोषण हेतु स्वीकृत सहायतानुदान

59—श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करगे कि जनपद पौड़ी-गढ़वाल के अन्तर्गत निराश्रित विधवाओं के भरण-पोषण हेतु वर्ष 1980-81 और 1981-82 तथा 1982-83 में कितनी विधवाओं को सहायतानुदान स्वीकृत किया गया है ? उनमें क्षेत्रीय विधायकों की संस्तुति पर किन-किन विधवाओं को सहायतानुदान स्वीकृत किया गया है ? शेष संस्तुतियों पर कब तक सहायतानुदान स्वीकृत होने की सम्भावना है ?

श्री गुलाब सेहरा—

जिलाधिकारी गढ़वाल से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जनपद पौड़ी-गढ़वाल के अन्तर्गत वर्ष 1980-81, 1981-82 तथा 1982-83 में कुल 111 निराश्रित विधवाओं के भरण-पोषण हेतु सहायता अनुदान स्वीकृत किया गया है ।

इन 111 निराश्रित विधवाओं में से क्षेत्रीय विधायकों की संस्तुतियों पर निम्नलिखित सात विधवाओं को अनुदान स्वीकृत किया गया है :—

1—श्रीमती जुबली देवी पत्नी श्री बचन सिंह, ग्राम काडन्धार ।

2—श्रीमती सुबुद्धि देवी स्त्री श्री किसन सिंह, ग्राम बौसरी ।

3—श्रीमती शान्ती देवी स्त्री श्री रघुवीर सिंह, ग्राम विध्याणी ।

4—श्रीमती टिक्का देवी स्त्री श्री शंकर सिंह, ग्राम कठुड़ मनियार स्यूं ।

5—श्रीमती सिंवदेवी स्त्री श्री महावीर सिंह, ग्राम बहेड़ा बनेल स्यूं ।

6— श्रीमती शान्ती देवी स्त्री श्री गम्भीर प्रसाद, ग्राम रणकोट ।

7—श्रीमती कबोशी देवी स्त्री श्री जगत सिंह, ग्राम मलाई ।

क्षेत्रीय विधायकों द्वारा अग्रसारित एवं संस्तुत शेष प्रार्थना-पत्रों पर अतिरिक्त आवंटन प्राप्त होने पर अन्य प्रार्थना-पत्रों के साथ पात्रता के अनुसार स्वीकृति हेतु जिलाधिकारी द्वारा विचार किया जायेगा ।

जनपद वाराणसी के अधीनस्थ ग्राम टेकारी, हरनाटाट व उसहा ग्रामों में प्रस्तावित बंधियों का निर्माण

60—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा डेढ़गांवा, विकास खंड, बरहनी, जनपद वाराणसी के अधीनस्थ ग्राम टेकारी हरनाटाट व उसंहा ग्रामों में गंगा व अगहर नाले के बाढ़ प्रकोप से बचाने के लिए प्रस्तावित बाढ़ नियंत्रक बंधियों का निर्माण सन् 1983 के जून, मास तक सम्भावित है ? यदि हां, तो क्या उनके निर्माण की औपचारिक प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रश्नगत तीनों गांवों को गंगा नदी की बाढ़ से बचाने हेतु डेढ़गांवा तथा उसंहा बन्धियां प्रस्तावित हैं जिनका सर्वेक्षण किया जा रहा है ।

सर्वेक्षण के पश्चात् यदि तकनीकी दृष्टि से उपरोक्त योजनायें उपयुक्त पायी गयी तो वंछित औपचारिकतायें पूर्ण होने के पश्चात् तथा धन उपलब्ध होने पर उक्त निर्माण कार्य कराया जाना संभव हो सकेगा ।

ग्राम सभा भैदी, विकास खंड, चन्दौली में कर्मनाशा नदी पर लिफ्ट पम्प नहर बनाने हेतु प्रारम्भिक सर्वेक्षण

61--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा भैदी, विकास खंड, चन्दौली से एक फर्लांग की दूरी पर कर्मनाशा नदी में उपलब्ध प्रचुर मात्रा के जल स्तर पर लिफ्ट पम्प कैनाल बनाने के लिए किए गये सर्वेक्षण एवं अनुमानित व्यय को आख्या के प्रस्तुतीकरण के साथ इसी वर्ष उसके निर्माण के लिए धन की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

ग्राम सभा भैदी, विकास खंड चन्दौली में कर्मनाशा नदी पर लिफ्ट पम्प नहर बनाने हेतु प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया गया और इसके आधार पर यह योजना उपयुक्त नहीं पायी गयी । अतः धन की व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता है ।

ग्राम सभा डेढ़गांवा तथा बनदेइया में माइनर की खुदाई करने सम्बन्धी आवेदन-पत्र

62--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा डेढ़गांवा एवं दोब बनदेइयां विकास खण्ड बरहनी, जनपद वाराणसी, जो सिंचाई के साधनाभाव में दीर्घकाल से पड़े हैं, के लिए प्रस्तुत 22-9-82 के आवेदन-पत्र की पृष्ठ भूमि में पारित आदेश सं0 3810/23-9-82 को इसी वर्ष कार्यान्वित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

दिनांक 22-9-82 का प्रश्नगत आवेदन-पत्र सिंचाई मंत्री जी के आदेशों के साथ प्राप्त हुआ था । आवेदन-पत्र में कहा गया था कि दो कि0मी0 की डेढ़गांवा माइनर की खुदाई करके माइनरों के क्षेत्र को चन्द्रप्रभा प्रखण्ड के नियंत्रण क्षेत्र से निकालकर चक्का बांध लिफ्ट कैनाल के नियंत्रण क्षेत्र में कर दिया जाये ।

ग्राम सभा डेढ़गांवा के 6 ग्रामों तथा बनदेइया ग्राम का समस्त कृषि योग्य क्षेत्र जो कर्मनाशा नहर प्रणाली के चन्दौली रजबहा तथा धीना राजबाह में पोषित था, का स्थानान्तरण 8/83 में जमानियां पम्प नहर (जो कि स्थानीय भाषा में चक्का बांध लिफ्ट कैनाल कही जाती है) के कमाण्ड में कर दिया गया तथा व्यवस्था करके सिंचाई उपलब्ध करा दी गई है । इस व्यवस्था के फलस्वरूप अब डेढ़गांवा माइनर के निर्माण की आवश्यकता नहीं है ।

जनपद वाराणसी में राजकीय नलकूपों का निर्माण

63--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले को सन् 1982-83 में कितने राजकीय ट्यूबवेल दिए गए और उनकी बोरिंग कहां-कहां कराई गई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

वर्ष 1982-83 में जिला प्लान के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि के अनुसार जनपद वाराणसी में 9 राजकीय नलकूपों के निर्माण का कार्यक्रम था । इनका छिद्रण निम्नांकित स्थानों पर कराया गया है :

नलकूप का नाम	ब्लाक
1--खामौना	सेवापुरी
2--सातो	सेवापुरी
3--रामपुर-2	आ0 लाइन
4--हंवतपुर	आ0 लाइन
5--कोहड़ा	थानपुर
6--ईसीपुर	बड़ागांव
7--नाथनपुर बवियांव	चौलापुर
8--चन्दापुर	हरहुआ
9--फरीदपुर	चिरईगांव

ब्लाक बड़ागांव, वाराणसी के कतिपय ग्रामों का सर्वेक्षण तथा राजकीय ट्यूबवेल लगाने पर विचार

64--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि गांव अरूआ सेखानीपुर, कोआडाड कुरू, कोललार, मधुमखियां, बैरहना, महिमापुर, पश्चिमी, बलुआ, ब्लाक बड़ागांव बरुणा नदी के उत्तरी किनारे, जिला वाराणसी में हैं जो बहुत ऊंचाई पर स्थित हैं ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि इन गांवों को शारदा सहायक 38वां खंड बाबतपुर के क्षेत्र में गजट कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इसका सर्वेक्षण कराकर कलस्टर में यहां विश्व बैंक का राजकीय ट्यूबवेल लगाने पर विचार करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

ग्राम अरूआ, सेरवानीपुर, कोआडाड, कुरू कोइलार, मधुमखियां, बैरहना, महिमापुर पश्चिमी, बलुवा ब्लाक बड़ागांव बरूना नदी के उत्तरी किनारे के तरफ

जिला वाराणसी में है जो बहुत ऊंचाई पर स्थित नहीं है। बल्कि अरूआ गांव सेरवानोंपुर, वैरहना, मधुमखियां का भूमिभाग समतल है। ग्राम बलुआ कौवाडाड कुरू, महिमापुर पश्चिमी कोइलार नदी के किनारे होने के कारण भूमि ऊंची-नीची है। यह सही है कि उक्त ग्राम शारदा सहायक 38वां खंड बाबतपुर नहर के कमाण्ड मे है। ग्राम महिमापुर से सेरवानो पुरकुरू वैरहना, बलुआ में राजकीय नलकूप से सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, परन्तु शारदा सहायक बाबतपुर रजबहा कमाण्ड में उक्त ग्रामों के होने के कारण राजकीय नलकूप लगाने की कार्यवाही विचारणीय नहीं है।

बाबतपुर रजबहा, वाराणसी के गांवों को नहर प्रणाली द्वारा सिंचाई सुविधा की मांग देना

65--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 38वां खंड बाबतपुर रजबहा वाराणसी सन् 1987 तक तैयार होगा और वाराणसी का क्षेत्र टेल पर है ? यदि हां, तो क्या सरकार नाद नदी के दक्षिण में जो रजबहा से 6-7 कि0मी0 दूर है उसके गांवों में कलस्टर में विश्व बैंक के ट्यूबवेल लगाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो क्या इस क्षेत्र के 20 गांवों को शारदा सहायक के कमांड से निकालकर कर सर्वेक्षण कराया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रश्नगत क्षेत्र में नहर प्रणाली द्वारा सिंचाई सुविधा देना प्रस्तावित है। अतः विश्व बैंक द्वारा पोषित परियोजना के अन्तर्गत इस क्षेत्र कलस्टर में नलकूप लगाने हेतु सर्वेक्षण कराने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री रामबीर प्रधान ग्राम सभा बासरभकड़ी, जिला मथुरा का शिकायती-पत्र

66--श्री सरदार सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 1-2-83 श्री रामवीर सिंह, प्रधान, ग्राम सभा बासरमकड़ी विकास खंड राया जिला मथुरा का शिकायती-पत्र मांट ब्रांच गंगा नहर मथुरा के रजबहा कुरसंडा की पटरी टूटने से फसलों को क्षति की क्षतिपूर्ति देने के लिए प्रश्नकर्त्ता की संस्तुति के साथ प्राप्त हूआ था ? यदि हा, तो शिकावती-पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? कार्यवाही न करने का क्या कारण है ? कुरसंडा रजबहा की बारबंदी कब तक कर दी जावेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

सोन लिफ्ट कैनाल, मिर्जापुर में घाघरा बैराज तथा एप्रो चैनल सोन परियोजना का कार्य

67--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सोन लिफ्ट कैनाल मिर्जापुर में धन के अभाव की वजह से घाघरा बैराज तथा एप्रो चैनल सोन परियोजना का कार्य बहुत ही धीमी गति से हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार धन देकर घाघरा बैराज व एप्रो चैनल का कार्य वर्ष के पूर्व पूर्ण कराने पर विचार करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सोन लिफ्ट कैनाल मिर्जापुर के अन्तर्गत बैराज तथा एप्रोच चैनल का कार्य उपलब्ध सीमित आवंटित धन के आधार के परिवेश में पुनरीक्षित निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कराया जा रहा है । उक्त योजना हेतु अतिरिक्त धन उपलब्ध करा दिये जाने पर भी जून, 1983 तक उपरोक्त कार्य पूरे किये जाने सम्भव नहीं थे ।

मिर्जापुर माइनर तथा सैदनपुर माइनर की सफाई

68--श्री जमुना प्रसाद--

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत मिर्जापुर माइनर तथा सैदनपुर माइनर की सफाई कब की गई और इस पर कितना धन व्यय हुआ ? क्या सफाई व्यय में धन का गबन प्रकाश में आया है ? यदि हां, तो विवरण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मिर्जापुर माइनर की सफाई माह नवम्बर, 1982 एवं सैदनपुर राजवाहे की सफाई माह नवम्बर, 1982 व जनवरी, 1983 में की गयी । उपरोक्त माइनरों की सफाई पर क्रमशः 3,409.20 रु० व 63,246.60 रु० आया है । जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

पर्वतीय क्षेत्रों में फलों की प्रजातियों को उन्नतिशील बनाने हेतु अनुसंधान कार्य

69--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री को ज्ञात है कि पर्वतीय क्षेत्रों में हिसालू किलमोड़ा मेहल, काफल, बेडू, घिंगारू आदि बहुत से फल व अन्य कन्दमूल जंगलों में बहुतायत में पैदा होते हैं ? यदि हां तो क्या सरकार इनकी प्रजातियों को उन्नतिशील बनाने के लिए व्यापक अनुसंधान करेगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जी हां ।

पर्वतीय क्षेत्र में हिसालू, किलमोड़ा, मेहल, काफल, बेडू, घिंगारु आदि पर्याप्त मात्रा में पैदा होते हैं । इनकी प्रजातियों को उन्नतिशील बनाने के लिए अनुसंधान कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ।

जनपद आजमगढ़ के कतिपय ग्रामों के किसानों की शारदा नहर में ली गई भूमि तथा प्रतिकर का भुगतान

70--श्री दल सिंगार--

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि आजमगढ़ जनपद की सगड़ी तहसील के ग्राम चौरासी, युसूफपुर, कुम्हट, लहरपार, अखरचला आदि ग्रामों के किसानों की जमीन शारदा नहर में ली गयी ? यदि हां, तो उन किसानों को अब तक मुआवजा क्यों नहीं दिया गया ? क्या उन किसानों को सरकार सूद सहित मुआवजा दिलाने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, ग्राम अखरवन्दा एवं कुम्भहट के किसानों की भूमि का मुआवजा दिया जा चुका है। ग्राम युसूफपुर चौरासी एवं लहरपार की भूमि अध्याप्ति प्रकरण पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है और कार्यवाही के पूरे होने पर मुआवजा तुरन्त बंटवा दिया जायेगा। जिन ग्रामों का मुआवजा अभी नहीं दिया गया है, वहां मुआवजा नियमानुसार बंटवाने की कार्यवाही की जा रही है।

नलकूप नं0 82 गांव रेवड़ा, जिला वाराणसी की नाली बनाने के सम्बन्ध में कार्यवाही

71—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप नं0 82 गांव रेवड़ा परसपुर तहसील ज्ञानपुर जिला वाराणसी की नाली को रामनारायण यादव ने एक बम पाट दिया है जिससे सैकड़ों एकड़ की फसल सिंचाई न होने से सूख गयी है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कर नाली चालू करा दी जायगी और पाटने वाले के खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

सिंचाई विभाग (नलकूप) भदोही, जिला वाराणसी के वर्कशाप में गोलमाल की जांच

72—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग (नलकूप) भदोही जिला वाराणसी के वर्कशाप में 80 हजार रु0 के समान को गोलमाल किया गया है ? क्या सरकार जांच रिपोर्ट डिस्पैच रजिस्टार आदि को मंगायेगी और जिन अधिकारियों ने अब तक कार्यवाही नहीं की है उनसे जवाब तलब करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

नरायनपुर गंगा नहर, जनपद मिर्जापुर के शीर्ष कार्य पर हुआ व्यय

73—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नरायनपुर गंगा नहर जनपद मिर्जापुर के शीर्ष कार्य पर अब तक कितने पैसे खर्च हुये हैं ? अधूरे कार्य क्या 31 दिसम्बर, 1983 तक पूर्ण हो जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

अब तक कुल रुपये 1295·20 लाख व्यय हुआ है।

प्रश्नगत कार्य 31 दिसम्बर, 1983 तक पूर्ण नहीं हो सकेगा। क्योंकि फाउन्डेशन कुंओं की गलाई के दौरान गंगा नदी की तलहटी (वेड) में असामान्य स्टेटा आ जाने के कारण कुंओं की गलाई में रुकावट आई।

नरायनपुर गंगा नहर जनपद मिर्जापुर के कतिपय ग्रामों में असिंचित भूमि हेतु सिंचाई की व्यवस्था

74—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री नरायनपुर गंगा नहर जनपद मिर्जापुर के ग्राम शाहपुर रपुखिया, कोलइन, कमालपुर, चेड़ा, बहादुरपुर, बघेड़ा न्यामतपुर कलां, मस्सामपुर, फतेहपुर, भूपति, काशीपुर एवं सहसपुर ग्रामों के असिंचित भूमि के लिए सिंचाई की व्यवस्था नहर निकाल कर कर रहे हैं ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं।

इन ग्रामों में नरायनपुर पम्प कैनाल द्वारा सिंचाई सम्भव नहीं है। क्योंकि उक्त ग्रामों की भूमि नहर के पश्चिम की ओर स्थित है एवं नहर प्रस्तावित जल के स्तर से ऊंची है।

जरगो माइनर मिर्जापुर में माईपुर फीडर पर खुदाई का कार्य तथा व्यय

75—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जरगो माइनर मिर्जापुर में माईपुरफीडर खुदाई का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? यदि हां, तो उस पर कितनी धनराशि व्यय हुआ ? क्या अधूरे कार्य को मार्च, 1983 तक पूरा कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं। वर्ष 1973-74 में कुछ कार्य आरम्भ किया गया था जिस पर रुपये 25,000 व्यय हुआ था, परन्तु कार्य स्वीकृत लम्ब छिन्नक के अनुसार न होने के कारण बन्द करा दिया गया।

जी नहीं।

समरेखन में स्थानीय विवाद के निराकरण के पश्चात् ही कार्य किया जा सकेगा।

गरई नदी में बाढ़ की समस्या के निराकरण हेतु नहरीकरण की योजना

76—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि गरई नदी विकास खंड जमालपुर जनपद मिर्जापुर में जलकुंभी और बेहया की सफाई न होने से सितम्बर, 1982 की बाढ़ में 61 गांव जलमग्न हो गए थे ? यदि हां, तो क्या इसके संदर्भ में अहरौरा जलाशय की धारिता को बढ़ाने के लिये कोई प्राविधान किया गया है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

जी नहीं, क्योंकि बाढ़ का निराकरण अहरौरा जलाशय की क्षमता वृद्धि से सम्भव नहीं है ।

गरई नदी में बाढ़ की समस्या के निराकरण हेतु गरई नदी के नहरीकरण की योजना अधिक व्यावहारिक पायी गई । उक्त योजना का कार्यान्वयन वर्ष 1981-82 में प्रारम्भ किया गया है एवं जून, 1985 तक पूर्ण होने की आशा है ।

विधायक, श्री दल सिंगार द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्दशक मंडल सिचाई विभाग, आजमगढ़ को लिखा गया पत्र

77--श्री दल सिंगार--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के दिनांक 24-1-1983 को अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्दशम मंडल, सिचाई विभाग, आजमगढ़ को लिखा हुआ पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर आज तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां । प्रश्नकर्ता का दिनांक 24-1-1983 का पत्र प्राप्त हुआ है । पत्र में उल्लिखित प्रभावित ग्रामों में क्षतिग्रस्त फसलों का सर्वेक्षण किया जा चुका है । मुआवजा बांटने की कार्यवाही शीघ्र की जायेगी ।

अवर अभियन्ता (यांत्रिक) तथा अवर अभियन्ता (कार्यशाला) का एक ही संवर्ग बनाने की मांग तथा अवर अभियन्ता (यांत्रिक) को सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति

78--श्री कल्लूराम--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब सिंचाई विभाग एवं सिंचाई कार्यशाला, मंडल, कानपुर के सहायक यांत्रिक अभियन्ता तथा इससे उच्च पदों (अधिशासी अभियन्ता) अधीक्षण अभियन्ता (मुख्य अभियन्ता) का एक ही स्वीकृत संवर्ग है तो सिंचाई विभाग के यांत्रिक अवर अभियन्ता तथा सिंचाई कार्यशाला मंडल कानपुर के सहायक अग्रजन जिनका पद नाम शासनादेश सं0 4347 ई/73-23 पी (3) 124 ई/73-दिनांक 16-6-73 द्वारा परिवर्तित कर अवर अभियन्ता ही कर दिया गया है, का एक ही संवर्ग बनाने में क्या व्यावहारिक एवं प्राविधिक कठिनाई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

अवर अभियन्ता (यांत्रिक) तथा अवर अभियन्ता (कार्यशाला) का एक ही संवर्ग बनाना इसलिए सम्भव नहीं है कि सिंचाई कार्यशाला मंडल, कानपुर के अन्तर्गत एक और संवर्ग अग्रजन (फोरमैन) का है । सहायक अग्रजन (सहायक फोरमैन) जिसे अब अवर अभियन्ता कार्यशाला नाम दिया गया है तथा अग्रजन (फोरमैन) के कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों में अन्तर है । इसके अलावा अग्रजन (अवर अभियन्ता कार्यशाला) के पदों में से अग्रजन के पदों पर प्रोन्नति होती है और अवर अभियन्ता कार्यशाला (सहायक अग्रजन) को विभिन्न ट्रेडों में विशे

योग्यता प्राप्त करनी होती है जिससे कि उपरोक्त मंडल के विभिन्न कार्यशालाओं में श्रमिकों पर नियंत्रण रखा जा सके और उत्पादन में वृद्धि हो सके ।

अतः उपरोक्त कारणों से दोनों संवर्गों को मिलाया जाना उपयुक्त नहीं होगा ।

79—श्री कल्लू राम—

क्या सिंचाई मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग के यांत्रिक अवर अभियन्ता, सहायक यांत्रिक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति के पात्र है ? यदि हां, तो सिंचाई कार्यशाला मंडल, कानपुर के अवर अभियन्ताओं (पुराना नाम सहायक अग्रजन) जिनकी प्राविधिक अर्हताएं एक समान हैं को एक ही संवर्ग के अभाव में प्रोन्नति से वंचित रखने का क्या औचित्य है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । सिंचाई विभाग के सामान्य अधिष्ठान के अन्तर्गत अवर अभियन्ता (यांत्रिक), सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) के पदों पर प्रोन्नति के पात्र हैं । किन्तु यह व्यवस्था सहायक अग्रजन (अब अवर अभियन्ता) कार्यशाला पर लागू नहीं होती, क्योंकि कार्यशाला मंडल, कानपुर में बीच में एक और पद अग्रजन का है ।

सिंचाई विभाग के यांत्रिक अवर अभियन्ताओं को सेवाकाल में दुर्गम स्थानों पर कार्यरत रखने का प्राविधान

80—श्री कल्लू राम—

क्या सिंचाई मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग के यांत्रिक अवर अभियन्ताओं को अपने सेवाकाल में केवल तीन वर्ष तक ही दुर्गम स्थानों पर कार्यरत रखना निर्धारित है ? क्या यह भी सही है कि सिंचाई विभाग के यांत्रिक अवर अभियन्ताओं को सिंचाई कार्यशाला मंडल, कानपुर के अन्तर्गत दुर्गम स्थापना हेतु 3 वर्ष के लिए स्थानान्तरित किया जाता है ? यदि हां, तो सिंचाई कार्यशाला मंडल, कानपुर के अवर अभियन्ताओं को सिंचाई विभाग के नलकूपों अथवा परियोजनाओं को स्थानान्तरण करने की नीति का पालन न करने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सिंचाई विभाग के यांत्रिक अवर अभियन्ताओं को अपने सेवाकाल में केवल 3 वर्ष तक ही दुर्गम स्थानों पर कार्यरत रखने का कोई प्राविधान नहीं है बल्कि उनको कम से कम 3 वर्ष तक दुर्गम स्थानों पर कार्यरत रखने का प्राविधान है । सिंचाई विभाग के अन्तर्गत सिंचाई कार्यशाला मंडल कानपुर को भी दुर्गम स्थान की सूची में रखने के कारण, सिंचाई विभाग के यांत्रिक अवर अभियन्ताओं को सिंचाई कार्यशाला में पद स्थापित किया जाता है ।

सिंचाई कार्यशाला मंडल कानपुर में अवर अभियन्ता का एक पृथक संवर्ग अवर अभियन्ता (कार्यशाला) के नाम से भी है, जिसमें पद स्थापित अवर अभियन्ताओं का स्थानान्तरण सिंचाई विभाग के अवर अभियन्ता यांत्रिक संवर्ग के पदों पर नलकूप खंडों एवं परियोजनाओं आदि में नहीं किया जाता है ।

टिहरी जनपद के अभावग्रस्त ग्रामों में पेयजल सुविधा

81—श्री विद्यासागर नौटियाल—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी गढ़वाल जनपद में कुल कितना गांव पेयजल के मामले में इस समय अभावग्रस्त है ? इनके पेयजल अभाव को कब तक दूर कर दिया जायगा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

वर्ष 1972 के सर्वेक्षण के अनुसार टिहरी जनपद में कुल 830 ग्राम अभावग्रस्त श्रेणी के हैं, जिनमें से मार्च, 1983 तक 490 ग्रामों को पेयजल सुविधा से लाभान्वित किया जा चुका है। शेष अभावग्रस्त ग्रामों को छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में मार्च, 1985 तक पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित है।

कानपुर महानगर के मध्य से जाने वाली नहर के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र

82—श्री भवर नारायण मिश्र—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगर के मध्य से जाने वाली नहर के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के 3 सितम्बर, 1980 के प्रार्थनापत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

कानपुर महानगर के मध्य से जाने वाली नहर के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का का एक दिनांक रहित पत्र अक्तूबर, 1980 में प्राप्त हुआ था।

कानपुर महानगर के मध्य से जाने वाली नहर के आस-पास के क्षेत्र में विगत काफी लम्बे समय से आबादी का दबाव बढ़ने के कारण यह नहर अनुपयोगी हो गई थी। कानपुर ब्रान्च के, मील 132.7 से 137.6 जो कानपुर महानगर के मध्य से जाती है के ऊपर मील 131-1-0 पर गुजेनी स्केप का निर्माण कर नहर को निष्कृत कर दिया जाना पड़ा नहर के मील 135.4 से मील 136.1 तक का भाग रेलवे विभाग के पास वर्ष 1929 से है तथा इस क्षेत्र को काट कर रेल विभाग द्वारा रेलवे यार्ड बना दिया गया है ? इस लम्बाई में नहर को साफ कराके चलाया जाना सम्भव नहीं है। घंटाघर के समीप मील 136-4-480 से 137-0-570 तक भी स्थानीय निवासियों द्वारा कूड़ा आदि डालने के कारण इस नहर की सफाई किये जाने का स्थायी समाधान नहीं हो पायेगा क्योंकि इसमें बराबर कूड़ा पड़ता रहेगा। परिवहन विभाग ने बस स्टैण्ड के लिये नहर के मील 136-1-480 के नीचे जो भाग ले रखा है वह भी पूर्ण रूप से भर दिया गया है। इस प्रकार नहर के विभिन्न टुकड़ों में नहर पट सी गई है अतः इस नहर को साफ करके चलाना सम्भव नहीं है। नहर के आस-पास आबादी भी काफी घनी हो गई है। नहर से सम्बन्धित भूमि में से मील 136-1-480 से 137-0-575 तक शासनादेश दिनांक 29-8-79 द्वारा कानपुर विकास प्राधिकरण को स्थानान्तरित करने के आदेश हो चुके हैं परन्तु विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि का औपचारिक कब्जा अभी प्राप्त नहीं किया गया है। वर्तमान परिस्थिति में इस नहर का उपयोग जल निकासी के लिये किया जाना सम्भव नहीं है।

कानपुर नगर क्षेत्र में बसों की वृद्धि करने का अनुरोध

83--श्री भूधर नारायण मिश्र--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता के पत्र सितम्बर, 1980 जिसमें कानपुर नगर क्षेत्र में परिवहन सुविधा सुलभ कराने हेतु अधिक बसें उपलब्ध कराने की मांग की गई थी, पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

प्रश्नगत पत्र में कानपुर नगर क्षेत्र में बसों की वृद्धि करने का अनुरोध किया था परन्तु वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण कानपुर नगर बस सेवा को और बसें देना सम्भव नहीं हो पा रहा है ।

मऊरानीपुर, झांसी में नये बांधों पर व्यय

84--श्री भागीरथ--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1981-82 के बजट में मऊरानीपुर, झांसी में चार नये बांध शासन द्वारा स्वीकृत किये गये थे जबकि 1981-82 में उपरोक्त बांधों पर लागत का चौथाई धन व्यय किया जाना था ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि 31-3-1983 तक उपरोक्त बांधों का कार्य प्रारम्भ किया गया तथा उपरोक्त बांधों पर कितनी लागत आयेगी तथा बांध कब तक बन कर तैयार हो जायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

वर्ष 1981-82 के आय-व्ययक में मऊरानीपुर, झांसी के लिए सिंचाई विभाग से सम्बन्धित निम्न योजनायें सम्मिलित की गई थी--

योजना का नाम	लागत लाख रु० में
1--सिजार बांध	164.98
2--पथरई बांध	321.34
3--लखेरी बांध	409.80
4--कुरार बांध	193.05

इन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृति आगणनों के विस्तृत परीक्षण के उपरान्त दी जानी थी ।

उपरोक्त चार योजनाओं में से दो योजनायें सिजार एवं पथरई बांध परियोजनाओं की स्वीकृति दी जा चुकी हैं । लखेरी बांध योजना एवं कुरार बांध योजनाओं पर सर्वेक्षण एवं अध्ययन किये जा रहे हैं ।

वर्ष 1982-83 तक किसी भी परियोजना हेतु धन आवंटन न होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका । अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि उपरोक्त योजनाओं पर कितनी लागत आयेगी और कब तक बन कर तैयार हो जायेगी ।

जनपद हमीरपुर में चरखारी से नौगांव मुख्य मार्ग एवं महोबा–बिजौरा मार्ग पर बस सेवा संचालित किये जाने की मांग

85––श्री भागीरथ––

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर में चरखारी से नौगांव मुख्य मार्ग एवं महोबा से बिजारो वाया चरखारी कुलपहाड़ मार्ग पर अभी तक उ0 प्र0 राज्य परिवहन निगम के मंडलीय कार्यालय झांसी द्वारा यात्री बसों को नहीं चलाया गया ? यदि हां, तो क्यों ? इस सम्बन्ध में विधायक श्री मोहन लाल ने गत 14 मार्च, 1982 को तत्कालीन परिवहन मंत्री को पत्र भेजकर क्षेत्रीय जनता के आवागमन की सुविधा हेतु राजकीय यात्री बसें चलाने की मांग की थी ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देय सिंह आर्य––

चरखारी–नौगांव एक अन्तर्राष्ट्रीय मार्ग है उ0 प्र0 एवं मध्य प्रदेश के मध्य हुए पारस्परिक यातायात समझौते के अन्तर्गत उ0 प्र0 के लिए 4 चक्र सेवायें संचालित करने का प्राविधाव है । परमिट स्वीकृति हेतु संभागीय परिवहन प्राधिकरण झांसी को आवेदन–पत्र 22–9–82 को प्रस्तुत किये गये थे । संभागीय परिवहन प्राधिकरण, झांसी ने 25–11–82 को अन्तर्राष्ट्रीय मार्ग होने के कारण आवेदन–पत्र राज्य परिवहन प्राधिकरण उ0 प्र0 लखनऊ को भेज दिये । अभी तक निगम को परमिट स्वीकृत नहीं हुये हैं । बिना परमिट स्वीकृत हुए बस सेवा संचालित करना संभव नहीं है ।

महोबा–बिजौरा बस सेवा सूपा–कुलपहाड़ होकर संचालित है । यह सेवा चरखारी होकर संचालित करना संभव नहीं है क्योंकि चरखारी–सूपा 11 कि0 मी0 भाग अराष्ट्रीयकृत है ।

श्री मोहन लाल विधायक का 14 मार्च सन् 1982 का पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता ।

ग्राम चहितारा, जनपद बांदा में राजकीय नलकूप का छिद्रण

86––श्री ऊदल––

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव हितारा, जनपद बांदा में राजकीय नलकूप वर्ष 1981–32 में लगाने हेतु आदेश माननीय राज्य मंत्री सिंचाई विभाग ने दिया था ? क्या यह सही है कि माननीय राज्य मंत्री ने 16 अप्रैल, 1981 एवं 19 मई, 1981 को उक्त ट्यूबवेल के बारे में पत्र लिखकर आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो कब तक ट्यूबवेल लगा दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

ग्राम का सही नाम हितारा के स्थान पर चहितारा है । श्री बाबू लाल तिवारी, कृषक ग्राम चहितारा को सिंचाई राज्य मंत्री जी द्वारा दिनांक 16–4–81 को दिये गये आश्वासन पत्र के अनुपालन में ग्राम चहितारा जनपद बांदा में एक राजकीय नलकूप का छिद्रण किया गया परन्तु भूगर्भ जल उपलब्ध न होने के कारण उक्त नलकूप का परित्याग कर दिया गया है ।

यातायात व्यवस्था में सुधार हेतु वाराणसी मंडल के आयुक्त की अध्यक्षता में उच्च अधिकारियों की बैठक, बसों के अड्डे हेतु अधिगृहीत की गई भूमि

87--श्री ऊदल--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यातायात व्यवस्था में सुधार हेतु वाराणसी मंडल के आयुक्त की अध्यक्षता में 17-2-83 को उच्चाधिकारियों की बैठक में फैसला किया गया है कि जौनपुर मार्ग से आने वाली बसों को शिवपुर बाई पास के निकट खड़ा करवा दिया जाय ? क्या वह सही है कि वहां से कचहरी वाराणसी 2 मील से ऊपर पड़ेगा ? यदि हां, तो दो मील दूर रोकने का क्या कारण है ? कचहरी वाराणसी तक बसों को ले जाने में किस स्थान पर यातायात अवरुद्ध होता है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

88--श्री ऊदल--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त मीटिंग में यह भी फैसला किया गया है कि शिवपुर बाई पास के पास 250 एकड़ जमीन विकास प्राधिकरण, वाराणसी बसों के अड्डा के लिए एक्वायर कर रहा है ? यदि हां, तो यह जमीन कहां पर है और कब तक बस अड्डा 2 1/2 मील दूर बनाया जायगा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

राजकीय प्रमाणित संस्था (भिक्षुक गृह) शिवकुटी, इलाहाबाद की अधीक्षिका एवं हेड क्लर्क द्वारा की गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में पत्र

89--श्री ऊदल--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रामपूजन पटेल, एम0 पी0 ने राजकीय प्रमाणित संस्था (भिक्षुक गृह) शिवकुटी, इलाहाबाद में अधीक्षिका माया विरभानु एवं हेड क्लर्क तथा अन्यों द्वारा की जा रही, धोखाधड़ी सरकारी धन का दुरुपयोग, फर्जी रजिस्टर बनाना, जालसाजी एवं न्यायालय के हुक्म को न मानने, संवासिनियों को सताने, लाखों रुपये का फर्जी बिल बाउचर बनाकर हड़पने के सम्बन्ध में तारीख 28-10-82 व 21-12-82 को माननीय मुख्य मंत्री को पत्र लिखा है और नागरिकों का ज्ञापन भी भेजा है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सन् 82 में और भी प्रार्थना पत्र माननीय मुख्य मंत्री, हरिजन कल्याण मंत्री, निदेशक, हरिजन कल्याण व निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण इलाहाबाद, सचिव, हरिजन समाज कल्याण को भेजा गया है ? क्या यह सही है कि 19 आरोप लिखित लगाये गये हैं ?

श्री गुलाब सेहरा--

जी हां ।

मामले में प्रशासकीय जांच के आदेश दे दिये गये हैं । जो अभी प्रतीक्षित हैं ।

राजकीय प्रमाणित संस्था (भिक्षुक गृह) शिवकुटी, इलाहाबाद में संवासियों के पुनर्वासन हेतु दी गयी धनराशि, भिक्षुक गृह में प्रवेश/मुक्त एवं अनुदान रजिस्टर की जांच

90--श्री ऊदल--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय प्रमाणित संस्था (भिक्षुक गृह) शिवकुटी, इलाहाबाद के लिए निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उ० प्र० ने आदेश संख्या 2-90 संवासी-ओ० का० ज्ञापन 80/81, दिनांक 26-3-81 को मूंगा, लखन, बालेश्वर, अनिल, विनोद, रामराज, अमरलाल, शंकर, बनकर इस्माइल संवासियों को पांच-पांच सौ की धनराशि स्वीकृत की है ? क्या सरकार उपरोक्त व्यक्तियों के भिक्षक गृह में प्रवेश रजिस्टर एवं मुक्त रजिस्टर, अनुदान रजिस्टर की जांच करायेगी जिसमें गलत प्रवेश, गलत मुक्त, गलत प्रवेश जालसाजी करके बनाया गया है ।

श्री गुलाब सेहरा--

जी नहीं ।

निदेशक के पत्र संख्या 946-49/स० क०/व० क०/पुर्वासन/80-81, दिनांक 25 मई, 1981 के द्वारा सम्बन्धित संवासियों के पुनर्वासन हेतु 500 रुपये (प्रति संवासी) प्राप्त हुआ था, जिसका भुगतान किया जा चुका है । सम्बन्धित संवासियों के प्रवेश/मुक्त तथा अनुदान रजिस्टरों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री आर० के० गुप्ता द्वारा दिनांक 15-9-82 को संस्था के निरीक्षण के दौरान अपने अधिकार में ले लिया गया है । सम्बन्धित मामले में विवाद उच्च न्यायालय में विचाराधीन है । अतएव इस सम्बन्ध में कुछ भी कहना सम्भव नहीं है ।

श्री बालेश्वर, संवासी के पर्यवेक्षक गृह का इलाहाबाद में स्थानान्तरण तथा प्रवेश रजिस्टर में मुक्ति की तारीख की जांच, बैंक ड्राफ्ट से आहरित की गयी धनराशि

91-92--श्री ऊदल--

क्या यह सही है कि बालेश्वर संवासी को पर्यवेक्षक गृह इलाहाबाद में 10-3-80 को ट्रांसफर किया गया है और प्रवेश रजिस्टर में 17-9-80 को मुक्त दिखाया गया है और अनुदान रजिस्टर में 8-9-81 को मुक्त दिखाया गया है ? अनुदान स्वीकृत होने से दिनांक 17-9-81 को पुनः 17-9-80 को राजकीय प्रमाणित संस्था में दाखिल किया गया है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? क्या यह सही है कि बालेश्वर ने प्रवेश मुक्त रजिस्टर के पृष्ठ 40 पर अपना हस्ताक्षर किया है और अनुदान रजिस्टर पर अंगूठा निशान है ?

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अमरलाल जो 21-1-82 को मुक्त हुआ उसने मुक्त रजिस्टर पर हस्ताक्षर किया है और अनुदान रजिस्टर में उसका अंगूठा है ? क्या सरकार पूरे अनुदान रजिस्टर, प्रवेश रजिस्टर को सीलबन्द करके जाँच करायेगी ?

श्री गुलाब सेहरा--

सम्बन्धित अभिलेख मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जैसा उपरोक्त प्रस्तरों में इंगित किया गया है, के अधिकार में ले लिया गया है तथा निर्णय उच्च न्यायालय के विचाराधीन है। अतएव कुछ भी सूचना देना सम्भव नहीं है।

93--श्री ऊदल--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त प्रमाणित संस्था इलाहाबाद को एक बैंक ड्राफ्ट नं0 टी0 टी0/ए0 246344, दिनांक 31-3-81 को 5500 रु0 को अधीक्षिका ने निकाला है और बैंक से निकालने की तिथि 5-9-81 है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री गुलाब सेहरा--

5,500 रुपये की धनराशि 5-9-81 को आहरित की गई। संस्था के पास बुक सं0 252/995 में धन भी जमा किया गया तथा उसे नियमानुसार 11 समितियों को वितरित किया गया है। इस धनराशि के रख-रखाव का उल्लेख संस्था के कैश बुक में किया गया है। अतः जांच कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

राजकीय प्रमाणित संस्था, इलाहाबाद शिवकुटी के संवासियों की औसत संख्या, उपस्थिति रजिस्टर की चीफ जुडोशियल मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद द्वारा जाँच

94--श्री ऊदल--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के 8वें बुधवार के अता0 प्र0 सं0 53 के उत्तर के संदर्भ में क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय प्रमाणित संस्था, इलाहाबाद शिवकुटी में संवासियों की औसत संख्या सन् 1979-80 में 1640 दिखाया गया है जबकि जनवरी में 146-71, फरवरी, 88-03, मार्च 78-90, अप्रैल 91-15, मई 91-15, जून 64-89, जुलाई 60-15, अगस्त 84-65, सितम्बर 100-06, अक्तूबर 113-16, नवम्बर 123-45, दिसम्बर तथा 80 के उपरोक्त 3 माह का मिलाकर औसत योग 1162·00 होता है ? कुल भरण पोषण का वार्षिक 116202 रु0 होता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसका आडिट करायेगी और सी0 आई0 डी0 से जांच करायेगी ?

श्री गुलाब सेहरा--

जी हां।

प्रश्नानुसार यह दो वित्तीय वर्षों के माह होने के कारण वित्तीय वर्ष 1979–80 के औसत संख्या के अनुरूप नहीं है वित्तीय वर्ष 1979–80 माह अप्रैल, 1979 से प्रारम्भ होकर 31 मार्च, 1980 को समाप्त होता है। 70 रुपया प्रतिमाह प्रति संवासी आयोजनेत्तर पक्ष से तथा 30 रुपया प्रतिमाह प्रति संवासी आयोजनागत पक्ष से अनुरक्षण पर व्यय किये जाने का प्राविधान है। अतः वर्ष 1979–80 में संवासियों की औसत संख्या 1640 के अनुसार पूरे वर्ष में 1,64,000 रुपया व्यय हुआ है। 1,16,202 रुपया नहीं। संवासियों के उपस्थिति से सम्बन्धित रजिस्टर चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया है अतः प्रश्न में दर्शायी इन संवासियों की औसत संख्या सम्बन्धी आँकड़ों का सत्यापन किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

55––श्री ऊदल––

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1981–82 में उक्त प्रमाणित संस्था (भिक्षुकगृह) में संवासियों का औसत 1635–25 दिखाया गया है जबकि अप्रैल, 1981 में 145–11 मई 126–88, जून 116–01, जुलाई 75–53, अगस्त, 90–12 सितम्बर, 103–70, अक्तूबर, 131–83, नवम्बर, 127–76, दिसम्बर, 148–79, जनवरी, 1982 में 141–00, फरवरी 142–48, मार्च 114–05 यानी 1473–79 योग होत है तो 1635–24 किस आधार पर दिखाकर भरण–पोषण मद में दिखाकर 16135 रु0 अधिक राजकोष से मार्च, 1982 में आहरित किया गया है? क्या यह सही है कि सरकार ने बिना जांच कराये और संवासियों का औसत निकाले जो तथ्य अधीक्षिका माया विरमानी ने भेजे है उसका उत्तर बनाकर दे दिया है, ऐसा क्यों?

श्री गुलाब सेहरा––

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है कि उपस्थिति रजिस्टर के अभाव में प्रश्न में संवासियों को दी गई औसत संख्या का मिलान किया जाना सम्भव नहीं है। इस संस्था को आयोजनागत पक्ष से 52,260 रुपया तथा आयोजनेतर पक्ष से 1,14,100 रु0 कुल 1,66,360 रुपया आवंटित किया गया है जिसके विपरीत 1,52,700 रुपया व्यय हुआ है। उपस्थिति रजिस्टर के अभाव में यह नहीं कहा जा सकता है कि राजकोष से अधिक धन आहरित कर लिया गया है।

जी हां। यह संख्या इसलिए दर्शायी गई है क्योंकि पूर्व प्रश्न संख्या 53 में संवासियों का औसत संख्या पर कोई प्रश्न या विवाद नहीं था।

श्री हुबलाल सिंह व श्री मु0 हसन, अवर अभियन्ता को अकार्यकारी पद पर स्थापित किये जाने के आदेश का कार्यान्वयन

96––श्री ऊदल––

प्रथम सत्र 1983 के 3रे बुधवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 29 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता पूर्व के वैयक्तिक सहायक ने अपने अ0 शा0 प0 मि0 3/92 बी, 22 डब्लू0/ मि0 मि0 74 के द्वारा अधीक्षण अभियन्ता सा0 नि0 मंडल, मिर्जापुर को जनवरी, 1980 में लिखा कि हुबलाल सिंह व मु0 हसन, अवर, अभियन्ता को अकार्यकारी पद पर स्थापित कर दें? यदि हां, तो क्या यह सत्य है अवर अभियन्ता हुबलाल सिंह

को दो वर्ष तक कार्यकारी पद पर रक्खा गया था ? यदि हां, तो क्या इसकी सूचना सरकार को दी गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

97--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता पूर्व सिंचाई विभाग के वैयक्तिक सहायक राम प्रकाश सिंघल ने अपने अ0 शा0 प0 मि0 3/92 पी0 22 डब्लू0 मि0 मि0 74 जनवरी, 1980 में अधीक्षण अभियन्ता को किन-किन लोगों को अकार्यकारी पद पर रखने हेतु लिखा ? क्या यह पत्र लाट संख्या 10, 11 बेलन बकहर पोषक नहर परियोजनाओं पर अधिक भुगतान से सम्बन्धित था ? क्या यह सही है कि तभी से हुबलाल सिंह को रख दिया गया था तो पुनः पत्र संख्या 5214/82-1-सि0 10, दिनांक 31-8-1982 के द्वारा दुबारा रखने का क्या औचित्य है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रश्न में संदर्भित पत्र में सर्वश्री पारस नाथ वर्मा, सहायक अभियन्ता, हुब लाल सिंह एवं मु0 हसन सिद्दीकी, अवर अभियन्ता को अकार्यकारी पदों पर रखने हेतु लिखा गया था ।

जी हां ।

आदेश दिनांक 31 अगस्त, 1982 द्वारा प्रकरण में अन्तर्ग्रस्त सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को अकार्यकारी पद पर रखने के आदेश दिये गये थे ।

जनपद मिर्जापुर में कतिपय अभियन्ताओं को अकार्यकारी पद पर रखे जाने के आदेश का कार्यान्वयन

98--श्री ऊदल--

प्रथम सत्र 1983 के 3रे बुध के अता0 प्र0 सं0 52 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शहाबुउद्दीन अहमद, अधीक्षण अभियन्ता, मदन बिहारी तिवारी, अधिशासी अभियन्ता, श्री सरदारी लाल भाटिया, अधिशासी अभियन्ता, श्री सुनील भूषण प्रसाद, सहायक अभियन्ता को भी विशेष सचिव ने अपने पत्र संख्या 5214/82 सि0-10, दिनांक 21-8-1982 सि0 अनुभाग-10 द्वारा प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग को लिखा कि जनपद मिर्जापुर के बेलन बकहर के सम्बन्ध में खुली जांच सतर्कता विभाग कर रहा है ? इनको अकार्यकारी पदों पर तैनात कर दिया जाय ? यदि हां, तो राम औतार, पारसनाथ, हुबलाल सिंह, अहमद हसन के साथ इनका नाम न देने का क्या कारण है ? क्या इनको अकार्यकारी पदों पर अब तक नहीं रक्खा गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

टयूबवेल नं0 89 तरसड़ा, ब्लाक बड़ा गांव, जिला वाराणसी के खराब होने की शिकायत

99--ऊदल--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ट्यूबवेल नं0 89 तरसड़ा, ब्लाक बड़ा गांव, जिला वाराणसी नवम्बर, 82 से फरवरी, 1983 तक दो-दो महीने खराब पड़ा रहा ? क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता ने कई पत्र भी अधिशासी अभियन्ता को लिखा है तब भी ठीक न करने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

अभिलेखों के अनुसार किसी पत्र का प्राप्त होना प्रतीत नहीं होता । विधायक महोदय ने व्यक्तिगत रूप से उक्त कूप हेतु बताया था जिसको तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता द्वारा नोट किया गया था और तद्नुसार दिनांक 19-6-1983 को कूप चालू कर दिया गया था ।

गांव कठिरांव, जनपद वाराणसी में मुसहर परिवारों के लिए आवास योजना

100--श्री ऊदल--

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 4थे बुध के अता0 प्र0 सं0 21 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव कठिरांव ब्लाक बड़ागांव वाराणसी में निवास करने वाले 36 मुसहर परिवारों के लिए आवास की कोई योजना शासन के विचाराधीन नहीं है तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में जिला हरिजन एवं समाज कल्याण वाराणसी को योजना बनाने का आदेश देगी ?

श्री गुलाब सेहरा--

गांव कठिरांव, ब्लाक बड़ागांव जनपद वाराणसी के 36 मुसहर परिवारों के लिए आवास की कोई योजना शासन के विचाराधीन नहीं है । मुसहर जाति के व्यक्तियों को पुनर्वासित करने की योजना गत वर्षों से चल रही है । चालू वर्ष 1983-84 में इस योजना हेतु धनराशि जिलाधिकारी, वाराणसी के निवर्तन पर रखी जा चुकी है । वे स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए अपने विवेकानुसार जिले में आवासों के निर्माण की योजना बनाते हैं ।

प्रदेश के पूर्वी जनपदों में मुसहर जाति के सर्वेक्षण के प्रस्ताव

101--श्री ऊदल--

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 4थे बुधवार के अता0 प्र0 सं0 78 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी जनपदों में मुसहर जाति के सर्वेक्षण हेतु किन-किन संस्थाओं व प्रवक्ताओं के प्रस्ताव निदेशालय में प्राप्त हुए है तथा उन पर अब क्या कार्यवाही की गयी ? अब तक सर्वेक्षण कार्य शुरू हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा--

पूर्वी जनपदों में मुसहर जाति के सर्वेक्षण हेतु निम्नलिखित 11 संस्थाओं/प्रवक्ताओं के प्रस्ताव निदेशालय में प्राप्त हुए हैं :--

1--श्री राम सुभग वर्मा, अध्यक्ष, आचार्य नरेन्द्र देव सेवा संस्थान, कैम्प कार्यालय सेवा कुंज, कसयारोड, देवरिया (उ0 प्र0) ।

2--श्री हरि शंकर पाण्डेय, प्रबन्धक/मंत्री, क्षेत्रीय विकास समिति, ग्राम व पो0 देवचन्दनपुर, गाजीपुर ।

3--श्री डी0 आर0 त्रिपाठी, गोस्वामी तुलसीदास महाविद्यालय, रवीन्द्र-पुरी, वाराणसी ।

4--श्री गुरू सिंह, प्रबन्धक, श्री सहदेव संस्कृत महाविद्यालय, महाराजगंज, गाजीपुर ।

5--मुनीश्वर भाई, मंत्री, जनता ग्राम विकास संस्थान, सराय चाबट, नगरा, बलिया ।

6--डा0 रामनरेश मिश्र, अध्यक्ष हिन्दी विभाग, बुद्ध विद्यापीठ डिग्री कालेज, नौगढ़, बस्ती ।

7--श्री दिनेशवार सिंह, मन्त्री, जनजागरण केन्द्र, तियरां हैदरपुर, बलिया ।

8--श्री चन्द्रबली सिंह, शान्तिनिकेतन संस्कृत महाविद्यालय, लाखनपुर, बनकट, वाराणसी ।

9--डा0 चन्द्र भूषण पाण्डे, प्रवक्ता, समाज शास्त्र, गोवर्धन दास बिनाना महाविद्यालय, मिर्जापुर ।

10--श्री भृगुनाथ चौहान, संगठन मन्त्री, सेवा समर्पण संस्थान, मऊनाथ भंजन, आजमगढ़ ।

11--श्री रमेश चन्द्र द्विवेदी, प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग, काशी विद्या-पीठ, वाराणसी ।

यह कार्य हरिजन एवं समाज कल्याण परिषद् के माध्यम से कराया जाता है । जिस पर निर्णय परिषद् की गवर्निंग बाडी लेगी । जिसकी बैठक यथाशीघ्र बुलाने का प्रस्ताव है तत्पश्चात् ही निर्णय होगा कि यह शोध कार्य किसके द्वारा कराया जाय ।

मुसहर जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने का आधार

102--श्री ऊदल--

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 4थे बुध के अता0 प्र0 सं0 79 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुसहर जाति को समस्त उ0 प्र0 में अनुसूचित जाति घोषित करने का क्या आधार है ?

श्री गुलाब सेहरा--

किसी जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने का निर्णय भारत सरकार द्वारा किया जाता है ।

सिंचाई विभाग (नलकूप) भदोही, वाराणसी के वर्कशाप की जांच

103—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री बतने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग (नलकूप) भदोही, वाराणसी के वर्कशाप की जांच जिलेदार प्रथम ने दिनांक 17-10-82 को की थी ? क्या यह सही है कि उक्त जांच जुडीशियल कैनाल मजिस्ट्रेट के आदेश पर की गयी ? यदि हां, तो जिलेदार ने जांच रिपोर्ट दी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सिंचाई विभाग, नलकूप खंड भदोही, वाराणसी के वर्कशाप की जांच दिनांक 17-10-82 को जिलेदार प्रथम द्वारा नहीं की गई और न ही जुडिशियल कैनाल मजिस्ट्रेट द्वारा जांच के आदेश दिए गये थे। जब जिलेदार प्रथम द्वारा वर्कशाप की जांच ही नहीं की गयी तो जिलेदार के रिपोर्ट देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

104—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त जांच रिपोर्ट में 70-80 हजार रु0 के सामान का गोलमाल दिखाया गया था ? यदि हां, तो उस पर अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जब वर्कशाप की जांच ही नहीं की गयी तब उस जांच रिपोर्ट में 70-80 हजार रु0 के सामान का गोलमाल दिखाये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

तहसील रानीखेत, जनपद अल्मोड़ा में स्वीकृत मोटर मार्ग तथा उनके निर्माण हेतु आवंटित धनराशि

105—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील रानीखेत (अल्मोड़ा) में सन् 1979 से 1983 तक कितने मोटर मार्ग स्वीकृत किए हुये हैं और कितने मोटर मार्ग के निर्माण के लिए धनराशि आवंटित की गई है ? उपरोक्त अवधि में स्वीकृत एवं अर्द्ध निर्मित मोटर मार्गों के कब तक यातायात के लिए खोले जाने की सम्भावना है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

तहसील रानीखेत (अल्मोड़ा) के अन्तर्गत प्रान्तीय खंड सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन वर्ष 1979-80 से 1982-83 तक चौबह मोटर मार्ग स्वीकृत किये गये और उक्त सभी मार्गों के लिए आवश्यकतानुसार धनराशि आवंटित की गई है। उक्त मार्गों में से पांच मार्ग अंशतः यातायात हेतु खोले जा चुके हैं, जिनमें से एक मार्ग के 3/84 में पूरा खुलने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त, भूमि उपलब्धता के अधीन रहते हुए एक अन्य मार्ग के 3/84 में, दो के 6/85 में और दो के 12/85 में अंशतः यातायात हेतु खोलने का लक्ष्य है। शेष कार्यों हेतु भूमि उपलब्ध न होने के कारण निर्माण लक्ष्य निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

आंगन बाड़ी ट्रेनिंग सेन्टर, आर्य कन्या महाविद्यालय, हरदोई को स्वीकृत धन तथा उसका उपयोग

106—श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आंगन बाड़ी ट्रेनिंग सेन्टर, आर्य कन्या महाविद्यालय, हरदोई को वित्तीय वर्ष 1982-83 में सरकार द्वारा कितना धन उपलब्ध कराया गया तथा उसका उपयोग किस प्रकार किया गया ?

श्री गुलाब सेहरा—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद फैजाबाद के पिछड़ी जातियों के छात्रों को छात्रवृत्ति

107—श्री गोपीनाथ वर्मा—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के 7वें बुध के अता० प्र० सं० 28 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि धनाभाव के कारण नवीन छात्रवृत्तियों की स्वीकृत पर अग्रिम आदेश तक रोक लगाये जाने के पश्चात् क्या पुनः नया आदेश पारित करके प्रदेश व जनपद फैजाबाद के पिछड़ी जातियों के छात्रों को छात्रवृत्ति दिये जाने हेतु शासन द्वारा कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो किस तिथि को पुनः आदेश जारी किया गया ? क्या दिये गये आदेशों के तहत पिछड़ी जातियों के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जा रही है ? यदि हां, तो कुल कितना धन स्वीकृत किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा—

जी हां । नवीन छात्रवृत्तियों पर रोक केवल वर्ष 1980-81 में लगायी गयी थी । किन्तु 19 अगस्त, 1981 को इस रोक को समाप्त कर नवीन छात्रवृत्तियां दिये जाने का आदेश दिया गया । फलस्वरूप 1981-82 तथा 1982-83 में फैजाबाद जनपद सहित प्रदेश के समस्त जनपदों को मेरिट-कम-मीन्स के आधार पर पिछड़ी जाति के छात्रों को दशमोत्तर कक्षाओं में छात्रवृत्तियां स्वीकृति हेतु 406.000 लाख रु० प्रतिवर्ष व्यय हेतु दिये गये ।

108—श्री गोपी नाथ वर्मा—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपन फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र कटेहरी में विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत नलकूपों का निर्माण

09—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि फैजाबाद जनपद के विधान सभा क्षेत्र कटेहरी में विश्व बैंक परियोजना के तहत पब्लिक नलकूप लगने हेतु एक कमास्टर (25 नलकूपों के छिद्रण का क्षेत्रफल) मिझांडा की सर्वे रिपोर्ट 1982 में विश्व बैंक परियोजना के अधिशासी अभियन्ता, जनपद फैजाबाद को प्राप्त हो चुकी है ? वह सर्वे रिपोर्ट क्या है ? किन-किन स्थानों का चयन नलकूप लगाने हेतु किया गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत विधान सभा क्षेत्र, कटेहरी में विश्व बैंक परियोजना के प्रथम चरण में उपयुक्त पाये गये स्थानों पर 44 नलकूपों का निर्माण किया जा चुका है। जिसकी सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी "ङ" आगे पृष्ठ 280 पर।)

श्रीमती माधुरी पांडेय, सहायक अध्यापिका, प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ के बकाया वेतन आदि का भुगतान

110--श्री गोपीनाथ वर्मा--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के प्रथम बुधवार के प्रश्नकर्त्ता के अता0 प्र0 सं0 9 तथा 45 के उत्तरों के सन्दर्भ में क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्रीमती माधुरी पांडेय, सहायक अध्यापिका के पत्र दिनांक 26 मई, 1981 में उल्लिखित बकायों का भुगतान संस्था द्वारा किस-किस दिनांक को किया गया ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमती माधुरी पांडेय, सहायक अध्यापिका के बकायों का भुगतान निम्न-तिथियों में किया गया है :--

1--माह अप्रैल, मई व जून, 1981 का बकाया वेतन कुल 1,212.60 रु0 चैक सं0-वी0 ई0/100--549777, दिनांक 14 जुलाई, 1981 को श्रीमती माधुरी पांडेय ने स्वयं 29 जुलाई, 1981 को प्राप्त किया।

2--महंगाई भत्ता का बकाया 89.60 रु0 नगद दिनांक 17 अगस्त, 1981 को श्रीमती माधुरी पांडेय ने स्वयं प्राप्त किया है।

3--प्रसूति अवकाश का बकाया वेतन 557.82 रु0 चेक सं0 वी0ई0/100-657022, दिनांक 11 अगस्त, 1981 का दिनांक 19 सितम्बर, 1981 को श्रीमती माधुरी पांडेय ने डाक विभाग से प्राप्त किया।

ग्राम बंरमपुर, जनपद फैजाबाद में पुलिया का निर्माण

111--श्री गोपीनाथ वर्मा--

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 1ले बुध के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 56 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत पुलिया का निर्माण करा दिया गया ? यदि हां, तो निर्माण की लागत तथा तिथि क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं।

पुलिया के निर्माण की स्वीकृति दे दी गयी है। धन उपलब्ध होने पर कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

जनपद फैजाबाद के विभिन्न मार्गों पर प्राइवेट बसों को चलाने हेतु परमिट

112--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में फैजाबाद वाया माया इल्फातगंज, टांडा हंसवर तथा टांडा वाया बसखारी रोड पर परिवहन निगम द्वारा बस न चलाकर प्राइवेट बसों को चलाने हेतु परमिट जारी की गयी हैं ? यदि हां, तो सन् 1980-81 व 1981-82 तथा माह फरवरी, 1983 में कितने प्राइवेट बसों को उक्त रोड पर चलाने हेतु परमिट दिया गया हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जब तक परिवहन निगम की बसें उक्त रोड पर न चलायी जा सकें तब तक के लिए प्राइवेट बसों को चलाने हेतु स्थायी रूप से परमिट जारी की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

सूचना एकत्र की जा रही हैं ।

जनपद फैजाबाद के ग्राम उमरापुर-मीनापुर के बीच डेबहट ड्रेन पर पुल निर्माण

113--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद तहसील टांडा के अन्तर्गत ग्राम उमरापुर मीनापुर के बीच डेबहट ड्रेन पर पुल निर्माणाधीन हैं ? यदि हां, तो पुल निर्माण में कुल कितना धन व्यय होने की सम्भावना है ? निर्माण प्रारम्भ की तिथि व समाप्ति की तिथि क्या हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही हैं ।

जनपद फैजाबाद के ग्राम बसाहिया के निकट डेबट ड्रेन पर पुल निर्माण कार्य का प्रारम्भ एवं समापन

114--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद ब्लाक बसखारी के अन्तर्गत ग्राम बसाहिया के निकट डेबट ड्रेन पर पुल निर्माण कराया जा रहा है जो अभी भी अपूर्ण हैं ? यदि हां, तो किस तिथि को निर्माण शुरू कराया गया तथा निर्माण समाप्ति तिथि क्या हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

पुल का निर्माण पूर्ण करा दिया गया हैं ।

पुल निर्माण प्रारम्भ करने की तिथि 20-5-1982 है तथा कार्य पूर्ण होने की तिथि 20-6-83 हैं ।

जनपद फैजाबाद के ग्राम हथिना ड्रेन पर पुल निर्माण कार्य का प्रारम्भ एवं समापन

115—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या सिचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में तहसील टांडा ग्राम हथिना ड्रेन पर पुल निर्माणाधीन है ? यदि हां, तो क्या पुल निर्माण करा दिया गया ? पुल निर्माण पर कुल कितना धन व्यय किया गया ? किस तिथि को निर्माण शुरू किया गया और निर्माण पूर्ण की तिथि क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

तहसील टान्डा, जनपद फैजाबाद में हथिना ग्राम के निकट हथिना राज ड्रेन पर पुल का निर्माण पूर्ण हो चुका है ।

पुल निर्माण पर 32,000 रु0 व्यय किया गया ।

पुल निर्माण आरम्भ करने की तिथि 16-3-81 तथा पूर्ण करने की तिथि 15-4-82 है ।

जनपद फैजाबाद के ग्राम दहियावर में वर्षा के पानी के निकासी हेतु नाला बनाने की मांग

116—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या सिचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में ब्लाक टांडा के अन्तर्गत ग्राम दहियावर हरिजन आबादी का वर्षा का पानी निकासी हेतु कोई रास्ता नहीं है जिसके कारण हरिजनों को काफी परेशान होना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या उक्त हरिजन आबादी में वर्षा का पानी निकासी हेतु सरकार व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

ग्राम दहियावर से वर्षा का पानी एक छोटे प्राकृतिक नशेब द्वारा घिरुआ नाले में गिरता है ।

ग्राम दाहियावर में जिस नशेब से होकर पानी बहता है वहां पर हरिजनों ने अपने मकान बना लिये हैं जिसके कारण पानी का बहाव अवरुद्ध होता है । ऐसी परिस्थिति में प्राकृतिक बहाव पर नाला बनाना सम्भव नहीं है ।

117—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या यह सही है कि उक्त ग्राम के पूरब में ड्रेन स्थित है । यदि हां, तो उक्त ड्रेन की सफाई कराकर पानी निकासी की व्यवस्था की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं । उक्त ग्राम के पूरब कोई ड्रेन स्थित नहीं है बल्कि पूरब की तरफ बागों को होता हुआ दूसरा नशेब अवश्य है ।

प्रश्नगत स्थान पर सिचाई विभाग की कोई ड्रेन नहीं है । अतः उसकी सफाई कराने का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद फैजाबाद के ग्राम दहियावर में चन्दौली माइनर पर पुलिया का निर्माण

118--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायगे कि जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत ब्लाक टांडा ग्राम में दहियावर में स्थित प्रा0 पाठ0 के सामने चन्दौली माइनर पर पुलिया निर्माणधीन है ? यदि हां, तो उक्त पुलिया कब से निर्माणधीन ह तथा निर्माण पर कुल कितना धन व्यय किया जा चुक है ? मदवार विवरण क्या है ? पुलिया का निर्माण पूर्ण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद के ग्राम हुसैनपुर सकरवारी में विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत नलकूप के निर्माण की मांग

119--श्री प्रियदर्शी जेतली--

क्या सिंचाई मंत्री बताने को कृपा करेंगे कि दिनांक 2-12-82 का प्रश्नकर्ता का कोई पत्र उन्हें प्राप्त हुआ था जिसमें ग्राम हुसैनपुर सकरवारी, तहसील अकबरपुर जिला फैजाबाद में विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत नलकुप लगाने हेतु लिखा गया था ? यदि हां, तो उस पर दिनांक 5-3-83 तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां । प्रश्नगत क्षेत्र का सर्वे कराने पर यह पाया गया कि ग्राम हुसैनपुर सकरवारी, तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद में विश्व बैंक परियोजना के द्वितीय चरण में नलकुप लगाना संभव नहीं है ।

जामा मस्जिद, राया, जनपद मथुरा के प्रबन्धकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत

120--श्री सरदार सिंह--

क्या मुस्लिम वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री कायम कुरेशी, नगर युवक कांग्रेस कमेटी, राया, जिला मथुरा का एक शिकायती-पत्र प्रश्नकर्त्ता एवं अन्य विधायकों की संस्तुति के साथ जामा मस्जिद राया के प्रबन्धकों के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में दिनांक 7 फरवरी, 1983 को उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायती-पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जेल एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर)--

जी हां । मामले में सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड से जांच आख्या मांगी गयी है । बोर्ड द्वारा सूचित किया गया है कि कथित जामा मस्जिद राया, मथुरा की प्रबन्ध समिति के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में बोर्ड के सर्किल इंसपेक्टर

द्वारा जांच करायी जा रही है । जांचोपरान्त नई प्रबन्ध समिति शीघ्रातिशीघ्र गठित किए जाने के बारे में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है क्योंकि वर्तमान समिति का कार्यकाल भी समाप्त हो चुका है ।

जनपद मथुरा में हरिजनों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत निर्मित दुकानो के सम्बन्ध में शिकायत

121--श्री सरदार सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम बाद ब्लाक एवं जिला मथुरा में हरिजनों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत निर्मित दुकानें आबादी से एक कि0 मी0 दूर है ? यदि हां, तो उसका औचित्य क्या है ? क्या शासन इन दुकानों को पुनः आबादी में निर्मित कराने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो क्या और यदि नहीं तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा--

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत ग्राम बाद में निर्मित दुकानों की दूरी 1 कि0 मी0 नहीं है ।

दुकानों का निर्माण गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा स्थल चयन के उपरान्त किया गया है अतः दुकानें हटाने का प्रश्न नहीं उठता ।

दुकानों का निर्माण नियमानुसार हुआ है अतः इसमें किसी अधिकारी का दोष साबित नहीं होता ।

जनपद मथुरा के ग्राम राल में हरिजन आवासीय कालोनी का निर्माण एवं आबंटन

122--श्री सरदार सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत मथुरा जनपद के ग्राम राल हरिजन आवासीय कालोनी बन करके तैयार हो गई है ? यदि हां, तो अब तक में आबंटन न होने के कारण क्या है ? शासन कब तक हरिजनों को कालोनी में भवन आबंटित कर देगा ?

श्री गुलाब सेहरा--

हरिजन आवासीय कालोनी म निर्बल वर्ग आवास योजनाओं के अन्तर्गत बनायी गयी है, जो बनकर पूर्ण हो चुकी है और भवनों का आबंटन भी हरिजनों को किया जा चुका है ।

जनपद मथुरा में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत हरिजन आवासीय कालोनियों का निर्माण

123--श्री सरदार सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद मथुरा में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत वर्ष 1982-83 में हरिजनों हेतु कितनी आवासीय कालोनियों का निर्माण हुआ है और कितनी निर्माणाधीन हैं ?

श्री गुलाब सेहरा--

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत वर्ष 1982-83 में मथुरा जनपद में कोई कालोनी का निर्माण नहीं किया गया ।

मथुरा में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत निर्मित दुकानों का हरिजनों एवं कमजोर वर्ग के व्यक्तियों का आवंटन

124--श्री सरदार सिंह--

क्या शासन यह भी बतायेगा कि स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत शासन ने कितनी दूकानों हरिजनों को व कमजोर वर्ग के लोगों को वर्ष 1982-83 में आवंटित की है ? आवंटित की हुई दुकानों की आबादी से दूरी क्रमशः कितनी-कितनी है ?

श्री गुलाब सेहरा--

शासन द्वारा हरिजन एवं कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के लिये वर्ष 1982-83 में 89 दुकानों का आवंटन किया गया है । अधिकांश आवंटित दुकानें बस्ती में ही कुछ दुकानें आबादी से 150 मीटर और कुछ दुकानें 430 मीटर की दूरी पर भी हैं ।

अध्यक्ष अखिल भारतीय अपराध निरोधक समिति, प्रगति आश्रम, बालागंज लखनऊ द्वारा वहां के स्टोरकीपर के विरुद्ध कार्यवाही करने का दायित्व सौपने का आधार

125--श्री गोपीनाथ वर्मा--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के पहले बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 48 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्टोरकीपर के विरुद्ध कार्यवाही करने का दायित्व अध्यक्ष, अखिल भारतीय अपराध निरोधक समिति प्रगति आश्रम हाई स्कूल बालागंज, लखनऊ को सौपने को निर्णय किस आधार पर लिया गया तथा उसका औचित्य क्या है ?

श्री गुलाब सेहरा--

अखिल भारतीय अपराध निरोधक समिति, प्रगति आश्रम बालागंज को प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज के संचालनार्थ इस विभाग द्वारा शत-प्रतिशत अनुदान दिया जाता है । इस विद्यालय में कर्मचारियों आदि की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा की जाती है । स्टोर कीपर के नियुक्ति प्राधिकारी अध्यक्ष हैं । अतः स्टोर कीपर के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही के लिए अध्यक्ष सक्षम हैं ।

प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ के विरुद्ध आरोपों की जांच रिपोर्ट

126--श्री गोपी नाथ वर्मा--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के प्रथम बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 46 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किन बिन्दुओं पर रिपोर्ट अपूर्ण पायी गयी और निदेशक को उन बिन्दुओं पर पुनः रिपोर्ट भेजने हेतु कब लिखा गया ?

श्री गुलाब सेहरा---

बिन्दु जिन पर रिपोर्ट अपूर्ण पायी गयी का ब्योरा संलग्न है (परिशिष्ट-1)

निदेशक हरिजन एवं समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश को उन बिन्दुओं पर पुनः पूर्ण रिपोर्ट भेजने हेतु 30-9-82 को लिखा गया ।

(देखिये नत्थी च आगे पृष्ठ 283 पर ।)

प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ के विरुद्ध आरोपों की जांच रिपोर्ट

127—श्री गोपी नाथ वर्मा--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के पहले बुध के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 147 के अन्तर्गत सन्दर्भ में क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वरिष्ठअधिकारी की सम्पूर्ण जांच रिपोर्ट क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा---

वरिष्ठ अधिकारी की सम्पूर्ण जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है ?

पूर्ण आख्या प्राप्त होने पर ही आवश्यक कार्यवाही किया जाना संभव होगा ।

128--श्री गोपी नाथ वर्मा--

विधान सभा के प्रथम-सत्र 1983 के पहले बुधवार को निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 69 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री प्राप्त जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखते हुए यह बताने की कृपा करेंगे कि रिपोर्ट किन बिन्दुओं पर अपूर्ण पायी गयी और रिपोर्ट पूर्ण भेजने हेतु निदेशक को कब लिखा गया ?

श्री गुलाब सेहरा---

जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि †संलग्न प्रस्तुत है । वस्तुतः स्थिति यह है कि संदर्भित ज्ञापन दिनांक 13-4-1981 में उल्लिखित आरोप जांचोपरान्त असत्य एवं निराधार पाए गए हैं । अन्य शिकायतों तथा वित्तीय बिन्दुओं पर जिनके संबंध में रिपोर्ट अपूर्ण पायी गयी निदेशक हरिजन एवं समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश को 30 सितम्बर, 1982 को लिखा गया था ।

राज इन्टर कालेज, मिक्या सैंण, जनपद अल्मोड़ा का भवन निर्माण

129---श्री जसवन्त सिंह बिष्ट---

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज इन्टर कालेज मिक्यासैंण जनपद अल्मोड़ा के भवन निर्माण के लिये वर्ष 1982-83 में कितना धन आवंटित हुआ और अभी तक भवन निर्माण न किये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार तत्काल भवन निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

†छापी नहीं गयी ।

श्री बल्देव सिंह आर्य--

प्रश्नगत विद्यालय के भवन निर्माण हेतु वर्ष 1982-83 में मात्र एक हजार रुपया आवंटित हुआ । निर्माण कार्य प्रारम्भ न होने के मुख्य कारण मार्च, 1982 तक भूमि उपलब्ध न होना तथा पूर्व स्वीकृत लागत में वृद्धि होने के कारण आगणन पुनरीक्षित करवाना था । सभी स्वीकृत एवं निर्माणाधीन शिक्षा भवनों के लिये वित्तीय आवश्यकता के सापेक्ष में सीमित परिव्यय होने के कारण सम्प्रति अप्रारम्भ निर्माण कार्यों को प्रारम्भ कराया जाना सम्भव नहीं है ।

जनपद सुल्तानपुर के ग्राम रसूलपुर में कालीन बुनाई तथा चिकन कढ़ाई केन्द्र के स्थापना की मांग

130--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रसूलपुर, विकास खंड, सुकुल बाजार, जिला सुल्तानपुर में कालीन बुनाई, चिकन कढ़ाई केन्द्र स्थापित करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक स्थापित हो जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

उक्त क्षेत्र में कालीन बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र खोलने हेतु वर्ष 1983-84 में अब तक कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर उस पर विचार किया जा सकता है । आवश्यक प्राविधान न होने तथा कोई प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण उक्त क्षेत्र में चिकन कढ़ाई केन्द्र खोलने की सम्प्रति कोई योजना नहीं है ।

जनपद पिथौरागढ़ में लिंक रोड बनाने की मांग

131--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला पिथौरागढ़ ब्लाक बेरीनाग व गोपतड़ो पैदल मार्ग पर ग्राम ढौला बलिया व रावलखेत होते हुए बड़ो का घाट तक लिंक रोड बनाने के लिए उक्त ग्राम सभा के निवासियों ने सरकार से जनवरी, 1981 व सितम्बर, 1982 में निवेदन किया था ? क्या सड़क बनाने का काम शुरू हो गया है ? यदि नहीं, तो कब तक प्रारम्भ होगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

सितम्बर, 1982 में मांग प्राप्त हुई । मार्ग स्वीकृत नहीं है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई हथौड़ा ड्रेन पर गौरा, इसरापुर एव जफरपुर मढ़िया के पुलों का निर्माण

132--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई को हथौड़ा ड्रेन पर गौरा, इसरापुर एवं जफरपुर मढ़िया के पुलों का निर्माण अब तक न कराये जाने के क्या कारण हैं तथा वे कब तक पूरे करा दिये जायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

धनाभाव के कारण प्रश्नगत पुलों का निर्माण नहीं कराया जा सका था ।

उक्त तीनों पुलों की स्लेप पड़ चुकी है और अप्रोच एवं पैरापट का कार्य प्रगति पर है ।

सोन पम्प नहर परियोजना, मिर्जापुर का निर्माण

133—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सोनलिफ्ट कैनाल मिर्जापुर को सन् 1978 में पूर्ण हो जाना चाहिये था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त योजना का पूर्ण होने के लिए सन् 1980 व बाद में 1982 और अब सन् 1984 तक का समय बढ़ा दिया गया है जिससे उक्त योजना की लागत एक करोड़ बढ़ गई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सोन पम्प नहर परियोजना को पहले सन् 1978 में पूर्ण करने का प्रोग्राम था परन्तु परियोजना के आकार बढ़ जाने तथा अन्य योजनाओं को पारस्परिक प्राथमिकता दिए जाने के कारण अब इस परियोजना को दो भागों में पूर्ण करने का प्रस्ताव है । प्रथम भाग में चारों स्टेनों पर 6–6 पम्प लगा कर जैसा कि मूल परियोजना में प्रस्तावित था वर्ष 1985–86 तक पूर्ण करने का प्रोग्राम है । दूसरे भाग के निर्माण के सम्बन्ध में निर्णय अभी विचाराधीन है ।

क्या परियोजना की मूल लागत वर्ष 1974 में भारत सरकार द्वारा 5·64 करोड़ रुपये अनुमोदित की गई थी । वर्ष 1982–83 के मूल्यों के अनुसार इसकी लागत 28·47 करोड़ आंकी गई है ।

134—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सोन लिफ्ट कैनाल का थर्ड स्टेज का कार्य बहुत ही कम किया गया है और फोर्थ स्टेज में नींव ही नहीं डाली गई है ? यदि हां, तो इसका कारण कार्य में शिथिलता एवं सामान व धन की कमी रही है ? इसको पूर्ण कराने हेतु क्या सरकार पूरा धन इस योजना का स्वीकार करके वर्ष 1983–84 के लिए देगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सोन पम्प नहर के स्टेज तीन पर फाउन्डेसन की खुदाई का कार्य पूर्ण हो गया है एवं अग्रिम कार्य प्रगति पर है । पम्प हाउस स्टेज चतुर्थ में फाउन्डेशन की खुदाई का कार्य भी 6 पम्पों हेतु जून, 1985 तक पूर्ण करने की आशा है ।

नलकूप उपखंड चंदौसी (तृतीय) खंड चंदौसी, जिला मुरादाबाद के सेवा निवृत्त नलकूप चालक के जी० पी० एफ० का भुगतान

135—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि माह जनवरी, 1980 में नलकूप उपखंड चंदौसी (तृतीय) खंड चंदौसी। जिला मुरादाबाद में कौन-कौन कूप चालक विभागीय सेत्राओं से रिटायर हुए और फरवरी, 1983 तक किस-किस के जी० पी० एफ० की धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है ? भुगतान न किये जाने के क्या कारण हैं और भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

माह जनवरी, 1980 में नलकूप उपखंड चन्दौसी (तृतीय) खंड चंदौसी, जिला मुरादाबाद में मात्र श्री लटूरी सिंह कूप चालक सेवा निवृत्त हुये थे, जिनका खण्डीय स्तर पर जी0 पी0 एफ0 में जमा धनराशि का भुगतान दिनांक 2 सितम्बर, 1980 को कर दिया गया है। जो धनराशि महालेखाकार उ0 प्र0, इलाहाबाद के लेखे में जमा है उसका भुगतान इनको नहीं किया गया है, क्योंकि महालेखाकार उ0 प्र0, इलाहाबाद के खाते में जमा धनराशि के भुगतान हेतु अधिकार-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। अधिकार-पत्र प्राप्त होने पर भुगतान कर दिया जायेगा।

हथकरघा निगम तथा करघा सहकारी समितियों के विरुद्ध शिकायती-पत्र

136---श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन को प्रश्नकर्त्ता द्वारा 11 मार्च, 1983 को प्रेषित श्री हनुमन्त सिंह, सदस्य, भाजपा का शिकायती-पत्र हथकरघा निगम तथा करघा सहकारी समितियों के विरुद्ध प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शासन द्वारा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

जी हां।

शिकायतों की जांच करके उचित कार्यवाही हेतु निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उत्तर प्रदेश, कानपुर को निर्देशित किया गया है।

कमालपुरा तालाब क्षेत्र, महोबा, जिला हमीरपुर में पानी के विस्तार की योजना

137---श्री राम आसरे वर्मा---

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कमालपुरा तालाब क्षेत्र, महोबा, जिला हमीरपुर में पानी के विस्तार की योजना के सम्बन्ध में क्षेत्र से तथा जिले के जन प्रतिनिधियों के प्रार्थना-पत्र हाल में प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मन्त्री जी उक्त तालाब की प्रस्तावित योजना को सम्पादित कराने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

कमालपुरा तालाब के क्षेत्र महोबा जनपद हमीरपुर में पानी के विस्तार की योजना के सम्बन्ध में हाल में सम्बन्धित क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों से कोई प्रार्थना-पत्र उपलब्ध नहीं है। वर्ष 1978 में संसद सदस्य माननीय श्री तेज प्रताप सिंह से एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें उन्होंने सुझाव दिया था कि यदि थोड़ी दूर पर बहने वाले बितौंहा नाले के पानी को कमालपुरा तालाब में डाल दिया जाये तो यह तालाब भरने लगेगा। इस सुझाव पर विचार किया गया और यह पाया गया कि बितौंहा नाले का पानी अर्जुन सागर में जाता है। यदि इसको कमालपुरा तालाब में डाला जायेगा तो अर्जुन सागर में पानी की कमी हो जायेगी। अर्जुन सागर को भरने के लिये एक अन्य योजना अर्जुन सहायक परियोजना के नाम से बनाई गयी है। इस योजना पर धनाभाव के कारण कार्य

प्रारम्भ नहीं हो सका है । अर्जुन सहायक परियोजना के पूर्ण हो जाने के पश्चात् ही कमालपुरा तालाब को भरने हेतु कार्यवाही किये जाने की सम्भावनाओं पर विचार किया जा सकता है ।

ग्राम मोहिउद्दीनपुर जिला इलाहाबाद के नलकूप को चालू करने की मांग

138—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम मोहिउद्दीनपुर छोटा, परगना चायल, जिला इलाहाबाद के नलकूप को निर्मित हुए लगभग 3 वर्ष हो गये हैं किन्तु अभी तक चालू नहीं किया है ? यदि हां, तो यह कब तक चालू किया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

ग्राम मोहिउद्दीनपुर, परगना चायल, जनपद इलाहाबाद के नलकूप का छिद्रण मई, 1980 में हुआ था तथा सफल विकसन नवम्बर, 1980 में हुआ । नलकूप पर पम्प हाउस तथा पी० बी० सी० पाईप बिछाने का कार्य पूरा हो चुका है । नलकूप का विद्युतीकरण शेष है । विद्युतीकरण होने के बाद यह नलकूप चालू हो जायेगा ।

जनपद सुल्तानपुर की तहसील मुसाफिरखाना की हरदोइया माइनर में कुलाबा लगाने तथा खुदाई का कार्य

139—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर की तहसील मुसाफिरखाना के ग्राम टिकरा से हरदोइया माइनर में ग्राम पश्चिम बेसरा से ग्राम हरदोइया तक स्थान-स्थान पर कुलाबा (पाइप) नहीं लगाये गये हैं और किसान नहर की कटिंग करके सिंचाई करते हैं जिससे पानी बेकार बहकर खेतों (फसलों) को नुकसान पहुंचाता है ? यदि हां, तो शासन द्वारा इसकी रोकथाम के लिए क्या उपाय किया जा रहे हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद सुल्तानपुर की तहसील मुसाफिरखाना के टिकरा ग्राम से निकली हरदोइया माइनर में ग्राम पश्चिम बेसारा से हरदोइया तक कुलाबे लगवा दिये गये हैं ।

140—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या यह भी सही है कि हरदोइया माइनर के खुदाई का कार्य सूबेदार के पुरवा से ग्राम हरदोइया तक ठीक प्रकार से नहीं कराया गया है जिसके कारण टिकइत का पुरवा, लक्ष्मन मिश्र का पुरवा, तिलोकीपुर नन्दौर आदि गांव में जल भराव की स्थिति से रबी की फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो गयी है और किसानों से सिंचाई कर भी वसूल किया जा रहा है ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

हरदोइया माइनर में ग्राम सूबेदार का पुरवा से ग्राम हरदोइया तक खुदाई हो गयी है । लेकिन प्रश्नगत ग्राम टिकइत का पुरवा, लक्ष्मिन मिश्र का पुरवा त्रिलोकोपुर तथा नन्दौर ग्रामों के बीच में बहुत से नशेबी स्थान है, इन स्थानों में खुदाई की आवश्यकता नहीं है । बंकों को ऊंचा कराने की आवश्यकता थी, जिनको ऊंचा किया जा रहा है । कार्य प्रगति पर है । किसी की पूरी फसल नष्ट नहीं हुई है जिन खेतों में पानी भर गया है उनमें कोई कर नहीं लगाया गया ।

श्री लक्ष्मी नारायण गुप्त अधिशासी अभियन्ता, राम गंगा चैनल निर्माण खंड प्रथम, कानपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत व उसकी जांच

141—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री श्रीकान्त शुक्ला, अध्यक्ष, सिंचाई संघ, कानपुर तथा श्री हरिशंकर शुक्ल', सिंचाई संघ लोकल शाखा रामगंग चैनल निर्माण खंड प्रथम, कानपुर आदि लोगों का प्रार्थना-पत्र जिसमें श्री लक्ष्मी नारायण गुप्त अधिशासी अभियन्ता राम गंगा चैनल निर्माण खंड प्रथम कानपुर के विरुद्ध गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप थे, प्रश्नकर्त्ता द्वारा अग्रसारित किया दिनांक 25-10-82 को निदेशक, सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ को मिला था ? यदि हां, तो सरकार ने उसकी जांच की स्वीकृति किस तारीख को दी और किस अधिकारी ने जांच की तथा जांच से क्या परिणाम निकला ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मुरादाबाद मन्डल में नियुक्त किये गये परिचालकों में अनुसूचित एवं जन-जाति के अभ्यर्थियों के कोटे की पूर्ति

143—श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माह जनवरी, 1981 से 31 दिसम्बर, 1982 तक मुरादाबाद मंडल में कितने लोग परिचालक के पद पर नियुक्त किये गये हैं ? उनमें से मंडल मुरादाबाद से संबंधित जिला रामपुर बिजनौर व मुरादाबाद से कितने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, पिछड़ी जाति व सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी रखे गये हैं ? इन नियुक्तियों में अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के आरक्षण कोटे को पूरा न करने का कारण क्या है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मुरादाबाद मन्डल में माह जनवरी, 1981 से दिसम्बर, 1982 तक मुरादाबाद क्षेत्र की परिचालक पद की प्रतीक्षा सूची के कुल 174 अभ्यर्थी दैनिक वेतन भोगी परिचालक के पद पर नियुक्त किये गये हैं, उनमें से मन्डल मुरादाबाद से सम्बन्धित जिले रामपुर बिजनौर व मुरादाबाद जिलों के क्रमशः 18,39 व 74 कुल 131 अभ्यर्थी नियुक्त हुए। उनमें से अनुसूचित जाति/जनजाति के 35 पिछड़ी जाति के 26 तथा 113 सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी रखे गये । इन नियुक्तियों में आरक्षण का कोटा पूरा है ।

श्री योगेन्द्र सिंह, परिचालक, चारबाग डिपो की सेवा समाप्ति एवं इसके विरुद्ध शासन को प्रस्तुत प्रत्यावेदन

143--श्री राम आसरे वर्मा--

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के बुधवार के अता0 प्र0 सं0 22 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री योगेन्द्र सिंह, परिवालक चारबाग डिपो के संबंध में पूर्व पारित आदेश क्या थे और शासन द्वारा इस मामले में हस्तक्षेप करने का क्या कारण है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

श्री योगेन्द्र सिंह, परिचालक के सेवा समाप्ति के विरुद्ध किया गया प्रत्यावेदन तत्कालीन परिवहन आयुक्त द्वारा अस्वीकार किया गया था । शासन को प्रस्तुत प्रत्यावेदन बलहीन होने के कारण विचार योग्य नहीं समझा गया ।

श्रीमती माधुरी पान्डेय, सहायक अध्यापिका, प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ के प्रकरण पर हरिजन, समाज कल्याण विभाग द्वारा कार्यवाही

144--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि सचिवालय के हरिजन तथा समाज कल्याण अनुभाग-1 से जारी श्री राम आसरे वर्मा, एम0 एल0 ए0 को सम्बोधित अर्ध शासकीय पत्रांक एम0 एल0 ए0-37/26-1-82-9 (312)/80, दिनांक 19-3-82 में उल्लिखित सहायक अध्यापिका श्रीमती माधुरी पान्डेय के प्रकरण सचिव, उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद् के संदर्भित पत्र पर निदेशक, हरिजन तथा समाज कल्याण उ0 प्र0 द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमती माधुरी पान्डेय ने अपने मामले में माननीय उच्च न्यायालय (लखनऊ बेंच) में अपना वाद प्रस्तुत कर रखा है अतः चूंकि मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, अध्यक्ष, अखिल भारतीय अपराध निरोधक समिति को जिसके द्वारा प्रगति आश्रम हाई स्कूल बालागंज संचालित किया जा रहा है, सचिव, उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद के आदेशों के क्रियान्वयन के विन्दु पर स्वयं उत्तरदायी है । शासन का हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग द्वारा लिए गए निर्णय के उपरान्त संस्था को अनुदान के औचित्य पर विचार कर सकेगा ।

श्रीमती पान्डेय को देय अवशेषों का भुगतान किया जा चुका है ।

केन्द्रीय वन संरक्षण अधिनियम एवं पर्वतीय क्षेत्र के विकास कार्य

145--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के लागू होने से पबतीय क्षेत्र के कितने विकास कार्य इस समय रुके पड़े हैं ? कब तक चयनित एवं स्वीकृत कार्य का निर्माण आरम्भ हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

केन्द्रीय वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के लागू होने से 353 मामलों में वन भूमि हस्तान्तरण हेतु भारत सरकार की अनुमति आवश्यक थी जिसमें से अब तक 121 मामलों में वन भूमि हस्तान्तरण के आदेश जारी कर दिये गये हैं। 11 और मामलों में केन्द्र सरकार की अनुमति प्राप्त हो गयी है और वन भूमि हस्तान्तरण के औपचारिक आदेश जारी किये जा रहे हैं। केन्द्र सरकार के स्तर पर 57 अन्य मामले विचारार्थ हैं तथा 12 मामलों में केन्द्र सरकार ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिये हैं। शेष मामलों में विभिन्न स्तरों पर औपचारिकतायें पूरी की जा रही हैं। भूमि उपलब्ध होने पर निर्माण कार्य किया जायेगा।

पर्वतीय क्षेत्र में विद्युत नहरें, विद्यालय, मोटर मार्ग तथा चिकित्सालयों की स्वीकृति एवं क्रियान्वयन

146--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र 1980 से 1982 तक कितने विद्युत नहरें, विद्यालय, मोटर मार्ग, चिकित्सालय चयनित एवं स्वीकृत हैं और उनका कार्यान्वयन अब तक न होने का क्या कारण है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद कानपुर के जूही बस डिपो के कर्मचारियों का स्थानान्तरण

147--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या सरकार बतायेगी कि जनपद कानपुर में स्थित जूही बस डिपो (सिटी बस डिपो) में कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो कि विगत 5 वर्षों या अधिक समय से जनपद कानपुर में ही कार्यरत हैं ? क्या सरकार ऐसे सभी कर्मचारियों का स्थानान्तरण जनपद कानपुर के बाहर करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

सूचना एकत्र की जा रही है।

राजकीय इण्टर कालेज, जालौन के हरिजन छात्रों की छात्रवृत्तियां

148--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय इन्टर कालेज, जालौन में 1981-82 में कितने हरिजन छात्रों की छात्रवृत्तियां रोक दी गयीं और क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा--

राजकीय मुमताज इन्टर कालेज, कबीरा के किसी अनुसूचित जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं रोकी गयी है।

वर्ष 1981-82 में अनुसूचित जाति के 11 नवीन छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुए एवं पुनर्नव हेतु 9 छात्रों की प्रगति आख्या प्राप्त हुई। उपरोक्त के विपरीत 11 छात्रों को नवीन छात्रवृत्ति इस कार्यालय के एवार्ड सं0 2484-86,

दिनांक 30-9-81 एवं एवार्ड सं0 1641, दिनांक 8-9-1982, एवं एवार्ड सं0 1653, दिनांक 8-9-82 द्वारा स्वीकृत की गयी एवं एवार्ड सं0 2330-32, दिनांक 2-9-81 द्वारा 9 छात्रों को पुनर्नवीनीकरण किया गया। उक्त स्वीकृति के अनुसार समस्त छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृत कर भुगतान कार्यालय द्वारा किया किया जा चुका है। विद्यालय का कोई भी छात्र छात्रवृत्ति स्वीकृत हेतु शेष नहीं है।

यू0 पी0 स्टेट स्पिनिंग मिल, बाराबंकी के चीफ एक्जीक्यूटिव द्वारा मजदूरों व उनके परिवारों का उत्पीड़न

149--श्री भीखा लाल--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0 पी0 स्टेट स्पिनिंग मिल, बाराबंकी के चीफ एक्जीक्यूटिव ने 19 जनवरी, 1982 को मिल की मजदूर कालोनी में पुलिस व पी0 ए0 सी0 के साथ मजदूरों तथा उनके परिवार की औरतों व बच्चों को पीटा और गालियां देकर बेइज्जत किया ? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है और इस अवैधानिक कार्य के लिए चीफ एक्जीक्यूटिव के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

150--श्री गोपीनाथ वर्मा--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

उन्नाव जनपद में खरीफ फसल की हानि पर सिंचाई कर माफ न करने का औचित्य

151--श्री भीखा लाल--

विधान सभा के प्रथम सत्र 82 के 8 वें बुधवार के ता0 प्र0 सं0 6 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पूरे जिले में खरीफ 1388 फ0 की फसल को पचहत्तर प्रतिशत से अधिक हानि होने की दशा में मैनुअल आफ आर्डर्स, इरिगेशन डिपार्टमेन्ट, उ0 प्र0 पांचवां संस्करण के पैरा 316 (3) के अनुसार सिंचाई महसूल जनपद के अधिशासी अभियन्ताओं एवं जिला अधिकारी की संस्तुति के बावजूद भी माफ नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सिंचाई विभाग द्वारा उन्नाव जिले में सिंचित क्षेत्र में फसल के नुकसान का आकलन 75 प्रतिशत से अधिक नहीं किया गया था। अतः समस्त सिंचाई कर माफ करने का प्रश्न नहीं उठता। 1782.40 एकड़ सिंचित क्षेत्र फल में नियमानुसार छूट दी गई। जिलाधिकारी द्वारा बुलाई गई बठक में जो संस्तुति की गयी थी मानवीय आधार पर की गई थी और नियमानुसार न होने के कारण शासन ने स्वीकार नहीं की।

152--श्री भीखा लाल--

क्या सिचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मैनुअल आफ आर्डर्स, इर्रीगेशन डिपार्टमेंट, उ0 प्र0, पांचवां संस्करण के पैरा 316(7) के अनुसार जनपद उन्नाव के अधिशासी अभियन्ता ने चीफ इंजीनियर को कोई रिपोर्ट भेजी ? यदि हां, तो वह क्या है और इस रिपोर्ट तथा 9 मार्च, 81 को जिलाधिकारी द्वारा अधिशासी अभियन्ताओं की सहमति से भेजी गयी रिपोर्ट में अन्तर क्यों है ? क्या यह भी सही है कि उन्नाव जनपद के अधिशासी अभियन्ताओं ने उक्त नियम के परिपालन में लापरवाही की ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

अधिशासी अभियन्ता, उन्नाव खण्ड, शारदा नहर, उन्नाव द्वारा मैनुअल आफ आर्डर्स के पांचवे संस्करण के पैरा 316(7) के अनुसार कोई रिपोर्ट मुख्य अभियन्ता, सिचाई विभाग को नहीं भेजी गयी । अतः जिलाधिकारी द्वारा 9 मार्च, 1981 को बुलायी गयी बैठक में मानवीय आधार पर की गई संस्तुति से अन्तर का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

श्री एस0 के0 गुप्ता, सहायक अभियन्ता, सिचाई विभाग, उन्नाव के विरुद्ध श्री श्रवणकुमार तिवारी का शिकायती-पत्र

153--श्री भीखा लाल--

क्या सिचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री श्रवण कुमार तिवारी, निवासी 31, तालिक सराय, उन्नाव का प्रार्थना पत्र दिनांक 9-2-82 प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 10-12-82 के साथ माननीय मुख्य मन्त्री को मिला है जिसमें यह शिकायत की गयी है कि सहायक अभियन्ता श्री एस0 के0 गुप्ता, सिचाई विभाग, उन्नाव ने श्री श्रवण कुमार तिवारी को उनके द्वारा विभाग में किए गए कई कार्यों का भुगतान नहीं किया बल्कि किन्हीं अन्य ठेकेदारों के नाम भुगतान कराकर पैसे का गोलमाल किया ? यदि हां, तो उसकी जांच सतर्कता विभाग द्वारा कराई गयी ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला ? यदि जांच नहीं कराई गई, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

श्री एस0 के0 गुप्ता, सहायक अभियंता के विरुद्ध प्रश्न में उल्लिखित मामले के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता, श्री श्रवण कुमार तिवारी का शिकायती पत्र दिनांक 9-12-82 न कि 9-2-82 माननीय प्रश्नकर्ता सदस्य के पत्र दिनांक 10-12-82 के साथ प्राप्त हुआ है । शिकायती पत्र के आरोपों की विभागीय जांच करायी जा रही है । जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही परिणाम ज्ञात हो सकेंगे ।

राजकीय मुद्रणालय, रामनगर में बाइन्डर तथा बाइन्डरी काउन्टर के पदों पर सीधी भर्ती

154--श्री पंचानन राय--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद एवं लखनऊ में पिछले दस वर्षों में बाइन्डर और बाइन्डरी काउन्टर के पदों पर सीधी भर्ती नहीं की गयी ? यदि हां, तो 1978 में रामनगर में सीधी भर्ती किए जाने के क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

रामनगर में नया प्रेस खुला था । वहां उपयुक्त बाइन्डरी काउन्टर, बाइन्डरी सहायक प्रोन्नति हेतु उपलब्ध न थे ?

श्री शंकर शरण लाल श्रीवास्तव, सींचपाल, शारदा सहायक, खण्ड,-25, बाराबंकी की सेवा-समाप्ति तथा इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश

155--श्री पंचानन राय--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शंकर लाल श्रीवास्तव, सींचपाल, शारदा सहायक, खण्ड 25, बाराबंकी द्वारा अपनी सेवा समाप्ति के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश 23-12-82 को अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध करा दिया गया है ? यदि हां, तो उन्हें काम पर न लेने और वेतन भुगतान न करने के क्या कारण है ? न्यायालय के आदेश के अनुपालन में इन्हें कब तक कार्यभार ग्रहण कराकर वेतन भुगतान करा दिया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

श्री शंकर लाल श्रीवास्तव नहीं बल्कि श्री शंकर शरण लाल श्रीवास्तव नाम का एक कर्मचारी शारदा सहायक, खण्ड 25, बाराबंकी में सींचपाल के पद पर कार्यरत रहा है उनके सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23-12-82 मुख्य अभियन्ता कार्यालय में प्राप्त हुआ था । उस आदेश में माननीय उच्च न्यायालय में दिनांक 22-12-82 की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये हैं । चूंकि श्री श्रीवास्तव की सेवायें 22-12-82 से पूर्व समाप्त की जा चुकी थी अतः उन्हें पुनः कार्यभार ग्रहण कराने तथा उसके बाद का वेतन भुगतान करने का प्रश्न नहीं उठता ।

156--श्री पंचानन राय--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ के विरुद्ध ज्ञापन पर निदेशक, हरिजन तथा समाज कल्याण की जांच आख्या

157--श्री मोहन सिंह--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के 6ठे बुधवार को निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 20 के उत्तर के सन्दर्भ में हरिजन तथा समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ज्ञापन दिनांक 27-12-82 उन्हें कब प्राप्त हुआ तथा निदेशक से आख्या कब मांगी गयी ? आख्या के प्रेषण में विलम्ब हेतु कौन उत्तरदायी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गुलाब सेहरा--

उल्लिखित माननीय मान्धाता सिंह का ज्ञापन दिनांक 27-12-32, उसी दिन ही प्राप्त हुआ था। निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश को आवश्यक कार्यवाही एवं आख्या हेतु 7-3-83 को आदेश किये गये। निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश की आख्या प्रतीक्षित है। आख्या शीघ्र भेजे जाने हेतु अनुस्मारक भेजा गया है। आख्या प्राप्त होने पर विलम्ब के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित कर दोषी कर्मचारी के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही किये जाने के प्रश्न पर आवश्यकतानुसार विचार किया जाएगा।

झांसी जनपद में असिंचित भाग एवं उसको सिंचित करने की योजना

158--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री-

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जनपद का कितना भाग असिंचित है और इस भाग को सिंचित करने के लिए शासन ने कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो वह कब से प्रारम्भ होगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बढ़यापार, जनपद गोरखपुर को बिना कक्षा संचालन की अनुमति के प्रतिपूर्ति के भुगतान का आधार

159--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के 3रे बुधवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 145 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या हरिजन समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन्दर्भित संस्था को जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा कक्षा संचालन की अनुमति कब प्रदान की गयी थी ? कक्षा संचालन की अनुमति प्राप्ति किए बिना 7,143 रु0 तथा निःशुल्क घाटे की क्षतिपूर्ति का भुगतान किस प्रकार किया गया ?

श्री गुलाब सेहरा--

संस्था को कक्षा संचालन के लिए अतिरिक्त सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के तार दिनांक 20-8-79 द्वारा स्वीकृत मान्यता के सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर ने अपने औपचारिक अनुमति आदेश दिनांक 28-6-80 को निर्गत किये थे।

मान्यता प्राप्त हो जाने पर ही 7,143 रु0 तथा निःशुल्क घाटे की प्रतिपूर्ति का भुगतान संस्था को किया गया है।

परिवहन विभाग के घाटे की जांच हेतु गठित समिति की रिपोर्ट

160--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के 3रे बुधवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 145 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 2,07,858·50 रुपये के घाटे की जांच के लिए 11 फरवरी, 1982 को गठित समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो उसका पूरा विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो यह कब तक प्राप्त हो जायेगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

उक्त घाटे की जांच के लिये 11 फरवरी, 1982 को गठित समिति की रिपोर्ट प्राप्त की गयी है जो अपूर्ण है। घाटे के पूरे विवरणों की जांच के लिये समिति को पुनः निर्देशित किया जा रहा है।

जनपद आजमगढ़ के ग्राम गडौरा मझौरा के पास शारदा सहायक नहर पर पुलिया का निर्माण

161—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के 2रे बुधवार के लिए निर्धारित अता० प्र० सं० 14 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पैदल पुल के निर्माण की स्वीकृति क्या प्रार्थना पत्र में कहे गये स्थान पर दी गयी है या कहीं अन्यत्र ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं।

पैदल पुल के निर्माण की स्वीकृति 200 मीटर पूरब की ओर मुख्य चकमार्ग पर दी गयी है।

ग्राम सियरही, जनपद आजमगढ़ में नहर निर्माण में सामूहिक कटौती द्वारा ली गयी भूमि तथा उसका मुआवजा

162—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के 2रे बुधवार के अता० प्र० सं० 43 के उत्तर सन्दर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब ग्राम सियरही में नहर निर्माण में ली गयी भूमि सामूहिक कटौती एवं चकाउट की है तो इसके मुआवजे का भुगतान किसे किया जायेगा तथा कितनी धनराशि किस तिथि को विशेष भूमि अध्यप्ति अधिकारी को उपलब्ध कराई गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

नहर निर्माण में सामूहिक कटौती द्वारा ली गयी भूमि का मुआवजा भूमि के रूप में चकबंदी विभाग द्वारा दिया जा चुका है। चक आउट की भूमि का प्रतिकर विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा वितरित किया जायेगा।

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी को इस खंड की भूमि के मुआवजे हेतु जो धनराशियां उपलब्ध कराई गई उनका विवरण निम्न प्रकार है :

दिनांक	धनराशि
1	2
	रु0
28-2-79	3,50,000
9-3-79	3,50,000

1	2
	रु0
29-2-80	3,54,900
3-8-81	13,50,000
17-12-81	26,50,000
19-6-82	10,00,000

उपरोक्त धनराशि में ग्राम सियरही में अध्याप्ति की गयी भूमि का प्रतिकर भी सम्मिलित है ।

गोरखपुर जनपद में बेलसर रिगोरी बांध की मरम्मत से सम्बन्धित ठेकेदारों का भुगतान

163--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के 2रे बुधवार के अता0 प्र0 सं0 4 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन ठेकेदारों को दो लाख रुपया भुगतान होना शेष है और यह भुगतान कब तक कर दिया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री आर0 के0 सिंह, लेखाकार, परिवहन विभाग के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही एवं उनका स्थायीकरण

164--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के 1ले बुधवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 15 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 20 वर्ष से अधिक की सेवा के उपरान्त श्री आर0 के0 सिंह, लेखाधिकारी को स्थायी न किए जाने का क्या कारण है ? सन् 1975 में श्री सिंह के विरुद्ध कौन सी प्रशासनिक कार्यवाही की गयी है और इस पर कब तक निर्णय लेकर इन्हें स्थायी कर दिया जायगा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

श्री आर0 के0 सिंह, लेखाकार के पद पर कार्यरत हैं न कि लेखाधिकारी के पद पर । श्री सिंह दिनांक 21 फरवरी, 1973 को निलम्बित किये गये थे । इसी कारण जून, 1973 में लेखाकारों के स्थायीकरण पर विचार के समय श्री सिंह के मामले पर विचार नहीं हो सका ।

वर्ष 1975-76 में श्री सिंह को प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की गई थी और उनकी सत्यनिष्ठा भी सदेहात्मक थी ।

दिनांक 27, 28 अगस्त, 1975 को क्षेत्रीय लेखाधिकारी द्वारा जौनपुर डिपो के निरीक्षण के समय अनियमिततायें पायीं गई थीं । उस समय श्री सिंह लेखाकार के पद पर जौनपुर डिपो में कार्यरत थे । इस लिए उक्त अनियमितताओं के लिए श्री सिंह को भी आरोपित किया गया था । श्री सिंह के विरुद्ध चल रही इस अनुशासनिक कार्यवाही पर अभी अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है । शीघ्र निर्णय का प्रयास किया जा रहा है जिसके उपरान्त श्री सिंह को स्थायी करने के सम्बन्ध में यथा समय कार्यवाही की जायगी ?

श्री आर0 पी0 अवस्थी, क्षेत्रीय प्रबन्धक, आजमगढ़ के विरुद्ध शिकायतें एवं उसकी जाँच

165--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के प्रथम बुधवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 59 के सन्दर्भ में क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्रीय प्रबन्धक, आजमगढ़ श्री आर0 पी0 अवस्थी के विरुद्ध प्रश्नगत शिकायतें किससे प्राप्त हुई थीं ? आरोपों की जांच उप प्रधान प्रबन्धक, पूर्वी जोन, वाराणसी को कब सौंपी गयी ? जांच रिपोर्ट क्या है तथा उसके आधार पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

श्री आर0 पी0 अवस्थी, क्षेत्रीय प्रबन्धक, आजमगढ़ के विरुद्ध प्रश्नगत शिकायतें श्री वीर भद्र प्रताप सिंह, अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी (ई), श्री बृज किशोर राय एवं रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद् को क्रमशः दिनांक 6-7-1982, 18-8-1982 तथा 25-8-1982 प्राप्त हुई थी ।

आरोपों की जांच उप प्रधान प्रबन्धक (पूर्वी जोन) वाराणसी को सौंपी गयी है । जांच अधिकारी का रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है । श्री अवस्थी को आजमगढ़ में अनियमित नियुक्तियां करने एवं कन्नौज में कैन्टीन का ठेका देने में की गयी अनियमितताओं के कारण दिनांक 26-6-1983 से निलम्बित किया जा चुका है ।

विकास विद्यालय ईश्वर शरण हाई स्कूल, इलाहाबाद का सामान्य विद्यालयों से भिन्न दर्जा देने का आधार

166--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के 2रे बुधवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 42 के उत्तर के सन्दर्भ मे क्या हरिजन समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास विद्यालय ईश्वर शरण हाई स्कूल, इलाहाबाद को शासन के किस आदेश द्वारा माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की किस धारा के अन्तर्गत सामान्य विद्यालयों से भिन्न विद्यालय के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है ?

श्री गुलाब सेहरा--

विकास विद्यालय ईश्वर शरण आश्रम, इलाहाबाद को हाई स्कूल स्तर तक की कक्षाओं के संचालनार्थ शत प्रतिशत अनुदान निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उ0 प्र0 द्वारा स्वीकृत किया जाता है । इन्टरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट, 1921 में अधिनियम की परिभाषा (क) मान्यता-मान्यता का तात्पर्य परिषद् की परीक्षाओं के प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों की तैयारी के प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य धारायें लागू नहीं होती है ।

जनपद बस्ती के ग्राम छितरापार में नदी की बाढ़ से मकानों एवं भूमि का कटान तथा उसका मुआवजा

167--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के 2रे बुधवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 3 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिनके मकान एवं भूमि की कटान हुई, उन्हें कितना मुआवजा दिया गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

बाढ़ से मकान की क्षति एवं भूमि के कटान होने पर सिंचाई विभाग द्वारा मुआवजा दिए जाने का कोई प्राविधान नहीं है ।

168--श्री पंचानन राय--

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त ।]

जनपद आजमगढ़ के ब्लाक हरैया में विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत नलकूपों की स्वीकृति एवं निर्माण

169--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के 1ले बुधवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 123 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरैया ब्लाक में जिन 8 नलकूपों को लगाये जाने की संस्तुति की गयी थी, उन्हें विश्व बैंक से पोषित राजकीय नलकूप परियोजना के अन्तर्गत बनाए जाने में क्या कठिनाई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 1983-84 में जनपद आजमगढ़ में कोई नलकूप लगाने का योजना नहीं है ।

170--श्री पंचानन राय--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

नलकूप मंडल आजमगढ़ में नैत्यिक कोटि लिपिकों की नियुक्ति एवं सेवा समाप्ति

171--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के 6ठे बुधवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 116 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि

29 जनवरी, 1979 को किन-किन नैत्यिक कोटि लिपिकों की नियुक्ति की गयी थी ? 13-1-83 को क्या दोनों की सेवा समाप्त कर दी गयी या केवल श्री धर्मदेव प्रसाद की ? हरिजन आरक्षण पूरा न होने के बाद भी इन्हें हटा दिए जाने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

नलकूप मंडल, आजमगढ़ द्वारा दिनांक 29 जनवरी, 1979 को निम्नांकित दो नैत्यिक कोटि लिपिकों की नियुक्ति की गयी था :--

1---श्री धर्मदेव प्रसाद ।

2---श्री सत्यदेव यादव ।

दिनांक 13-1-83 को केवल एक (श्री धर्मदेव प्रसाद) की सेवायें समाप्त की गयीं क्योंकि श्री धर्मदेव प्रसाद की नियुक्ति तदर्थ आधार पर की गयी थी और उनका जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा अथवा विनियमितीकरण नियमावली, 1979 के अन्तर्गत गठित विनियमितीकरण समिति द्वारा अनुमोदन नहीं हुआ था, अतः उन्हें सेवा से हटाया जाना अनियमित नहीं था । अतएव इसके लिए किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ के ग्राम वरनापुर जगदीशपुर व पारा में अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर की दरों में भिन्नता का औचित्य

172---श्री पंचानन राय---

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के 8वें बुधवार के अता० प्र० सं० 76 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि ग्राम वरनापुर, जगदीशपुर, तहसील सगडी, जनपद आजमगढ़ के बीच में ग्राम पारा पड़ता है, जिसका प्रतिकर लगभग 26 हजार रुपए प्रति एकड़ निर्धारित किया गया है जबकि इसके दोनों तरफ ग्राम वरनापुर जगदीशपुर का प्रतिकर लगभग 6 हजार रुपए प्रति एकड़ निर्धारित है ? इसका क्या औचित्य है तथा इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

जी हां ।

ग्राम पारा का प्रतिकर 26,315·79 प्रति एकड़ घोषित किया गया है जबकि ग्राम वरनापुर जगदीशपुर का प्रतिकर 6,474·82 रु० प्रति एकड़ घोषित हुआ था ।

प्रतिकर का निर्धारण, भूमि अध्यापित की धारा 4 (1) की विज्ञप्ति तिथि से 3 वर्ष पूर्व की अवधि में निष्पादित विक्रय-पत्रों में अंकित बाजारी भाव को आधार मान कर किया जाता है । प्रतिकर के निर्धारण हेतु जो श्रमिक प्रतिक्रिया अपनाई गई वह ठीक थी अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

यदि प्रतिकर की घोषणा से कोई व्यक्ति असंतुष्ट हो तो उसे अभिनिर्णय के विरुद्ध जिला जज के यहां रिफरेन्स करने का प्राविधान है ।

अधिशासी अभियन्ता खंड, गंगा नहर बुलन्दशहर में सीचपाल के पदों हेतु चयन तथा उनकी नियुक्तियों में अनियमितता

173--श्री छत्तर सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता खंड, गंगा नहर बुलन्दशहर के यहां 6-3-1980 को सींचपाल हेतु कोई इन्टरव्यू हुआ था जिसमें रमेश चन्द्र पुत्र नंनसिंह निवासी दुलेहरा, पी0 बैर जनपद बुलन्दशहर का नम्बर 24वां था तथा सत्यदेव पुत्र त्रिलोकचन्द्र का नम्बर 32वां था परन्तु 24वें नम्बर वाले को नियुक्ति-पत्र न देकर 32वां नम्बर वाले को 1-5-1982 को नियुक्ति-पत्र दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

श्री सत्यदेव को 1-5-1982 को अल्पकालीन रिक्ति में नियुक्ति की गयी थी । स्थान रिक्त न होने के कारण प्रश्नगत दोनों अभ्यर्थियों की नियमित नियुक्ति अभी तक नहीं हुयी है और न वे इस समय सींचपाल के पद पर कार्यरत हैं ।

भविष्य में अल्पकालीन रिक्तियों में भी चयन सूची के क्रमानुसार ही नियुक्ति किये जाने के आदेश दे दिये गये हैं ।

श्री बदन सिंह, निवासी ग्राम गोकुलपुर बांगर, जनपद बुलन्दशहर की भूमि का अधिग्रहण एवं उसके मुआवजा का भुगतान

174--श्री छत्तर सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1978 में निचली गंगा नहर के निर्माण हेतु ग्राम गोकुलपुर बांगर, जनपद बुलन्दशहर के किसान बदन सिंह आदि के नम्बर 28, 27 का अधिग्रहण किया गया था ? यदि हां, तो उनको उक्त भूमि का मुआवजा अब तक क्यों नहीं दिया गया ? मुआवजा का कब तक वितरण कर दिया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां । समानान्तर निचली गंगा नहर के मील 4-6-0 से मील 5-5-0 के निर्माण हेतु मौजा गोकुलपुर बांगर के 17.195 एकड़ भूमि में श्री बदन सिंह आदि ग्राम गोकुलपुर बांगर, जिला बुलन्दशहर के खेत सं0 28, 27 सम्मिलित थे, का अधिग्रहण किया गया था । विशेष भूमि अधिकारी, बुलन्दशहर द्वारा धारा 9 के अन्तर्गत कृषकों को दिनांक 12-11-1979 तक आपत्तियां पेश करने एवं दिनांक 19-11-1979 को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के पश्चात दिनांक 1-8-1980 को अभिनिर्णय घोषित किया गया जिसके अनुसार संबन्धित कृषकों को प्रतिकर वितरित किया जा चुका है ।

श्री बदन सिंह आदि द्वारा दिनांक 31-7-1980 को वकील द्वारा इस बात का नोटिस दिये जाने पर कि उनके पूरे रकबे का केस बनाकर नहीं भेजा गया पुनः जांच कराई गई जिसके अनुसार खेत सं0 28 के 2·228 एकड़ अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण करने की कार्यवाही प्रगति में है जिसके पूर्ण होने पर तत्काल मुआवजा वितरित कर दिया जायगा ।

प्रदेश के प्रत्येक जनपद में राजकीय वाहनों की मरम्मत हेतु राजकीय संस्थायें खोलने की मांग

175—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या परिवहन मन्त्री को ज्ञात है कि प्रत्येक जनपद में राजकीय वाहनों की मरम्मत के लिए कोई भी राजकीय संस्था नहीं है, इस हेतु प्रत्येक जनपद में कम से कम एक ऐसा डिपो खोलने का निर्देश देगी जिसमें उस जनपद के सभी राजकीय वाहनों का रख-रखाव व सुधार किया जा सके ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां। प्रत्येक जनपद में राजकीय वाहनों की मरम्मत के लिए कोई भी राजकीय संस्था नहीं है। गृह विभाग, कृषि विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के पास अपनी वाहनों की मरम्मत के लिए कुछ कार्यशालायें हैं। जिन सरकारी विभागों के पास वाहनों की मरम्मत की निजी व्यवस्था नहीं है, उनके लिए अधिकृत प्राइवेट गैराजों में अपनी वाहनों की मरम्मत के लिए शासन द्वारा शासनादेश संख्या 3584-टी/तीस-4-430—जेवी-70, दिनांक 24-7-1982 में प्रक्रिया निर्धारित कर दी गयी है। अतः प्रत्येक जनपद में राजकीय वाहनों के रखरखाव व सुधार के लिए डिपो खोलने की आवश्यकता नहीं है।

पर्वतीय क्षेत्रों में जलवायु के अनुकूल देशी या विदेशी पौधों का रोपण एवं विकास

176—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बतानें की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र के जलवायु अनुकूल विदेशी या देश के अन्य प्रान्तों से फलों की अन्य प्रजातियों को उपरोक्त क्षेत्र में विकसित करने के विषय में सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां। पर्वतीय क्षेत्र की जलवायु के अनुकूल विदेशी तथा बाहरी प्रान्तों से उपयुक्त पौधे आयात कर विकसित किये जा रहे हैं। विदेशों से आयातित पौधों के बिवरण संलग्न हैं।

(देखिए नत्थी "छ" आगे पृष्ठ 284 पर।)

कुमायूं मण्डल के अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ जनपदों में मैंगनेसाइट के कारखाने तथा उनसे उत्पन्न प्रदूषण की रोकथाम

177—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कुमायूं मन्डल में अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ में मैंगनेसाइट के कितने कारखाने कार्यरत हैं ? इनके द्वारा होने वाले प्रदूषण से बचने के लिए सरकार ने क्या कोई नियम बनाए हैं ? यदि हां, तो क्या इनका पालन हो रहा है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री रविदत्त शर्मा, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, निचली गंगा नहर, इटावा के विरुद्ध शिकायती-पत्र एवं उसकी जांच

178--श्री रामस्वरूप वर्मा--

क्या मुख्य मन्त्री बतायेंगे कि स्थानीय शाखा सिंचाई संघ, इटावा प्रखंड, निचली गंगा नहर, इटावा की ओर से अधिशासी अभियन्ता श्री रविदत्त शर्मा के खिलाफ भारी गबन व धोखाधड़ी का शिकायती-पत्र दिनांक 22-11-82 को सचिव, सतर्कता विभाग को रजिस्ट्री डाक द्वारा प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में लिखित आरोपों की जांच किसे सौंपी गई ? क्या जांचकर्ता ने सरकार को यह लिखा है कि निष्पक्ष जांच के लिए उक्त श्री शर्मा का स्थानान्तरण होना बहुत जरूरी है ? यदि हां, तो अब तक स्थानान्तरण न करने के कारण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

श्री रविदत्त शर्मा, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, निचली गंगा नहर, इटावा के विरुद्ध गबन आदि के आरोपों से सम्बन्धित मंत्री, स्थानीय शाखा, सिंचाई संघ इटावा प्रखंड, निचली गंगा नहर, इटावा का शिकायती-पत्र दिनांक 19-11-1982 सतर्कता विभाग में प्राप्त हुआ है ।

शिकायती-पत्र पर सतर्कता अधिष्ठान से गोपनीय जांच कराई जा रही है ।

जी नहीं ।

श्री शर्मा का इटावा से स्थानान्तरण कर दिया गया है ।

श्री लक्ष्मी नारायण गुप्त, अधिशासी अभियन्ता रामगंगा चैनल निर्माण खंड, प्रथम, कानपुर के विरुद्ध शिकायत एवं उसकी जांच

179--श्री रामस्वरूप वर्मा--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री श्रीकान्त शुक्ल, अध्यक्ष, सिंचाई संघ, कानपुर तथा श्री हरीशंकर शुक्ला, सिंचाई संघ लोकल शाखा रामगंगा चैनल निर्माण खंड प्रथम, कानपुर आदि लोगों का प्रार्थना-पत्र जिसमें श्री लक्ष्मी नारायण गुप्त, अधिशासी अभियन्ता रामगंगा चैनल निर्माण खंड प्रथम, कानपुर के विरुद्ध गम्भीर भ्रष्टाचार के आरोप थे, प्रश्नकर्त्ता द्वारा अग्रसारित किया गया दिनांक 25-10-82 निदेशक, सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ को मिला था ? यदि हां, तो सरकार ने उसकी जांच किस अधिकारी से कराई तथा जांच में क्या परिणाम निकला ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

अधिशासी अभियन्ता, रामगंगा चैनल निर्माण खंड, प्रथम, कानपुर के विरुद्ध प्रश्न में उल्लिखित शिकायती-पत्रों की प्रतिलिपि सतर्कता विभाग के माध्यम से सिंचाई विभाग में प्राप्त हुई है ।

शिकायती-पत्रों की जांच के आदेश मुख्य अभियन्ता (रामगंगा) सिंचाई विभाग, लखनऊ को दे दिए गए हैं । जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही परिणाम ज्ञात हो सकेंगे ।

यमुना नदी की किशुनपुर पम्प नहर तथा उमरहट पम्प नहर की निर्माण लागत में अन्तर का औचित्य एवं उमरहट पम्प नहर के निर्माण में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच

180--श्री रामस्वरूप वर्मा--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि यमुना की किशुनपुर पम्प नहर की 762 लाख की लागत में 42300 हेक्टेयर भूमि सिंचेगी और उमरहट पम्प नहर की 300 लाख की लागत से 3900 हेक्टेयर भूमि सिंचेगी, इस प्रकार एक ही नदी के पानी से एक ही गहराई से पानी उठाने पर लागत का इतना बड़ा अन्तर क्यों है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

यमुना नदी पर किशुनपुर पम्प नहर परियोजना दो चरणों में निर्मित हो रही है । प्रथम चरण के अन्तर्गत बार्जों पर पम्प लगाकर तथा फीडर बनाकर निचली गंगा नहर प्रणाली की धातक रजबाहा प्रणाली को जल उपलब्ध करा 28.64 हजार हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित की गई है ।

द्वितीय चरण में पक्का पम्प हाउस बनाकर अतिरिक्त जल पम्प करना तथा नहर प्रणाली का पुनरोद्धार किया जा रहा है । पक्के पम्प हाउस के निर्माण तथा नहर की क्षमता के बढ़ाये जाने के फलस्वरूप परियोजना के अन्तर्गत अतिरिक्त 13.66 हजार हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन होगा । वर्ष 1983 के मूल्यों पर किशुनपुर पम्प नहर परियोजना की अनुमानित लागत 975.0 लाख रु0 है । इस परियोजना के अन्तर्गत 11.33 क्यूमेक जल यमुना नदी से पम्प किया जाना है जिसमें कुल लिफ्ट 28 5 मीटर है ।

उमरहट पम्प नहर परियोजना के अन्तर्गत 1.5 क्यूमेक क्षमता की एक नवीन नहर प्रणाली बनाई जा रही है, जिसमें 2 चरणों में पम्पिंग का जाना है तथा कुल 45.0 मीटर लिफ्ट आयेगी ।

वर्ष 1983 के मूल्यों पर परियोजना की पुनरीक्षित लागत 1920 लाख रु0 है तथा इसमें पक्के पम्प हाउस के स्थान पर पम्पों की बार्ज पर लगाने का ही प्रस्ताव किया गया है । इस परियोजना के अन्तर्गत 3900 हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन होगा ।

किशुनपुर पम्प नहर तथा उमरहट पम्प नहर परियोजनाओं के स्वरूप में तथा मूलभूत भिन्नताओं के कारण ही किशुनपुर पम्प नहर परियोजनाओं पर प्रति हेक्टेयर लागत कम आयी है ।

181--श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या यह सही है कि उमरहट पम्प कैनाल के निर्माण में उपेक्षा बरतने एवं देख-रेख की कमी के कारण भ्रष्टाचार अधिक है जिससे एक ओर लागत अधिक बढ़ी है और दूसरी ओर इसे निर्धारित समय में पूरा करना असम्भव हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह —

जी नहीं ।

नहर के निर्माण में कोई उपेक्षा नहीं बरती जा रही है और न ही भ्रष्टाचार का कोई मामला प्रकाश में आया है ।

परियोजन ओं की लागत वर्ष 1979 के मूल्यों पर 232.0 लाख रु0 थी, जिसमें पक्का पम्प हाउस बनाया जाना था । पुनरीक्षित परियोजना की लागत 1983 के मूल्यों पर 192.0 लाख रु0 है, जिसमें पम्पों को बार्ज पर स्थापित किए जाने का प्राविधान किया गया है ।

परियोजना कार्यक्षेत्र में वर्ष 1980–81 तथा 1981–82 में असामाजिक तत्वों के सक्रिय होने, डकैती की घटनाओं के कारण प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । नहर के कि0 मी0 4 से कि0मी0 7 तक भूमि अध्याप्ति में न्यायालय में चल रहे विवादों के कारण भी कठिनाई हो रही है । परियोजना के पूर्ण कराने के लिये विशेष प्रयास किए जा रहे हैं तथा इस बात की सम्भावना है कि जून, 1984 तक नहर को चलाया जा सकेगा ।

182––श्री रामस्वरूप वर्मा––

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

बंधो–प्रखंड, वाराणसी के अनुबन्ध का भुगतान

183––श्री रामहर्ष राय––

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बंधो प्रखन्ड वाराणसी के अनुबन्ध सं0 6/ई ई/73–74 का भुगतान प्रविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ के अन्तर्गत निर्णय के बाद क्यों नहीं हो रहा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–"

बंधो प्रखंड, वाराणसी के अनुबंध संख्या 6/ई ई/73–74 के विरुद्ध प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ द्वारा लिए निर्णय के पश्चात् 7,095 रु0 का भुगतान दिनांक 1–10–81 को ठेकेदार को कर दिया गया है ।

आजमगढ़ जनपद में स्थित महुला गढ़वल बांध के उत्तर शाहडीह से हाजीपुर तक के पुराने बांध की मरम्मत

184––श्री पंचानन राय––

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में स्थित महुला गढ़वल बांध के उत्तर शाहडीह से हाजीपुर तक पुराने जमींदारी बांध की मरम्मत कराये जाने से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 6–4–83 अधिशासी अभियन्ता को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

जी हां ।

उक्त बांध का सम्बन्ध सिंचाई विभाग से नहीं है । अतः सिंचाई विभाग द्वारा उसकी मरम्मत कराने तथा पुलिया में फाटक लगाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

वाराणसी से गोरखपुर मार्ग के परिचालक के विरुद्ध शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

185—श्री पंचानन राय—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 मार्च, 1983 को वाराणसी से गोरखपुर जा रही वर्डघाट डिपो की बस सं० यू० आर० ओ० 2335 के परिचालक के विरुद्ध प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र उन्हें मार्च/अप्रैल, 1983 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां ।

शिकायत की जांच में सम्बन्धित परिचालक दोषी पाया गया जिसके कारण उसका 6 माह का अच्छे आचरण का भत्ता काट लिया गया है और भविष्य के लिए कठोर चेतावनी दे दी गई है ।

आजमगढ़ जनपद में स्थित महुला गढ़वल बांध पर मिट्टी का कार्य एवं उसका भुगतान

186—श्री पंचानन राय

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में स्थित महुला गढ़वल बांध पर सहनूपुर ढाला से सहनूपुर गांव तक वर्ष 1980 से 1982 तक कितना कार्य हुआ है तथा इसके लिए कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

आजमगढ़ जनपद में सहनूपुर ढाला से सहनूपुर गांव तक वर्ष 1980 से 1982 तक कुल 3059.57 घनमीटर मिट्टी का कार्य हुआ है । इस पर कुल रुपये 7367.70 का भुगतान किया गया है ।

आजमगढ़ जनपद के रामपुर देवारा के चिल्दहिया ताल से बदरहुआ नाले तक ड्रेन की खुदाई की मांग

187—श्री पंचानन राय—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के सगड़ी तहसील में स्थित रामपुर देवारा के चिल्दहिया ताल से बदरहुआ नाले तक ड्रेन के खुदाई से सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ता का पत्र दि० 6-4-83 अधिशासी अभियन्ता, शारदा सहायक खंड-30 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया जा चुका है । विस्तृत सर्वेक्षण एवं स्वीकृति के उपरान्त तथा धन उपलब्ध होने पर कार्य प्रारम्भ कराना सम्भव होगा ।

आजमगढ़ जनपद के महुला गढ़वल बांध की मरम्मत

188—श्री पंचानन राय—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में स्थित महुला गढ़वल बांध पर पुराने ढालों की मरम्मत तथा नए ढालों के निर्माण से सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ता का पत्र दि0 13-4-83 अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

वर्ष 1983-84 में धन उपलब्ध न होने के कारण ढालों का कार्य नहीं कराया जा सका । धन उपलब्ध होते ही कार्य पूर्ण कराना सम्भव हो सकेगा ।

आजमगढ़ जनपद में महुला गढ़वल बांध के दक्षिण विश्व बैंक परियोजना द्वारा पोषित नलकूप लगाये जाने की मांग

189—श्री पंचानन राय—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के हरैया ब्लाक में महुला गढ़वल बांध के दक्षिण विश्व बैंक परियोजना द्वारा पोषित पब्लिक नलकूप लगाए जाने से सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ता का पत्र दि0 12-1-83 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, परन्तु वर्ष 1983-84 में आजमगढ़ जनपद में विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत पब्लिक नलकूप लगाया जाना प्रस्तावित नहीं है ।

जनपद आजमगढ़ की दोहरीघाट लिंक नहर पर ग्राम जोकहरा में बनी पैदल पुलिया के निर्माण के सम्बन्ध में शिकायत एवं उसकी जांच

190—श्री पंचानन राय—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक के दोहरी घाट, लिंक कैनाल पर ग्राम जोकहरा, आजमगढ़ के पास निर्मित पुलिया में निम्न कोटि की सामग्री प्रयोग किए जाने से सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ता का पत्र दि0 5-4-83 अधिशासी अभियन्ता, शारदा सहायक, खंड-52 तथा जिला अधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । शिकायती पत्र के आधार पर दोहरी घाट लिंक नहर पर ग्राम जोकहरा में बनी पैदल पुलिया का निरीक्षण दिनांक 14-4-83 को अधिशासी अभियंता ने किया । पुलिया का निर्माण 3 वर्ष पूर्व किया गया था । जांच के समय ऐसा नहीं पाया गया कि पुलिया के निर्माण में निम्न श्रेणी की सामग्री प्रयोग की गई है ।

आजमगढ़ जनपद में स्थित बदरहुआ नाला के उत्तर तथा सहनूपुर गांव के दाक्षणी बांध पर व्यय की धनराशि

191—श्री पंचानन राय—

क्या सिचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के हरैया ब्लाक में स्थित बदरहुआ नाले के उत्तर तथा सहनूपुर गांव के दक्षिण बांध के लिए वर्ष 1980–81 तथा 1981–82 तथा 1982–83 में धन का भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो प्रत्येक वर्ष में अलग–अलग कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है तथा उससे कितना कार्य हुआ है ?

श्री वीर बहादुर सिह—

जी हां ।

व्यय की धनराशि का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है :—

वर्ष	धनराशि	कार्य की मात्रा घ0 मी0
1980–81	26,861.00	13800.05
1981–82	1,12,754.00	37176.53
1982–83	1,96,407.70	37983.34

बांध पर मिट्टी का कार्य किया गया । वर्ष 1982–83 में 2808 वर्ग मी0 कुल 0.95 कि0मी0 की लम्बाई में ईंट की सोलिंग का कार्य किया गया ।

सामान्य प्रबन्धक, शाहजहांपुर के विरुद्ध मेसर्स एंजिल रेडियो एंड टेलीविजन कं0, शाहजहांपुर को कच्चा माल न देने के सम्बन्ध में शिकायत एवं उसकी जांच

192—श्री खैरुल बशर—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती अनीता प्रधान पार्टनर, मेसर्स एंजिल रेडियो एण्ड टेलीविजन कं0 285, खिरनी बाग शाहजहांपुर ने बोस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत एक लघु उद्योग जिसका संचालन केवल नारियों द्वारा ही किया जा रहा है ? टेपरिकार्डर की असेम्बलिंग आदि के लिए एक लघु उद्योग की स्थापना की गई है ? जिस पर निदेशक, उद्योग, कानपुर की सितम्बर, 1981 में संस्तुति मिल चुकी है एवं जनरल मैनेजर, शाहजहांपुर जो भ्रष्टाचार के कारण उस संस्थान को कच्चा माल सप्लाई नहीं कर रहा है जिसके कारण कारोबार ठप्प है तथा जनरल मैनेजर, जिला उद्योग के विरुद्ध भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगाए गए हैं ? यदि हां, तो सरकार किसी उच्च अधिकारी द्वारा सम्बन्धित जनरल मैनेजर के विरुद्ध जांच करायेगी तथा उपरोक्त उद्योग को सुचारु ढंग से चलाने के लिए सरकार सहयोग प्रदान करेगी । ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रश्नगत इकाई का प्रस्तावित पंजीकरण प्रमाण-पत्र 27-5-1981 को जारी किया गया। पंजीकरण के बाद उद्योग निदेशालय द्वारा इकाई को कैसेट टेप-रिकार्डर आदि बनाने की स्वीकृति दिनांक 10 सितम्बर, 1981 को प्रदान की गई। जहां तक जनरल मैनेजर, शाहजहांपुर द्वारा इकाई को कच्चामाल न सप्लाई करने का प्रश्न है, सामान्य प्रबन्धक द्वारा आवश्यक कल-पुर्जे हेतु जारी अनिवार्यता प्रमाण-पत्र में कतिपय त्रुटियां होने के कारण और तत्पश्चात् सामान्य प्रबन्धक द्वारा इकाई की आर्थिक स्थिति संतोषजनक न होने तथा आयातित माल प्राप्त होने की दशा में उसका दुरुपयोग होने की सम्भावना पाने के कारण उक्त इकाई का आयात प्रार्थना-पत्र संस्तुत नहीं किया। इस सम्बन्ध में इकाई से प्राप्त शिकायती-पत्र पर क्षेत्रीय अधिकारी उद्योग, बरेली से जांच कराई जा रही है।

रोडवेज मजदूर संघ द्वारा उप प्रधान प्रबन्धक, मेरठ व क्षेत्रीय प्रबन्धक, अलीगढ़ को लिपिकों की पदोन्नति में अनियमितता बरतने संबन्धी शिकायत एवं उस पर कार्यवाही

193--श्री रियासत हुसैन--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लिपिकों के पदोन्नति में वरिष्ठताक्रम का पालन न करने की शिकायत रोडवेज मजदूर संघ ने जनवरी, 1983 में उप प्रधान प्रबन्धक, मेरठ व क्षेत्रीय प्रबन्धक, अलीगढ़ को किया है? यदि हां, तो उन पर अब तक कौन सी कार्यवाही की गई?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

सूचना एकत्र की जा रही है।

उद्योग निदेशालय, कानपुर के अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध सी० बी० आई० की जांच

194--श्री अकबाल हुसैन--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत 3 वर्ष से उद्योग निदेशालय, कानपुर के किन-किन राजपत्रित व अराजपत्रित कर्मचारियों के विरुद्ध सी० बी० आई० अभियोजन चल रहे हैं? वर्तमान में इनमें से कौन-कौन कर्मचारी कार्यरत, निलम्बित अथवा सेवानिवृत हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

विवेकानन्द पूर्व माध्यमिक विद्यालय, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल के भवन निर्माण हेतु अनुदान

195--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विवेकानन्द पूर्व माध्यमिक विद्यालय, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल को वर्ष 81-82, 82-83 के अन्तर्गत भवन निर्माण के लिए अनुदान के रूप में कितनी धनराशि दी गई है?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

विवेकानन्द पूर्व माध्यमिक विद्यालय, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल को भवन निर्माण हेतु अनुदान के रूप में वर्ष 1981-82 में 41,400 रु0 पर्वतीय विकास विभाग द्वारा स्वीकृत किया गया। इस हेतु वर्ष 1982-83 में इस विभाग द्वारा कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी।

इलाहाबाद जनपद में उत्तर रेलवे द्वारा कांकरीट स्लीपर प्लांट की स्थापना

196--श्री रेवती रमण सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि इलाहाबाद जनपद में एक रेल स्लीपर का कारखाना प्रस्तावित था? क्या सरकार उस पर विचार कर रही है? कब तक यह कारखाना इलाहाबाद में लग जायगा?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां। उत्तर रेलवे द्वारा जनपद इलाहाबाद में कांकरीट स्लीपर प्लांट की स्थापना की जा चुकी है और इसके द्वारा जुलाई, 1981 से उत्पादन कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

निराश्रित महिला तथा बाल सदन मौदहा, हमीरपुर के कार्यकलापों एवं अनुदान के दुरुपयोग के सम्बन्ध में जांच

197--श्री दुर्गाप्रसाद मिश्र--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर में सर्वोदय विकास आश्रम द्वारा संचालित निराश्रित महिला तथा बाल सदन मौदहा, हमीरपुर में वर्ष 1979-80 में लाखों रुपए का गबन पकड़ में आया था? यदि हां, तो उस पर कौन सी त्वरित कार्यवाही की गई? तथा उक्त अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गुलाब सेहरा--

जी नहीं। संस्था के कार्यकलापों एवं अनुदानों के दुरुपयोग के सम्बन्ध में कतिपय शिकायतों एवं गम्भीर आरोपों के कारण जांच की कार्यवाही चल रही है। संस्था का अनुदान जांच की कार्यवाही होने तक स्थगित रखा गया है।

गण्डक नहर निर्माण खण्ड द्वितीय, देवरिया के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच

198--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 3रे बुधवार के अता0 प्र0 सं0 10 के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जांच के लिए किस अधिकारी को तथा किस तिथि को आदेश दिए गए हैं? क्या इन्हें निर्देश दिया गया है कि जांच कार्य प्रारम्भ करने से पहले शिकायतकर्ता से सम्पर्क करें?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रश्न में संदर्भित मामलों की जांच के लिए श्री राम कुमार गर्ग, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, गण्डक ड्रेनेज मण्डल, गोरखपुर को दिनांक 21-3-83 को लिखा गया था तथा यह भी निर्देश दिये गये थे कि जांच करते समय शिकायतकर्त्ता को शिकायतों की पुष्टि के लिए अवसर दिया जाये।

हरखौला नाला की सफाई एवं चोरडिहा ग्राम से जल निकासी की व्यवस्था

199--श्री दुर्गाप्रसाद मिश्र--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 26-3-83 के संदर्भ में उप सचिव श्री एम0 एन0 सेठ ने अपने अर्द्धशासकीय पत्र सं0 135 एफ/82/23, दिनांक 6 अप्रैल, 1982 के माध्यम से मुख्य अभियन्ता, गोरखपुर से हरखौली नाले की सफाई एवं ग्राम चोरडिहा से जल निकासी हेतु आवश्यक कार्यवाही के साथ आख्या मांगी थी? यदि हां, तो इसमें कितना धन हरखौला नाला के सफाई एवं चोरडिहा ग्राम से जल निकासी हेतु स्वीकृत हुआ है? यह दोनों कार्य वर्षा से प्रारम्भ होने से पूर्व समाप्त कर दिया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रश्नकर्त्ता विधायक के पत्र दिनांक 27-3-82 के सम्बन्ध में श्री सेठ, तत्कालीन उप सचिव, सिंचाई के पत्रांक 135 एम0 एम0/82/23 सि0-6, दिनांक 22-4-82 के माध्यम से मुख्य अभियन्ता (गंडक) सिंचाई, गोरखपुर से आख्या मांगी गई थी।

हरखौली नाले की सफाई के लिए कोई धन स्वीकृत नहीं हुआ है परन्तु इस नाले की सफाई की आवश्यकता की दृष्टि से सर्वेक्षण के उपरान्त डी0 आर0 डी0 ए0 से 1·40 लाख रुपये की योजना की स्वीकृति प्राप्त करके राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत दिसम्बर, 1982 तथा जनवरी से मार्च, 1983 में इस नाले की सफाई का कार्य कराया गया।

ग्राम चोरडिहा से जलनिकासी हेतु एक प्राकृतिक नाला जमुआर नाला है इस नाले की सुधार की एक योजना बनाई गई है, जिसे राज्य बाढ़ नियन्त्रण परिषद की तकनीकी सलाहकार समिति की आगामी बैठक में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जायगा। स्वीकृति के उपरान्त तथा धन उपलब्ध होने पर यह कार्य कराया जाना संभव हो सकेगा।

अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) मथुरा की जीप की दुर्घटना में श्री पूरन सिंह कर्दम की मृत्यु तथा अन्य घायल व्यक्तियों की अनुदान

200--श्री सरदार सिंह--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दि0 12-4-83 को अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम मथुरा की जीप नम्बर यू0 आर0 1626 मथुरा दिल्ली मार्ग पर हरियाणा राज्य में दुर्घटनाग्रस्त हो गयी थी जिसमें उ0 प्र0 रिपब्लिकन पार्टी के मण्डलीय अध्यक्ष श्री पूरन सिंह कर्दम की मृत्यु हो गई थी व अन्य 6 व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हुये थे ?

यदि हां, तो घटना कन पूर्ण विवरण क्या है ? क्या शासन मृतक व घायलों के परिवारों को अनुदान प्रदान करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहर.--

हां, दिनांक 12-4-83 को अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण), मथुरा की जीप न0 1626 यू0 आर0 आर मथुरा दिल्ली मार्ग पर हरियाण, राज्य में दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जिसमें उ0 प्र0 रिपब्लिकन पार्टी के मण्डलीय अध्यक्ष, श्री पूरन सिंह कर्दम की मृत्यु तथा अन्य 6 व्यक्ति घायल हुए थे। मृतक व घायलों के परिवारों का अनुदान प्रदान करने हेतु कोई प्राविधान निगम में नहीं है।

प्रदेश में विदेशी शराब की दुकानों पर मारे गये छापे एवं दोषी दुकानदारों के विरूद्ध कार्यवाही

201--श्री शंकर सिंह--

क्या आबकारी मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कुल कितने विदेशी शराब के लाइसेन्सी हैं ? दिसम्बर, 1982 तथा जनवरी, 1983 में प्रदेश में कितनी विदेशी शराब की दुकानों पर छापे मारे गये तथा उनमें कितने दुकानदारों को तस्करी की शराब बेंचने व दोषी पाए गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

आबकारी मंत्री (श्री विद्या भूषण)--

वर्ष 1982-83 में कुल 445 विदेशी मदिरा के अनुज्ञापी थे। दिसम्बर, 82 तथा जनवरी, 83 में कुल 485 विदेशी मदिरा की दूकानों पर छापे मारे गये और इसमें 115 दुकानदारों को तस्करी की शराब बेचने के लिए दोषी पाया गया। दोषी दुकानदारों के विरुद्ध लाइसेंस निरस्त करने, प्रशमित करने एवं अभियोजन जैसी कार्यवाही नियमानुसार की गई।

प्रगति आश्रम हाई स्कूल बालागंज, लखनऊ को बेसिक शिक्षा अधिनियम तथा उ0 प्र0 इंटर मीडिएट एजूकेशन ऐक्ट के प्राविधानों से छूट प्रदान करने का आधार

202--श्री गोपीनाथ वर्मा--

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 1 ले बुधवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं 24 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जब शिक्षा विभाग द्वारा उ0 प्र0 इंटरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट, 1921 तथा उ0 प्र0 बेसिक एजूकेशन ऐक्ट, 1972 एवं उसके अन्तर्गत निर्मित विनियमों व नियमावलियों के प्राविधानों से जब प्रगति आश्रम हाई स्कूल बालागंज, लखनऊ को कोई छूट प्रदान नहीं की गयी है, तब शासनदेश संख्या 649-ख/छब्बीस-103/71, दिनांक 22-11-72 में उल्लिखित शासकीय/ कार्यपालिका के निदेश जोकि उपरलिखित अधिनियमों एवं उनके अन्तर्गत निर्मित स्टेट्यूटरी विनियमों एवं नियमावलियों के प्रतिकूल हैं के अनुसार कार्यवाही किए जाने का संवैधानिक आधार क्या है ?

श्री गुलाब सेहरा--

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

*श्री पंचानन राय--

मान्यवर, जो अतारांकित सवालों की सूची संलग्न होती है इसके बारे में दो बातों पर आपका संरक्षण चाहता हूं । पहला तो अध्यक्ष पीठ से जो प्रकिया सम्बन्धी करण जारी हुआ है उसमें एक बार से ज्यादा सवाल को सरकार स्थगित नही करा सकती है । अतारांकित प्रश्न संख्या 49 परिवहन विभाग का है जो कि केवल आजमगढ़ से सम्बन्धित है । इसमें केवल इतना पूछा गया है कि 1-1-82 से 21-1-83 तक कुल कितनी नियुक्तियां हुईं और उसमें हरिजन कोटा पूरा है या नहीं ? यह प्रश्न पिछले सत्र में दो बार स्थगित हुआ और इस बार पुनः स्थगित है । एक प्रश्न में केवल इतनी जानकारी मांगी गयी है कि कुल नियुक्तियां कितनी हुईं और हरिजन आरक्षण पूरा है या नहीं ? मान्यवर, नियम विरूद्ध तीसरी बार स्थगित हो गया ।

श्री अध्यक्ष--

आप जो कुछ कह रहे हैं, लिखकर दे दें । मैं जांच करने के बाद निर्णय दे सकूगा मेरे लिये सम्भव नहीं है कि यह बता दूं कि किस प्रकार गड़बड़ी हुई है ।

श्री पंचानन राय--

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं । जो अतारांकित सवाल हैं कम से कम शासन को आपकोनिदेश देना चाहिये । पिछले सत्र में भी यह सवाल अनेको बार उठा । या तो उत्तर आता नहीं है और आता है तो गलत आता है कहें तो किसी प्रश्न का उत्तर पढ़ दूं । पूछा कुछ गया है उत्तर कुछ है । इस प्रश्न को तीसरी बार स्थगित करा दिया जो नियम विरुद्ध है ।

इसको स्थगित नहीं होना चाहिये था । मेरे कुल 12 सवाल है परिवहन, समाज कल्याण और सिंचाई के हैं ।

श्री अध्यक्ष--

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं । आप लिखकर दे दीजिये ।

(समय 12 बजकर 23 मिनट)

निर्वाचन क्षेत्र जलालाबाद (शाहजहांपुर) के कतिपय ग्रामों को गंगा तथा राम गंगा नदी की बाढ़ से हुई क्षति के सम्बन्ध मे नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम आसरे वर्मा--

व्यवस्था का प्रश्न है । मैंने लिखकर दिया है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

निर्वाचन क्षत्र जलालाबाद (शाहजहांपुर) के कतिपय ग्रामों को गंगा तथा रामगंगा नदी की बाढ़ से हुई क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें उसको बाद में लेंगे । नियम 301 के अन्तर्गत आज 27 सूचनाएं प्राप्त हुई जिनमें से 7 सूचनायें, श्री उदयबीर सिंह, श्री बदन सिंह, श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी व श्री किरनपाल सिंह, श्री विजय सिंह राना और श्री अकबाल हुसैन की मैंने स्वीकार की है ।

*श्री उदय वीर सिंह--

मैं आपके माध्यम से आदरणीय सदन का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र जलालाबाद (शाहजहांपुर) में गंगा, राम गंगा अदि नदियों की भयंकर बाढ़ के कारण से जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया है । शासन की ओर से बाढ़ पीड़ितों को कोई भी सहायता नहीं मिल पा रही है ।

बाढ़ के कारण से ही बीमारी का प्रकोप फैल रहा है । रोकथाम की कोई समुचित व्यवस्था भी नहीं है । जहांनाबाद खमरिया, सरफरा, भरतपुर, पैलानी आदि ऐसे पचासों गांव गंगानदी की चपेट में आ चुके हैं यदि अविलम्ब इसकी रोकथाम नहीं की गयी तो जनजीवन अस्त-व्यस्त हो जायगा फसल तो नष्ट हो ही चुकी है ।

अतः मांग करता हूं कि बाढ़ विभीषिका की रोकथाम युद्धस्तर पर की जाय तथा लोगों को राहत पहुंचायी जाय ।

आगरा जनपद की तहसील किरावली में बाढ़ तथा गर्मी से फसलों को क्षति तथा बीमारियों के प्रकोप के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बदन सिंह--

मान्यवर, आगरा जनपद की तहसील किरावली के 30 ग्राम बाढ़ तथा 100 ग्राम गर्मी ग्रस्त हैं । खरीफ की पूरी फसल नष्ट हो गयी है । हजारों एकड़ भूमि में रबी की फसल नहीं बोई जा सकेगी । पशुओं में व्याप्त खुरपका के भंयकर रोग से लगभग 12,000 पशु मर चुके हैं और मरने का यह क्रम जारी है उनकी लाशें सड़ रही हैं । दवाइयां न छिड़कने से मलेरिया रोग से लगभग 20,000 व्यक्ति पीड़ित हैं । पशु व जन रोग निवारणार्थ सरकारी डाक्टर ग्रामो में नहीं पहुंच रहे हैं । नीम हकीम इन्हें लूट रहे हैं । पशुधन हानि से किसान मिट चुका है उनमें हाय-हाय व त्राहि-त्राहि मचीं हुई है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय को शासन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि वहां जल निकासी तथा गांव में पशु एवं जन डाक्टर भेजने की शीघ्र व्यवस्था की जाए और दोषी अधिकारी दण्डित किये जायें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पर्वतीय क्षेत्र में कार्यरत मस्टर रोल कर्मचारियों को विद्युत विभाग द्वारा नौकरी से हटाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी--

मान्यवर, विद्युत विभाग द्वारा ठेकेदारी तथा मस्टर रोल पर कार्य कराने पर रोक लगाने से पर्वतीय क्षेत्र में विद्युत विस्तार की सारी योजनाएं ठप्प पड़ गयी हैं। हाल ही में विभागीय निर्णय के अनुसार हरदुआ गंज, पनकी आदि स्थानों से लगभग 450 दैनिक मजदूरों को जिन्हें पर्वतीय क्षेत्र में काम करने का अनुभव नहीं है, अस्थायी नियुक्तियों पर पर्वतीय क्षेत्र में भेजा गया है। वहां जाने के लिए ये मजदूर मना कर रहे हैं पर्वतीय क्षेत्र के स्थानीय दैनिक मजदूरों को जो वर्षों से मस्टररोल पर काम करते आ रहे हैं, को नौकरियों से वंचित कर दिया गया है जिससे उनमें भंयकर निराशा, असन्तोष एवं आक्रोश व्याप्त हो गया है।

अतएव मैं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं सुनिश्चित प्रश्न की ओर माननीय विद्युत मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं कि वहां विभाग में पूर्व से कार्यरत अनुभवी स्थानीय दैनिक मजदूरों को ही नियमित कर सेवा में लिया जाए तथा बाहर से इन पदों पर की गयी नियुक्तियां निरस्त की जाएं।

निर्वाचन क्षेत्र मंझनपुर (इलाहाबाद) में सूखे का प्रकोप तथा सिंचाई व्यवस्था की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी--

मान्यवर, आजकल लगभग 15 दिनों से जनपद--इलाहाबाद में अत्यंत सूखा पड़ रहा है। सूखे के प्रकोप से विशेष रूप से तहसील मन्झनपुर मेरा निर्वाचन क्षेत्र तथा पूरा दोआबा भंयाकर रूप से प्रभावित है। किसानों की फसल तथा विशेष रूप से धान की फसल सूखी जा रही है। विगत 20 सूत्रीय बैठक में जिलाधिकारी के समक्ष इसकी चर्चा की गयी परन्तु सम्बन्धित अधिकारियों ने बताया कि किशनपुर पम्प नहर खराब होने से दो वर्ष तक नहरों से सिंचाई की व्यवस्था समुचित रूप से नहीं की जा सकती है। इस खबर से कृषकों में घोर असंतोष और अविश्वास की भावना उत्पन्न हो गयी है।

अतः मैं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय और निश्चित विषय की ओर नियम-301 के अन्तर्गत माननीय सदन द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं तथा मांग करता हूं कि ठोस विकल्प के रूप में सिंचाई व्यवस्था करें, जिससे बहुत बड़े असंतुलित जन आन्दोलन तथा जन आक्रोश को बचाया जा सके।

जनपद बुलन्दशहर में गन्ने की फसल को बीमारी के प्रकोप से रोकथाम की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री किरनपाल सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन एवं सरकार का ध्यान अति अविलम्बनीय लोक महत्व की स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद बुलन्दशहर के किसानों की कैश क्राप ईख है। ईख को पैदा करने में किसान अपनी वर्ष की कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा खाद पानी व कीटनाशक दवाइयों में लगा देते हैं आज कल जनपद बुलन्दशहर में ईख की फसल में भयानक रोग लगा हुआ है, टीप बोरर किस्म की कीड़ाजनित बीमारी से जनपद की लगभग 50 प्रतिशत ईख की फसल नष्ट हो चुकी है। इस बीमारी के कारण किसानों में व्यापक असंतोष फैलता जा रहा है। जिलाधिकारी तथा फसल सुरक्षा अधिकारी का अनेकों बार इस ओर ध्यान आकर्षित किया गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। यदि इसी प्रकार से उक्त रोग फैलता रहा तो ईख की फसल बुरी तरह से चोपट हो जायेगी तथा किसान को बहुत बड़ी हानि होगी।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि ईख की फसल में फैले हुइ इस भंयकर रोग की रोकथाम के लिए अविलम्ब कीटनाशक दवाओं का एरियर स्प्रे कराया जाय।

आगरा जिले के कतिपय नालों की खुदाई का कार्य पूर्ण न किये जाने से पानी के भराव के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विजय सिंह राना--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन एवं शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आगरा जिले में मिड़ाकुर नाला, गढ़ी गुलजारी नाला, नानपुर नाला, अंगूठी नाला, गढ़ी दौलता नाला, सहारा नाला, मिर्जापुर नाला और खेड़ा भगौड़ नाला जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत हुए हैं किन्तु विभागीय अधिकारियों की अकर्मण्यता और अक्षमता के कारण यह नाले अभी तक पूरे नहीं हो सके हैं। कुछ नालों को बिलकुल ही नहीं खोदा गया है और कुछ को खोद करके अधूरा छोड़ दिया गया है। अतः इस सम्पूर्ण क्षेत्र में चारों ओर अथाह जलराशि भरी पड़ी हुई है, जिसके परिणामस्वरूप समीपवर्ती गांव में भीषण तबाही मच रही है। सम्पूर्ण क्षेत्र की फसल नष्ट हो गयी है, गांव में आने जाने का कोई रास्ता नहीं रह गया है और पानी के भराव के कारण गांवों में भयंकर रूप से मलेरिया फैल गया है जनता में त्राहि-त्राहि मची हुई है। इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर शासन से अनुरोध है कि स्वीकृत नालों को तुरन्त पूरा कराया जाय एवं दोषी अधिकारियों को दण्डित किया जाय और प्रभावित जनता को तुरन्त आर्थिक सहायता पहुंचायी जाय।

ग्राम चौधरी डोह थाना हरैया जनपद गोण्डा में हरिजनों से बेगार लिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 अन्तर्गत सूचना

*श्री अकबाल हुसैन--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सदन के संज्ञान में इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को लाना चाहता हूं कि ग्राम चौधरी डीह, थाना हरैया गोण्डा के श्री कामेश्वर नाथ तिवारी पुत्र श्री राम दास तिवारी, ग्राम प्रधान श्री लालता प्रसाद का एक गिरोह है जो हरिजनों और निर्बल वर्ग से जबरदस्ती बेगार लेते हैं। दिनांक 18-6-83 को बेगार न करने पर इसहाक, श्रीमती

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अकबाल हुसेन---]

फातिमा, खैराती और शब्बीर का हाथ पैर इन लोगों ने तोड़ दिया । उसके बाद रामानन्द पुत्र रघुवीर को दिनांक 7-8-83 को खूब मारा और फर्जी पुलिस को रिपोर्ट करके चालान करा दिया । फिर कृपा पुत्र बुधई को दिनांक 15-16 अगस्त को रात को पकड़ कर तथा फर्जी रिपोर्ट लिखा कर चालान करा दिया । जिससे तमाम लोग गांव छोड़कर भाग गये हैं । इसीलिये मैं सरकार से मांग करता हूं कि बेगार प्रथा को समाप्त करने तथा श्री कामेश्वर नाथ के उत्पीड़न को खत्म करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें तथा दोषी व्यक्तियों को दण्डित करें ।

श्री अकबर अहमद व श्री सुरेश दत्त पालीवाल के निलम्बन के शेष भाग को वापस लेने का प्रस्ताव

*श्री राम आसरे वर्मा---

मान्यवर, कल जिस समय कार्य-स्थगन की सूचनाओं पर सदन में चर्चा हो रही थी और जौनपुर के कुंचन गांव का मसला उठाया गया था, इस माननीय सदन के सदस्य श्री अकबर अहमद एवं श्री सुरेश दत्त पालीवाल वेल में आ गये थे और चूंकि मामला उनके दल से सम्बन्धित था इसलिये उनका उत्तेजित हो जाना स्वाभाविक है । मैं भी सदन के वेल में आ गया था लेकिन बाद में वापस चला गया । तो सदन में जो स्थिति बन गयी थी शोर और व्यवधान में उसमें आप कार्यवाही में देख लें, आपके निर्देशों को सुनना कठिन हो गया था । यहां तक कि रिपोर्टर्स के लिये भी सुनना कठिन हो गया था । खैरुल बशर साहब भी आ गये थे वेल में, आपके निर्देश के बाद चले गये । रिपोर्टर्स भी उस बात को सुन न पाए तो मान्यवर, ऐसी स्थिति बन गयी थी ।

श्री अध्यक्ष---

कार्यवाही तो आपने फाड़ दी थी ।

श्री राम आसरे वर्मा---

मान्यवर, उनमें उस समय उत्तेजना उत्पन्न हो गयी थी । मान्यवर, कल जो निर्णय हो गया उस पर तो टीका टिप्पणी करना उपयुक्त नहीं है लेकिन मान्यवर, इसमें जो कार्यवाही की गयी है, निलम्बन को तो नियम 299 में निलम्बन वापस लेने का प्रावधान किया गया है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से यह अपेक्षा करूंगा कि वे इस बात का प्रस्ताव लाएं ।

श्री अध्यक्ष---

क्या आप औचित्य का प्रश्न ला रहे हैं ?

श्री मोहन सिंह---

मान्यवर, जो निलम्बन हुआ है, ये उसको वापस लेना चाहते हैं । औचित्य....

श्री अध्यक्ष---

औचित्य का प्रश्न एक बात है और निलम्बन वापस लेना दूसरी बात है । आप कृपया बैठें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय, बातें अलग-अलग हो सकती हैं ।

श्री मुख्तार अनीस--

माननीय, उन लोगों का जो निलम्बन किया गया है, उसे वापस लिया जाय ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप सभी लोग बैठें ।

श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उनके निलम्बन को वापस ले लें ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

माननीय, जो औचित्य का प्रश्न यहां पर उठाया गया है, उस पर तो निर्णय आपको ही करना है । लेकिन माननीय सदस्यों ने जो इच्छा व्यक्त की है उसको देखते हुए मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि जो निलम्बन हुआ है, उसे वापस ले लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

आपने शेष भाग के बारे में तो कहा नहीं, उसके बारे में भी कहें ।

श्री अम्मार रिजवी--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय श्री अकबर अहमद तथा माननीय श्री सुरेश दत्त पालीवाल के निलम्बन का शेष भाग को वापस लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि श्री अकबर अहमद व श्री सुरेश दत्त पालीवाल के निलम्बन का शेष भाग वापस लिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

जिले की विकास योजनाओं से सम्बन्धित समितियों की अध्यक्षता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेश के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री मोहन सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके संज्ञान में यह प्रश्न लाना चाहता हूं कि इस सदन के कार्य तथा जिन नियमों का विनिश्चय होता है, यदि इन नियमों का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मोहन सिंह—]

उल्लंघन होता है तो उसके लिए यह सदन तथा इस सदनका रूप मंत्रिपरिषद् ही इसके लिए जिम्मेदार है। प्रशासन के ऊपर इस मंत्रिपरिषद् का अंकुश होता है। लेकिन मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि एक साल से इस सरकार के निकम्मेपन के कारण एक नयी परिपाटी इस उत्तर प्रदेश में चल रही है। बिना मंत्रिपरिषद् की इजाजत लिए, बिना मुख्य मंत्री की आज्ञा से तथा बिना सम्बन्धित विभाग के मंत्री की इजाजत लिए इस प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त निरन्तर एक के बाद एक जी० ओ० जारी करते जा रहे हैं। पिछली बार भी इस माननीय सदन में यह प्रश्न उठा था। उस समय कहा गया था कि जितनी भी प्राधिकरण समितियां हैं सभी जिलों में विकास योजना हेतु, उनमें बिना मुख्य मंत्री तथा सम्बन्धित विभाग के मंत्री की सहमति लिए राजाज्ञाओं को जारी किया जा रहा है। माननीय विधायकों को उन समितियों से अलग किया जा चुका है। उस समय माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह स्पष्ट आश्वासन दिया था, आप दिनांक 7-4-1983 की प्रोसीडिंग को देख लें, कि यदि इस तरह की कोई राजाज्ञा बिना हमारी अनुमति के जारी की गई होगी तो हम सम्बन्धित अधिकारी को दण्ड देंगे। मान्यवर, दण्ड देना तो अलग रहा उसके बाद फिर से एक राजाज्ञा बिना अनुमति के जारी कर दी गई है। उसमें कहा गया है कि इन समितियों के अध्यक्ष जिलाधीश होंगे। मान्यवर, आपके पीठ से बार-बार यह व्यवस्था दी गई है कि माननीय विधायकगण ऐसी समितियों में नहीं जायेंगे जिनका अध्यक्ष एक प्रशासनिक अधिकारी होगा।

मान्यवर, जब जनता पार्टी की सरकार थी तो उस समय 56 पद क्लास वन के बी० डी० ओज० को दिये गये थे। जिनका प्रमोशन डी० डी० ओ० में होना था। लेकिन ए० पी० सी० महोदय ने यह आदेश पारित कर दिया कि सभी जगह सी० डी० ओ० और ए० डी० एम० (डी०) नियुक्त कर दिये जायं। हमें वहां के एक एसोसियेशन ने बताया कि उत्तर प्रदेश में सभी जगह ए० डी० एम० (डी०) तथा सी० डी० ओ० की पोस्टिंग हो चुकी है।

मान्यवर, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि इस प्रदेश में ऐसे भी अधिकारी हैं या ऐसे भी ए० पी० सी० हैं, जो बिना मुख्य मंत्री तथा सम्बन्धित विभाग के मंत्री की सहमति से राजाज्ञा जारी कर देते हैं। इस आदरणीय सदन की भी अवज्ञा करता है। जब सदन में यह बात आती है, तो मुख्य मंत्री का आश्वासन होता है। उस आश्वासन के बावजूद वे आदेश निरन्तर राजाज्ञा के रूप में प्रसारित करें, इससे बड़ी निकम्मेपन की बात इस सरकार और इस सदन के लिए और कोई नहीं हो सकती। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में शासन और मुख्य-मंत्री स्वयं जवाब दें और यदि वे जवाब नहीं देते हैं तो यह समझेंगे कि यह मंत्रिपरिषद् इस सदन के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं मानता है और जो सरकार इस सदन के प्रति जिम्मेदार नहीं है, तो ऐसी सरकार के रहते इस सदन के जो कार्य चल रहे हैं, वे संविधान सम्मत नहीं हैं और नियमों के अनुकूल नहीं हैं।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, इसी सन्दर्भ में औचित्य का प्रश्न मैंने भी उठाया था, इसकी सूचना मैंने आपको दी थी। मान्यवर, इस आदरणीय सदन में पिछली 4 अप्रैल, 1983 को मैंने एक प्रश्न उठाया था और उस प्रश्न के सम्बन्ध में इस आदरणीय

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सदन में हंगामा हुआ । हंगामें के उपरान्त 7 अप्रैल, 1983 को माननीय अध्यक्ष जी आपके कक्ष में एक बैठक हुई । उस बैठक में माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय ग्राम्य विकास मंत्री और विभिन्न दलों के नेताओं के साथ में स्वयं भी उसमें उपस्थित था । उसमें कुछ निर्णय हुए थे । वहां के चर्चाओं के सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं कहना है । लेकिन, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि उसके सन्दर्भ में माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बयान इस आदरणीय सदन में दिया है, आपकी अनुमति से, उसका सरांश मैं यहां पर प्रस्तुत करना चाहूंगा । दो बिन्दुओं पर चर्चायें हुई थीं ।

एक बिन्दु यह था कि क्या कोई शासनादेश बिना सम्बन्धित मंत्री के कांग्निजेंस के, बिना उनकी सहमति से या बिना उनकी जानकारी के निर्गत हो सकता है । दूसरा यह था कि जो सारे देश के पीठासीन अधिकारियों की कांफ्रेंस हुई हैं, उसमें जो समीक्षायें हुई हैं और इस आदरणीय सदन को उस पीठ से जो निर्देश हुए हैं कि किसी भी ऐसी कमेटी की मीटिंग में, जिसकी अध्यक्षता कोई सरकारी अधिकारी करे, उसमें जनप्रतिनिधि को नहीं जाना चाहिये । जिस कमेटी में विधायक रहेगा उसकी अध्यक्षता सरकारी अधिकारी नहीं करेगा। मान्यवर, यह बातें आयी थी । मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन में बयान दिया था और जो आश्वासन दिया था, उसका सारांश मैं आपकी अनुमति से पढ़ कर सुना रहा हूं । यह 7-4-83 की कार्यवाही के पृष्ठ 36 पर छपा है ।

"कक्ष में क्या बात हुई इसका हवाला देना मैं समझता हूं, उचित नहीं है । लेकिन दो बातें स्पष्ट हैं और आपकी पीठ से तथा माननीय अध्यक्षों की सभायें जो हुई हैं देश में वहां भी निर्णय हो चुका है । जिस कमेटी में विधायक रहेगा उसकी अध्यक्षता सरकारी अधिकारी नहीं करेगा । यहां भी इस बात को लेकर पहले भी बात आई और वही निर्णय यहां भी लिया गया है । अभी पिछले दिन हाउस में भी यह बात आई थी, जिसके सम्बन्ध में यह बात हुई थी कि कोई जी० ओ० निकल गया है जिसमें विधायकों का नाम उसमें न रहे और उसके सम्बन्ध में यह बात हुई कि जी० ओ० निकल गया और मंत्री जी को ज्ञात नहीं है, कैसे निकल गया, तो वही प्रश्न अभी फिर आया है और वह निर्णय होने के लिए है जो निर्णय आप देंगे ।

दो बातों से मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं । माननीय सदस्यों के गौरव की स्थापना और अध्यक्ष पीठ से हुए निर्णयों को शासन के लिए, सरकार के लिए सर्वोपरि समझता हूं । जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि केन्द्रीय सरकार से या दूसरी जगह से गाईड लाइन हैं, उनको देखते हुए, उनका अध्ययन करने के उपरान्त अगर आवश्यकता हुई तो बिना केन्द्रीय सरकार की अनुमति लिए हुए हम आपके निर्णय को अध्यक्ष पीठ के निर्णय को स्थापित करेंगे । अगर कोई कानूनी अड़चन आती है तो केन्द्रीय सरकार को हम आपकी इस भावना से अवगत करायेंगे कि हमारे विधायक यह नहीं चाहते हैं कि जिसमें वह हों, सरकारी अधिकारी उसकी अध्यक्षता करें । मुझे विश्वास है कि केन्द्रीय सरकार माननीय सदस्यों, सांसदों, विधायकों की भावनाओं को समझेगी, इसको मानने में दिक्कत न होगी । इसके बाद है . .जी० ओ० की बात आई, संवैधानिक ढंग से जो भी संविधान में है उसके प्रतिकूल किसी को भी कार्य करने का अधिकार नहीं है । कहीं अगर ऐसा हुआ है उसको देखा जायगा, जो जिम्मेदार है, उसके

[श्री जर्नादन प्रसाद ओझा---]

खिलाफ कार्यवाही की जायेगी । दूसरी बात यह है कि कोई जी० ओ०, कोई आदेश निकलने की प्रक्रिया अलग-अलग है । बहुत से जी० ओ० ऐसे हैं जो मन्त्री की स्वीकृति से मन्त्र की जानकारी के अलावा निकल सकते हैं । बहुत से ऐसे हैं जो बिला जानकारी के नहीं निकल सकते । मैं यह मानता हूं कि कानून हो या न हो जब उस विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी मन्त्री है तो बिला उसकी जानकारी के कोई कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये, क्या वस्तुस्थिति थी उसकी जानकारी कर लूंगा ।"

यह बात माननीय मुख्य मन्त्री ने स्पष्ट रूप से कहा था कि शासनादेश बिना मन्त्री की कागनीजेन्स के बिना जानकारी के नहीं निकलेगा । माननीय मुख्य मन्त्री जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि जिस भी समिति में कोई माननीय विधायक सदस्य होंगे, उसकी अध्यक्षता अधिकारी नहीं करेगा । माननीय मुख्य मन्त्री जी के आदेशों की खुली अवज्ञा ए० पी० सी० कर रहे हैं । ग्राम्य विकास मन्त्री जी ने बताया था कि 4 आदेश इस सम्बन्ध में निकल गये हैं, लेकिन मुझे ज्ञात हुआ है कि 20 शासनादेश ग्राम्य विकास, कृषि और सहकारिता विभाग से निकले हैं । आज मान्यवर, इस आदरणीय पीठ से आप इस बात का निर्णय करें कि यह मामला कितना संवैधानिक है । सर्वोपरि स्थान प्रदेश में किसका है, जनप्रतिनिधियों का है, मुख्य मन्त्री का है या नौकरशाही का है । अगर इसका निर्णय नहीं हुआ तो आदरणीय सदन चलेगा नहीं । जैसा कि सन्दर्भ माननीय मोहन सिंह जी ने दिया जनता शासन ने 56 ब्लाक-1 की पोस्टें बी० डी० ओ० को दीं, विकास अधिकारी बनाया गया, यह मन्त्रिपरिषद् का फैसला था । मन्त्रिपरिषद् के बिना फैसले के ए० पी० सी० ने इन पदों को समाप्त कर दिया । केवल 11 जगहें दी हैं और वह भी पहाड़ में दी हैं । माननीय मुख्य मन्त्री के सचिव योगेन्द्र नारायण ने ए० पी० सी० को दो बार लिखा, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने भी लिखा कि जो भी किया है, गलत है, लेकिन वह आज तक वापस नहीं हुआ है । जानना चाहता हूं कि इस आदरणीय सदन को इस सरकार को कौन चला रहा है, ए० पी० सी० चल रहे हैं या मुख्य मन्त्री चला रहे हैं ? यह वही ए० पी० सी० हैं, जो पहाड़ों में पड़े रहें, इन्होंने 11 पद पहाड़ में दिये हैं ।

इनकी सरकार के इन्स्ट्रक्शन्स हैं कि कोई एक्सटेन्शन न दिया जाय । इन्होंने न जाने कितने लोगों को एक्सटेन्शन दिया है । यह वही आदमी है, जो शासन की नीतियों की खुली अवज्ञा करता है । सभी फाइलों पर अंग्रेजी में नोटिंग करते हैं । यहां मैं एक फाइल का जिक्र करूंगा । उसमें लिखा है कि माननीय सिंचाई मन्त्री चाहते हैं कि अमुक-अमुक खंड विकास अधिकारियों का स्थानान्तरण कर दिया जाय नहीं तो चुनाव पर विपरीत असर पड़ेगा । क्या माननीय सिंचाई मन्त्री ने ऐसा कहा है ? अगर नहीं कहा है, तो इनकी कैसे हिम्मत हुई कि फाइल पर ऐसी नोटिंग लिखी है । आज चाहे सदन चले या नहीं लेकिन सारे कामों को रोकिये, आज इस पर निर्णय होना चाहिये कि या तो मुख्य मन्त्री गलत बयानी करते हैं या नौकरशाह उनकी बात को मानती नहीं है । या तो मुख्य मन्त्री जी को बुलाइए और जिन बिन्दुओं पर मैंने ध्यान आकृष्ट किया है उसकी सफाई होनी चाहिये, अगर इसकी सफाई नहीं होती है तो यह आदरणीय सदन नहीं चलेगा ।

*श्री काशी नाथ मिश्र--

माननीय जनार्दन प्रसाद ओझा जी ने जो समितियों में कलेक्टर द्वारा अध्यक्षता की बात कही है, मैं उनकी भावना से अपने को सम्बद्ध करता हूं और मैं समझता हूं कि जनतांत्रिक प्रणाली में किसी भी मीटिंग में सदारत जिलाधिकारी को नहीं करनी चाहिये। डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एसोसियेशन एक नयी कमेटी बनायी गयी है। जहां तक कमेटी का प्रश्न है, माननीय विधायक उसके सदस्य हैं लेकिन उसकी सदारत जिलाधिकारी करें, यह किन जनतांत्रिक प्रणाली के नियमों के अन्तर्गत हो रहा है ;

(शोर)

बंगाल में ऐसा नहीं हो रहा है, कहीं पर भी ऐसा नहीं हो रहा है, उत्तर प्रदेश में कैसे हिम्मत पड़ी। लगता है कि हमारा उत्तर प्रदेश का प्रशासन जनतांत्रिक पकड़ के परे हो गया है।

(शोर)

तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस पीठ से कई बार घोषणाएं की गयी कि जितनी भी समितियां जिलों में चल रही हैं, उनकी अध्यक्षता विधायक ही अल्फाबेटिकली एक-एक करके करेंगे और डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एसोशियेशन समितियों की अध्यक्षता जिलाधिकारी करेंगे, यह निर्णय लिये गये थे, जिनका आज पालन नहीं हो रहा है, इसलिए मेरा यह औचित्य का प्रश्न है। कृपया इस पर आप अपना निर्णय दें।

*श्री राजेन्द्र सिंह--

श्रीमन्, जो औचित्य का प्रश्न माननीय मोहन सिंह, श्री ओझा और मिश्र जी ने उठाये हैं, मैं भी उनकी भावनाओं से अपने आप को सम्बद्ध करता हूं। माननीय, यह प्रसंग पहले भी कई बार आ चुका है कि जितनी भी जिले की विकास समितियां हैं और जिनके लिए धन केन्द्र से मिलता है, इसमें माननीय मुख्य मन्त्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि केन्द्र सरकार से वह पत्र-व्यवहार करेंगे और उन्हें राजी करेंगे कि ऐसी कमेटियों की अध्यक्षता माननीय सदस्य करेंगे। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रयास की ओर क्या कार्यवाही हुयी। दूसरे माननीय मुख्य मन्त्री जी द्वारा इस आदरणीय सदन में आश्वासन दिये जाने के बावजूद कृषि आयुक्त द्वारा इस प्रकार की राजाज्ञाएं क्यों जारी की गयी, इसलिए यह सदन यह कहने पर अब मजबूर हो गया है कि आपकी पकड़ अब कमजोर हो गयी है क्योंकि आपके अधिकारी आप द्वारा दिये गये आदेशों के विपरीत काम कर रहे हैं।

*मुख्य मन्त्री (श्री श्रीपति मिश्र)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पूरी बात तो नहीं सुनी, थोड़ी सी बात सुनी और जब यह बात मेरे कान में पड़ी कि शासन की पकड़ हाथ से निकली जा रही है, तब मैं चला आया।

श्री मसरूर जाफरी--

यह बात आपके साथी ही ने कही है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री श्रीपति मिश्र--

इसीलिए भागा हुआ चला आया हूं कि अपने साथी ने कही हैं, आप लोग तो कहते ही रहते हैं, जिससे डर नहीं महसूस करता लेकिन जब अपना कहने लगा तो सोचना पड़ा । वैसे इसके अन्दर केवल दो बातें सामने आयी थीं । एक तो यह कि किसी भी कमेटी को अध्यक्षता या तो माननीय संसद या माननीय विधायक करेंगे और कोई भी सरकारी अधिकारी उसकी अध्यक्षता नहीं करेंगे । दूसरी बात यह उठाई गयी कि ए० पी० सी० ने कहीं कुछ ऐसे आदेश जारी कर दिये हैं जो कि वह पूछे नहीं गये हैं, जैसे बी० डी० ओज० आदि को हटाने के सम्बन्ध में । तो मान्यवर, यह दो बातें अलग-अलग हैं । जहां तक अधिकारियों को अध्यक्षता का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में, इस सदन में बार-बार निर्णय हो चुके हैं कि किसी भी कमेटी को अध्यक्षता सरकारी अधिकारी नहीं करेंगे, जब तक कोई ऐसी कमेटी न हो जिसका ताल्लुक तकनीकी विषयों से सम्बन्धित हो या कोई अन्य मजबूरी हो ।

श्री मसरूर जाफरी--

मगर आपके और आदरणीय सदन के इन आदेशों के उल्लंघन भी आपके सामने ही हो रहे हैं ।

(शोर)

श्री श्रीपति मिश्र--

ऐसी स्थिति में यह आदेश जारी किए गए हैं और आपसे मैंने यह भी वायदा किया था कि इस सम्बन्ध में कुछ जहां ऐसी केन्द्रीय सरकार की गाइड लाइन्स में है, मैं उस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को भी लिखूंगा और उन्हें लिखा भी गया है । जहां तक जितनी भी कमेटीज हैं, सब में आदेश किये गये हैं कि कमेटियों के अध्यक्ष जन प्रतिनिधि हों, यदि कहीं नहीं हैं तो टेक्निकल कारण इसका हो सकता है । अगर कमेटी को अध्यक्षता के लिए किसी दूसरे को अध्यक्ष बनाया गया है, मैं नहीं कह सकता हूं, हो सकता है कि कहीं पर ऐसा होने से छूट गया हो, मैं आपको पुनः आश्वासन देता हूं अध्यक्ष सदन के सदस्य ही होंगे, दूसरे नहीं ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

यह जो जिला विकास अधिकरण बनाया गया है, पूरे विकास की प्रक्रिया वहां से होती है । मेरे विचार से अधिकरण में कोई टेक्निकल चीज नहीं आती है, उसमें यही देखना होता है कि कहां पर कौन चीज बनेगी तो उसका भी निर्णय यदि विधायक नहीं करेगा तो कौन करेगा ?

श्री श्रीपति मिश्र--

इस सम्बन्ध में मैंने आपसे कहा था, यह भी एक केन्द्रीय गाइड लाइन से विकेन्द्रीयकरण का प्रासेस है, शुरू हुआ है । सारे विकास के कार्य 30 प्रतिशत किए जाय ऐसी गाइड लाइन उत्तर प्रदेश को विकेन्द्रीयकरण करके किया गया था, उन्हीं के आदेश से अध्यक्षता की बात थी । मैं आपकी भावनाओं का आदर करते हुए आदेश करूंगा कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि ही उसकी अध्यक्षता करें ।

बी० डी० ओज के एप्वाइन्टमेन्ट के सम्बन्ध में जो बात कही गयी, तो उसके लिए जो आदेश किए गए थे, उसे रोक दिया गया है, जो आदेशों का कार्यान्वयन हो गया था उन्हें भी रोक दिया गया है । 9 या 12 जगह के अदेश किए गये थे । 6 जगहों से आदेश वापस आ गए हैं और जहां से भी वापस नहीं हुए हैं

उनको भी रोक दिया जायेगा। यह बी० डी० ओ० के प्रश्न को ले करके काफी दिनों तक यह मसविदा और बातचीत चलती रही उनके कुछ स्टैगनेशन की बात थी, उसे दूर करने के लिए उसमें इस तरह का स्टेप लेने की कोशिश की गयी कि इस तरह से शायद उनकी समस्या का समाधान हो इसलिए 50 पोस्ट दिलाई गयीं। रि-आर्गेनाइजेशन करके यह पोस्ट की गयीं जो कि हम लोगों के फैसले के अन्तर्गत ही थीं। केवल एक फैसला बी० डी० ओ० के बीच में लेने की बात थी और वह मंत्री मण्डल के फैसले के कोई विपरीत भी नहीं था कि यदि इससे समस्या का समाधान नहीं होता है, कोई दिक्कत फिर भी रहती है तो उसे रोक दिया गया है। ऐसा कुछ नहीं है कि शासन की नीतियों के प्रतिकूल कोई कार्य करें, यह डिटेल बात थी, जब मालूम हुआ कि यह ठीक नहीं पड़ेगी तो उसे बन्द कर दिया गया।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। चूंकि माननीय मुख्य मंत्री जी उस समय उपस्थित नहीं थे इसलिए ये पूरी बात सुन नहीं पाये। मेरी व्यवस्था के प्रश्न का बिन्दु यह था और जैसा कि अभी इस आदरणीय सदन में माननीय ओझा जी ने इस प्रकरण में जी० ओ० और सरकुलर को कोट किया कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस आदरणीय सदन में आश्वासन दिया था कि यदि अध्यक्षता के सम्बन्ध में यदि केन्द्र सरकार को समिति के सम्बन्ध में लिखना पड़ेगा तो उसको भी हम देखेंगे। तो फिर यदि मुख्य मंत्री जी को इस सम्बन्ध में कोई मजबूरी आयी तो सदन के संज्ञान में इन्हें अपनी मजबूरी को या अपनी स्थिति को रखना चाहिये था। उनके बिना संज्ञान में लाये, एक राजाज्ञा प्रसारित कर दी गयी। उस राजाज्ञा में था कि इन प्राधिकरणों की अध्यक्षता जिलाधिकारी ही करेगा। इस सम्बन्ध में यह व्यवस्था उठाया था कि क्या यह राजाज्ञा बिना मंत्री या मुख्य मंत्री की सहमति से प्रसारित की गयी है। अगर उनकी सहमति नहीं ली गयी है तो यह नियमों का उल्लंघन किया गया है और इनकी सहमति से यह प्रसारित की गयी है तो जो आश्वासन माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस सदन में दिया था, उस का बीच हुआ है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं और उनकी स्मरण शक्ति को ताजा करना चाहता हूं। उन्होंने दो वादे इस सदन में किए थे। 7 अप्रैल को आपने दो बातें कही थीं कि अगर कोई परेशानी होगी, केन्द्र की गाइड लाइन की बात होगी तो हम केन्द्र को लिखेंगे और किसी समिति की अध्यक्षता जिलाधिकारी नहीं करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह व्यवस्था बंगाल में है कि वहां पर उसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी नहीं करेगा, केरल में जिलाधिकारी अध्यक्षता नहीं करेगा और कर्नाटक में जिलाधिकारी अध्यक्षता नहीं करेगा। गुजरात जहां पर आपकी ही सरकार है वहां पर भी जिलाधिकारी अध्यक्षता नहीं करता है। 19 मई को शासनादेश निकला है जिस पर प्रतिमा दयाल के हस्ताक्षर हैं कि जिलाधिकारी अध्यक्षता करेंगे। इसका स्पष्टीकरण मैं चाहता हूं। आपके आश्वासन के विपरीत यह शासनादेश निकाला गया है जिसका कोई औचित्य नहीं है। आपने कहा था कि मंत्री ही सर्वोपरि है और बिना उसकी सहमति के कोई भी जी० ओ० निर्गत नहीं किया जायेगा और अगर कहीं पर ऐसा किया गया है तो छानबीन कराकर कठोर कार्यवाही की जायेगी। तो मैं

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—]

कहना चाहता हूं कि मान्यवर, तीन जी0 ओ0 की चर्चा है, लेकिन 20 जी0 ओ0 इस तरह से निर्गत किए गये हैं। कृषि विभाग, सहकारिता, ग्राम्य विकास, पशु पालन विभाग में बीसों जी0 ओ0 ऐसे निर्गत किए गये हैं जिनकी जानकारी माननीय मंत्री जी को नहीं है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों ने उनके आदेशो के विपरीत शासनादेश जारी किए हैं उनके विरुद्ध कौन सी कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

मैं नियमों को देखूंगा, जो कार्यवाही हुई है उसको देखूंगा और जो बेरे कक्ष में निर्णय हुआ है उसको भी देखूंगा। इसको मैं इस समय सुरक्षित करता हूं, बाद में निर्णय दूंगा।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, 1983

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिए प्राप्त उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, 1983, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1983

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिए प्राप्त उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1983 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1983

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिए प्राप्त उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1983, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं।

[समय 1 बजकर 4 मिनट]

मुख्य मंत्री के विरुद्ध श्री मलिक मुहम्मद कमाल युसुफ आदि द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ एवं श्री मोहन सिंह, सदस्यगण, विधान सभा ने दिनांक 9 फरवरी, 1983 को माननीय मुख्य मंत्री के विरुद्ध सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना दी है। माननीय सदस्यों का कहना है कि बस्ती जनपद के इटवा क्षेत्र के विधायक, श्री माता प्रसाद पांडेय ने थाना त्रिलोकपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष

श्री जयपति राय के विरुद्ध कार्य-स्थगन एवं विशेषाधिकार हनन का प्रश्न उठाया था, जिस पर जांच के लिए क्राइम ब्रान्च के इन्सपेक्टर, श्री हरिवंश मिश्र को नियुक्त किया गया था। माननीय सदस्यों के अनुसार उक्त इन्सपेक्टर की रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त माननीय मुख्य मंत्री ने जांच रिपोर्ट को फड़वाया और सदन की अवमानना की मंशा से जांच हेतु दूसरे अधिकारी को नियुक्त किया, ताकि सदन को गुमराह किया जा सके और उसके समक्ष सही तथ्य न आ सकें।

विशेषाधिकार की सूचना की प्रतिलिपि भेजकर माननीय मुख्य मंत्री की आख्या प्राप्त की गई। माननीय मुख्य मंत्री ने जांच रिपोर्ट फड़वाने के आरोप को निराधार बताया है और यह सूचित किया है कि दिनांक 15 मार्च, 1983 के तारांकित प्रश्न सं0 14 के उत्तर के दौरान सदन की भावना का आदर करते हुए शासन द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि प्रश्नगत मामले में जांच की कार्यवाही उसी विवेचक द्वारा की जायेगी, जो पहले से इस कार्य के लिए प्राधिकृत था।

मैंने दिनांक 22 मार्च, 1982, 5 अप्रैल, 1982 तथा 15 मार्च, 1983 की कार्यवाहियों को भलीभांति देखा है। इन कार्यवाहियों को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि माननीय श्री गुलाब सेहरा ने सदन में यह आश्वासन दिया था कि इस मामले में जो अधिकारी पहले जांच कर रहा था उसके द्वारा ही जांच करायी जायेगी। इस कार्यवाही से यह भी स्पष्ट होता है कि क्राइम ब्रांच के इन्सपेक्टर की अन्तरिम रिपोर्ट शासन के पास उपलब्ध है। दिनांक 15 मार्च, 1983 को अनुपूरक प्रश्नों के दौरान इस बात की ओर कोई संकेत नहीं किया गया था कि अन्तरिम रिपोर्ट फड़वा दी गई है अथवा बदलवा दी गई है।

वर्णित परिस्थितियों में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि सम्बन्धित विवेचक की अन्तरिम रिपोर्ट को फड़वाने अथवा बदलवाने के विषय में कोई ठोस आधार माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है और सदन की अवमानना का भी कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। इस मामले को विशेषाधिकार की अवहेलना के रूप में सदन में उठाने की अनुमति मैं नहीं देता हूं।

राज्य मन्त्री, सहकारिता के विरुद्ध श्री भोखा लाल द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

श्री भोखा लाल, सदस्य, विधान सभा ने सदन की अवमानना के प्रश्न की एक सूचना माननीय राज्य मन्त्री, सहकारिता के विरुद्ध दिनांक 4 मार्च, 1983 को दी थी। सूचना में माननीय सदस्य का कहना है कि विधान सभा के वर्ष 1983 के प्रथम सत्र के तीसरे गुरुवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 66 तथा चौथे गुरुवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 13 के सम्बन्ध में सदन में माननीय मंत्री द्वारा दिये गये उत्तरों में, जो एक ही विषय-वस्तु के सम्बन्ध में थे, परस्पर विरोधाभास है, जिससे सदन के अवमान का प्रश्न बनता है।

सूचना में आगे कहा गया है कि तीसरे गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 66 में माननीय सदस्य द्वारा यह जानकारी चाही गई थी कि क्या दिनांक 13 जून, 1982 को उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक की वार्षिक बैठक में प्रतिनिधियों को स्टील के डिनर सेट भेंट स्वरूप दिये गये थे। इसका उत्तर जो नहीं दिया

[श्री अध्यक्ष--]

गया जब कि चौथे गुरुवार के तारांकित प्रश्न संख्या 13 में श्री प्रदीप कुमार यादव द्वारा भी वही जानकारी मांगी गई थी कि क्या दिनांक 13 जून, 1982 को उक्त बैंक की साधारण सभा में 108 प्रतिनिधियों में वितरण हेतु 200 स्टेनलेस स्टील के डिनर सेट/टी सेट मुरादाबाद से मंगाये गये थे और उसमें बांटे गये थे, परन्तु माननीय राज्य मन्त्री सहकारिता द्वारा उसका उत्तर 'जी हां' दिया गया था। साथ ही शिकायत के अनुसार उक्त प्रश्न संख्या 13 के सम्बन्ध में पूछे गये अनुपूरक प्रश्नों के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा अग्रेत्तर जानकारी किये जाने पर माननीय मन्त्री ने प्रत्येक डिनर सेट की कीमत तथा सम्पूर्ण डिनर सेटों पर व्यय की गई धनराशि भी बतायी थी। इस प्रकार माननीय भीखालाल की शिकायत है कि एक ही घटना से सम्बन्धित विषय-वस्तु पर माननीय मन्त्री की ओर से दो भिन्न उत्तर दिये गये और उनके उक्त प्रश्न संख्या 66 के उत्तर में तथ्यों को छिपाकर गलतबयानी की गई तथा सदन को गुमराह किया गया। मैंने इस सम्बन्ध म माननीय राज्य मंत्री, सहकारिता से वस्तु स्थिति की जानकारी प्राप्त की। माननीय राज्य मन्त्री ने यह सूचित किया है कि तीसरे गुरुवार के श्री भीखा लाल के अतारांकित प्रश्न संख्या 66 में स्टील के डिनर सेट बांटे जाने की बात पूछी गयी थी, अतः उसका उत्तर 'जी नहीं', दिया गया था, क्योंकि वास्तव में 'टी सेट' बांटे गये थे न कि 'डिनर सेट', और चूंकि चौथे गुरुवार अर्थात 3 मार्च, 1983 के तारांकित प्रश्न संख्या 13 में स्टेनलेस स्टील के डिनर सेट/टी सेट बांटे जाने की बात पूछी गयी थी इसलिए उत्तर, 'जी हां' दिया गया था, क्योंकि 'टी सेट' बांटे गये थे। जहां तक 3 मार्च, 1983 के उक्त प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्नोत्तर की कार्यवाही का मामला है, उन्होंने सूचित किया है कि उसमें एक स्थान पर उनके द्वारा दिये गये उत्तर में 'टी सेट' के बजाय 'डिनर सेट' लिख गया, परन्तु चूंकि 'टी सेट' ही बांटे गये थे अतः सदन की कार्यवाही में उनके उत्तर में 'डिनर सेट' के स्थान पर 'टी सेट' ही होना चाहिये था। माननीय मन्त्री ने यह भी सूचित किया है कि उनके द्वारा कार्यवाही के संगत उद्धरण, जो उन्हें शुद्धियों (यदि कोई हों) को ठीक करने के लिए भेजे गये थे, में इस त्रुटि को दूर करते हुए विधान सभा सचिवालय को वापस किये जा चुके हैं।

संशय के निराकरण हेतु मैंने प्रश्नगत सामले में स्टेनलैस-स्टील के सेटों के क्रय से सम्बन्धित लेखों को मंगवाया। शासन ने उक्त सेटों के खरीद सम्बन्धी दो बिलों की फोटोस्टेट प्रतियां भेजी हैं जिनसे माननीय राज्य मन्त्री, सहकारिता के 24 मार्च, 1983 के पत्र में स्पष्ट की गयी स्थिति तत्वतः ठीक प्रतीत होती है।

मैंने सम्बन्धित प्रश्नोत्तर, दिनांक 3 मार्च, 1983 की कार्यवाही तथा माननीय राज्य मन्त्री, सहकारिता द्वारा सामान्य प्रकृति की शुद्धियों सहित लौटायी गयी कार्यवाही के अंश का अवलोकन किया है। शासन से प्राप्त स्टेनलैस-स्टील के टी सेटों के खरीद सम्बन्धी बिलों की फोटो स्टेट प्रतियों का मैंने अवलोकन किया है। पूरे प्रकरण पर समग्र विचारोपरान्त में इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस मामले में सदन में जानबूझ कर कोई गलत बयानी नहीं की गयी है और भूलवश जो त्रुटि हो गयी थी उसे माननीय राज्य मन्त्री ने शुद्ध करके उसकी सूचना विधान सभा सचिवालय को भिजवा दी थी। इस प्रकार इस मामले में सदन को गुमराह करने या उसकी अवमानना करने का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है। अतः मैं इसे सदन के अवमान के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

शिक्षा मन्त्री के विरुद्ध श्री सन्त बक्स रावत द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

एक माननीय सन्त बक्श रावत, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 16 मार्च, 1983 को माननीय शिक्षा मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की एक सूचना दी थी। सूचना में माननीय सदस्य का कहना है कि विधान सभा के वर्ष 1983 के चौथे सोमवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 3 के सम्बन्ध में माननीय शिक्षा मन्त्री द्वारा सदन मे दिया गया उत्तर भ्रामक एवं सत्य से परे हैं जिससे उनके विशेषाधिकार की अवहेलना एवं सदन की अवमानना हुई है। उक्त प्रश्न में यह पूछा गया था कि क्या स्पोर्ट्स कालेज लखनऊ के प्रधानाध्यापक द्वारा वित्तीय वर्ष 1981-82 के अन्तिम सप्ताह में कई लाख रुपये का सामान क्रय किया गया था ? यदि हां, तो वित्त विभाग के शासनादेश संख्या बी0-2-2009/एक्स/100-81, दिनांक 2 सितम्बर, 1981 में निहित आदेशों की अवहेलना करने के कारण उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसका उत्तर माननीय खेलकूद मन्त्री द्वारा यह दिया गया था कि स्पोर्ट्स कालेज लखनऊ एक स्वायत्तशासी संस्था है अतः शासनादेशों की अवहेलना अथवा प्रधानाचार्य के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

मैंने इस सम्बन्ध में माननीय शिक्षा मन्त्री से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की। माननीय मन्त्री ने अपने पत्र दिनांक 31 मार्च, 1983 द्वारा सूचित किया है कि माननीय सदस्य ने अपनी सूचना में जिस शासनादेश दिनांक 2 सितम्बर, 1981 का हवाला दिया है वह प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्षों एवं कार्यालयाध्यक्षों को सम्बोधित था एवं इसका मुख्य उद्देश्य वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिनों में बड़ी संख्या में बिलों को भुगतान के लिए कोषागारों व स्टेट बैंक की शाखाओं में प्रस्तुत करने से रोकना था, किन्तु स्पोर्ट्स कालेज का कोई बिल भुगतान हेतु कोषागार एवं स्टेट बैंक में प्रस्तुत नहीं किया जाता है वरन कालेज अपने लेखे में जमा धनराशि से बिलों का भुगतान स्वयं करता है इस प्रकार उक्त शासनादेश की अवहेलना नहीं प्रतीत होती।

माननीय मन्त्री ने आगे कहा कि माननीय सदस्य की सूचना के साथ संलग्न शासनादेश 20 मई, 1982 वर्ष 1982-83 में मितव्ययता अपनाये जाने हेतु जारी से सम्बन्धित है जबकि माननीय सदस्य का प्रश्न वित्तीय वर्ष 1981-82 के अंतिम सप्ताह में किये गये सामानों के क्रय के सम्बन्ध में था। अतः उक्त शासनादेश इस प्रकरण से सम्बन्धित नहीं है।

मैंने माननीय सदस्य की सूचना और शासन की ओर से स्पष्ट की गयी स्थिति के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया। स्पोर्ट्स कालेज द्वारा वर्ष 1981-82 में जो सामग्री क्रय की गयी थी वह मुख्यतया छात्रावास के खाद्यान्न के लिए थी। इसके अतिरिक्त शासकीय अनुदान की अन्तिम किस्त भी 26 फरवरी, 1982 को अवमुक्त हुई थी। अतः स्पोर्ट्स कालेज द्वारा वित्तीय वर्ष के अन्तिम चरण में किए गए व्यय को अनियमित या अनावश्यक नहीं कहा जा सकता। साथ ही कालेज एक स्वायत्तशासी संस्था है जिसके वित्तीय प्रबन्ध एवं बिलों के भुगतान की व्यवस्था वह स्वयं करता है।

[श्री अध्यक्ष---]

उपरोक्त परिस्थितियों में माननीया शिक्षा एवं खेलकूद मंत्री के विरुद्ध सदन की अवमानना का प्रश्न नहीं उठता और इस प्रश्न को उस रूप में सदन में उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती । किन्तु मैं माननीया शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि यदि इस मामले में कोई वित्तीय अनियमितता हुई हो तो उसकी जांच अवश्य कर लें ।

दिनांक 23 मार्च, 1983 को श्री माता प्रसाद पान्डेय द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 6 के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तरों के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य

परिवहन मंत्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)---

अध्यक्ष महोदय, दिनांक 23-3-1983 को श्री माता प्रसाद पान्डेय, सदस्य विधान सभा द्वारा पूंछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 6 के सम्बन्ध में श्री माता प्रसाद पांडेय, सदस्य, विधान सभा ने निम्नलिखित अनुपूरक प्रश्न में पूछा था कि --

> "मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी तक आपने उस विश्वविद्यालय के कितने हेक्टयर भूमि उपलब्ध करायी ।"

श्री मसरूर जाफरी---

मान्यवर, इसको (शोधन वक्तव्य) पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष ---

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री विद्या सागर नौटियाल---

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि पहले गलत उत्तर दिया गया था लेकिन दुबारा फिर वही उत्तर दे दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष ---

मैं इसकी आज्ञा नहीं देता हूं । जब संशोधित उत्तर होते हैं तो प्रश्न नहीं होते हैं । इसलिये आप लिखकर दे दें जिसको सम्बन्धित मन्त्री के पास भिजवा दिया जाएगा और फिर उस पर विचार होगा ।

श्री बल्देव सिंह आर्य---

[2---उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि---

"मान्यवर, जैसा मैंने अपने उत्तर में कहा 1975 में इस परियोजना को प्रारम्भ करने के लिए निर्णय लिया गया था, उसके बाद वहां कार्य प्रारम्भ हुआ मान्यवर, करीब 15 एकड़ भूमि पर वहां निर्माण कार्य हो चुका है । इसी बीच 1980 में बन संरक्षण भूमि अधिनियम भारत सरकार का लागू हो गया, वसकी वजह से जो बाकी भूमि है और

[ ] पढ़ा हुआ माना गया ।

वह 15 एकड़ भी उसकी स्वीकृत भारत सरकार से लेने से लिए भेजा गया । इसके अतिरिक्त जो शेष भूमि को उपलब्ध कराना है, उसके लिए विश्वविद्यालय के दो अधिकारी और बनविभाग के अधिकारी सन्युक्त रूप से उसको देखेंगे और देखकर उसको भारत सरकार के लिए संस्तुति करेंगे ।"

3—उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका पता बाद में चला । सही उत्तर इस प्रकार है—

"मान्यवर, जैसा मैंने अपने उत्तर में कहा 1975 में इस परियोजना को प्रारम्भ करने के लिए निर्णय लिया गया था, उसके बाद वहां कार्य प्रारम्भ हुआ । मान्यवर, करीब 15 हेक्टेयर भूमि पर वहां निर्माण कार्य हो चुका है । इसी बीच 1980 में बन संरक्षण भूमि अधिनियम भारत सरकार का लागू हो गया, उसकी वजह से जो बाकी भूमि है और वह 15 हेक्टर भी, उसकी स्वीकृति भारत सरकार से लेने के लिए भेजा गया । इसके अतिरिक्त जो शेष भूमि को उपलब्ध कराना है, उसके लिए विश्वविद्यालय के दो अधिकारी और बन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से उसको देखेंगे और देखकर उसको भारत सरकार के लिए संस्तुति करेंगे ।"

पुनः इसी प्रश्न में श्री विद्यासागर नौटियाल, सदस्य, विधान सभा ने निम्न-लिखित अनुपूरक प्रश्न में पूछा था कि—

"मान्यवर, यह देखते हुए कि सन् 1975 से 1983 तक 8 साल हो गए हैं और अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया है । क्या माननीय मन्त्री जी को जानकारी है कि बन विभाग की ओर से एक बार पन्तनगर विश्वविद्यालय को यह छूट दे दी गयी थी कि आप जितनी चाहें बन भूमि पर कब्जा करलें लेकिन उस समय विश्वविद्यालय के पास धनाभाव था इसलिए वह कब्जा नहीं कर पाये । उसके बाद केन्द्रीय बन अधि-नियम बीच में आ गया । तो मैं जानना चाहता हूं कि इसकी सिफारिश उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से केन्द्र सरकार के पास कब गयी और आप कब तक कब्जा पंतनगर विश्वविद्यालय को दिला देंगे ?"

2—उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि —

"मान्यवर, तारीख तो मैं नहीं बता सकूंगा, मेरे पास नहीं है । लेकिन 15 एकड़ भूमि जिस पर बिनम इजाजत काम शुरू किया गया है तो उसके कागजात भारत सरकार के पास स्वीकृति के लिये गये हैं । शेष के लिए यह तय हुआ है कि विश्वविद्यालय के दो अधिकारी और बन विभाग के दो अधिकारी मिलकर इसका निरीक्षण करेंगे और संयुक्त संस्तुति करेंगे जो भारत सरकार के पास भेज दी जायेगी ।"

3—उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका पता बाद में चला । सही उत्तर इस प्रकार है —

[श्री बलदेव सिंह आर्य—]

"मान्यवर, तारीख तो मैं नहीं बता सकूंगा, मेरे पास नहीं है। लेकिन 15 हेक्टेयर भूमि जिस पर बिना इजाजत काम शुरू किया गया है तो उसके कागजात भारत सरकार के पास स्वीकृति के लिए गए हैं। शेष के लिए यह तय हुआ है कि विश्वविद्यालय के दो अधिकारी और वन विभाग के दो अधिकारी मिलकर इसका निरीक्षण करेंगे और संयुक्त संस्तुति करेंगे जो भारत सरकार के पास भेज दी जायेगी।"

मूल प्रश्न तथा उत्तर संलग्न हैं।]

(मूल प्रश्न तथा उत्तर के लिये देखिए नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 285 पर)

(समय 1 बजकर 18 मिनट)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं)

श्री अध्यक्ष —

नियम 56 में आज 17 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जो इस प्रकार हैं —

श्री मुहम्मद आजम खां और श्री अकबाल हुसैन की मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के होस्टल के छात्रों की पुलिस द्वारा पिटाई के सम्बन्ध में,

श्री शंकर सिंह, श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री की बुन्देलखंड के कई जनपद कभी सूखे तथा कभी अतिवृष्टि तथा कभी उपलवृष्टि से प्रभावित रहने के सम्बन्ध में,

श्री प्रदीपकुमार यादव की प्रदेश के वनस्पति तेल निर्माताओं द्वारा डालडा निर्माण में गाय की चर्बी मिलाने के सम्बन्ध में,

श्री राम आसरे वर्मा, श्री परमाई लाल, श्री खैरुल बशर, श्री मसरूर जाफरी की सचिवालय डिस्पेंसरी के गलत इंजेक्शन लगाने से एक कर्मचारी की मृत्यु होने के सम्बन्ध में,

श्री मित्रसेन, श्री राम आसरे वर्मा की, प्रदेश के लैब टेक्नीशियनों द्वारा अपनी मांगों के लिये चलाये जा रहे क्रमिक अनशन के सम्बन्ध में,

श्री कुंवर सिंह नेगी, श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी, की ऋषिकेश में लेवी सीमेंट के वितरण में धांधली के सम्बन्ध में,

श्री रामगोविन्द की, श्री मुरली मनोहर टाउन स्नातकोत्तर महाविद्यालय बलिया के छात्रों का परीक्षाफल घोषित न किया जाना,

श्री ईश्वरशरण विद्यार्थी की, परिवहन विभाग के कानपुर के एक सहायक अभियन्ता के बार-बार स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में,

श्री गोपी नाथ वर्मा की, टांडा तापीय विद्युत परियोजना में ली गयी जमीन के स्वामियों को काम न दिये जाने से उत्पन्न असंतोष के सम्बन्ध में,

श्री कुबेर भंडारी, श्री रुद्रप्रताप सिंह और श्री नन्द किशोर सिंह को जिला अस्पताल, गोरखपुर में श्री फिरंगी प्रसाद विशारद, विधायक की पत्नी का इलाज ठीक से न किये जाने के सम्बन्ध में,

श्री रेवतीरमण सिंह की, इलाहाबाद मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कालेज के छात्र की असामाजिक तत्वों द्वारा हत्या किये जाने के सम्बन्ध में,

श्री जसवन्त सिंह विष्ट की, पर्वतीय जिलों में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों द्वारा खाद्य सामग्री के वितरण में घांधली के सम्बन्ध में,

श्री माता प्रसाद पान्डेय की, बस्ती जनपद में पुलिस और असामाजिक तत्वों द्वारा जनता को परेशान किया जाना ,

श्री यदुनाथ सिंह की, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सूखे की स्थिति के सम्बन्ध में ।

श्री विद्यासागर नौटियाल की, राज्य सरकार द्वारा पत्रकारिता के क्षेत्र में इजारेदार घरानों के समक्ष आत्म समर्पण के बारे में ,

श्री राजेन्द्र सिंह व श्री किरनपाल सिंह की, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में,

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री की, मछुआरों के समक्ष भुखमरी की समस्या से सम्बन्ध में,

माननीय शंकर सिंह तथा माननीय राजेन्द्र अग्निहोत्री ने जिस विषय पर दिया है, उसी पर आज चर्चा रखी गयी है, उस समय उनको अवसर मिलेगा...

(व्यवधान)

*श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में डालडा निर्माता डालडा में गाय और सुअर की चर्बी मिला कर बेच रहे हैं । इस कारण पूरे प्रदेश में धर्म के मानने वाले लोगों की अजीब हालत हो गयी है । उनकी भावनाओं को ठेस पहुंच रही है । अयोध्या में मन्दिर के पुजारी लोगों ने भोग में लड्डूओं को लेना बन्द कर दिया है जो प्रसाद के रूप में चढ़ने के लिए आते हैं । आज लोगों ने डालडा का इस्तेमाल बन्द कर दिया है जिसके कारण खाने के तेल के दाम निरन्तर बढ़ रहे हैं इसको लेकर सारे प्रदेश में ला एंड आर्डर की स्थिति खराब हो गयी है । आपसे अनुरोध है कि आप सदन की कार्यवाही रोक कर इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कराने की कृपा करें ।

खाद्य तथा रसद मंत्री (श्री बासुदेव सिंह)--

मान्यवर, माननीय सदस्य का प्रश्न महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्होंने विलम्ब से उठाया । सरकार इस मामले में पहले से ही पूरी तरह सतर्क है । सरकार की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री वासुदेव सिंह---]

ओर से जो कदम उठाये गये हैं उनसे भी माननीय सदस्य अवगत हैं। बनारस में हमने सील करवा दिया है। (व्यवधान)

जहां-जहां के बारे में माननीय सदस्य लिख कर देंगे और सूचना देंगे तुरन्त कार्यवाही की जायेगी। (व्यवधान)

जो भी आदमी ऐसा कोई काम करे जो धर्म की भावना को आंच पहुंचाये केन्द्र की सरकार और उत्तर प्रदेश का शासन उसको कठोरतापूर्वक दबायेगा तथा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही की जायेगी।

(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, आज चर्चा दूसरे क्षेत्र के बारे में है, आप हमें सुन लें....

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, विगत सप्ताह....

(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह--

श्रीमन्, आप पहले हमारा निवेदन सुन लीजिए....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आपका निवेदन सुनेंगे, लेकिन ,आप बैठिये तो।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, विगत सप्ताह सचिवालय कर्मचारियों के सम्बन्ध में दो बातें प्रकाश में आई। एक तो सचिवालय के एक कर्मचारी श्री सिंह को, अवर वर्ग सहायक की सचिवालय डिस्पेन्सरी में एम्बेस्ट्रीन का गलत इंजेक्शन लगाने के कारण मृत्यु हो गई और दूसरी घटना जो प्रकाश में यह आई। अगर किसी कर्मचारी के साथ प्रशासनिक अधिकारी ज्यादती करता है तो वह मामला मंत्री के समने आता है, लेकिन यदि मंत्री द्वारा ही ज्यादती की जाए, अत्याचार किया जाए तो क्या होगा ? दूसरा मसला इस तरह है कि एक राज्य मंत्री के साथ रामदुलारे नामक एक हरिजन अर्दली बाहर दौरे पर गया था और रात 12 बजे मंत्री जी ने उससे अपने पैर दबाने के लिए कहा, तो उस शख्स ने उनके पैर दबाने से इंकार कर दिया। इससे नाराज होकर मंत्री जी ने सबेरे उस अर्दली की पिटाई कर दी, उसे तमाम भद्दी-भद्दी गालियां दी तथा उसे नौकरी से निकालने की धमकी दी थी। गालियां इस तरह की दीं कि "साले चमार तुमको नौकरी से

बरखवास्त करवा दूंगा" । ऐसी स्थिति मंत्री जी की है । अध्यक्ष महोदय, एक तरफ एक गलत इंजेक्शन लगाकर एक सचिवालय कर्मचारी की मौत और दूसरी तरफ एक राज्य मंत्री द्वारा एक हरिजन अर्दली के साथ ऐसा दुव्यर्वहार, वह दोनों घटनायें आज सचिवालय कर्मचारियों के बीच उत्तेजना का कारण बनी हुई हैं ।

एक सदस्य—

उन राज्य मंत्री का नाम क्या है ?

श्री राम आसरे वर्मा—

हमारे साथी मंत्री जी का नाम जानना चाहते हैं, तो राज्य मंत्री अमीन अंसारी जी हैं, मैं उनकी बात कह रहा हूं । इन घटनाओं से तमाम कर्मचारी अपने को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं । इसलिए यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न बन गया है । मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा की अनुमति दें ।

*श्री मसरूर जाफरी—

जिन आदमी ने यह गलत इंजेक्शन लगाया है, जो उसकी नियुक्ति की गई है वह सचिवालय डिस्पेन्सरी को दवा सप्लाई करने वाली मेडिकल फर्म के कहने से किया गया है, क्या यह सही है और डिप्टी चीफ मेडिकल आफिसर जो इस मामले की जांच कर रहे हैं, वह इस मामले को दबाना चाहते हैं, इसको भी मंत्री जी देख लें । अमीन अंसारी जो मंत्री हैं, पैर दबाने की बात कह रहे हैं, लेकिन असलियत कुछ और है कुछ लोग इसके बारे में और कुछ कह रहे हैं, जो बाहर चर्चा है, मंत्री जी उससे और कुछ कहना चाहते थे, लेकिन जब उसने ऐसा करने से इंकार कर दिया तो उन्होंने उसकी पिटाई कर दी ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

राम आसरे जी ने जो कुछ कहा है, उन अंसारी जी इस सदन के माननीय सदस्य हैं और राज्य मंत्री भी हैं, जो सारी बातें आपने कही वह एक सम्मानित सदस्य के बारे में कही हैं, मेरा ख्याल है कि जब वह स्वयं आ जाएं, तो उनसे इस पर स्पष्टीकरण मांग लिया जाए ।

श्री अध्यक्ष—

यह तो आपका काम है, उनको होना चाहिए था । यह आप देखें नहीं तो मैं शाम को निर्णय दे दूंगा ।

(व्यवधान)

(श्री राम आसरे वर्मा के खड़े होने पर)

आप बैठें यह अभी समाप्त नहीं हुआ, इस पर बाद में निर्णय दूंगा ।

श्री राम आसरे वर्मा—

[× × ×]

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट—[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिए...

(व्यवधान)

जो राम आसरे बर्मा जी कह रहे हैं वह कुछ लिखा नहीं जाएगा ।

*श्री रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, कल इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कालेज के छात्र श्री संजय झा को मारकर उसकी लाश रेलवे लाईन पर रात को 2 बजे रख दी गयी, यह दिखाने के लिए कि वह रेल से कट गया है, उनकी हत्या नहीं हुई है । उसके परिणामस्वरूप मोती लाल नेहरू इंजीनियरिंग कालेज के छात्र उत्तेजित हो गये और कल रात कई घंटे तक लखनऊ आने वाली ट्रेनें बन्द थीं। बहुत से यात्री जो लखनऊ आ रहे थे वह नहीं आ पाये और वहां पर स्थिति इतनी विस्फोटक हो गयी है कि पी० ए० सी० तैनात कर दी गयी है । इंजीनियरिंग कालेज बन्द कर दिया गया है और इलाहाबाद की सभी शिक्षण संस्थायें 4 दिनों के लिए बन्द कर दी गयी हैं । मान्यवर, संजय झा का यह अकेला मामला नहीं है विगत एक साल में इलाहाबाद में आधे दर्जन छात्रों की हत्या की गयी हैं और इसी क्रम में संजय झा की हत्या हुई है ।

मुख्य मंत्री जी बैठे हैं, मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां पर पुलिस व प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है । आपके जो पुलिस कप्तान और एस० एस० पी० वहां पर हैं उनके बारे में जितना कहा जाय वह कम है । यहां तक कि थाने भी रिश्वत लेकर, थानेदारों को थाने दिए जाते हैं । आज इलाहाबाद में कब कौन आदमी मार दिया जायगा इसकी कोई गारंटी नहीं है । हत्या, राहजनी, डकैती, कत्ल वहां पर रोजाना हो रहे हैं । मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आज पूरे इलाहाबाद में स्थिति गम्भीर हो गयी है । मुख्य मंत्री जो बैठे हैं मैं उनसे चाहूंगा कि सदन में वह वक्तव्य दें और पुलिस कप्तान के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही करें । पता नहीं उसका क्या प्रभाव है मुख्य मंत्री जी चाह रहे हैं लेकिन उनका स्थानान्तरण नहीं हो पा रहा है । मैं चाहूंगा इलाहाबाद से रेडियोग्राम से समाचार मंगाकर सदन को अवगत करायें ।

*श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, यह बहुत दुखद घटना है । संजय झा की मृत्यु जिन कारणों से हुई उसकी जांच की जा रही है । रेल की पटरी पर लाश मिली थी । उसमें कई बातें सामने आयी हैं । एक तो वहां पर कुछ रैगिंग इत्यादि हो रही थी दूसरे जो कालेज है उसके करीब गांव के वहां कुछ लोगों से दुश्मनी की बात सामने आयी है तो गांव के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है । बाकी से पूछताछ जारी है । लेकिन मान्यवर, वहां पर स्थिति नियंत्रण में है । जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि वहां पर स्थिति विस्फोटक है तो किसी तरह की ऐसी बात नहीं है स्थिति सामान्य है । यह कार्य-स्थगन का मामला नहीं है । लेकिन माननीय सदस्य ने जो ध्यान आकर्षित किया है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में इस प्रश्न को ला रहा हूं जिसके बारे में हम सभी काफी दिनों तक चिंतित रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम हमारे प्रदेश का नम्बर दो का निगम है। उसमें जो अनियमितायें और भ्रष्टाचार है वह हम सबको पता है। बसों की हालत बहुत खराब है। अब यह भ्रष्टाचार कहां और कैसे होता है उसके दो उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा और अगर वह उदाहरण सटीक हैं तो मैं चाहूंगा कि उस पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा करायी जाय। मान्यवर, आपको पता होगा, आज दो एक्सीडेन्ट हो गये। एक गोरखपुर में हुआ है जिसमें 6 व्यक्ति मारे गये हैं। कल एक लखनऊ के अन्दर एक्सीडेन्ट हुआ है। रोज एक्सीडेन्ट हो रहे हैं। कुछ निहित स्वार्थी व्यक्ति मिलकर जिस तरह से परचेज कर रहे हैं और जिस तरह का सामान आ रहा है उसमें बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। मान्यवर, एक ब्रेक लाईनिंग की बात आयी थी। पहले भी सदन में कहा गया था, मैं आशा करता था कि शायद मुख्य मंत्री जी या परिवहन मंत्री जी की तरफ से कोई बात होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे पास एक लेटर है। इन्हीं के जो रोडवेज के मैनेजर हैं, मेरठ, काठगोदाम, देहरादून, झांसी उन्होंने साफ लिखा है कि ब्रेमक, सूरी के जो ब्रेक लाईनिंग हैं वह निम्नकोटि के हैं। हमको ओरीजिनल मैन्यूफैक्चरर से जेनुइन लेना चाहिए। टाटा मर्सीडीज गाड़ियों में यह इस्तेमाल करते हैं। टाटा वालों का पत्र मेरे पास है। उन्होंने भी कहा है। इंगलिश में है, उसमें से थोड़ा मैं पढ़ रहा हूं।

"अदर मेक्स सच ऐज ब्रेमक, सूरी, डयूरोन ऐक्सेट्रा आर नाट एप्रूब्ड बाई अस एन्ड मस्ट नाट बी यूज्ड आन टाटा डीजल वेहिकिल्स।"

उनका कहना है कि चूंकि यह एप्रूव्ड नहीं है इसलिए हमारी गाड़ियों में इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।

एप्रूब्ड नहीं है इसके बावजूद यदि सब-स्टैंडर्ड चीज आप खरीदेंगे तो अवश्य ही एक्सीडेन्ट होगा। आपके जनरल मैनेजर और सर्विस मैनेजर ने ऐसा कहा लेकिन आप नहीं माने। इससे एक बहुत बड़ा मामला है जिसको हम नेकेड भ्रष्टाचार कहने में नहीं हिचकेंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि भ्रष्टाचार का आरोप बहुत सजग होकर लगाना चाहिए। मुख्य मंत्री जी मैं यह निर्णय आप पर छोड़ता हूं आप देखें कि भ्रष्टाचार का मामला बनता है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

नेता विरोधी दल, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि निगमों के बारे में नियम 52 के अन्तर्गत एक चर्चा पहले से स्वीकार हो चुकी है।

श्री राजेन्द्र सिंह--

अभी कल ही हमने पैसा दिया। निगम जरूर है लेकिन शासन का उस पर नियंत्रण है। यदि उसमें भ्रष्टाचार होता है तो मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री के संज्ञान में इसको ले आऊं।

श्री खान गुफरान जाहिदी--

नेता विरोधी दल किस मद में बोल रहे हैं। क्या कार्य-स्थगन पर बोल रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

मैं कार्य-स्थगन पर बोल रहा हूं ।

श्री खान गुफरान जाहिदी—

क्या आपने कोई नोटिस दिया ह ।

श्री अध्यक्ष—

नेता विरोधी दल आप समाप्त करें ।

श्री राजेन्द्र सिंह—

मुझे आफिस से एक पत्र मिला है एक फर्म है मेसर्स....

श्री अध्यक्ष—

आप फर्मों के चक्कर में क्यों पड़े हैं ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

हेड लाइट को खरीद का मामला है । मेसर्स टैक्सन कम्पनी से हेड लाइट का टेस्ट हुआ.... ।

श्री अध्यक्ष—

आप ग्राह्यता पर बोलें ।

श्री राजेन्द्र सिंह—

मैं ग्राह्यता पर बोल रहा हूं ।

डा० बृज किशोर मिश्र—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । यह सदन नेता विरोधी दल के आधार पर चलेगा या नियमावली के तहत चलेगा ?

श्री अध्यक्ष—

नियमावली के तहत चलेगा । नेता विरोधी दल आप ग्राह्यता पर बोले ।

श्री राजेन्द्र सिंह—

मेरे पास पत्र है इसमें लिखा है माननीय परिवहन मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में आपसे वार्ता करने के लिए निर्देशित किया था अतः उक्त तथ्यों से माननीय परिवहन मंत्री को अवगत करा दें । मान्यवर, आप देखें सचिव इसकी जिम्मेदारी से कितनी खूबसूरती से बचता है वह लिखता है—इस विषय में मुझे कुछ कहना नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

आप इन तमाम पत्रों को क्यों पढ़ रहे हैं ? क्यों स्वीकार किया जाय । इस पर संक्षेप में कहें ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मैं यह कहना चाहता हूं कि मेसर्स टैक्सन कम्पनी से हेडलाइट लेने के लिए मंत्री जी ने ज्यादा इन्टेरेस्ट लिया । जबकि 6-1-83 की क्रय समिति ने मनाकर दिया था उसके बाद दूसरी समिति एप्रूब्ड की गई और फिर खरीद हुई । अगर सत्ता पक्ष चाहता है कि ऐसे भ्रष्टाचारों को यहां हम उजागर न करें तो हमें कुछ नहीं कहना है ।

श्री अध्यक्ष--

आप ग्राह्यता पर बोलें ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

बसों का एक्सीडेन्ट रोज हो रहा है, कल हुआ है । यह जनरल इम्पोर्टेन्स का मामला है, कल पैसा दिया गया है आज सदन बैठा है । मंत्री जी का इसमें हाथ है । यह मान्यवर, तीन व्यक्तियों का जानबूझ कर परचेज किया गया । मान्यवर, यह भ्रष्टाचार है मैं चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही रोक कर उस पर चर्चा करायें । मान्यवर, यह जो भ्रष्टाचार है इसको हम सदन में नहीं कहेंगे तो कहां कहेंगे ।

श्री खान गुफरान जाहिदी--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, ग्राह्यता पर इन्होंने कहा है व्यवस्था का प्रश्न कैसे बन सकता है ?

श्री अध्यक्ष--

जैसे आपको अधिकार है व्यवस्था का प्रश्न उठाने का वैसे इन्हें भी अधिकार है ।

(श्री मुख्तार अनीस, श्री राम गोविन्द, श्री शंकर सिंह तथा अन्य सदस्यों के खड़े होने पर ।)

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें, माननीय चौधरी जी और माननीय शंकर जी आप सब बैठ जायं । मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं यह संभव नहीं है कि सब को सुना जा सके ।

*श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, बुन्देलखंड की जिन्दगी और मौत का प्रश्न है । पिछले चार वर्षों से यहां कभी सूखा पड़ गया कभी बाढ़ आ गयी । मान्यवर, वहां की हालत बहुत खराब है, त्राहि-त्राहि मची हुई है । रबी की पूरी फसल नष्ट हो गई एक-एक दाने के लिये बुन्देलखंड तरस रहा है । एक दाना भी बुन्देलखंड में अनाज का नहीं बचा । सारा नष्ट हो गया । मान्यवर, जो गल्ला बचा है वह बीज के लायक भी नहीं है । मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने कुछ जिले घोषित किए हैं कि इन्हें बाढ़ के अन्तर्गत सहायता दी जाएगी । माननीय मुख्य मंत्री जी को दो महीने पहले अवगत करा दिया था लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है । मान्यवर, अक्टूबर के पहले

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री शंकर सिंह--]

बुआई शुरू हो जाती है लेकिन एक दाना चने का, एक दाना गेहूं का नहीं है बीज डालने के लिए । किसान भूखों मर रहा है । किसान को जो छोटे-छोटे कर्जे देने हैं जितनी सरकारी वसूलियां हैं उन्हें न दे पाने के कारण वह तहसील की हवालात में रखा जा रहा है । वित्त मंत्री को कुछ लिखा जाता है तो वह रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है । मान्यवर, मुख्य मंत्री पूर्व के संरक्षक होंगे । मैं माननीय नेता सदन से कहना चाहता हूं कि यहां सदन में घोषणा करें कि बुन्देलखंड को राहत देंगे वसूली बन्द करेंगे, नहीं तो हम इस सदन को नहीं चलने देंगे । बिल्कुल नहीं चलने देंगे ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं । शंकर सिंह जी आप कृपया बैठें ।

(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी या तो हमें आश्वासन दें, न्याय दें, नहीं तो हमें अलग कर द ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, ऐसे काम नहीं चलेगा, या तो न्याय दो या फिर बुन्देलखंड को अलग करो ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने श्री मित्रसेन को बुलाया है । आप सब लोग बैठें । नियम 56 में सब की सब स्वीकार नहीं की जा सकती ।

(व्यवधान)

(श्री शंकर सिंह के सीट पर खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

शंकर सिंह जी आप कृपया बैठें । मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

(व्यवधान)

आपकी बात सुन ली गयी । अब आप बैठें ।

श्री शंकर सिंह--

क्या बात सुन ली गयी ? यह बुन्देलखंड की सबसे बड़ी समस्या है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैंने श्री मित्रसेन को बुलाया है, उनके अतिरिक्त किसी की बात नहीं लिखी जायगी ।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने 15 फरवरी, 1982 को सदन में आश्वासन दिया था कि लैब टेक्नीशियनों के वेतनमान में वृद्धि कर देंगे । लेकिन अब तक आश्वासन पूरा नहीं हुआ है । लैब टेक्नीशियन पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावित कर सकते हैं । जन जीवन के लिये समस्या खड़ी हो सकती है । वे हड़ताल पर जाने वाले हैं । यह आकस्मिक स्थिति पैदा हुई तो अस्पतालों में मरीजों के लिये समस्या खड़ी हो जायेगी ।

(व्यवधान)

(श्री शंकर सिंह अपनी सीट पर खड़े होकर बोलते रहे ।)

मान्यवर, लैब टेक्नीशियनों के सम्बन्ध में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था । उनके सम्वर्ग के एकीकरण के लिये आश्वासन दिया था । लेकिन एकीकरण नहीं किया । आज लैब टेक्नीशियन धरने पर बाहर बैठे हैं, क्रमिक अनशन पर हैं । वे हमारी स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावित कर सकते हैं ।

(व्यवधान)

(श्री शंकर सिंह अपनी सीट पर बैठ गये)

मान्यवर, हमारी स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होने जा रही हैं ।

मान्यवर, मैं आपके मध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश के जो लैब टेक्नीशियन्स हैं तथा उनकी जो न्यायोचित समस्यायें हैं, उन पर विचार करने तथा समस्याओं का निपटारा करने की कृपा करें । क्योंकि आज जो लैब टेक्नीशियन्स क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं, जिससे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रभाव पड़ रहा है, उससे उनको रोका जा सके ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं किसी भी माननीय सदस्य को बोलने की आज्ञा नहीं दे रहा हूं कृपया आप सभी लोग बैठें ।

(व्यवधान)

(श्री जसवन्त सिंह विष्ट के खड़े होकर बोलने पर)

माननीय श्री जसवन्त सिंह विष्ट जी, आप कृपया अपने स्थान पर बैठें । इस प्रकार से बोलने का कोई तरीका नहीं है ।

(व्यवधान)

नियम 56 के अन्तर्गत मुझे 17 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । उनमें से सभी को मैंने अस्वीकार किया है । केवल माननीय शंकर सिंह जी की सूचना को वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है ।

(मद संख्या 11 पुकारे जाने पर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय श्री राम गोविन्द जी, आप अपनी बात कहें ।

(व्यवधान)

(श्री विद्यासागर नौटियाल सदन के फ्लोर पर आकर जोर-जोर से कहने लगे कि यह सरकार पालेकर एवार्ड को लागू नहीं कर पा रही है। इसका एक पिक-अप है उसकी ओर से 50 लाख रुपये टाइम्स आफ इण्डिया को दिया गया है।)

श्री अध्यक्ष--

में इसकी आज्ञा आपको नहीं दे रहा हूं। माननीय नौटियाल जी आप अपने स्थान पर जायं।

(माननीय श्री विद्यासागर नौटियाल जी ने सदन के फ्लोर पर खड़े हो कर कहा कि यदि आप यह कह देंगे कि में आपको बोलने का समय दूंगा तो मैं अपने स्थान पर चला जाऊंगा। मुझे खतरा है। न मालूम कौन मगरमछ बाहर जाकर मेरे गले को दबा ले।)

श्री अध्यक्ष--

आप अपने स्थान पर जायें।

(श्री विद्यासागर नौटियाल तदुपरान्त अपनी सीट पर वापस चले गये।)

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी माननीय श्री मित्र सेन जी ने लैब-टेक्नीशियन्स के क्रमिक अनशन के बारे में कार्यस्थगन की सूचना दी थी। मान्यवर, इतनी बड़ी समस्या है और सम्बन्धित विषय के स्वास्थ्य मन्त्री जी भी यहां पर मौजूद हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप उनसे इस सम्बन्ध में दो शब्द कहलवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

(व्यवधान)

(श्री रुद्र प्रताप सिंह खड़े होकर माननीय अध्यक्ष को एक पेपर दिखाने लगे।)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

अब हम आगे बढ़ गये हैं। आप लोग अपने-अपने स्थान पर बैठें।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

मान्यवर, मेरी बात को सुन लें। बहुत अहम मसला मैं उठाना चाह रहा हूं। मुझे दो मिनट का मौका दे दें।

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठें। राम गोविन्द जी आप अपनी बात को कहें।

श्री राम गोविन्द––

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इस सदन को जानकारी देना चाहता हूं ।

(घोर व्यवधान)

(श्री शंकर सिंह, श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री राम गोविन्द और श्री विद्यासागर नौटियाल, खड़े होकर एक साथ बोलने लगे, जो लिखा नहीं जा सका ।)

श्री अध्यक्ष––

मैं किसी को अनुमति नहीं दे रहा हूं । आप लोग अपने–अपने स्थान पर बैठें । यह कोई बोलने का तरीका नहीं है ।

(घोर व्यवधान)

मैं सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित करता हूं ।

(इस समय 1 बज कर 56 मिनट पर सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित हुई । 2 बजकर 11 मिनट पर सदन की कार्यवाही 10 मिनट और स्थगित रहने की सूचना मार्शल द्वारा दी गयी । 2 बज कर 21 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र (द्वितीय) अध्यादेश, 1983 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र विधेयक, 1982†

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री––

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी ।

श्री अध्यक्ष––

आप कृपया बैठिये और अपने नेता से बात करिये । मद संख्या 11 ।

श्री राम गोविन्द––

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र (द्वितीय) अध्यादेश, 1983 का अनन्मोदन करता है ।

श्रीमन्, इस विधेयक को इस सदन में ले आने का कोई औचित्य कम से कम हमको प्रतीत नहीं होता क्योंकि इस सरकार ने इस प्रदेश को पुलिस को पहले से ही इतने अधिकार दे दिये हैं कि उन अधिकारों के अंदर ही सारी कार्यवाही की जा सकती है, लेकिन अब न जाने किन कारणों से यह दूसरा विधेयक सरकार ला रही है । इसमें क्या होगा जो इसमें इन्होंने दिया है कि एक ऐसा व्यक्ति होगा जो यह सूचित करेगा कि अमुक व्यक्ति अमुक डाकुओं से संबंधित है, परिचित है या उससे किसी भी तरह से सम्बन्ध रखता है । इस प्रकार की सूचना देने

†दिनांक 6 मार्च, 1982 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

[श्री राम गोविन्द---]

वाला व्यक्ति लोक सेवक कहलायेगा, तो मान्यवर, यह लोक सेवक महराज जो किसी भी आदमी को डाकुओं का सम्बन्धी, परिचित या किसी भी तरह का सम्बन्ध रखने वाला बता सकते हैं, तो वह आदमी बेचारा पकड़ लिया जायेगा और उसके घर का सामान सब कुर्क कर लिया जायेगा और उसे जेल भेज दिया जायेगा । ऐसा न हो इस विषय म यह विधेयक बिल्कुल मौन है इसलिए यह बिल्कुल अप्रासंगिक है ।

(इस समय 2 बज कर 24 मिनट पर अधिष्ठाता श्री श्याम सूरत उपाध्याय पीठासीन हुए ।)

दूसरी बात है कि यह संविधान के मूल सिद्धान्त, जो उसका नैसर्गिक सिद्धान्त है उन सद्धान्तों के यह बिल्कुल विपरीत है । इन्होंने इसमें एक विशेष न्यायालय के गठन की भी बात कही है और इस पर काफी धन खर्च करने की व्यवस्था है । इसमें यह दो लाख से ऊपर धन खर्च करने जा रहे हैं । मैं कहता हूं कि जो न्यायालय पहले से मौजूद हैं वे पर्याप्त है । मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह कहना है कि अगर मौजूदा न्यायालय को ही ठीक से काम करने के लिए जोर दिया जाय, उनके जितने भी मामले लम्बित हैं उनको शीघ्र से शीघ्र निपटाने के आदेश दिये जायं तो निश्चित ही वे इस दिशा में अच्छा काम कर सकते हैं । लेकिन उन्होंने तो उत्तर प्रदेश के धन को इस तरह से, मैं तो दुरुपयोग ही कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के धन का यह इस तरह से दुरुपयोग करने जा रहे हैं ।

इनकी जो अनुसूची है इसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र में जिसमें कि इन्होंने विभिन्न ऐजेन्सियां खोल रखी हैं उसमें तरह-तरह की अनुसूची बनाये हुये हैं । इसके अन्दर कहीं ऐसा प्राविधान नहीं है कि इसमें किस प्रकार के आदमी आवेंगे, इस विधेयक में इसका कहीं उल्लेख नहीं है और इस विषय पर यह विधेयक बिल्कुल मौन है । जैसे कि इस विधेयक में किया हुआ है कि लोक सेवक पुलिस के पास जायेगा और अगर वह कह देता है कि अमुक आदमी डकैत है, पुलिस उस आदमी को पकड़ लेगी और उसकी चल और अचल सम्पत्ति को कुर्की कर लेगी । उनका लोक सेवक मेरे ख्याल से पुलिस का कोई दलाल ही होगा और वही पुलिस से कहेगा ।

बुन्देलखण्ड की समस्याओं के सम्बन्ध में दी गई कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना पर तुरन्त कार्यवाही किये जाने की मांग

(श्री शंकर सिंह और श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री के खड़े होने पर ।)

श्री अधिष्ठाता---

आप बैठ जाइये, पहले इनको कह लेन दीजिये ।

*श्री शंकर सिंह---

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि कुछ ऐसे हालात उत्पन्न हो गये हैं कि बुन्देलखण्ड की कुछ समस्याएं सामने आयीं और कार्यस्थगन के बीच में सदन को निलम्बित करना पड़ा । फिर कुछ दलों के नेताओं ने और अध्यक्ष जी ने आपस में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बातचीत की । हमारे नेता विरोधी दल ने उससे हमें अवगत कराया है उससे हम लोग सन्तुष्ट नहीं हैं । कोई भी सहानुभूति माननीय अध्यक्ष जी ने इस विषय पर नहीं दिखाई है कि जो हम लोगों ने कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया था उस पर । हम अपने कार्यस्थगन प्रस्ताव पर अंकित हैं और जब तक यह सरकार घोषणा नहीं करती कि जो राहत वह अन्य सूखाग्रस्त जिलों में, बाढ़ ग्रस्त जिलों में, उनको दे रही है वही राहत आप बुन्देलखण्ड को जब तक नहीं देते हैं तब तक हम इस सदन को नहीं चलने देंगे ।

हर जिले की तरह हमारे यहां गन्ना नहीं होता है, आलू नहीं होता है, धान नहीं होता है । केवल एक रबी की फसल होती है वह श्रीमन्, वर्षा के कारण खलिहानों में ही बरबाद हो गई और सारे लोग एक दाना अनाज के लिए तरस रहे हैं, किसानों के घरों में अनाज का एक दाना भी नहीं गया । सरकारी दूकानों पर सड़ा गल्ला बिक नहीं सकता है और वह दाना बीज में भी उपयोग नहीं किया जा सकता है जबकि अक्टूबर के महीने में वहां बुवाई शुरू हो जाती है । सरकारी वसूलिया धड़ल्ले से की जा रही हैं । जो नहीं दे पाते हैं उन्हें हवालात में फेक दिया जाता है और उससे बसूली कर ली जाती है । वहां पर कोई सरकारी ऋण के भी दिये जाने की व्यवस्था नहीं है जैसे कि ट्यूबवेलों के लिए ऋण दिया जाता है, पम्पिग सेटों के लिए दिया जाता है, ट्रेक्टर खरीदने के लिए सरकार पैसा देती है तो वहां के लिए ऐसी कोई मान्यता नहीं है ।

ऐसी स्थिति में हमारे सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं रह जाता है कि जब तक यह सरकार यह घोषणा न करे कि हमको भी राहत दी जाय जैसे कि आप प्रदेश के अन्य क्षेत्रों को दे रहे हैं । वहां के लोग जो भुखमरी से मर रहे हैं उसको दूर करने के लिए जब तक आप राहत देने की घोषणा नहीं करेंगे, हम सदन की कार्यवाहीं चलने नहीं देंगे ।

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं केवल एक मिनट लूंगा । श्रीमन् जी, यह सर्वविदित ह और इस सदन में कई बार सरकार ने घोषणा की है कि बुन्देलखंड उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ जिला है और सबसे गरीब क्षेत्र है । इस के साथ ही साथ इस प्रश्न पर चर्चा हो चुकी है और यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि बुन्देलखंड के पांचों जिलों में भुखमरी की स्थिति आ गयी है । इस बात की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया था कि जो राजस्व की वसूली है बैंकों की वसूलियां हैं और जो ऋण हैं उनकी कठोरता के साथ वसूली की जा रही है ।

मैं आप से एक घटना का जिक्र कर देना चाहता हूं कि जब घर में पुरुष नहीं मिलता है तो उसकी मैया को पकड़ लिया जाता है । इस क्षेत्र में 90 प्रतिशत फसल मसूर और चने की होती है । मैं शासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि जहां आप बाढ़ग्रस्त इलाके हैं उनकी सहायता के लिए तो आप घोषणा करते हैं लेकिन बुन्देलखंड के लिए किसी प्रकार की घोषणा नहीं करते हैं, जबकि यह क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा और भुखमरी के कंगार पर है । उसी प्रकार के कार्य आप हमारे यहां भी प्रारम्भ करें और जो वसूलियां हो रही हैं उनको तत्काल रोक दें और जो रबी की फसल है उसमें बोये जाने वाले बीज उपलब्ध कराये जायं । यहां पर स्थिति यह है कि यह कहा जाता है कि चूंकि तुम्हारा पुराना बकाया है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--]

इसलिए नया नहीं दिया जायेगा। मान्यवर, मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस तरह की पाबन्दी को हटाया जाय अन्यथा सारा का सारा इलाका बिना बोये हुए रह जायेगा। यह सुविधा प्रदान की जाय। मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि यह हमारे लिए जीवन-मरण का सवाल है। मैं मांग करता हूं कि आप बुन्देलखंड को बाहर करें। मैं सदन को नहीं चलने दूंगा चाहे आप मुझे बाहर फिकवा दें। आप बुन्देलखन्ड के लिए घोषणा करें।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

मान्यवर, इसी तरह का देवरिया का मसला आया था। वहां पर ओले पड़े थे जिससे सारी फसल नष्ट हो गयी थी एक ओर सूखे की स्थिति से लोग प्रभावित हो रहे हैं और दूसरी ओर बाढ़ से प्रभावित हो रहे हैं और नदी की कटान से भी प्रभावित हो रहे हैं तो मान्यवर, इस स्थिति पर सरकार का ध्यान दिलायें और वक्तव्य दिलायें।

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो संसदीय परम्परायें हैं उनके बिल्कुल विपरीत कार्य यहां पर हो रहा है। अगर अनुशासन नहीं होगा तो यह सदन कैसे चलेगा नियमों के सहत यह सदन कैसे चलेगा ? अगर किसी नियम के अन्तर्गत नहीं चलेगा तो कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। राजेन्द्र अग्निहोत्री ने कहा, तो सूखे पर चर्चा हो रही है।

(व्यवधान)

आप सुनें। पूर्वी उत्तर प्रदेश पर चर्चा है। माननीय राजेन्द्र अग्निहोत्री ने और शंकर सिंह ने जो बातें कहीं हैं उन पर किसी भी समय चर्चा की जा सकती है और वह अपनी बात कह सकते हैं। यह दुख के साथ कहना पड़ता है कि उन्होंने कहा कि हम सदन को नहीं चलने देंगे।

एक ओर तो यह प्रजातंत्र की दुहाई देते हैं और दूसरी ओर कहते हैं कि सदन को नहीं चलने देंगे। यह उचित नहीं है। मेरा निवेदन है कि जो संसदीय परम्परायें हैं और नियम हैं उन्हीं के अनुसार कार्य किया जाय। ताकि और कार्य चल सके वरना केवल दो-तीन आदमियों की बजह से सारे सदन की कार्यवाही रोककर इस तरह से सदन और पूरी जनता का समय नष्ट करेंगे तो यह किसी भी प्रकार से उचित नहीं होगा। लिहाजा मेरा निवेदन है कि आप ऐसी व्यवस्था करें, माननीय मोहन सिंह जी से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा दूसरे विरोध पक्ष के नेताओं से दरखास्त करना चाहूंगा कि वे अपने इन माननीय सदस्यों को शांत करें और जो नियमावली के अन्तर्गत हैं जिसको सारे सदन ने पारित किया है जिसके ऊपर सारे सदन का विश्वास है उसके अनुसार कार्य करने दें। वरना ऐसी परम्परा पड़ जायेगी तो किसी भी दिन कोई भी सदस्य खड़ा होकर कह सकता है कि हमको यह बात कहनी है। डराकर धमकाकर और शोर मचा कर ऐसी बात कही जायेगी जिसके ऊपर सारे देश की नजरें लगी हुई हैं जो मानने के काबिल नहीं होगी। इसलिये मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि वे अपने सदस्यों को अनुशासित करें।

(श्री शंकर सिंह और श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री के पुनः खड़े होकर कुछ कहने पर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता––

माननीय शंकर सिंह, आप कृपया बैठें और मेरी बात सुनें । अभी माननीय अध्यक्ष जी ने हाउस को 15 मिनट के लिये स्थगित किया और उसने विरोधी दल के नेताओं से विचार–विमर्श किया, संसदीय कार्य मंत्री से भी विचार विमर्श किया। उसमें एक निर्णय माननीय अध्यक्ष जी ने दिया। जैसा कि विरोधी दल के कुछ सदस्य, जो बुन्देलखंड की समस्याओं पर विचार करना चाहते हैं उसके बारे में वे शासन से स्पष्ट आश्वासन चाहते हैं। उसके विषय में मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग आज की कार्यसूची के 26वें आइटम को देखें। उसके अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश में अवर्षण के कारण खरीफ की फसल नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में श्री मोहन सिंह द्वारा अभिसूचित सूचना पर डेढ़ घन्टे की चर्चा, इसमें है। यह सूखे की स्थिति के बारे में आइटम नं0 26 में है। अगर आप बुन्देलखंड के बारे में चर्चा इसमें शामिल करना चाहते हैं तो जब हम 26वें आइटम पर आयेंगे तो उस समय बुन्देलखन्ड के ऊपर भी चर्चा कर सकते हैं। उसके लिये समय दिया जा सकता है।

श्री अम्मार रिजवी––

उसके बाद एक घन्टे का समय इसके लिये दे दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता––

उसमें आपको अपनी बात कहने की गुंजाइश रहेगी। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस बात को समाप्त करें।

श्री शंकर सिंह तथा श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री के सदन से निलम्बन का प्रस्ताव

(श्री शंकर सिंह और श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री अपने स्थान से उठकर सदन के मध्य वेल में आकर जोर-जोर से नारे लगाने लगे)

श्री शंकर सिंह––

आप हमको निकाल दो। या तो हमको न्याय दो।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री––

या बुन्देलखंड को अलग करो।

श्री अधिष्ठाता––

माननीय शंकर सिंह, आप अपना स्थान ग्रहण करें।

(श्री शंकर सिंह और श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री सदन के मध्य खाली स्थान पर आकर खड़े होकर यह नारे लगाते रहे––

या तो हमको न्याय दो या बुन्देलखंड को अलग करो।)

श्री अधिष्ठाता––

मैं आप दोनों से निवेदन करता हूं कि आप सदन छोड़ें।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

हमको आश्वासन चाहिए, चर्चा का समय नहीं चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता--

मैं माननीय शंकर सिंह को इंगित करता हूं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री शंकर सिंह को सदन से तीन दिन के लिये निलंबित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि माननीय शंकर सिंह को तीन दिन के लिये सदन से निलंबित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

या तो हमको न्याय दो या बुन्देलखंड अलग करो ।

श्री अधिष्ठाता--

मैं श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री को इंगित करता हूं ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री को सदन से तीन दिन के लिये निलंबित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री को सदन से तीन दिन के लिये निलंबित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

मार्शल, इनको बाहर करिये ।

(इसके पश्चात् डिप्टी मार्शल अपने सभी रक्षकों की सहायता से श्री शंकर सिंह तथा श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री को सदन से बाहर ले गये । सदन से बाहर ले जाते समय श्री शंकर सिंह और श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री या तो हमको न्याय दो या बुन्देलखंड को अलग करो का नारा लगा रहे थे ।)

श्री जसवन्त सिंह विष्ठ द्वारा अपनी दी गयी कार्यस्थगन की सूचना को लिये जाने की मांग

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, मैं आपका सिर्फ एक मिनट लूंगा ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं आपको एक व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता––

इस समय व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं बनता है । मैंने माननीय राम गोबिन्द को बुला लिया है ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट––

मेरा व्यवस्था का प्रश्न इसलिए बनता है कि मैंने नियम 56 में भी लिख कर दिया था । मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ही नहीं पूरे अलमोड़ा जनपद में दो सौ ग्राम प्रति यूनिट प्रतिमाह के हिसाब से चावल दिया जा रहा है । पर्वतीय क्षेत्र में जब कि एक समय लोग चावल ही खाते हैं बाजार में मोटा चावल 5 रुपये किलो बिक रहा है ।

श्री अधिष्ठाता––

आप कृपया बैठिये । मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट––

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान वहां की स्थिति के बारे में आकृष्ट कर रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता––

इस पर माननीय अध्यक्ष का निर्णय हो चुका है ।

(व्यवधान)

यह लिखा नहीं जायेगा जो आप बोलेंगे लिखा नहीं जायेगा ।

[समय 2 बजकर 40 मिनट]

उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र (द्वितीय) अध्यादेश, 1983 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र विधेयक, 1982 (क्रमागत)

श्री राम गोविन्द––

श्रीमन्, मैं कह रहा था कि सरकार अपनी अक्षमता पर पर्दा डालने के लिए यह विधेयक ला रही है क्योंकि पुलिस को पहले से ही इतने अधिक अधिकार दे रखे हैं कि जनता उनसे तबाह है । यह कानून लाकर जिसको चाहेंगे बंद कर देंगे । इनका लोक सेवक जो पुलिस का दलाल होगा किसी आदमी को चाहे वह कितना ही शरीफ क्यों न हो, कह देगा कि यह डकैतों से सम्बंधित है तो वह जेल के कटघरे में चला जायेगा और उसकी सम्पत्ति कुर्क कर ली जायेगी । जो लोक सेवक यह कह दे कि अमुक व्यक्ति इस डकैत गिरोह को खाना पहुंचाने का काम करता है या उनको छुपाने का काम करता है उसकी संपत्ति कुर्क हो जायेगी । श्रीमन्, अपराध सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं के कारण पनपते हैं । अगर सरकार चाहती है कि प्रदेश में अपराधों में कमी हो तो निश्चित रूप से कोई ऐसा कार्यक्रम उसे लाना चाहिये जिससे आर्थिक और

[श्री राम गोविन्द—]

सामाजिक विभिन्नता की कमी हो और उसमें एकरूपता हो इससे अपराधों में कमी होगी। इस तरह से पुलिस को एक्स्ट्रा अधिकार देकर देश और प्रदेश की जनता की तबाही होगी। आज पुलिस का क्या हाल है आप देखें कि गांवों में लोग सब पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनके घर जब पुलिस जाती है तो कहती है कि आपके नाम वारंट है जरा थाने चलिये। लोग डर के मारे पैसा देकर अपना गला बचाते हैं। पुलिस का तरीका शरीफ आदमी को बदनाम कर पैसा वसूलना हो गया है। यह सरकार जब डकैतों की समस्या को ठीक करने में विफल रही, चोरियों की घटनाओं को रोकने में विफल रही, अराजकता को कम करने में विफल रही तो प्रदेश की जनता को झुठलाने के लिए यह भौंड़ा कानून ले आयी है। यह बिलकुल सदन के समय का दुरुपयोग है और हम जानते हैं कि इससे कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए मैं इनसे कहता हूं कि इस विधेयक को यह वापस लें। इतना ही नहीं इसमें इनके लोक सेवक यदि कहेंगे कि अमुक जगह पर इतने लोग संगठित होकर डकैती करना चाहते थे, उनकी मंशा थी कि लूट करेंगे तो उसकी बात को बिलकुल सत्य मान लेंगे। इसमें नहीं दिया है कि लोक सेवक की क्या योग्यता होगी ? उसके बारे में विधेयक बिल्कुल मौन है। इसलिये कि वह इनका आदमी भी हो सकता है इसीलिये विधेयक में योग्यता के बारे में प्राविधान नहीं किया है मान्यवर विधेयक में यह भी प्राविधान नहीं किया गया है कि अमुक-अमुक बातें सत्य होंगी तो अगली कार्यवाही करेंगे। इन्होंने केवल लोक सेवक के कहने पर सारी कार्यवाही किया है।

मान्यवर, विशेष न्यायालय के गठन पर 2 लाख 57 हजार 4 सौ रुपये यह खर्च करेंगे। इसके अलावा न्यायाधीश और कर्मचारियों पर तथा जो भवन बनाये जायेंगे उन पर अलग धन खर्च होगा। जबकि न्यायालय ऐसे तमाम हैं जिनको ठीक से काम करने की जरूरत है। लेकिन वे काम करने से कतरा रहे हैं, इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार ऐसा प्रतिबन्ध क्यों नहीं लगा रही है कि जिसका जो काम है वह पूरा करे। ये तो निकम्मे हैं और इनके साथ में इनके विभाग के अधिकारी भी निकम्मे होते जा रहे हैं। इसलिये न्यायालय में जो न्याय करने का तरीका है उसमें बदलाव आ गया है और न्यायालय इनके हस्तक्षेप से काम नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिये उनकी अक्षमता दिखलाने के लिये ये विशेष न्यायालय के गठन की बात कर रहे हैं। अतः मैं मंत्री जी से कहूंगा कि ऐसा भोंदू कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है। मान्यवर, यह अपनी निरंकुश पुलिस को पहले से ही अधिक अधिकार दे रखे हैं जिनसे शरीफ आदमी को तंग किया जाता रहा है। पुलिस के पास शरीफ आदमी को भी तंग करने के लिये पहले से ही ज्यादा कानून बने हैं लेकिन अब यह विधेयक लाकर जो पुलिस अब असंगठित डकैतों की गिरोह सी होती जा रही है उसको और शक्तिशाली बनाने जा रहे हैं। मान्यवर, आपने भी पढ़ा होगा अखबारों में पुलिस के लोग ही डकैती करते हुए पकड़े गये हैं। इलाहाबाद में पुलिस के घर से चोरी की कार बरामद हुई। पुलिस जानबूझकर अधिकांश मामलों में डकैती और कत्ल के मामले करवाती है, यह मेरा आरोप है। इसलिये डकैतों को दबाने का काम इस विधेयक द्वारा ये कैसे करेंगे ? इसलिये मेरा सुझाव है कि एक अलग ऐसी सेल आप गठित करें जो डकैती, कत्ल को दबाने और आपराधिक प्रवृत्ति को हताश करने का काम करे तो अच्छा होगा। लेकिन पुलिस को जो चोरी, घूस खोरी और अस्त-व्यस्तता की स्थिति इस समय पैदा करना चाहते हैं उनको आप और अधिक अधिकार देने जा रहे हैं, आप अपनी अक्षमता पर पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं और गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा और अधिक खर्च करने जा रहे हैं, इसलिये मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं।

*हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री गुलाब सेहरा)--

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र विधेयक, 1982 पर विचार किया जाय ।

श्रीमन्, उ0 प्र0 डकैती प्रभावित क्षेत्र (द्वितीय) अध्यादेश 1-4-81 को ल.गू किया गय । जो डकैतियों से प्रभावी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों पर नियन्त्रण हो सके, डकैती की मदद करने वाले जो लोग हैं, डकैतों को हथियार देने वाले जो लोग हैं, अपहरण के मामलों में जो लोग इनके साथ मिल कर बिचौलियों का काम करते हैं, डकैतों के माध्यम से जिन लोगों ने अपना लाखों की सम्पत्ति इकट्ठा कर ली है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिये 1-4-81 को इस सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया । हमारे भाई रामगोविन्द जी तो उस क्षत्र से आते नहीं है जो प्रभावी क्षेत्र कहा जाता है, यह भुक्तभोगी तो हैं नहीं, इसलिये उनको उसका क्या अनुभव होगा ? संसदीय प्रणाली के भी अभी वे बालक ही हैं ।(हंसी)प्रश्न यह है कि उक्त अध्यादेश जारी होने के बाद उसका क्या प्रभाव हुआ । यह देखने की बात है । 1-7-79 से 31-12-79 तक 3,650 डकैती की घटनायें हुई । जब से इस अध्यादेश को लागू किया गया मान्यवर, डकैतियों की संख्या में 22 प्रतिशत की कमी आयी हैं । फिर जिस वक्त यह अध्यादेश लागू किया गया उस समय इसकी एक-एक धारा को खूब सोच विचार करके रखा गया । इस बात का भी ध्यान रखा गया कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति न पकड़ा जा सके ।

दूसरी बात यह कि जो भी व्यक्ति अपराधियों को पकड़वाने में शासन की मदद करे, उसको भी कुछ सम्मान मिले, इस बात का भी इसमें ध्यान रखा गया है । उसको लोक सेवक की उपाधि दी गयी है ।

श्री ऊदल--

अध्याय 2 में उसका जिक्र आपने किया है । मैं यह पूछना चाहता हूं कि अब तक जो पुलिस के सेवक हैं, जो दिन भर थानों में बैठे रहते हैं, जो पुलिस के परमानेंट गवाह हैं, क्या ऐसे ही लोग इसमें आयेंगे क्या कोई नये सेवक बनाये जायेंगे, मंत्री जी इसकी व्याख्या कर दें ?

श्री गुलाब सेहरा--

माननीय ऊदल जो बहुत ही पुराने और वरिष्ठ सदस्य हैं, वे भूत की बात कर रहे हैं, मैं भविष्य की बात कर रहा हूं ।

(व्यवधान)

प्रश्न यह है कि ऐसे व्यक्ति को जो शासन की मदद करेगा, उसे कोई सम्मान मिलना चाहिये या नहीं ? हमें उसे कुछ सम्मान देना होगा, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करनी होगी और उसके लिये हमने इसमें प्राविधान किया है । अगर नाम पर आपको एतराज है, तो मान्यवर, मैं तो यही कहूंगा कि यह मेरा दुर्भाग्य है ।(हंसी) और श्रीमन्, इस अध्यादेश में विशेष रूप से उन सेक्शनों को शामिल किया गया है, जो इससे सम्बन्धित हैं । दूसरी बात यह है कि डकैतों को संरक्षण देने वाले, डकैतों के दिये गये रुपयों से सम्पत्ति अर्जन करने वाले लोग प्रभावकारी ढंग से कहीं जमानत पर न छूट जाएं, इसलिए इसमें ऐसी व्यवस्था की गई है कि उसे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गुलाब सेहरा--]

तब तक न छोड़ा जाए, 180 दिन तक की अवधि तक जब तक न्यायालय को ऐसे आधार न मिल जाएं कि वह अपराध का दोषी नहीं है। यह भी कि इसमें ज्यादा देर न होने पावे, इसमें स्पेशल कोर्ट की व्यवस्था की गयी है। इसके अलावा बहुत से लोग, जिनके मैं उदाहरण दूं, पिछले दिनों इटावा में एक ऐसा व्यक्ति पकड़ा गया, जिसने छवि राम और अनार सिंह को राइफल्स और कारतूस सप्लाई किया था, जिसका इटावा में बड़ी आलीशान कोठी थी, छद्म वेश में--सफेद पोशाक में वह बड़े आदमियों के अपहरण में बिचौलिए का काम करता था, अपराधियों को आर्म्स सप्लाई करता था, वह एक राजनैतिक दल का सदस्य भी रह चुका था।

(व्यवधान)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

ऐसे सब आदमी इन्हीं के साथ हैं।

(व्यवधान)

श्री गुलाब सेहरा--

जो डकैती प्रभावी क्षेत्र है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं वहां पर एक विशेष राजनैतिक दल, वर्ग के लोग डकैतों को संरक्षण देते हैं, उन्हें हथियार सप्लाई करते हैं, उन्हें पुलिस की सूचना भेजने का काम करते हैं, आज उन्हीं लोगों को तिलमिलाहट इससे ज्यादा हो रही है।

श्री धनी राम वर्मा--

वह आपके दल के ही लोग हैं।

(व्यवधान)

श्री ऊदल--

मैं आपकी आज्ञा से...

श्री अधिष्ठाता--

आप बोलना चाहेंगे तो आपको मौका मिलेगा, लेकिन इस समय आप बैठें।

श्री ऊदल--

जरा मैं मंत्री जी से एक आवश्यक स्पष्टीकरण चाहता हूं, यदि आप आधा मिनट के लिए इजाजत दे दें।

श्री अधिष्ठाता--

मंत्री जी बैठ नहीं रहे हैं, आप बैठें।

श्री ऊदल--

आप आज्ञा दे दें, वह बैठ जायेंगे।

(मंत्री जी के बैठ जाने पर)

सी० आर० पी० और अन्य जो पैनेल ऐक्ट्स हैं तथा सेन्ट्रल ऐक्ट्स हैं, जो पूरे देश में लागू हैं, उनमें जब तक किसी प्रकार का अमेण्डमेंट नहीं होगा तब तक किसी भी अपराधी की जमानत हो जायेगी, सब कुछ हो जायगा । तो बिना आप इसमें संशोधन किये हुये इस ऐक्ट को कैसे लागू करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा--

इसमें रेमिडोज भी हमने बताई हैं । व्यक्ति को न्याय पाने के लिए हमने पूरी छूट दी है, अपील की गुंजाइश रखी है । दल तो यह सब करता नहीं, फिर आपको क्यों चिन्ता हो रही है । जो जोर से बोल रहे हैं, उन्हीं की बात मैं कह रहा हूं ।

श्री हुकुम सिंह--

इस काम के लिए तो गुलाब सेहरा और उनका दल काफी है और किसी की जरूरत नहीं है ।

श्री कुबेर भंडारी--

मंत्री जी इसीलिए यह सब ड्रामा और नौटंकी कर रहे हैं ।

श्री गुलाब सेहरा--

मैं अपने मित्रों से कहूंगा कि आप इनकी बातों में क्यों आ जाते हैं और इस तरह खड़े हो जाते हैं, क्योंकि कुछ तो आपकी मर्यादा रखनी है, आप तो हमारे आदमी हैं और सदैव रहेंगे । यदुनाथ नाम का व्यक्ति इटावा में पकड़ा गया, जो बहुत मालदार था, जिसकी आलीशान कोठी थी और एक राजनैतिक दल से वह चुनाव भी लड़ा था...

(व्यवधान)

धनी राम जी आप खड़े होकर अपने को अपराधी साबित कर रहे हैं ।

श्री धनी राम वर्मा--

मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वह किस दल के सदस्य हैं । मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूं कि वह आपके ही दल के सदस्य हैं ।

श्री गुलाब सेहरा--

तो मान्यवर, मैं कह रहा था कि स्वच्छ प्रशासन देने के लिये ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है । आगरा, इटावा, मैनपुरी, एटा में जो डकैतों के गिरोह हैं वह एक जाति और वर्ग के गिरोह हैं और उस जाति और उस वर्ग के लोग उनको संरक्षण देते हैं । खाद्य सामग्री पहुंचाते हैं, सूचनायें देते हैं और अपहरण में बिचौलिये बनकर रुपया लेते हैं और यह व्यक्ति समाज में सम्मानित भी कहलाते हैं । तो ऐसे लोगों को दंडित करने के लिये और कानून की परिधि में लाने के लिये और ऐसे लोगों का समाज के सामने काला मुंह करने के लिये यह अध्यादेश लाया गया था ।

[श्री गुलाब सेहरा---]

(मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, जो निरपराध व्यक्ति है उसके लिये इसमें अदालत की गुंजाइश है। अपने को निर्दोष साबित करने के लिये पूरा चांस इसमें दिया गया है। मैं आपको बताऊं कि पिछली दफे इसमें काफी लोग जो प्रदेश में डकैत को संरक्षण दे रहे थे उनके खिलाफ कार्यवाही की गयी है। यह डकैतों का उन्मूलन जो हुआ उसका एक मात्र कारण यह है कि डकैतों को सूचनायें देने वाले जेलों की कोठरियों के अन्दर चले गये। छविराम, अनार सिंह को सूचनायें देने वाले जेल की कोठरियों को चले गये।

श्री कुबेर भंडारी--

मंत्री जी यह क्या ड्रामा आप कर रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता---

कुबेर भंडारी जी आप बीच-बीच में क्यों खड़े हो रहे हैं, आप बैठें।

श्री गुलाब सेहरा--

तो श्रीमन्, इस अध्यादेश का परिणाम जो हुआ उसको मैं बता रहा हूं। रजिस्टर्ड गैंग जो थे, जिनके ऊपर इनाम घोषित था आज वह समाप्त प्रायः हो चुके हैं।

श्री कुबेर भंडारी--

मान्यवर, गोरखपुर और पूर्वांचल के सबसे बड़े अपराधी इनके दल में हैं। कई बार यह मामले यहां पर उठ चुके हैं।

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठिये।

श्री गुलाब सेहरा--

मान्यवर, कुबेर भंडारी जी पता नहीं क्यों मुझसे नाराज हो रहे हैं, मैं गरीब आदमी हूं, हरिजन हूं, मैं आपका गुस्सा झेल नहीं सकता। आप मेरी बात सुनें बड़ी कृपा होगी। तो मैं कह रहा था कि जितने भी इनामी गैंग थे, जिनको संरक्षण मिलता था और सूचनायें मिलती थीं, आर्म्स मिलते थे, कारतूस मिलते थे, तो यह अधिनियम 1-4-81 से जबसे लागू हुआ है ऐसे 2,275 लोग पकड़े गये। अब एक भी इनामी, रजिस्टर्ड गैंग इस प्रदेश में नहीं है। इन डाकुओं को संरक्षण और सूचनायें नहीं मिल सकीं, आज इनामी डकैत नगण्य हैं। 29 गिरोह, जिनके ऊपर 50 हजार रुपये तक के इनाम थे क्योंकि उनको संरक्षण और सूचनायें नहीं मिल पायी, सूचनायें और संरक्षण देने वाले जेल की कोठरियों में चले गये इसलिये उन डकैतों का सफाया हो गया। ऐसे लोगों की सम्पत्ति कुर्क कर ली गयी जो सूचनायें संरक्षण देने का काम करते थे। इस अध्यादेश का परिणाम यह हुआ है कि डाकू प्रभावी क्षेत्रों के व्यक्तियों को आज डकैतों से राहत मिली हुई है। आप चाहते हैं कि फिर डकैतों को संक्षरण दें और उनको पनपायें तो मैं समझता हूं कि यह आपकी विचार धारा होगी।

लेकिन शासन ने संकल्प किया है कि वह शांति व्यवस्था तोड़ने वालों, काले कारनामे करने वालों को कड़े से कड़ा दंड देगा, कड़ी से कड़ी सजा देगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इसको विचार के लिये प्रस्तुत करता हूं।

*श्री हुकुम सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र विधेयक, 1982 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करे।

मान्यवर, अभी बड़ा ओजस्वी भाषण माननीय गुलाब सेहरा का मैंने सुना। लग ऐसा रहा था कि असेम्बली में न बोल कर किसी बीहड़ को सम्बोधित कर रहे हैं। बिल में जिन बातों के बारे में जिक्र है, जिन पर आशंकायें व्यक्त की गयी हैं आशा यह थी कि उन पर प्रकाश डाला जायगा लेकिन किसी धारा के उद्देश्य से लेना देना न होकर जातिवाद पर भाषण हुआ, कौन किसको संरक्षण दे रहा है, एक राजनैतिक भाषण दे कर माननीय मंत्री ने अपनी बात सदन के सामने रखी। जब यह अध्यादेश लाया गया था उस समय आश्वासन दिया गया था कि शीघ्र ही इस अध्यादेश को नियंत्रित करके इसकी तमाम प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जायगा। एक सामान्य प्रक्रिया सैकड़ों वर्षों से हमारे सामने चल रही है और उसके अन्तर्गत हम तमाम परिस्थितियों से जूझते आ रहे हैं और समाधान भी ढोता आया है। अगर यह अध्यादेश इतना प्रभावशाली सिद्ध होता तो दो साल के भीतर उन परिस्थितियों पर आप नियंत्रण क्यों नहीं कर पाये और क्या आगे यह उम्मीद की जा सकती है कि यह अध्यादेश उन सारी परिस्थितियों पर नियंत्रण ला देगा ? अब देखना यह होगा वस्तु स्थिति को देखते हुए कि यह अध्यादेश रहे या न रहे। हमारी जो आपत्ति है वह यह है कि कुछ शक्तियां आपने ली इस अध्यादेश के मार्फत क्या वे आपको सामान्य प्रक्रिया में उपलब्ध नहीं थीं और स्थिति पर नियंत्रण करने के लिये क्या इन शक्तियों को लेना आवश्यक था ? क्या सी० आर० पी० सी० तथा आई० पी० सी० के अन्तर्गत जिन शक्तियों का प्राविधान था वे पर्याप्त नहीं थी, इस बिन्दु पर आपको विचार करना होगा कि क्या आपको स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए इन शक्तियों का लेना आवश्यक था ? जो शक्ति ली गयी हैं वे आखिर कैसी हैं इस पर कृपा पूर्वक आप ध्यान दें।

एक प्राविजन इसमें है कि यदि किसी व्यक्ति को जमानत स्वीकार करने के लिये दरखास्त दी जाय तो इस बात का अधिकार दे दिया गया है कि 6 महीने तक उस व्यक्ति को बन्द रखा जा सकता है।

(व्यवधान)

सेक्शन पढ़ ले। इस तरह से आप किसी व्यक्ति को 6 महीने के भीतर जमानत की दरखास्त देने से वंचित कर रहे हैं और इस प्रकार वह उस व्यक्ति को अदालत के समक्ष इस बात से वंचित कर रहे हैं कि उसके खिलाफ जो आरोप लगाये गये हैं वे सही नहीं हैं और उसके खिलाफ इस प्रकार कोई अपराध नहीं बनता है प्रागदर्शन में। मूल अधिकार जो उसको सी० आर० पी० सी० में प्राप्त है उससे उसको आप वंचित कर रहे हैं। फिर न्यायालय से जो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हुकुम सिंह--]

अधिकार उसे प्राप्त थे उनसे आपने उसे वंचित कर दिया । इसके अलावा आपने क्या अधिकार लिए हैं ? आपने यह अधिकार भी ले लिया कि न्यायालय को यह अधिकार है किसी अपराधी की सम्पत्ति को जब्त कर ले । कोई सम्पत्ति डकैती के जुर्म में इंवाल्व है उस सम्पत्ति को न्यायालय जब्त कर सकती है लेकिन आपने इसके मार्फत वह अधिकार जिलाधीश को दे दिया है, माना आपको न्यायालय पर विश्वास नहीं रहा, न्यायालय की सामान्य प्रक्रिया पर आपको विश्वास नहीं रहा । अधिक से अधिक व्यक्तियों को आपने इस प्रकार इंवाल्व कर दिया है । जैसे कोई राजनीतिक दल झगड़ रहा है तो जिलाधीश द्वारा उसकी सम्पत्ति कुर्क कर दी जाय । एक प्राविधान आपने यह भी किया है कि जमानत स्वीकृत होने के पहले उस व्यक्ति को यह सिद्ध करना होगा कि वह निर्दोष है जब कि पहले प्रागदर्शन में न्यायालय देखता था कि इस व्यक्ति के खिलाफ अपराध बनता है या नहीं । इन्होंने श्रीमन्, उल्टा कर दिया । अब व्यक्ति को सिद्ध करना पड़ेगा कि हम निर्दोष हैं या नहीं । मान्यवर, अभी तक दण्ड प्रक्रिया में तमाम देशों में और तमाम विश्व में जो लोकतंत्र में विश्वास करने वाले हैं सामान्य प्रक्रिया यह रही है कि सभी आदमी निर्दोष समझे जायेंगे जब तक की कोई अपराध सिद्ध न हो जाय । पड़ोसी जो हमारे देश हैं जहां मार्शल ला लागू है लोकतंत्र का हनन करके तानाशाह बैठ गये हैं उन्हीं से सबक लेकर ऐसी समानान्तर धारायें आप रख रहे हैं । क्राइम इटावा में हुआ आदमी लखनऊ में था अब उसको सिद्ध करना पड़ेगा कि हम लखनऊ में थे या नहीं । आज मान्यवर, कोई पकड़ा जयेगा तो 6 महीने तक उसकी जमानत की दरखवास्त पर विचार नहीं किया जायेगा । इस प्रकार की धाराओं से क्या आप उम्मीद करते हैं कि सामान्य नागरिक का जीवन सुरक्षित रहेगा । माननीय मन्त्री जी क्या इन बातों का विचार करके इन प्रविधानों के द्वारा उनकी सुरक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं ।

श्रीमन्, मृत्यु दन्ड के सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट में काफी चर्चा चली । सीनियर एडवोकेट ने कहा कि यह अमानवीय और मूल अधिकार के विपरीत है इसको हटाया जाय लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको रखा और प्राविधान यह किया कि अगर किसी को मृत्यु दन्ड दिया जायेगा तो उसका कारण देना होगा कि इसका अपराध इस प्रकार का था कि मृत्यु दन्ड देना अनिवार्य था । इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट और तमाम विश्व के न्याय शास्त्रियों की बातों को आपने नजरन्दाज कर दिया । आपने क्या किया जिस धारा के तहत मृत्यु दन्ड दिया जा सकता है उसमें न्यायालय को मृत्यु दन्ड देना होगा नहीं देता है तो कारण देना होगा कि मृत्यु दन्ड देना क्यों सम्भव नहीं है । आज मानव अधिकारों का बोलबाला है आप कुछ डकैतों से डर कर घबरा कर ऐसा प्राविधान करने जा रहे हैं । जो डकैतों पर इस प्रदेश में काबू पाया गया है वह इस अध्यादेश के माध्यम से नहीं पाया गया है । काबू पाना किसी कानून में नहीं लिखा है काबू पाना सरकार के मन की बात है पुलिस फोर्स का सक्षम होना है । काबू पाने के लिए आप चाहे जितना सख्त कानून बना दें इससे कुछ होने वाला नहीं है । यह तो आपके दिमाग का खोखलापन जाहिर करता है ।

मान्यवर, आप आगे देखें आपने कुछ ऐसा काम जो आई० पी० सी० में और दूसरे ऐक्ट में अपराध नहीं बनते उनको अपराध बना दिया है । क्या आवश्यकता थी इसकी आप नए अपराध बना रहे हैं ? बिल का उद्देश्य डकैती रोकना और जो डकैतों को प्रोत्साहन देते हैं उनको रोकना था । श्रीमन्, 325 और 326 धारा तो केवल साधारण मारपीट कम चोट से सम्बन्धित थी । आपने

इस धारा को इसमें रख कर किस बात की पुष्टि की है। अगर कोई आदमी पर 325 का जुर्म साबित हो जाय और उसको इस ऐक्ट में सरकार आरोपित करें, जो साधारण जुर्म में आज से नहीं तमाम समय से आता रहा है। अगर किसी बाप-बेटे से झगड़ा हो गया और कोई हड्डी टूट गई तो ऐसे जुर्म के लिए साधारण प्रक्रिया से दन्ड दिया जाता था लेकिन आज 325 के अपराध में अप जिनको इस कानून में लायेंगे तो 6 महीने तक उसको अपनी जमानत के लिए दरख्वास्त देने का अधिकार नहीं होगा। कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं आप इसको ? कैसे इसको उचित कहते हैं ? आपको सोचना चाहिए था कि इसके कारण कम से कम आप रखते। सीमित दायरे में रखते और कुछ धाराओं तक जो बहुत गम्भीर हैं जो जन-जीवन को अस्त व्यस्त करने वाली थी, उल्लेख करते।

मान्यवर, मैं आग्रह करूंगा कि जो मैंने प्रस्ताव रखा है, इस पर अगर कोई प्रवर समिति निर्णय लेती है तो इस पर शान्ति से विचार किया जय कि कितनी हम इसकी सीमा रखेंगे, कितनी सीमा तक हम जा सकते हैं। कहां कानून के अन्तर्गत छूट दिलवा सकते हैं। मान्यवर, दो तीन चीज आपने कही है कि बड़ी खोज के बाद में इस अध्यादेश में धारायें रखी गई हैं, मालूम नहीं आपक कौन सी रिसर्च करवाई है, कौन से अधिकारी रिसर्च के लिए बुलाये थे। यह जो बिल तैयार किया गया है किसी विशेष व्यक्ति ने अपनी सुविधा को मद्दे नजर रखते हुए यह बिल तैयार किया है। इसका कोई उद्देश्य डकैती प्राभावी क्षेत्रों से नहीं है। सबसे गलत बात यह है कि आपको एक पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पर यह निर्णय लेना है कि कौन से क्षेत्र को आपको डकैती प्रभावी क्षेत्र घोषित करना है। उसके लिए किसी आयोग की आवश्यकता नहीं, किसी न्यायालय की आवश्यकता नहीं, किसी प्रवर समिति की आवश्यकता नहीं, केवल पुलिस अधिकारी रिपोर्ट दे दे कि यह क्षेत्र डकैती प्रभावी क्षेत्र है इसको आप नोटीफाई कर दीजिए। मान्यवर, इतना अधिकार पुलिस अधिकारी को दे दिया गया है। आप जैसे मंत्री सदन में बैठे हुये हैं जो भाषण देंगे कहीं बाहर का और बोलेंगे विधान सभा में, इसलिए बहुत चिन्ता होती है मैं चहता हूं कि यह प्रवर समिति में लाकर कि कौन-कौन सी धारायें हुई हैं और कौन-कौन से धारा को निकाला जा सकता है, निर्णय लिया जा सकता है।

*श्री लाल प्रताप सिंह--

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं तथा इस बिल का समर्थन करता हूं और साथ ही साथ इस मौके को इस्तेमाल करना चाहता हूं। कुछ महत्वपूर्ण कार्य कराने के लिए वास्तव में जब सख्ती की जरूरत पड़ती है तो सख्त कदम उठाना ही पड़ता है, कौन से क्षेत्र ज्यादा प्रभावी हैं वह तो आंकड़े ही कह सकते हैं कि किस क्षेत्र में ज्यादा घटनायें हो गई और किस क्षेत्र में कम हो गई, इसमें कोई महत्व नहीं कि किस तरह से लोग आतंकित हो रहे हैं डकैती से या और अपराधों से। श्रीमन्, एक सज्जन ने कहा है कि "दि स्टेट आफ क्राइम इन दिस कन्ट्री इज मोस्ट एलार्मिंग, फस्ट बिकाज इट्स प्रिंसिपल करेक्टरस्टिक इज वाइलेन्स"। मान्यवर, आज एक ऐसा स्थिति पैदा हो गई है कि कहीं भी आप बैठ जायं चाहे वह बार एसोसिएशन हो चाहे क्लब हो सबके मुंह से एक ही आवाज निकलती है कि अपराध बढ़ रहे हैं। अनुशासनहीनता बहुत बढ़ रही है। आजकल के नौजवान अपने बुजुर्गों की इज्जत नहीं करते हैं। डकैतियां बहुत तेजी से बढ़ रही

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लाल प्रताप सिंह--]

और इसी उद्देश्य से यह बिल लाया गया है । अभी माननीय हुकुम सिंह जी ने कहा कि यह सामान्य प्रक्रिया से कुछ भिन्न है । माननीय ऊदल जी ने भी कहा । तो कुछ एक्ट ऐसे होते हैं जो सामान्य प्रक्रिया से अलग होते हैं । एन्टी करप्शन ऐक्ट, एडल्ट्रेशन ऐक्ट, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ऐसी ही श्रेणी में आते हैं । उसमें यह भी दिया हुआ है कि खुद अपराधी साबित करे कि वह निर्दोष है । यही नहीं कान्टीनेंटल सिस्टम में, लोकतांत्रिक पद्धति के जो ऐक्ट हैं, इसी तरह के हैं कि मुलजिम साबित करे कि वह निर्दोष है ।

श्री हुकुम सिंह--

बिल में यह नहीं है । उसमें यह लिखा है कि बेल के समय अपराधी को यह दिखाना पड़ेगा कि वह निर्दोष है । जमानत के समय यह दिखाना पड़ेगा । अगर इसका सबूत वह नहीं देगा तो जमानत होगी ही नहीं ।

श्री अधिष्ठाता--

लाल प्रताप सिंह जी, आप बोलिये ।

श्री लाल प्रताप सिंह--

माननीय हुकुम सिंह का कहना है कि वह जमानत के समय यह सिद्ध करे कि वह निर्दोष है । यह विधेयक कुछ सख्त है, मुझे मालूम है । इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि एक आदमी जमानत से छूटा, दूसरे दिन छूटते ही उसने एक कत्ल कर दिया । जब अपने ऊपर बीतता है तब पता लगता है कि डकैती और हत्या का मामला कैसा लगता है । उस समय मन में यही होता है कि वायलेंस फार वायलेंस, मर्डर फार मर्डर, आई फार आई, आंख के लिए आंख यही इच्छा होती है । यही तबियत होती है । हम सामान्य प्रक्रिया से कुछ आगे चले गये ।

अब मैं जो आपसे अनुरोध करूंगा वह पुलिस के सम्बन्ध में है । माननीय सदस्य ने बहुत कुछ कहा है पुलिस के सम्बन्ध में । इसमें शक नहीं कि पुलिस को वह विश्वास जनता को प्राप्त नहीं है जो होना चाहिये । यह दुर्भाग्य है मुल्क का । पुलिस को जनता का विश्वास प्राप्त हो, उसका सहयोग प्राप्त हो । पुलिस आज सामान्य जनता से अलग है ऐसा मैं महसूस करता हूं । जनता को भी पुलिस के अधिकार प्राप्त हैं । कुछ ऐसे अपराध हैं जिनमें जनता खुद गिरफ्तार कर सकती है, गिरफ्तारी के लिए वारन्ट कटा सकती है । सामान्य जनता को वह अधिकार हासिल है उसी तरह से जैसे पुलिस को हासिल है । कुछ लोग कहते हैं पुलिस को मिलिट्राइज कर दिया जाय । तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बड़ा अन्तर है उसमें, मिलिटरी दूसरी बात है, उसमें "यू हैव स्ट्रेन्थ, बट नो रीजन" वाली बात है यानी "शक्ति तो है पर विवेक नहीं ।" मिलिट्राइज कर देने से पुलिस का सारा विवेक समाप्त हो जाता है । जब दंगे होते हैं तो पहले पी० ए० सी० नहीं भेजी जाती है उसका सिर्फ एक कारण है कि वह जनता के बीच में नहीं रहती । कोई भी आफिसर, विशेष रूप से जो पुलिस के आफिसर हैं, कुछ क्वालिटीज उनके लिये जरूरी हैं । उसकी इन्टीग्रिटी निष्पक्ष हो और सही हो तो वह अपना कर्तव्य पूरी तरह से निभा सकता है । यह मेरा अनुभव है । मैं यह कह सकता हूं कि

उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है । कुछ लोग कहते हैं कि इसमें पालिटिकल इन्टरफियरेन्स है, इसकी भी इसमें कोई जरूरत नहीं।

मेरा अन्त में माननीय मन्त्री जी से इतना निवेदन है कि पुलिस सक्रिय होनी चाहिये, उसे जनता को उत्पीड़ित नहीं करना चाहिये । मान्यवर, एक छोटी सी बात कह कर अपनी बात को समाप्त करता हूं । लन्दन के एक गली में दो कान्सटेबिलों को कुछ शरारती तत्वों ने मार दिया । दूसरे दिन अखबार में यह कहा गया कि पुलिसकर्मियों की मृत्यु "मेरी सुरक्षा करते" हुए हुई । उसके बाद उन लोगों के आश्रितों को पैसा देने के लिए प्रपोजल लाया गया कि उनके परिवार वालों को इतना पैसा दिया जायेगा । जितने पैसे का प्रपोजल किया गया था उसमें से आधे पैसे देने के लिए एक व्यक्ति तैयार हो गया, फलस्वरूप 2-3 दिन में पूरा पैसा इकट्ठा हो गया और वह पैसा उनके परिवार वालों को दे दिया गया । जो भी शिकायतें आयें उन्हें निपटाने के लिए पुलिस को तैयार रहना चाहिये । इस सम्बन्ध में जो कदम उठाया जा रहा है वह उचित है । यह सही है कि क्राइम तेजी से बढ़ता जा रहा है और हमारा सिस्टम कोलेप्स होता जा रहा है । यहां तक कि बहुत से राजनीतिज्ञ यह कहते हैं कि बगैर क्राइम प्रोटेक्शन के हम काम नहीं कर सकते हैं । इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री ऊदल--

मान्यवर, जो प्रस्ताव इस विधेयक के सम्बन्ध में माननीय श्री हुकुम सिंह जी ने रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं । माननीय श्री लाल प्रताप सिंह जी कह रहे थे कि क्राइम रुके, डकैतियां रुकें तथा अपराध रुकें । यही मंशा मेरी भी है कि लोग शान्ति से जीवन बसर करें । वैसे जो यह विधेयक यहां पर लाया गया है इसमें बहुत सी खामियां हैं । इन खामियों को दूर किए बिना यदि इस विधेयक को लागू किया जायेगा तो मैं समझता हूं कि एक बहुत ही अन्याय होगा और साथ ही साथ यह अवैध हो जायेगा । जिस आई० पी० सी० और सी० आर० पी० सी० का मैं जिक्र कर रहा था, जो पूरे भारतवर्ष में लागू है, जो सेंट्रल का ऐक्ट है, जब तक इसमें तरमीम नहीं की जायेगी तब तक इस विधेयक के माध्यम से आप कोई कारगर कदम नहीं उठा सकते हैं । यह मामला भारत सरकार का है जिसका माननीय मन्त्री जी ने समुचित उत्तर नहीं दिया ।

मान्यवर, सेवक नियुक्तियों की बात इसमें कही गई है । आज प्रत्येक थाने में इस तरह के सेवक नियुक्त हैं जो दलाली का काम करते हैं, जो झूठी गवाहियां देते हैं । एक मुख्य बात इसमें यह है । पृष्ठ 3 पर आप देखें । इसमें जो उपबन्ध 3 है इसे आप देखें । कत्ल हो जाता है, डकैती करते हुए लोग अपने आंखों से देख लेते हैं, लेकिन उनके खिलाफ साक्ष्य नहीं मिल पाता है, नतीजा यह होता है कि जिन लोगों ने कत्ल किया है वे छूट जाते हैं । साक्ष्य देने वालों के लिए आज कोई प्रोटेक्शन नहीं है । साक्ष्य के अभाव में तमाम अपराधी छूट जाते हैं और दूसरे में माननीय लाल प्रताप सिंह जी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि 90 दिन तक चार्जशीट लगाने का अभी तक अधिकार दिया गया, बहुत से मामलों में श्रीमन्, यहां माननीय हुकुम सिंह जी बैठे हुए हैं, एक अच्छे लायर हैं, माननीय लाल प्रताप सिंह जी कानून के अच्छे ज्ञाता हैं, श्रीमन्, आप भी लायर हैं, मैं तो हूं नहीं, लेकिन 90 दिन

[श्री ऊदल--]

तक भी चार्जशीट नहीं दी जाती । आप सर्वे करा लें उसका भी नतीजा होता है कि जमानतें मंजूर हो जाती हैं । अब उस 90 दिन के बजाय 180 दिन दिये जा रहे हैं । क्या गारंटी है कि सभी मामलों में चार्जशीट लग जायेगी ? यह खामियां इस विधेयक में हैं । जो साक्ष्य देगा, उसे प्रोटक्शन इसमें नहीं है । मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं कि अभी तक तो ऐसा प्रतीत होता था कि कुछ ही क्षेत्र डकैती प्रभावित हैं, लेकिन इस विधेयक के द्वारा ऐसा लगता है कि पूरे सूबे को डकैती प्रभावित क्षेत्र कर देना चाहते हैं ।

माननीय लाल प्रताप सिंह जी से और जो इस सदन के लायर सदस्य हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वे कृपया इस विधेयक के पृष्ठ 7 की अनुसूची धारा 2 को देखने का कष्ट करें इसके बाबत आप देखें यह है क्या और यह इस वक्त कितना प्रचलित है पूरे प्रदेश में "डकैती की योजना बनाने में" मैं अपने जिले की बात कह सकता हूं कि फर्जी डकैती डालने की योजना के बाबत कोई थाना ऐसा नहीं है, और मैं समझता हूं कि माननीय लाल प्रताप सिंह जी के जिले में भी ऐसी ही स्थिति होगी, जिसमें 2-4 केस हर महीने न रजिस्टर्ड किए जाते हों, । लोगों का घरों से पकड़कर डकैती डालने की योजना बनाने में, उनके विरुद्ध केस बनाया जाता है । मैं 10-20 ऐसे केस बता सकता हूं जो मैं जानता हूं । श्रीमन्, इसमें आप देखें लिखा है--डकैती डालने के लिए आयुध या गोला-बारूद या विस्फोटक पदार्थ बनाना या सुधारना, यह तो एक बात आयी है, कहीं आपको सूचना मिली कि बन रहा है, लेकिन इसके नीचे आप देखें क्रम-5 पर देखें लिखा है--"डकैती डालने की तैयारी करने या डकैती डालने के प्रयोजन के लिए इकट्ठा हुए व्यक्तियों को या डकैती डालने के पश्चात् इकट्ठा हुए डकुओं को खाद्य सामग्री, वस्त्र, संचार साधन, परिवहन और अन्य वस्तुओं का स्वेच्छया संभरण करना" इसी सन्दर्भ में जो हमारे यहां की वस्तुस्थिति थी उससे मैं अवगत कराना चाहता हूं । माननीय लाल प्रताप सिंह जी जरा ध्यान दें । मैं अपने यहां के थाने का जिक्र कर रहा हूं । मार्च के महीने में या अप्रैल 1983 में एक केस डकैती डालने की योजना के बाबत एस0 ओ0 ने रजिस्टर्ड किया, उस सम्बन्ध में लोगों को घरों से पकड़कर लगभग 7-8 आदमियों का उसमें चालान किया । यह केस मड़ियाऊं का है मैं जानता हूं । एक या दो मार्च, 1983 की श्रीमन्, एक योजना बनी । जो इलाहाबाद से जौनपुर को ट्रेन जाती है उसमें डकैती के बाबत । उस योजना के सम्बन्ध में वे लोगों को घरों से पकड़कर लाये और उसमें बहुत से निरपराध व्यक्तियों को फंसा लिया । इस धारा को देने की वजह मे आप क्या समझते हैं कि अब और पुलिस को अधिकार दिये जा रहे हैं ? मैं तो समझता हूं कि इससे आपकी पुलिस पूरे प्रदेश को डकैती प्रभावित क्षेत्र बना देगी ।

इसलिए मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक में बहुत खामियां हैं, इसलिए इस पर विचार करने की आवश्यकता है । नहीं तो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक दिन आपको पूरे प्रदेश के पूरे क्षेत्र को डकैती प्रभावित क्षेत्र घोषित करना पड़ेगा । मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पुलिस जिस तरह से निरंकुश हो चुकी है, जिस तरह से कार्य कर रही है, उसको जितने अधिकार दिये हुए हैं, इस अधिकारों के और मिल जाने से, वे

ज्यादा उच्छृंखल हो जायेगी । इसलिए मेरा निवेदन है कि सी० आर० पी० सी० और आई० पी० सी०, जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट के ऐक्ट हैं, जिसमें काफी अधिकार दिये हुए हैं, लेकिन फिर भी उसमें अब परिवर्तन करने की जरूरत है । अगर आप सचमुच में चाहते हैं कि अपराधियों को सजा दिलायी जाय, तो उनकी सम्पत्ति को कुर्क किया जाय । जो साक्ष्य देने वाले लोग हैं, या सेवक नहीं हैं सेवक तो जैसा गुलाब सेहरा जी कह रहे हैं कि जो मुखबिर होगा, वह नियुक्त होगा, तो आज पुलिस लिख देती है कि मुखबिर के द्वारा सूचना मिली, कल वह सेवक हो जायगा, लेकिन जो साक्ष्य देंगे, उनकी जान और माल उसकी हिफाजत करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे सारे मुकदमें छूट जाते हैं । कोई अच्छा आदमी मारे डर के साक्ष्य देने के लिए अदालत में हाजिर नहीं होता है । इसलिए मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि सरकार इसको प्रवर समिति में भेज दे ताकि विचार-विमर्श के बाद अच्छे प्रस्ताव आ सकें । मैं तो वकील नहीं हूं, लेकिन उधर अच्छे वकील हैं, उनको रख लें । इधर माननीय हुकुम सिंह जी हैं, उनको ले लें । ऐसा विधेयक तैयार किया जाय ताकि अपराध--डकैती, मर्डर एवं फिरौती आदि के लिये जो लोग कार्य कर रहे हैं, उनको रोका जा सके । मुझे विश्वास है कि माननीय गृह मंत्री जी इस पर विचार करेंगे और इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजने की कृपा करेंगे ।

*श्री धरमपाल--

मान्यवर, मैं आपका अभारी हूं कि आपने इस विधेयक के पक्ष में बोलने का अवसर दिया । मैं माननीय हुकुम सिंह जी का बड़ा आदर करता था, आज के पहले....

(हंसी)

सोचता था कि यह कुछ काम की बात करेंगे और सुझाव देंगे लेकिन लगता है कि वह दल की वजह से मजबूर हो गये । डकैती उन्मूलन के लिये बनाया जाने वाला यह कानून जिसको माननीय मंत्री जी ने अभी प्रस्तुत किया है और माननीय हुकुम सिंह जी ने कहा है प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, वह मानव के हत्यारी और समाज के हत्यारों के लिये सुरक्षा कवच ढूंढ़ रहे हैं । उनको शर्म आनी चाहिये । वह अगर यह कहते कि इसमें कुछ ऐसी धाराओं को होना चाहिये था, जिसमें और कठोर दण्ड की व्यवस्था होती, तो ठीक था । ह्यूमन ग्राउण्ड्स के नाम पर यह चाहते क्या हैं । यह चाहते हैं कि इन हत्यारों और बलात्कारियों की रक्षा करें जिन्होंने सैकड़ों मांओं के सुहाग उजाड़ दिये, हजारों बहनों के सिन्दूर पोंछ दिये । मां और बहनों के साथ बलात्कार किया, उनको सुरक्षा की बात कर रहे हैं । प्रवर समिति के सुपुर्द करने का मतलब यही है कि ऐसे कानून को शिथिल कर दिया जाय जबकि होना यह चाहिए था कि कठोर व्यवस्थायें कर दी जाती । आप दुनिया के इतिहास में देखें । अरब कण्ट्रीज में इस तरह की घटनायें नहीं होतीं । धारा 325 और 326 का उल्लेख किया है, यह वहां लागू होती हैं । इसके साथ ही इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द नहीं करना चाहिए, इसका कोई औचित्य नहीं है । इसके साथ ही इस विधेयक का समर्थन करता हूं और श्री हुकुम सिंह जी की विचारधारा की निन्दा करता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री फखरे आलम--

मैं डकैती प्रभावित क्षेत्र विधेयक, इस कानून की मुखालफत करने के लिये हरगिज खड़ा न होता अगर कुछ ऐसी बातें न पाता जिसको मैं समझता हूं कि अन-कांस्टीट्यूशनल भी हैं और हर प्रोप्राइटी के खिलाफ हैं। मैं सिर्फ चन्द बातों पर आपके माध्यम से सरकार और माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि वह इनकी तरफ देखें। इसको एक सेलेक्ट कमेटी के हवाले करें ताकि वह इसको देख समझ सके। इसमें दफा 8 दी गयी है, जिसमें जमानत के लिये बहुत बड़ा प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। किसी आदमी को, किसी मुल्जिम को अपनी जमानत कराने के लिए उसे मौका दिया जाना चाहिए, इस पर जो पाबंदी लगाई गयी है, उसका मैं विरोध करता हूं। इसी सम्बन्ध में जो दफा 10 'ख' में दिया गया है कि "जहां अभियोजन पक्ष जमानत के आवेदन-पत्र का विरोध करता है, वहां न्यायालय का समाधान न हो जाए कि यह विश्वास करने के लिए युक्तियुक्त आधार है कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है।"

तो इसमें बर्डन आफ प्रूफ बदल दिया गया है कि अगर कोई मुल्जिम अपनी जमानत करानी चाहे तो उसकी जमानत नहीं हो सकेगी। इसी तरह से मैं दफा 15 और 13 का भी विरोध करता हूं कि यह गलत तरीके पर रक्खा गया है। सेक्शन 13 में भी कोई संतोषजनक बात सामने नहीं आयी है कि अगर किसी आदमी के पास कोई चीज है तो वह उसकी कैफियत बताये कि यह हमारी है और किसी की नहीं है। तो मान्यवर, इस तरह का कानून इससे पहले कभी नहीं रहा, यह कानून के बिलकुल खिलाफ है, इसको इसमें से निकाल देना चाहिए। माननीय तिवारी जी भी इस बात को मान रहे हैं, जादू वही जो सर पर चढ़ कर बोले। इसी तरह से दफा 15 में जिला मजिस्ट्रेट को बहुत अधिकार दे दिये गये हैं, इसको भी निकाल दिया जाना चाहिए। दूसरे इसके साथ ही दफा 19 में जो आपने अपील करने के अख्तियारात को खत्म कर दिया है, वह भी नहीं किया जाना चाहिए था। हर आर्डर के खिलाफ अपील होनी चाहिए, अपील से प्रोटेक्शन मिलता है, इसलिए यह अख्तियार हर आदमी को दिये जाने चाहिए। जबकि यह अख्तियार सी0 आर0 पी0 सी0 और आई0 पी0 सी0 में हैं जो आज से सौ साल पहले बनी थी, इसलिए इसमें भी इस बात का ध्यान रक्खा जाए।

श्री अधिष्ठाता--

आपके भाषण का समय समाप्त हो रहा है।

श्री फखरे आलम--

मान्यवर, मैं आखिर में यही कहना चाहूंगा कि जैसा कि माननीय हुकुम सिंह जी ने इस सम्बन्ध में प्रस्ताव रखा है कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए ताकि वहां जाकर इसके हर हिस्से को अच्छी तरह देख लिया जाए और इसमें जो खामियां हैं, उन्हें दूर कर दिया जाए।

(श्री प्रमोद कुमार के खड़े होने पर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता--

3-55 तक इस बिल पर विचार होना है, इसलिए अब इसमें ज्यादा समय नहीं है ।

(समय 3 बज कर 42 मिनट)

*श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, जिस मौजूदा विधेयक पर हम लोग चर्चा कर रहें हैं, यह बहुत ही क्रांतिकारी प्रस्ताव है, जिसमें पहले से चली आ रही बहुत सी तकनीकी खामियां थीं, जिन्हें दूर करने के लिए लाया गया है जो इंसाफ के होने में रुकावट पैदा करती थीं, इसमें आज सुधार करने का अवसर प्राप्त हो रहा है । अगर कोई व्यक्ति किसी का घर का सारा सामान लूटकर या किसी के माथे से सिंदूर को पोंछकर या किसी विशेष क्षेत्र में आतंक और भय का वातावरण बनाये हुए है, तो वह व्यक्ति जब जमानत पर बाहर आता है, तो उसके खिलाफ जिन लोगों ने गवाही दी थी उसको मुल्जिम करार दिया था तो फिर वह उसके लिये खतरे पैदा करता है ।

मैं तो यह कहूंगा मान्यवर, कि बहुत दिनों से चली आ रही यह मांग कि जो जघन्य अपराध करता है उनको जमानत पर न छोड़ा जाय और उनकी जमानत न कराई जाय, उसकी व्यवस्था इसमें की गई है । लेकिन मेरे काबिल दोस्तों को एतराज होता है इस पर तो मैं यह समझ सकता हूं कि इसमें यह प्राविधान है कि जो डकैतों को संरक्षण देंगे, अब उन तक भी पुलिस के हाथ पहुंचेंगे । मान्यवर, पहली बार इसमें यह प्राविधान किया गया है कि जो डकैतों को भोजन देगा, कारतूस देगा, उनको राइफल मुहैया करायेगा उसको वही सजा मिलेगी जो कि डकैतों को मिलती है ।

इसमें यह भी कहा गया है कि जो अपराध करता है उसके बारे में कानून की मदद करने के लिए जो लोग सामने आते हैं उन्हे संरक्षण दिया जायेगा । इसके द्वारा अब उन सफेदपोशों का पर्दाफाश होगा जो कि डकैतियां डलवाते हैं और राजनीति में शीर्षासन लिए हुए हैं ।

एक बात और कही गयी विशेष न्यायालयों के सम्बन्ध में । यह वह अदालतें हैं जो माननीय उच्च न्यायालय की संस्तुति पर, उनके आदेश पर डिस्ट्रिक्ट जज या एडीशनल डिस्ट्रिक्ट जज के स्तर का कोई व्यक्ति उन अदालतों में बैठेगा और मुकदमों का फैसला करेगा । मुझे कहीं से यह बात समझ में नहीं आता जैसा कि माननीय फखरे आलम जी कह रहे थे, मैं उनको चुनौती देता हूं . . . ।

श्री फखरे आलम--

मैंने स्पेशल कोर्ट के बारे में कुछ नहीं कहा है, इसको आप नोट कर लें ।

श्री प्रमोद कुमार--

तो यहां पर अपील के बारे में बात कही गई तो जिस व्यक्ति को सजा मिलेगी वह उसकी अपील उच्च न्यायालय में नहीं कर सकता है तो क्या उसकी अपील तहसीलदार के यहां की जायेगी ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री प्रमोद कुमार—]

यह जन सेवक या लोक सेवक या पब्लिक आफिसर की बात कही गई कि पब्लिक आफिसर या लोक सेवक उनको बनाया जायेगा जो डकैती प्रभावी क्षेत्र में डकैतो के मुखबरी करेंगे या साक्ष्य के रूप में उपस्थित होंगे या और कोई मदद करेंगे। तो क्या राज्य सरकार का यह कर्त्तव्य नहीं है कि ऐसे लोगों की जो कि कानून की मदद करते हैं और सामने आते हैं, उनकी रक्षा करें ? उनकी सुरक्षा सरकार नहीं करेगी तो और कौन करेगा ?

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, अभी तो मैं अपनी बात कह ही नहीं पाया, कृपया दो मिनट का मुझे समय और दे दें। मैं बहुत जल्दी अपनी बात को समाप्त कर दूंगा।

धन्यवाद।

मान्यवर, एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि ये एक बात भूल गये कि इसमें यह प्राविधान किया गया है कि वे जिसको चाहें फंसा दें और उनकी बात को मान लिया जाय तो इसके लिए कोई कड़ा कानून बनाया जाय। परन्तु मैं कहूंगा कि अ ई0 पी0 सी0 में कोई कड़ा कानून रखना नहीं चाहिए। दफा 306, 377, 394 तथा 307 यह ऐसी दफायें हैं इनको भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता से नहीं निकाला जा सकता है। मैं उनसे कहूंगा कि फिर से फखरे आलम जी विचार कर लें क्योंकि दफा 306 और दफा 307 इनकी प्रिय दफायें रही होंगी, तो मेरा कहना यह है कि आप एक बार फिर देख लें कि खंड 2 में सेक्शन 2 बी0 में यह दिया हुआ है उसमें यह आता है कि यह कानूनी सिफारिश उस जगह लागू होगी जो डकैती से सम्बन्धित बातें होंगी या डकैती के दौरान होगी या डकैती से नियोजन से सम्बन्धित होंगी। आज मैं इन्साफ का तराजू विपक्ष के हाथों में देता हूं, अब वही बतायें कि ऐसी सिफारिश करके क्या आप इस तरह से कानून के हाथ मजबूत करना चाहते हैं ? उन डकैतों ने जिन्होंने कि सामूहिक हत्यायें कीं, बलात्कार किये जिन्होंने उत्तर प्रदेश को व्यथित कर रखा था मैं इस बात को आपके सामने कहना चाहता हूं कि सम्पूर्ण प्रदेश की आंखें इस ओर लगी हुई हैं। लोगों में डर व्याप्त है। मैं कहना चाहता हूं कि आज सामूहिक हत्यायें हो रही हैं, लेकिन मान्यवर, इन सामूहिक हत्याओं का शिकार कौन होता है, इनका शिकार गरीब होता है, कमजोर होता है। आप देखें किसी बड़े आदमी की सामूहिक हत्या नहीं हुई है। जनता के लिए यह कभी नहीं बोलते हैं, मेरा अनुरोध है कि कम से कम आज तो बोले, आज यह फैसला करें कि डकैतियों की रुकावट की जायेगी और डकैतों का सफाया किया जायेगा। मान्यवर, मैं कहना तो नहीं चाहता हूं, मेरे विपक्ष के भाइयों ने यह फैसला कर लिया है कि डकैतों को बढ़ावा देंगे और विपक्ष में बैठकर पवित्र कानून का विरोध करेंगे जिससे डकैतों को पालने का अवसर इन्हें मिलता रहे। यह आज फैसला करें कि कानून के साथ रहेंगे या डकैतों के साथ रहेंगे। जो सदस्य इस पवित्र कानून के विरोध में बोला है वह मैं समझता हूं कि डकैतों के साथ है और जो डकैतों के साथ नहीं है वह इस पवित्र कानून का समर्थन करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात मान्यवर, समाप्त करता हूं।

श्री राम गोविन्द—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने और तिवारी जी ने यह आरोप लगाया है कि लोग डकैतों को संरक्षण देते हैं। माननीय मंत्री जी को इतने

छोटे स्तर पर आकर बहस करने की आदत है। मान्यवर, जो बात मैंने रखी है वह यह है कि पुलिस के इस समय जो कारनामे हैं उससे सभ्य और शरीफ आदमी को इस कानून से कोई मदद मिलने वाली नहीं है। पुलिस इस कानून के तहत किसी भी सभ्य आदमी को फंसा सकती है। यह चीज न होने पावे, इस बात का कोई प्राविधान इस विधेयक में नहीं किया गया है। जिस व्यक्ति को चाहेगी पुलिस यह कह कर कि अमुक व्यक्ति के यहां पर डकैतों को संरक्षण मिलता है या वह डकैतों का साथ देता है, कहकर उस आदमी को इस कानून के तहत बन्द कर देगी। मैं यह निवेदन कर रहा था कि आपका विधेयक इस मामले में बिलकुल मौन है कि आप कौन सा ऐसा तरीका निकालने जा रहे हैं जिससे कि आपको विश्वास हो जाय कि अमुक डकैत है और उसको संरक्षण दिया जा रहा है। अगर माननीय मंत्री जी इस सम्बन्ध में कोई परिवर्तन लाते तो एक बात थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं अपने अननुमोदन के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं क्योंकि उसमें बल है।

श्री अधिष्ठाता—

हुकम सिंह जी आपको क्या कहना है ?

श्री हुकुम सिंह—

माननीय सदस्यों ने यहां पर जो इस विधेयक पर अपने तर्क दिए हैं उनको सुनने के उपरान्त और श्री सेहरा जी को सुनने के उपरान्त मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इस तानाशाही विधेयक को प्रवर समिति के समक्ष भेज दिया जाय जिससे इस पर पूर्णरूप से विचार हो जाय।

*श्री गुलाब सेहरा—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे विद्वान साथी हुकुम सिंह जी ने कुछ भ्रमवश कुछ ऐसी चीजें कह दी हैं जिनका उत्तर मैं देना चाहता हूं। मान्यवर, यह स्पेशल ला है। डकैती प्रभावित क्षेत्र में डकैतियों का नियंत्रण हो सके, इसलिए इसको लाया गया है। मान्यवर, शेड्यूल और आई0 पी0 सी0 की धारा को जोड़ने की बात कही गई है धारा 325 की सजा 7 साल होती है लेकिन आप अनुसूची देखें जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि उससे डकैतों का नियंत्रण किया जायेगा। इसमें आई0 पी0 सी0 की कोई भी धारा को शामिल किया जा सकता है। तो आप इसे अलग से समझने की बात कैसे करने लगे। धारा 325 का जो अपराध होगा वह तो उसमें आयेगा ही लेकिन जैसा कि अनुसूची में दिया गया है कि डकैती के समय डकैती के नियोजन के समय संगठन बनाते वक्त इस धारा का प्रयोग किया जायेगा।

दूसरी बात मैं विशेश रूप से कहना चाहूंगा कि आप इसमें देखें। 180 दिन के दौरान जमानत नहीं होगी। आप सेक्शन 12 (बी) को पढ़ लें। अगर रीजनेबुल ग्राउन्ड्स हों और वह व्यक्ति गिल्टी साबित न हो तो उसकी जमानत हो हो सकती है।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गुलाब सेहरा--]

आप देख लें । सेक्शन 10 (बी) पढ़ लें । उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है । मुझे ऐसा लगता है कि बगैर इसको पढ़े हुए भाई हुकुम सिंह जो जल्दी-जल्दी में मुजफ्फरनगर जाते हैं, पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता है, मैं आपकी मजबूरी जानता हूं और इसीलिए वे ऐसा कहने लगते हैं । कोई व्यक्ति हैरेस न हो । आज अदालतों में जो कार्यभार है, उसको देखते हुए उन अदालतों में ऐसे मामलों को न लेकर स्पेशल कोर्ट में उन्हें चलाया जाय ताकि जल्द से जल्द न्याय प्राप्त हो जाय ।

एक बात हमारे बुजुर्ग मित्र माननीय फखरे आलम साहब ने कही कि इसमें अपील की गुंजाइश नहीं है । धारा 20 उन्होंने नहीं पढ़ी । बड़ी जल्दी आप भूल जाते हैं । मैं आपसे कई बार कह चुका हूं कि आप दिन में नशा न किया करें ।

(हंसी)

(व्यवधान)

क्यों आपने सेक्शन नहीं पढ़ा ।

श्री फखरे आलम--

ओवर आल आर्डर होना चाहिए ।

श्री हुकुम सिंह--

इन्होंने इकट्ठा नशा किया है ।

एक सदस्य--

ये आठ बजे के बाद नशा करते हैं ।

श्री गुलाब सेहरा--

म किस नशे की बात कर रहा हूं । यह फखरे आलम साहब जानते हैं । माध्यवर, मेरा निवेदन है अपने विद्वान मित्रों से कि सुख और शान्ति बनी रहे । उसके कुछ परिणाम हमारे सामने आये भी हैं । डकैती की संख्या घटी है । 23 प्रतिशत की डकैती में कटौती हुई है । अध्यादेश प्रभावी साबित हुआ है तो आप कम से कम इसका समर्थन करके दिलोजान से यह साबित करते कि सफेदपोश व्यक्तियों को आगे नहीं आने देंगे । कानून के हाथ मजबूत करने के लिए हमारा दिल साफ है । इसलिए मैं चाहूंगा कि आप अपने संशोधन को वापस लें ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

गोरखपुर और बस्ती के पूरे के पूरे सफेदपोश तो आपके साथ हैं ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र (द्वितीय) अध्यादेश, 1983 का अननुमोदन करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र विधेयक, 1982 को इस सदन को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र विधेयक, 1982 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2 से 30 तक

परिभाषायें

2--इस अधिनियम में,--

(क)"डकैती प्रभावित क्षेत्र" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन इस रूप में घोषित क्षेत्र से है;

(ख) किसी डकैती प्रभावित क्षेत्र के सम्बन्ध में, "अनूसूचित अपराध" का तात्पर्य इस अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट उस अपराध से है जो किसी अनुसूचित अपराधी द्वारा किया जाता है ;

(ग) "अनुसूचित अपराधी" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो लूट या डकैती उसी रूप में या किसी अनुसूचित अपराध से इस प्रकार संसक्त रूप में, कि वे एक ही संव्यवहार के भाग हों चाहे वे उसी समय और स्थान पर या विभिन्न समयों और स्थानों पर घटित हुए हों, करता है या किया है या करने का या करने के प्रयास का अभियुक्त है ;

(घ) किसी डकैती प्रभावित क्षेत्र के सम्बन्ध में "सेशन न्यायाधीश" का तात्पर्य--

[एक] जहां ऐसे क्षेत्र में एक जिला या उसका भाग हो, वहां, यथास्थिति, ऐसे जिले या उसके भाग में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले सेशन न्यायाधीश से है ;

[दो] जहां ऐसे क्षेत्र में दो या अधिक जिले या उनका भाग हो वहां ऐसे सेशन न्यायाधीश से है जिसे उस क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए इस निमित्त उच्च न्यायालय द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय;

(ङ) "विशेष न्यायालय" का तात्पर्य धारा 5 के अधीन गठित न्यायालय से है;

(च) "विशेष न्यायाधीश" का तात्पर्य विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त न्यायाधीश से है ;

(छ) इस अधिनियय में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में परिभाषित शब्दों और पदों के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उक्त संहिता में उनके लिए दिए गए हैं।

अध्याय—दो

डकैती प्रभावित क्षेत्र और विशेष न्यायालयों का गठन

डकैती प्रभावित क्षेत्र की घोषणा

3—यदि किसी जिले या जिलों या उसके किसी भाग या भागों में अनुसूचित अपराधों की घटना के सम्बन्ध में किसी पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या अन्य सूचना प्राप्त होने पर, राज्य सरकार का यह विचार हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है जिसमें ऐसे जिले या जिलों या उनके भाग या भागों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र को इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ डकैती प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए तो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे क्षेत्र को डकैती प्रभावित क्षेत्र घोषित कर सकती है।

पुलिस की सहायता करने वाला व्यक्ति लोक सेवक होगा

4—(1) किसी ऐसे व्यक्ति को जो किसी अनुसूचित अपराध के किये जाने के सम्बन्ध में सूचना देने में पुलिस की सहायता करता है या ऐसा अपराध किये जाने के सम्बन्ध में सूचना देने या उसके अन्वेषण में पुलिस की सहायता के लिए लगाया गया है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जायगा।

(2) पुलिस अधीक्षक का इस आशय का प्रमाण-पत्र कि उसमें उल्लिखित व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए पुलिस की सहायता करता है या सहायता करने में लगाया गया है, उसमें वर्णित तथ्यों का निश्चायक सबूत होगा।

विशेष न्यायालयों का गठन

5—(1) किसी डकैती प्रभावित क्षेत्र में किये गये अनुसूचित अपराधों के शीघ्र विचारण के लिए, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा, उतने विशेष न्यायालयों का गठन कर सकती है जितने ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट ऐसे डकैती प्रभावित क्षेत्र या क्षेत्रों में या उनके सम्बन्ध में आवश्यक हों।

(2) विशेष न्यायालय में एक न्यायाधीश होगा जिसे उच्च न्यायालय द्वारा सेवारत सेशन न्यायाधीशों या अपर सेशन न्यायाधीशों में से नियुक्त किया जायगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में, शब्द "नियुक्त" का वही अर्थ होगा, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 9 के स्पष्टीकरण में उसके लिए दिया गया है।

विशेष न्यायालय की अधिकारिता

6—(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी अनुसूचित अपराध का विचारण केवल विशेष न्यायालय द्वारा किया जायगा।

(2) किसी अनुसूचित अपराध का विचारण करने में, विशेष न्यायालय अनुसूचित अपराध से भिन्न किसी ऐसे अपराध का भी विचारण कर सकता है जिसका आरोप किसी अनुसूचित अपराधी पर तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उसी विचारण में लगाया जाय।

विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियां

7.—(1) कोई विशेष न्यायालय किसी अनुसूचित अपराध का संज्ञान कर सकता है,—

[क] उन तथ्यों का जिनसे अपराध बनता हो परिवाद प्राप्त होने पर;

[ख] ऐसे तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर,

[ग] पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति से प्राप्त सूचना या स्वयं अपने इस ज्ञान पर कि ऐसा अपराध किया गया है :

परन्तु इस अधिनियम के अधीन किसी विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय समस्त मामले जो किसी डकैती प्रभावित क्षेत्र में इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक के ठीक पूर्व किसी न्यायालय में लम्बित हों, ऐसे मामलों पर अधिकारिता रखने वाले विशेष न्यायालय को अन्तरित हो जायेंगे और उनके सम्बन्ध में इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही की जायगी और उनका निस्तारण किया जायगा।

(2) कोई विशेष न्यायालय, किसी अनुसूचित अपराध का विचारण करते समय, जहां तक हो सके, उसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो सेशन के मामलों में विचारण के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 द्वारा उपबन्धित की गई है :

परन्तु विशेष न्यायालय, जहां कहीं आवश्यक हो, उक्त संहिता की धारा 207 के अधीन मजिस्ट्रेट के कृत्यों का संपादन करेगा और मामले के विचारण की कार्यवाही इस प्रकार करेगा मानों वह मामला ऐसी संहिता के उपबन्धों के अधीन विचारण के लिए सेशन न्यायालय को सुपुर्द किया गया है।

(3) इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबन्ध, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों पर लागू होंगे और उक्त संहिता के उपबन्धों के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय को सेशन न्यायालय समझा जायगा और विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन संचालित करने वाले व्यक्ति को लोक अभियोजक समझा जायगा।

(4) विशेष न्यायालय इस दृष्टि से कि किसी व्यक्ति का साक्ष्य अभिप्राप्त करना है, जो किसी अनुसूचित अपराध में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सम्बद्ध या संसर्गित माना जाय, उस व्यक्ति को इस शर्त

पर क्षमा प्रदान कर सकेगा कि वह अपराध के सम्बन्ध में और उसके किये जाने में, चाहे कर्ता, या दुष्प्रेरक के रूप में सम्बद्ध प्रत्येक अन्य व्यक्ति के सम्बन्ध में सब परिस्थितियों को जो उसके ज्ञान में हों, पूर्ण और सत्य रूप से प्रकट कर देता है और इस प्रकार प्रदान की गई क्षमा उक्त संहिता की धारा 308 के प्रयोजनों के लिए उसकी धारा 307 के अधीन प्रदान की गई क्षमा समझी जायगी।

(5) कोई विशेष न्यायालय किसी अभियुक्त को सिद्धदोष पाकर विधि द्वारा प्राधिकृत कोई दण्डादेश उस अपराध को दण्डित करने के लिए दे सकता है, जिसके लिए उसे सिद्धदोष पाया गया है।

विशेष न्यायालयों की अधिकारिता

8--दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी--

(क) इस अधिनियम के अधीन सभी अपराधों का विचारण केवल उस क्षेत्र के लिए जिसमें अपराध किया गया है, गठित विशेष न्यायालय द्वारा या जहां ऐसे क्षेत्र के लिए एक से अधिक विशेष न्यायालय हों, वहां उनमें से किसी ऐसे एक के द्वारा किया जायगा जिसे उच्च न्यायालय के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए, सेशन न्यायाधीश द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाय।

(ख) जहां विशेष न्यायाधीश का पद रिक्त हो या विशेष न्यायाधीश अनुपस्थित हो या कार्य करने में असमर्थ हो, वहां सेशन न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए, किसी आवश्यक आवेदन-पत्र का, जो दिया जाय या दिया जा सकता है या ऐसे विशेष न्यायाधीश के समक्ष लम्बित हो, निस्तारण कर सकता है या किसी अपर या सहायक सेशन न्यायधीश द्वारा या यदि कोई अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश न हो तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निस्तारित करने का प्रबन्ध कर सकता है और प्रत्येक ऐसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को किसी ऐसे आवेदन-पत्र पर कार्यवाही करने की अधिकारिता होगी।

मामलों का अन्तरण

9--किसी एक विशेष न्यायालय से दूसरे विशेष न्यायालय को मामलों का अन्तरण करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 406, 407 और 408 के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

जमानत के संबंध में विशेष उपबन्ध

10--दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, किसी अनुसूचित अपराध के अभियुक्त या सिद्धदोष व्यक्ति को, यदि वह अभिरक्षा में हो, जमानत पर या उसके निजी बन्ध-पत्र पर तब तक छोड़ा नहीं जायगा जब तक कि--

(क) अभियोजन पक्ष को जमानत के आवेदन-पत्र का विरोध करने का अवसर न दिया जाय; और

(ख) जहां अभियोजन पक्ष जमानत के आवेदन-पत्र का विरोध करता है वहां न्यायालय का समाधान न हो जाय कि यह विश्वास करने के लिए युक्तियुक्त आधार है कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है :

परन्तु किसी अनुसूचित अपराध के अभियुक्त को, जो कुल एक सौ अस्सी दिन की अवधि के लिए, अभिरक्षा में रहा है, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें न्यायालय आरोपित करना उचित समझे, जमानत पर छोड़ा जा सकता है :

परन्तु यह और कि कोई ऐसा व्यक्ति, जैसा कि पूर्ववर्ती परन्तुक में निर्दिष्ट किया गया है, इस प्रकार छोड़ा नहीं जायगा—

(एक) यदि उसे पहले किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जा चुका है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या सात वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दण्डनीय है,

(दो) यदि उसे पहले से अजमानतीय और संज्ञेय अपराध के लिए दो या अधिक अवसरों पर दोषसिद्ध किया जा चुका है, या

(तीन) यदि उसने जमानत की किसी शर्त का जिसके अधीन रहते हुए उसे छोड़ा गया था, उल्लंघन किया है ।

गिरफ्तारी के पश्चात् अभिरक्षा के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध

11—(1) किसी अनुसूचित अपराध के सम्बन्ध में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 167 की उपधारा (2) के परन्तुक के खंड (क) के उपबन्ध इस उपान्तर के साथ लागू होंगे, मानों नब्बे दिन के निर्देश के स्थान पर एक सौ अस्सी दिन का निर्देश रखा गया हो।

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 167 की उपधारा (2) के परन्तुक के खण्ड (ख) के उपबन्ध किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे, जिसे किसी अनुसूचित अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाय, यदि ऐसे व्यक्ति को, ऐसी गिरफ्तारी के पश्चात् मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था और ऐसे व्यक्ति को अभिरक्षा में निरुद्ध करने का प्रारम्भिक आदेश ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया था, जिसके समक्ष वह पेश किया गया था और अन्वेषण अधिकारी अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से यह समझे कि लोक व्यवस्था के हित में ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना समीचीन नहीं है ।

अध्याय—तीन

अपराध और शास्ति

लोक सेवक के विरुद्ध अपराध के लिए दण्ड

12—जो कोई किसी लोक सेवक के या उसके कुटुम्ब के, किसी सदस्य के, व्यक्ति के प्रति अनुसूचित अपराध करता है,—

(क) यदि ऐसा अपराध भारतीय दण्ड संहिता के अधीन मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय है उसी दण्ड से दण्डित किया जायगा जो उस अपराध के लिए उक्त संहिता में उपबन्धित है , और

(ख) अन्य मामलों में, कारावास से, जो दस वर्ष तक का हो सकता है और जुर्माने से दण्डित किया जायगा।

स्पष्टीकरण--इस धारा और धारा 13 के प्रयोजनों के लिए किसी लोक सेवा के कुटुम्ब के सदस्य का तात्पर्य उसके माता-पिता, उसकी पत्नी या उसका पति, उसके पुत्र और पुत्रियां, पौत्र और पौत्रियां और प्रपौत्र और प्रपौत्रियां और उनके पति या उनकी पत्नियों से है और इसके अन्तर्गत ऐसे लोक सेवक पर आश्रित और उनके साथ रहने वाला कोई व्यक्ति भी है।

मृत्यु दण्ड न देने के लिए कारण अभिलिखित किये जायेंगे

13--दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 354 की उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, जब इस अधिनियम के अधीन दोषसिद्धि, एक से अधिक व्यक्तियों की या किसी लोक सेवक या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य की हत्या के लिए हो और मृत्यु का दण्डादेश न दिया जाय, तब निर्णय में मृत्यु दण्ड न देने के लिए विशेष कारणों का कथन किया जायेगा।

अनुसूचित अपराधों के लिए साधारणत: दण्ड

14--कोई व्यक्ति जो किसी अनुसूचित अपराध को करता है, यदि उस अपराध के लिए भारतीय दण्ड संहिता में कोई विनिर्दिष्ट दण्ड उपबन्धित नहीं है और वह अपराध धारा 12 के अधीन भी दण्डनीय नहीं है, कारावास से, जो दस वर्ष तक का हो सकता है और जो जुर्माने से, दण्डित किया जायगा।

ऐसी सम्पत्ति को, जिसके बारे में संतोषप्रद कैफियत न दी जा सके, कब्जे में रखने के लिए दण्ड

15--जहां किसी डकैती प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले किसी व्यक्ति के कब्जे में उस क्षेत्र में या उत्तर प्रदेश में अन्यत्र ऐसी सम्पत्ति पायी जाय जिसके लिए वह कोई संतोषप्रद कैफियत न दे सके और जिसे किसी अनुसूचित अपराध कार्य के द्वारा या उसके परिणामस्वरूप, अर्जित किया गया है, वहां उसे कारावास से जो सात वर्ष तक का हो सकता है, और जुर्माने से, दण्डित किया जायगा।

कारावास की न्यूनतम अवधि

16--धारा 14 और 15 या तत्समय प्रदत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी अनुसूचित अपराध के लिए न्यूनतम दण्ड तीन वर्ष का कारावास होगा।

अध्याय--4

सम्पत्ति की कुर्की और निर्मुक्ति

सम्पत्ति की कुर्की

17--(1) यदि जिला मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण हो कि डकैती प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले किसी व्यक्ति ने धारा 15 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया है तो वह इस आशय की घोषणा कर सकता है और उस सम्पत्ति की जिसके सम्बन्ध में ऐसा अपराध किये जाने का विश्वास हो, कुर्की का आदेश दे सकता है।

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित, उपधारा (1) के अधीन की गयी प्रत्येक कुर्की पर लागू होंगे ।

(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, जिला मजिस्ट्रेट उपधारा (1) के अधीन कुर्क की गई किसी सम्पत्ति का प्रशासक नियुक्त कर सकता है और प्रशासक को ऐसी सम्पत्ति के सर्वोत्तम हित में उसका प्रशासन करने की सभी शक्तियां होंगी।

(4) जिला मजिस्ट्रेट ऐसी सम्पत्ति के समुचित और प्रभावी प्रशासन के लिए प्रशासक को पुलिस सहायता की व्यवस्था कर सकता है।

(5) सम्पत्ति के प्रशासन पर उपगत व्यय, जिसके अन्तर्गत उपधारा (4) के अधीन पुलिस सहायता से सम्बन्धित व्यय भी है, सम्बद्ध सम्पत्ति पर भार होगा।

सम्पत्ति की निर्मुक्ति

18.--(1) जब धारा 17 के अधीन सम्पत्ति कुर्क की जाय, तब उसका स्वामी कुर्की की जानकारी होने के दिनांक से तीन मास के भीतर जिला मजिस्ट्रेट को अभ्यावेदन कर सकता है जिसमें यह दिखाया जायगा कि किन परिस्थितियों में और किन साधनों से वह सम्पत्ति उसके द्वारा अर्जित की गई थी।

(2) यदि जिला मजिस्ट्रेट का उपधारा (1) के अधीन किये गये अभ्यावेदन से समाधान हो जाय तो वह सम्पत्ति को कुर्की से तत्काल निर्मुक्त कर सकता है और तदुपरान्त सम्पत्ति, यदि कोई लाभ हुआ हो तो उसके सहित, सम्पत्ति पर भारित सभी व्ययों को काटने के पश्चात्, उसके स्वामी में निहित हो जायगी ।

सम्पत्ति के अर्जन के स्वरूप के बारे में विशेष न्यायालय द्वारा जांच

19.--(1) यदि जिला मजिस्ट्रेट का धारा 18 के अधीन किये गये अभ्यावेदन से समाधान न हो तो वह मामले को अपनी रिपोर्ट के साथ अधिकारितायुक्त विशेष न्यायालय को यह विनिश्चय करने के लिए निर्दिष्ट करेगा कि वह सम्पत्ति या उसका कोई भाग किसी ऐसे अनुसूचित अपराध कार्य के द्वारा या उसके परिणामस्वरूप तो अर्जित नहीं की गई थी।

(2) उपधारा (1) के अधीन निर्देश प्राप्त होने पर विशेष न्यायालय जांच के लिए कोई दिनांक निश्चित करेगा और उसकी नोटिस अभ्यावेदन करने वाले व्यक्ति और राज्य सरकार को देगा। इस प्रकार निश्चित दिनांक को, या किसी अनुवर्ती दिनांक को जब तक के लिए जांच स्थगित की जाय, विशेष न्यायालय पक्षकारों को सुनवाई करेगा, उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य ग्रहण करेगा, ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य लेगा जैसा वह आवश्यक समझे और निर्देश के सम्बन्ध में विनिश्चय करेगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन जांच के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय को निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया संहिता,

1908 के अधीन किसी वाद पर विचार करते समय सिविल न्यायालय की शक्तियां होंगी, अर्थात्--

[क] किसी व्यक्ति को समन कराना और उसे हाजिर कराना और शपथ पर उसका परीक्षण करना ;

[ख] दस्तावेजों का पता लगाने और उन्हें प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना ;

[ग] शपथ-पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना ;

[घ] किसी न्यायलय या कार्यालय से कोई सार्वजनिक अभिलेख या उसकी प्रति अधियाचित करना ;

[ङ] साक्षियों या दस्तावेजों के परीक्षण के लिए, कमीशन जारी करना ;

[च] किसी व्यतिक्रम के लिए निर्देश को खारिज करना या उसे एक पक्षीय विनिश्चित करना ;

[छ] व्यतिक्रम के लिए खारिज करने के आदेश या अपने द्वारा पारित एक पक्षीय आदेश को अपास्त करना ;

[ज] कोई अन्य विषय जो विहित किया जाय।

(4) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में किसी बात के होते हुए भी इस धारा के अधीन किसी कार्यवाही में, यह साबित करने का भार कि धारा 18 के अधीन अभ्यावेदन में उल्लिखित सम्पत्ति या उसका कोई भाग किसी अनुसूचित अपराध कार्य के द्वारा या उसके परिणाम स्वरूप अर्जित नहीं किया गया था, सम्पत्ति पर दावा करने वाले व्यक्ति पर होगा।

सम्पत्ति का अधिहरण

20--यदि विशेष न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सम्पत्ति किसी अनुसूचित अपराध कार्य के द्वारा या उसके परिणामस्वरूप अर्जित की गई थी तो वह उक्त सम्पत्ति के अधिहरण का आदेश देगा और अपने आदेश के निष्पादन के लिए अभिलेखों को जिला मजिस्ट्रेट को भेजेगा और किसी अन्य मामले में सम्पत्ति को तत्काल निर्मुक्त कर दिए जाने का आदेश दिया जायेगा।

अध्याय पांच

अपील

जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो कोई अपील नहीं की जायगी

21--इस अधिनियम के अधीन दिया गया कोई आदेश और किया गया कोई विनिश्चय, आगे यथा उपबन्धित के सिवाय, अपीलीय नहीं होगा।

22--इस अधिनियम के अधीन किसी विशेष न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि किये गये विचारण में दोषसिद्ध कोई व्यक्ति उच्च न्यायलय में अपील की अपील कर सकता है।

23--राज्य सरकार किसी मामले में लोक अभियोजक को, इस दोषमुक्ति अधिनियम के अधीन विशेष न्यायालय द्वारा दिये गए दोषमुक्ति की अपील के किसी आदेश की अपील उच्च न्यायालय में प्रस्तुत करने का निदेश दे सकती है।

धारा 20 के अधीन आदेश के विरुद्ध अपील

24--(1) धारा 20 के अधीन किए गए विशेष न्यायालय के प्रत्येक विनिश्चय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन उच्च न्यायालय में की गई प्रत्येक अपील में, उच्च न्यायालय या तो विनिश्चय की पुष्टि कर सकता है, उसे उलट सकता है, उसमें परिवर्तन या उपान्तर कर सकता है या यह निदेश दे सकता है कि विशेष न्यायालय द्वारा फिर से मामले की सुनवाई की जाय।

दण्ड प्रक्रिया संहिता के उपबन्ध अपील पर लागू होंगे

25--दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय उन्तीस के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, धारा 22 या धारा 23 के अधीन की गई प्रत्येक अपील पर लागू होंगे।

अध्याय छः

प्रकीर्ण

सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन

26--किसी सिविल न्यायालय को किसी ऐसे मामले के सम्बन्ध में अधिकारिता नहीं होगी, जिसे विशेष न्यायलय इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अवधारित करने के लिए सशक्त है और इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में सम्पत्ति की कुर्की या अधिहरण में हस्तक्षेप करने वाला कोई व्यादेश या अन्तवर्ती आदेश किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा नहीं दिया जायगा।

व्यपहरण और अपहरण के सम्बन्ध में उपधारणा

27--इस अधिनियम के अधीन किसी अनुसूचित अपराध के किसी विचारण में जहां यह साबित हो जाय कि--

(एक) अभियुक्त ने डकैती प्रभावित क्षेत्र से किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण किया है, वहां यह उपधारित किया जायगा कि अभियुक्त ने ऐसे व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण फिरौती के लिए किया है जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित न कर दिया जाय,

(दो) अभियुक्त ने डकैती प्रभावित क्षेत्र से व्यपहृत या अपहृत किसी व्यक्ति को सदोष छिपाया है या परिरुद्ध किया है, वहां यह उपधारित किया जायगा कि अभियुक्त ने ऐसे व्यक्ति को यह जानते

हुए छिपाया या परिरुद्ध किया है कि ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार व्यपहृत या अपहृत किया गया है जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित न कर दिया जाय।

सद्भावना से किये गये कार्य का संरक्षण

28--(1) राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य के लिए जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसरण में सद्भाव से किया गया हो या किए जाने के लिए आशयित हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

(2) धारा 17 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त प्रशासक के विरुद्ध कोई अभियोजन तब तक संस्थित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके लिए जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व स्वीकृति प्राप्त न कर ली गई हो।

अधिनियम का अधिभावी प्रभाव

29--इस अधिनियम के उपबन्ध उससे असंगत किसी बात के तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में होते हुए भी प्रभावी होंगे।

नियम बनाने की शक्ति

30--राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 30 तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 31

निरसन और अपवाद

31--(1) उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र अध्यादेश, 1982 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 1982

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 31 के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाय--

निरसन और अपवाद

"ख-31--(1) उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र (द्वितीय) अध्यादेश, 1983 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उ0 प्र0 अध्यादेश संख्या 25 सन् 1983

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थ ।"

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड 31 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय—

उ0 प्र0 अध्यादेश संख्या 25, सन् 1983

"31—(1) उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र निरसन (द्वितीय) अध्यादेश, 1983 एतद्द्वारा निरसित किया जाता और अवा हैं ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जाएगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।"

(प्रश्न उपस्थित हुआ और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड 31 इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुसूची

[धारा 2 (ख) देखिए]

(एक) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 216—क, 302, 303, 304, 307, 308, 325, 326, 327, 329, 331, 333, 363, 364, 365, 368, 369, 386, 387, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 402, और 511 के अधीन दण्डनीय अपराध;

(दो) फिरौती के लिए किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण;

(तीन) फिरौती के लिए किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करने के लिए इकट्ठा होना या तैयारी करना या प्रयत्न करना;

(चार) डकैती डालने के लिए आयुध या गोला—बारूद या विस्फोटक पदार्थ बनाना या सुधारना या उनके बनाये जाने या सुधारने की प्रक्रिया का कोई भाग पूरा करना, उनका क्रय करना, विक्रय करना, कब्जे में रखना, व्ययन करना, सम्भरण करना या उन्हें ले जाना;

(पांच) डकैती डालने की तैयारी करने या डकैती डालने के प्रयोजन के लिए इकट्ठा हुए व्यक्तियों को या डकैती डालने के पश्चात् इकट्ठा हुए डाकुओं को

खाद्य सामग्री, वस्त्र, संचार साधन परिवहन और अन्य वस्तुओं का स्वेच्छया सम्भरण करना;

(छः) किसी अपहरणकर्ता या व्यपहरणकर्ता को दी जाने के लिए फिरौती की धनराशि तय करने, में मध्यस्था करना या उन्हें फिरौती की धनराशि का भुगतान किये जाने के लिए प्रतिभू होना;

(सात) डकैती डालने के लिए तैयारी करने वाले या डकैती डालने के प्रयोजन के लिए इकट्ठा हुए व्यक्तियों के लिये या डकैती डालने के पश्चत् इकट्ठा हुए डाकुओं के लिए गुप्तचरी करना;

(आठ) ऊपर उल्लिखित समस्त या कोई अपराध करने वाले व्यक्तियों से लाभ प्राप्त करना ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुसूची को इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 1

अध्याय –एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1982 कहा जायगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) यह 22 अक्तूबर, 1981 से प्रवृत्त समझा जायगा ।

श्री प्रमोद कुमार--

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं खण्ड 1 के उपखण्ड (1) में अंक "1982" के स्थान पर अंक "1983" रख दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 के उपखण्ड (1) में अंक "1982" के स्थान पर अंक "1983" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड 1 इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र विधेयक, 1982

उत्तर प्रदेश के डकैती प्रभावित क्षेत्रों में कतिपय अपराधों को विनिर्दिष्ट करने के लिए जिससे अनुसूचित अपराधों का किया जाना प्रभावकारी ढंग से दबाया जा सके और उनके सम्बन्ध में दण्ड और शीघ्र विचारण का उपबन्ध करने के लिए और ऐसे अपराध कार्य द्वारा अर्जित की गयी सम्पत्तियों की कुर्की के लिये और उनसे सम्बन्ध या आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए

विधेयक

चूंकि डाकुओं के संगठित और असंगठित गिरोहों के खतरे को प्रभावकारी ढंग से दबाने के लिए यह आवश्यक है कि ऐसे गिरोहों, सहायक या सहचर निहित स्वार्थों की कड़ी को समाप्त किया जाय और प्रभावकारी ढंग से उन्हें दबाया जाय और उन पर नियंत्रण किया जाय;

और चूंकि यह आवश्यक है कि डकैती से प्रभावित क्षेत्रों में कतिपय अनुसूचित अपराधों के लिए अधिक कड़े दण्ड का उपबन्ध किया जाय;

और चूंकि अनुसूचित अपराध कार्य द्वारा विपुल सम्पत्ति डाकुओं के सम्बन्धियों, साथियों और विश्वासपात्र व्यक्तियों के नाम धारण की जा रही है और यह आवश्यक है कि ऐसी सम्पत्ति की कुर्की और जब्ती के लिए उपबन्ध किया जाय;

भारत गणराज्य के तैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्तावना में अंतिम पैरा में शब्द "तैंतीसवें वर्ष" के स्थान पर शब्द "चौंतीसवें वर्ष" रख दिये जायं ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि प्रस्तावना....

श्री हुकुम सिंह--

व्यवस्था का प्रश्न है श्रीमन, प्रस्तावना तो पहले बन चुकी है जब आपने कहा अंग बना दिये जायं अब उसमें कैसे संशोधन हो सकता है (व्यवधान) आपने पढ़कर सुनाया प्रस्तावना और शीर्षक दोनों अंग बन चुके हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

मैंने कहा अनुसूची इस विधेयक का अंग बन गयी ।

श्री हुकुम सिंह--

प्रस्तावना और शीर्षक दोनों में प्रस्तावना में 33 वर्ष के स्थान पर 34 वर्ष रख दिया जाय । आप कार्यवाही देख लें ।

श्री प्रमोद कुमार--

संशोधन तो यही आयेगा ।

श्री हुकुम सिंह--

संशोधन तो पहले आ गया, वह विधेयक का अंग बन चुका है ।

श्री अधिष्ठाता--

खण्ड 1 का संशोधन आया है ।

श्री हुकुम सिंह--

प्रस्तावना तो एक ही होती है, जो प्रस्तावना थी वह इस विधेयक का अंग बन चुकी है । बाकी जो आपकी आज्ञा हो शिरोधार्य है ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न है कि प्रस्तावना में अंतिम पैरा में शब्द "तैंतीसवें वर्ष" के स्थान पर शब्द "चौंतीसवें वर्ष" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि संशोधित प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री गुलाब सेहरा--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र विधेयक, 1982, जैसा सदन द्वारा संशोधित किया गया है, पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र विधेयक, 1982, जैसा सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(समय 4 बजकर 5 मिनट)

उत्तर प्रदेश केसारी (प्रतिषेध) (द्वितीय) अध्यादेश, 1983 के अननुमोदम का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश केसारी (प्रतिषेध) विधेयक, 1983†

श्री राम गोविन्द--

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश केसारी (प्रतिषेध) (द्वितीय) अध्यादेश, 1983 का अननुमोदन करता है।

---

†दिनांक 12 अप्रैल, 1983 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

श्रीमन्, एक तो यह पहले ही अध्यादेश बन चुका था और अध्यादेश बनने के बाद सदन की बैठक भी हुई लेकिन इस अध्यादेश के ये विधेयक के रूप में नहीं ला सके और अब पुनः मंत्री जी इसको विधेयक के रूप में ला रहे हैं।

श्रीमन्, वैज्ञानिकों द्वारा प्रमाणित कर दिया गया है कि इस केसारी को खाने से लोग अपंगु हो रहे हैं, इसलिये वे इस पर प्रतिबंध लग रहे हैं जो कि लगाना ठीक भी है। लेकिन मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश घाघरा और गंगा के किनारे, उधर तराई क्षेत्र में रहने वाले लोगों के यहां पशुओं का मुख्य चारा केसारी ही है जिसकी खेती करके लोग चारे के काम में लाते हैं। उसका भूसा एवं दाल पशुओं को दिया जाता है और कहा यह माना जाता है कि दुधारू पशुओं के रूप में इससे बढ़ोत्तरी होती है। इसलिये मंत्री जी केसारी की जगह पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था किये बिना ही इसकी खेती पर प्रतिबन्ध लगा दिया कि इसको खेती नहीं करेंगे तो यह ठीक नहीं है।

मान्यवर, दूसरी अपमिश्रण की बात विधेयक में कही गयी है तो और दूसरी जो वस्तुयें हैं, जैसे तेल, मसाले, डालडा आदि सभी चीजें ऐसी हैं जिनमें मिलावट होती है। यहां तक कि दवाइयों में भी मिलावट हो रही है जिसके सम्बन्ध में कई बार यहां चर्चा हुई है। लेकिन उन मिलावटों को दूर करने के कोई उपयोगी तरीके आप न ढूंढ़ पाये और न मिलावट को दूर कर पाये। इसलिये अब आप इस केसारी के दाल और आटा की मिलावट को कैसे दूर करेंगे, जिसका इस विधेयक में प्राविधान नहीं किया गया है। आप इसकी विभिन्न एजेंसियों से जांच करायेंगे जैसे खाद्य निरीक्षक, स्वास्थ्य निरीक्षक और दूसरे निरीक्षक भी इसकी जांच करेंगे कि अमुक चीजों में केसारी की दाल है कि नहीं। निरीक्षक लोगों का जो हाल है वह आप जानते हैं। वे चैक करने जायेंगे, अगर मिलावट पकड़ी जायेगी तो वे रुपया खाकर लिख देंगे कि मिलावट नहीं है। तो इसका भी कोई उपाय आपको सोचना चाहिये। इस विधेयक में इस तरह की कई कमियां रह गई हैं। यह बात सही है कि इसके खाने से हानि होती है और इस पर रोक लगना चाहिये। पर पहले इस विधेयक को दुरुस्त तो कीजिये। आप किस एजेन्सी से उसकी जांच कराना चाहते हैं पहले उसे तो तय कीजिये। यह बिल बहुत छोटा है, साधारण है, पर अगर इसे वापस लेकर, इसकी कमियों को दूर कर, इसे फिर से प्रस्तुत माननीय मन्त्री जी करेंगे तो इससे भला हो सकता है। मैं निवेदन करूंगा कि वे कृपया इसे वापस ले लें।

*जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश केसारी (प्रतिषेध) विधेयक, 1983 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, यह कसूर अवश्य हमारा है कि यह विधेयक साधारण पेपर पर है, इसे आर्ट पेपर पर होना चाहिये था। इसके अलावा इसमें कोई कमी नहीं है। इस बिल में माननीय सदस्य ने कोई बुराई नहीं बताई। हमारी मंशा यह है कि लोग स्वस्थ रहें, बीमार न हों, यह दाल चूंकि हानिकारक है, इसलिए इसकी खेती पर ही हम रोक लगा रहे हैं। जब इसकी खेती ही नहीं होगी, बीज ही नहीं होगा, तो परीक्षण का या मिलावट करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लोकपति--]

माननीय सदस्य ने कहा कि इसकी खेती समाप्त करके वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की । वह हनने की है । आप साल में हर महीने मूंग की खेती कर सकते हैं । पशुओं के लिए उन्नत किस्म के चारे की भी व्यवस्था की गई है ।

श्री राम गोविन्द--

गंगा और घाघरा के किनारे मूंग की खेती सम्भव नहीं है । केसारी की खेती बिना खाद और पानी के होती है । तो ऐसी कोई दूसरी चीज की खेती आपने निकाली है कि जिसमें खाद और पानी न देना पड़े ?

श्री लोकपति--

माननीय राम गोविन्द जी, हर नदी के किनारे बढ़िया खेती होती है । आपके क्षेत्र में चूंकि हर साल बालू आ जाती है, इसलिए खेती खराब हो जाती है । कृषि मंत्री जो बैठे हैं, इन्होंने बहुत उन्नत किस्म के चारे की व्यवस्था की है, जिससे जितना दूध आपको मिलता है, उससे आपको अधिक मिले । इस दाल के खिलाए हुए पशु का यदि आप दूध पियेंगे तो वह भी हानिकारक है । तो सभी दृष्टि से यह आवश्यक है कि केसारी दाल को बन्द किया जाय ।

श्री मित्र सेन--

मान्यवर, माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने केसारी उत्पादन में रोक लगाने के जो विधेयक पेश किया है, इसको तो माननीय कृषि मंत्री को कहां पर पेश करना चाहिये था और वह उसके साथ यह भी ले आते कि उनके कृषि वैज्ञानिक इसमें उत्पादन को किस तरह से प्रोन्नत करने जा रहे हैं, जिससे इसके अवगुण समाप्त हो जायें । आप उसमें परिवर्तन करके पेश करते तो ज्यादा अच्छा रहता । यों स्वास्थ्य मंत्री जो इस विधेयक को जिस धारणा से पेश कर रहे हैं, उससे कोई इंकार नहीं है, लेकिन जितने बड़े क्षेत्र मे आज इसकी खेती है, इसका कानून बना देने से क्या किसान मान जाएगा, उसकी खेती वह बन्द कर देगा ? उसकी खेती आप रोक नहीं पायेंगे । इसकी इतनी बड़ी उपयोगिता है और जानवरों को खिलाने का एक अच्छा चारा है, इसलिए इसकी खेती को आप रोक नहीं पायेंगे । आपको इसको जनता में प्रचारित करना चाहिये था, और जिस विशेष भूमि में और विशेष परिस्थिति में यह पैदा होती है, उसी के अनुरूप उनकी वैकल्पिक व्यवस्था आपको उनके सामने पेश करनी चाहिये थी, तब इसका लाना उपयोगी होता ।

जहां तक मिलावट की बात है, रामगोविन्द जी ने जैसा सुझाव दिया है, जैसे आपके सेनेट्री इंस्पेक्टर्स हैं या दूसरे लोग हैं उनका तो महीना बंधा हुआ है, वह पैसा ले लेते हैं, वह चाहे जो कुछ मिलाकर बेचते रहें । मिलावट को कोई देखने वाला नहीं है । जो आपका ध्येय है या प्रयास है कि इसकी खेती भी न हो और मिलावट भी न हो, तो आप इससे वह दोनों रोक नहीं पायेंगे । केवल बीच की एजेंसियां, बोने वाले और बेचने वाले से कुछ पैसा खा लेंगे, उनकी जेब में पैसा जायेगा । गरीब आदमी जो उसे खाता है, वह तो खाता रहेगा । इसलिए इसको प्रवर समिति में भेजकर प्रचारित कर देना चाहिये । कृषि विभाग इसका सर्वेक्षण करे और कृषि वैज्ञानिक कोई नई वैरायटी इसकी डेवलप करें, जिससे मानव जीवन के स्वास्थ्य को कोई नुकसान न हो । इसलिए मैं रामगोविन्द जी के इस प्रस्ताव पर बल देते हुए मैं कृषि मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन करूंगा

कि इस विषय पर उनको अपनी सरकार में बैठकर विचार कर लेना चाहिये और इसको प्रवर समिति में भेज देना चाहिये ।

श्री रामगोविन्द —

जब तक इसमें कोई खास प्राविधान जांच करने का न हो, विभिन्न एजेंसियों से आप जांच कर रहे हैं, इसलिए मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री लोकपति—

मुझे इसमें कुछ नहीं कहना है ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश केसारी (प्रतिषेध) (द्वितीय) अध्यादेश, 1983 का अननुमोदन करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश केसारी (प्रतिषेध) विधयक, 1983 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2

केसारी की खेती और उसके उत्पाद आदि का प्रतिषेध

2—कोई व्यक्ति—

(क) केसारी (लैथाइरस सेटाइवस) की खेती नहीं करेगा,

(ख) केसारी या उसके किसी उत्पाद को नहीं बेचेगा, न बेचने के लिए प्रस्थापित या अभिदर्शित करेगा, न किसी नाम से विक्रय के प्रयोजनार्थ या विक्रय के आशय से कोई माल तैयार करने के लिए उपादान के रूप में उपयोगार्थ अपने कब्जे में रखेगा,

(ग) केसारी से केसारी दाल या कोई अन्य उत्पाद तैयार नहीं करेगा ।

स्पष्टीकरण :—

इस धारा के प्रयोजनार्थ केसारी का आटा या केसारी की दाल का आटा, या चना (साइसर एरीटिनम) या चने की दाल या बेसन के साथ या किसी अन्य दाल या किसी अन्य आटे के साथ केसारी या केसारी दाल का मिश्रण केसारी का उत्पाद समझा जायेगा ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड 2 में, स्पष्टीकरण में, शब्द "केसारी या केसारी दाल का मिश्रण" के स्थान पर शब्द "केसरी या केसारी दाल या इन दोनों में से किसी के आटे या मिश्रण" रख दिये जायें ।

श्री लोकपति--

माननीय, मुझे स्वीकार है ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 2 में, स्पष्टीकरण में, शब्द "केसारी या केसारी दाल का मिश्रण" के स्थान पर शब्द "केसरी या केसारी दाल या इन दोनों में से किसी के आटे का मिश्रण" रख दिये जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 2 इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 3 तथा 4

शास्ति

3--कोई व्यक्ति जो धारा 2 के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष के कम न होगी, किन्तु छः वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी जो दो हजार से कम न होगा, दण्डनीय होगा ।

अधिनियम संख्या 37 सन् 1954 के कतिपय उपबन्धों का लागू होना

4--खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित--

(क) इस अधिनियम की धारा 2 में उल्लिखित पदार्थों के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उक्त अधिनियम में यथा परिभाषित खाद्य पर लागू होते हैं;

(ख) इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उक्त अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध के सम्बन्ध में लागू होते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 औरखण्ड 4 इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 5

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 12 सन् 1983 — 5--(1) उत्तर प्रदेश केसारी (प्रतिषेध) अध्यादेश, 1983 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। — निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 5 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय--

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 24 सन् 1983 — "5--(1) उत्तर प्रदेश केसारी (प्रतिषेध) (द्वितीय) अध्यादेश, 1983 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। — निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।"

श्री लोकपति--

मुझे स्वीकार है।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खण्ड 5 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय--

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 24 सन् 1983 — "5--(1) उत्तर प्रदेश केसारी (प्रतिषेध) (द्वितीय) अध्यादेश, 1983 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। — निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड 5 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश केसारी प्रतिषेध विधेयक, 1983

केसारी की खेती और विक्रय का प्रतिषेध करने और उसके उत्पादों के निर्माण के या विक्रय का प्रतिषेध करने और उससे सम्बन्धित विषयों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चौंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश केसारी (प्रतिषेध) अधिनियम, 1983 कहा जायगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) यह 25 अक्तूबर, 1982 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं :

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ :)

श्री लोकपति--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश केसारी (प्रतिषेध) विधेयक, 1983 जैसा कि सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश केसारी (प्रतिषेध) विधेयक, 1983 जैसा कि सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन और वैधीकरण) (द्वितीय) अध्यादेश, 1983 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1983†

(श्री राम गोविन्द के खड़े होने पर)

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, आज यह ठेके पर काम कर रहे हैं ।

श्री राम गोविन्द--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) (द्वितीय) अध्यादेश, 1983 का अननुमोदन करता है ।

---

†दिनांक 5 सितम्बर, 1983 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

यह जो विधेयक मंत्री जी लाये हैं इसमें बहुत त्रुटियां हैं । एक तो इन्होंने जजों का आयु 65 से 60 कर दिया इससे हाई कोर्ट का जज मिलना मुश्किल हो जायेगा। पहले 65 था अब 60 कर दिया । हाई कोर्ट का जज रखने का प्राविधान भी किया है । हाई कोर्ट का जज 60 की उम्र में मिलना उनको मुश्किल हो जायेगा। इसी तरह अपने अपील करने के लिये पहले 31 मार्च का समय रखा था अब 31 दिसम्बर कर दिया है । इतना वक्त क्यों दे रहे हैं ? विधान सभा में विधेयक लाकर विधान सभा का समय बर्बाद क्यों कर रहे हैं हम लोगों का समय बर्बाद कर रहें हैं और अपीलकर्ता को जो अपील से बंचित हो रहा है उसको समय दे रहे हैं और उससे आपको धन मिलेगा । धन मंत्री जी को मिले और समय का नुकशान हमारा हो ।

एक जगह जो संशोधन कर दिया मान्यवर, उसमें इनकी ड्राफ्टिंग ही गलत है । विधेयक की धारा खण्ड 2 (ग) की जो ड्राफ्टिंग है उसमें 3 सदस्यीय पीठ के सामने अपील होगी । इसमें दुबारा ड्राफ्ट किया है अध्यक्ष के सामने तीन सदस्यी समिति के सामने अपील होगी । अध्यक्ष तो होता ही है केवल बेंच के सामने थोड़ी अपील होती है । इसकी ड्राफ्टिंग ठीक नहीं है इसलिये इस विधेयक को यहां लाना ही ठीक नहीं है । पहले 3 साल का समय अपील करने का था अब उसके स्थान पर 4 साल का समय कर दिया । एक साल क्यों दे रहे हैं ? इसलिये दे रहे हैं जिन लोगों का छूट गया है जो नहीं कर पाये हैं उनको एक साल का समय दे दें और उनसे धन अपने पाकेट में रख लें । इसलिये इस विधेयक को लाने का कोई औचित्य नहीं प्रतीत होता है ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

घोटाला करने के लिये नहीं मुख्तार अनीस के प्रेम में यह किया गया है ।

श्री राम गोविन्द--

मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि यदि आप इसको सख्त विधेयक के रूप में लागू करना चाहते हैं तो इसको वापस कर लें और जो खामियां हैं जैसे तीन साल के स्थान पर 4 साल 65 की जगह 60 कर दिया है, को दूर करके लाये । हमको इससे ऐसा विश्वास हो रहा है कि यह विधेयक धन कमाने के उद्देश्य से लाया गया है । इससे जनता का कोई लाभ होने वाला नहीं है यदि जनता का लाभ होता हो तो बता दें । 3 साल में जो ईमानदार लोग थे अपील कर दिये जो बेईमान थे उन्होंने नहीं किया । बेईमान लोगों को अपील करने के लिये आपने समय दे दिया । इसलिये मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहूंगा कि वे इस विधेयक को वापस ले ताकि इनको खामियों को दूर किया जा सके ।

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1983 पर विचार किया जाय ।

---

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अम्मार रिजवी--]

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने योग्य साथी का जो कानून पर उन्होंने प्रकाश डाला योग्यतापूर्णभाषण सुन रहा था। सबसे पहले इन्होंने बताया की ड्राफ्ट ही गलत है। तो जो यह ड्राफ्ट उन्होंने बताया कि गलत है इसमें आगे क्या अंजाम हो सकता है आप सोच सकते हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूं जो श्री रियासत हुसैन के उत्तराधिकारी हुए हैं। वह इस बधाई को कबूल करें। मान्यवर, आज का दिन रामगोविन्द चौधरी जी का है, आज की विधान सभा की कार्यवाही में इनके अलावा शायद ही किसी का नाम होगा।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

कई दिन से ठेके पर काम जो चल रहा है।

श्री अम्मार रिजवी--

यह जो विधेयक आया है यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं उनमें एक तो यह है कि जो उत्तर प्रदेश बिक्रीकर की धारा 10 थी उसमें लिखा हुआ था कि किसी भी व्यक्ति को अपील करने का अधिकार था। यह बात साफ नहीं थी कि उसके अन्दर आयुक्त जो है उसे इस बात का अधिकार है कि नहीं। मान्यवर, इसमें साफ कहा गया है कि अपील करने का अधिकार जिसमें राज्य सरकार या विभाग सम्मिलित हैं। यह दूसरी पार्टी ने ज्यादती की है। उस अधिकार को इसके अन्दर स्पष्ट किया गया है।

दूसरी बात यह है कि इसमें कोई फीस इत्यादि सेल्स टैक्स कमिश्नर को नहीं देनी होगी।

तीसरी बात इन्होंने कही है कि इसके अन्दर एज आफ रिटायरमेन्ट घटाकर 60 कर दी गयी है मान्यवर, हमने भी अध्ययन किया, हो सकता है जो विधेयक आया है वह हमने ही गलत पढ़ा हो। इसमें जो संशोधन हुआ है वह 60 से घटाकर 58 साल की गई है। मान्यवर, एक तरफ तो यह बड़ा शोर है कि रिटायरमेन्ट की उम्र घटनी चाहिए ताकि दूसरे लोगों को मौका मिल सके। जब ऐसा कहा जाता है तो बहुत से लोग आपत्ति करते हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि इसमें उम्र 60 से घटाकर 58 की गयी है। इसमें यह भी प्राविधान किया गया है कि इस विधेयक के आने से पहले जिनकी नियुक्ति हो चुकी है यह 60 साल रहेंगे जो मान्यवर, इन्होंने कहा कि ड्राफ्ट ही गलत है तो यह तो आप जानते ही हैं कि टैक्स में किसी का माल जब्त किया जाता है। कुछ रुपया जमाकर वह माल छोड़ दिया जाता है। कुछ दिन के बाद केसेज जब्त हो जाते हैं तो वह रुपया वापस कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को चार साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इसमें व्यवहारिक कठिनाइयां थीं, जो इस बिल में महसूस हो रहा था पहले एक अध्यादेश किया गया फिर दूसरा किया गया जो भी अध्यादेश है, इसमें सरकार का कहना है कि इस माननीय सदन के सामने आने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि रामगोबिन्द चौधरी इसको वापस ले लेंगे। अगर कोई ड्राफ्ट गलत है तो उसको सही कर देंगे। तो वह गलती सही कर देंगे। लेकिन अगर इसे मान्यवर, प्रवर समिति में देंगे तो मान्यवर, ड्राफ्टिंग का क्या होगा आप खुद समझ सकते हैं। मैं फिर अनुरोध करूंगा कि कि जो प्रवर समिति का प्रस्ताव रखा गया है इसको जनता के हित में जो विधि स्थिति प्रदेश की है,

उसके हित में उन लोगों को बचाने का प्रयास न करें जिनके लिये यह बिधेयक लाया गया है ।

*श्री हुकुम सिंह--

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1983 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करे ।

मान्यवर, इस प्रदेश की सरकार में एक ही क्षमता है कि जो भी व्यवहारिक कठिनाई आपके सामने आयी आपने अध्यादेश कर दिया । सेल्स टैक्स के बारे में बार-बार तमाम पृथक्-पृथक् आपत्तियां उठती रही हैं । आप परेशान हो गये हैं । उनको हल करने के लिये आप एक समिति बना दीजिये ताकि तमाम पहलुओं पर विचार करने हेतु । आपने भूमि से सम्बन्धित समिति बनाई उसका प्रतिवेदन आया । मैं समझता हूं कि बिक्रीकर से बहुत बड़ा जनमानस प्रभावित होता है । इसके बारे में भिन्न-भिन्न प्रकार की भ्रांतियां हैं । आप कुछ ही दिनों सदन के समक्ष दूसरा विधेयक भी लाने वाले हैं । तो बार-बार अध्यादेश और विधेयक लाने के बजाय तदर्थ निर्णय करा दें । इस ऐक्ट का परीक्षण करा लें और जिन-जिन बातों को बदलने की आवश्यकता है उसे बदलने की कृपा करें । दो-तीन बातें आपने बतायीं ।

आप प्रगतिशील बनने की बात कहते हैं तो आप चार सालों में उनको नोटिस भी नहीं दे सके जिनके ऊपर सेल्स-टैक्स बाकी है । अगर आप नोटिस नहीं दे सके तो कम से कम उन अधिकारियों को जो काम नहीं करते, आपके आदेशों की अवहेलना करते हैं उनको तो नोटिस दे सकते थे । चार साल हो गये बकाया टैक्स के लोगों की सूची नहीं तैयार हो सकी है । आप अध्यादेश के जरिये, बिल के जरिये छोटे व्यापारियों पर तलवार लटकाना चाहते हैं, बिजनेस मैन को नोटिस दी जा सकती है लेकिन आपने यह प्रक्रिया अपनायी है । यह प्रक्रिया लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बिलकुल प्रतिकूल है । दो साल, चार साल का समय काफी होता है उन लोगों की सूची तैयार करने के लिये । जिन लोगों का टैक्स एेड हो सकता था उनको बचत की गयी । इसलिये मान्यवर, यह जो दो संशोधन आप लोग लाए तो मेरा यह सुझाव है, मैं पुनः अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं कि मंत्री जी पुनः इस पर विचार करें, यह जो आपके दिशाहीन अधिकारीगण हैं, जिनके अन्तर्गत बड़े-बड़े व्यापारी बचे जा रहे हैं । आपके इन अधिकारियों की साठ-गांठ से इस प्रदेश का खजाना, गरीब खजाना वंचित है और छोटे-छोटे व्यापारी के ऊपर तलवार लटका रहे हैं । तो मान्यवर, ऐसी प्रक्रिया अपनाने से जो स्थिति है उसका निराकरण कैसे हो सकेगा ?

*श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, इन्होंने जो पहलू की बात कही तो प्रवर समिति के बजाय इनके पहलू में भेजने में हर्ज नहीं है परन्तु दूसरा पहलू खतरनाक है । प्रवर समिति की बात इन्होंने कही तो मान्यवर, सेल्स टैक्स के बारे में इनका मनीफैस्टो बहुत कुछ कहता था लेकिन तीन साल के अन्दर ये क्या कर सके । जब तीन साल में कुछ नहीं कर सके तो 30 दिन के अन्दर क्या ये ऐसी कोई बात हल कर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अम्मार रिजवी---]

लेंगे ? जब भी कोई कठिनाई होगी तो, हमेशा हर सरकार, कोई भी सरकार हो, मान्यवर, आर्डिनेंस इश्यू करेगी, तो जो तरीका है आर्डिनेंस सदन में लाने का, आपका अनुमोदन लेना होता है, वही कार्य किया जा रहा है । आगे भी जो कठिनाई होगी तो वहां प्रक्रिया अपनायी जायगी । इस वजह से मैं फिर अपने पुराने साथियों जिनसे हमारा बड़ा सम्बन्ध है, से अनुरोध करता हूं कि जो उन्होंने प्रवर समिति के सुपुर्द वाली बात कही है, उस प्रस्ताव को वे वापस ले लेंगे ।

श्री हुकुम सिंह---

मान्यवर, सदन में तो इन्हें कोई बात मान्य ही नहीं है । मैं चाहता हूं कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय ।

श्री राम गोविन्द---

मान्यवर, हमारे माननीय मंत्री जी जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, वे कभी वित्त मंत्री हो जाते हैं और कभी कोई मंत्री । जहां तक उन्होंने ड्राफ्टिंग के बारे में कहा है । मान्यवर, आप उसे देख लें । उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1983 के पृष्ठ 3 पर जिसमें लिखा गया है (2) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् (ग) धारा 35 के अधीन दिये गये किसी आदेश के विरुद्ध किसी अपील की जो अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत की जायगी, सुनवाई और उसका निस्तारण तीन सदस्यों की न्यायपीठ द्वारा किया जायेगा । लेकिन अब जो कहा गया है वह इस प्रकार है---(ग) धारा 35 के अधीन दिये गये किसी आदेश के विरुद्ध अपील की सुनवाई और उसका निस्तारण तीन सदस्यों की न्यायपीठ द्वारा किया जायेगा ।" इन दोनों में अन्तर है इसलिए मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) (द्वितीय) अध्यादेश, 1983 का अनुमोदन करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1983 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि सदन उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1983 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2 से 7, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1983

कतिपय प्रयोजनों के लिए उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 का अग्रतर संशोधन करने और कतिपय कार्यों और कार्यवाहियों को विधिमान्य करने और उससे आनुषंगिक या सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चौंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, 1983 कहा जायेगा ।

(2) यह 19 अक्तूबर, 1982 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

उत्तर प्रदेश ऐक्ट संख्या 15 सन् 1948 की धारा 10 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 10 में,—

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी, अर्थात्—

"(1) एक बिक्री-कर अधिकरण होगा जिसमें अध्यक्ष सहित ऐसे सदस्य होंगे जिन्हें राज्य सरकार समय-समय पर निम्नलिखित में से नियुक्त करना आवश्यक समझे :—

(क) ऐसे व्यक्ति जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए अर्ह हैं; और

(ख) उत्तर प्रदेश बिक्री-कर सेवा के ऐसे व्यक्ति जो बिक्री-कर उप-कमिश्नर से अनिम्न पद पर हों या रहे हों :

प्रतिबन्ध यह है कि—

(1) यदि अधिकरण मे एक या अधिक ऐसे व्यक्ति हों जो उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा का/के सदस्य हो या हों तो उसे या उनमें से ज्येष्ठतम को अध्यक्ष नियुक्त किया जायगा;

(2) अधिवक्ताओं में से कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जायगा, जब तक कि उसने ऐसी नियुक्ति के पूर्ववर्ती लगातार पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में ऐसे

व्यवसाय से होने वाली आय (जिसके अन्तर्गत समस्त अन्य आय नहीं है) पर आय-कर का भुगतान न किया हो ।

(1-क) राज्य सरकार अधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए ऐसी अन्य अर्हताएं या शर्तें निर्धारित कर सकती है जिन्हें वह उचित समझे ।

(1-ख) उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल्स के नियम 56 के उपबन्ध अधिकरण के प्रत्येक सदस्य पर, जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी हैं, चाहे उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, 1983 के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् नियुक्त किया गया हो उसी प्रकार लागू रहेंगे जिस प्रकार वे किसी अन्य सरकारी सेवक पर लागू होते हैं :

प्रतिबन्ध यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, 1983 के प्रारम्भ के पूर्व नियुक्त अधिकरण का कोई सदस्य जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी है, साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक इस रूप में पूर्ववत् कार्य कर सकता है ।"

(ख) उपधारा (2) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायगा और दिनांक 3 अक्तूबर, 1980 से बढ़ाया गया समझा जायगा, अर्थात्--

"स्पष्टीकरण--इस उपधारा के प्रयोजनार्थ बिक्री-कर कमिश्नर से भिन्न प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के सम्बन्ध में, पद 'कोई व्यक्ति' के अन्तर्गत बिक्री-कर कमिश्नर भी है ।"

(ग) उपधारा (3) में, शब्द "अपील" के पश्चात् शब्द "या अन्य प्रार्थना-पत्र" बढ़ा दिये जायेंगे ।

(घ) उपधारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्--

"(6) यदि इस धारा के अधीन कोई अपील प्रस्तुत की गई है तो ऐसी अपील के प्रस्तुत किये जाने से तीस दिन के भीतर अपीलकर्ता के प्रार्थना-पत्र पर अधिकरण पक्षों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है उसके अधीन देय किसी कर, शुल्क या अर्थ-दण्ड की विवादग्रस्त धनराशि की वसूली को या देय धनराशि की वापसी को या पुनः कर निर्धारण की कार्यवाही को या जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है उसके प्रवर्तन को अपील के निस्तारण होने तक स्थगित कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि--

(1) कर, शुल्क या अर्थ-दण्ड की किसी विवादग्रस्त धनराशि की वसूली के स्थगन के लिए कोई प्रार्थना-पत्र ग्रहण नहीं किया जायगा जब तक कि प्रार्थी ने धारा 9 का उपधारा (1) के अधीन जमा करने के लिए अपेक्षित धनराशि के अतिरिक्त ऐसी विवादग्रस्त धनराशि की कम से कम एक तिहाई धनराशि के भुगतान का संतोषप्रद प्रमाण प्रस्तुत न कर दिया हो ।

(2) अधिकरण विशेष और पर्याप्त कारणों से जिन्हें अभिलिखित किया जायगा ऐसी विवादग्रस्त धनराशि की एक तिहाई धनराशि का भुगतान करने के सम्बन्ध में खण्ड (1) की अपेक्षा को अधित्यक्त या शिथिल कर सकता है ।"

(ङ) उपधारा (10) में,--

(1) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्--

"(क) धारा 9 के अधीन अपील सुनने वाले अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील की सुनवाई और उसका निस्तारण--

(1) दो सदस्यों की न्यायपीठ द्वारा किया जायगा, यदि ऐसा आदेश उप कमिश्नर (अपील) द्वारा दिया गया हो या विवादग्रस्त कर, शुल्क या अर्थ-दण्ड की धनराशि दस हजार रुपये से अधिक हो;

(2) किसी अन्य मामले में एक सदस्य द्वारा किया जायगा ।"

(2) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्--

"(ग) धारा 35 के अधीन दिये गये किसी आदेश के विरुद्ध किसी अपील को जो अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत की जायगी, सुनवाई और उसका निस्तारण तीन सदस्यों की न्यायपीठ द्वारा किया जायगा ।"

धारा 21 का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 21 में, --

(क) उपधारा (2) में, उसके प्रतिबन्धात्मक खण्ड में अंक और शब्द "31 मार्च, 1982" के स्थान पर अंक और शब्द "31 दिसम्बर, 1982" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझ जायेंगे;

(ख) उपधारा (4) में, अंक और शब्द "31 दिसम्बर, 1979" के स्थान पर अंक और शब्द "31 दिसम्बर, 1982" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे; और

(ग) उपधारा (5) में, अंक और शब्द "31 मार्च, 1980" के स्थान पर अंक और शब्द "31 दिसम्बर, 1982" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे ।

धारा 32 का संशोधन

4--मूल अधिनियम की धारा 32 में, उपधारा (3) में, खण्ड (क) में शब्द "प्रार्थना-पत्र" के पश्चात् शब्द "या अपील का ज्ञापपत्र" बढ़ा दिये जायेंगे और दिनांक 3 अक्तूबर, 1980 से बढ़ाये गये समझे जायेंगे ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33 सन् 1979 की धारा 6 का संशोधन

5--उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, 1979 की धारा 6 में, उपधारा (1) में शब्द "तीन वर्ष" के स्थान पर शब्द "चार वर्ष" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे ।

कतिपय कार्यवाहियों का वैधीकरण

6--किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी, मूल अधिनियम की धारा 10 या धारा 32 के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी और सदैव से कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम ऐसे दिनांक पर प्रवृत्त था जब ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्यवाही की गई थी ।

निरसन और अपवाद

7--(1) उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) (द्वितीय) उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 16 सन् 1983 अध्यादेश, 1983 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम और धारा 5 में निर्दिष्ट अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उन अधिनियमों के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 7 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अम्मार रिजवी----

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1983 पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1983 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(समय 4 बज कर 43 मिनट)

उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (तृतीय) अध्यादेश, 1983 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर विधेयक, 1983†

श्री राम गोविन्द---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (तृतीय) अध्यादेश, 1983 का अननुमोदन करता है ।

मान्यवर, इसमें माननीय मंत्री जी ने जिस समिति का गठन किया है उसके पदेन चेयरमैन हैं काशी नरेश । यदि इसकी यही व्यवस्था रही तो कुछ भी कार्य ठीक से नहीं हो सकता है और न ही यह अच्छा प्रतीत होता है । अगर इनको उसका अधिग्रहण करना ही था, तो जैसे दक्षिण के मन्दिरों की व्यवस्था सरकार ने अपने हाथ में पूर्णतः ले ली है, उसी तरह से इन्होंने क्यों नहीं किया ? न्यास परिषद् का गठन करना और उसमें भी तमाम सरकारी अधिकारियों को ही सबसे अधिक उसमें संख्या रख देना, यह भी ठीक नहीं है इस विधेयक में, श्रीमन् इसकी व्यवस्था कैसे चलेगी, इसका रख रखाव, दर्शनार्थियों और तीर्थ यात्रियों के रहने की सुविधा, जो चढ़ावा मंदिर में चढ़ेगा, उसकी देख रेख उन तमाम बातों की इसमें कोई ठोस व्यवस्था नहीं है ।

माननीय मन्त्री जी ने इस विधेयक के अन्दर केवल एक कार्य पालक के ऊपर सारी जिम्मेदारी थोप दी है । श्रीमन्, किसी भी जन प्रतिनिधि को इसमें रखने का काम इन्होंने नहीं किया है । इससे साफ जाहिर होता है कि यह जो न्यास परिषद् गठित होगी, वे अपने मनमाने ढंग से काम करेगी । इन्होंने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में जो विभिन्न समय में चोरियां हुई हैं, उन चोरियों का उल्लेख करते हुए यह आवश्यक समझा है कि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का अधिग्रहण कर लिया जाय । अधिग्रहण तो कर लिया, न्यास परिषद् के जिम्मे उसे दे दिया और यह भी उल्लेख कर दिया कि जो कार्यपालक होगा, उसकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी । श्रीमन् जो लोग उस कमेटी की मीटिंग में यहां से जायेंगे, उनके भत्ते आदि के बाबत इस विधेयक में प्राविधान है । लेकिन जो वहां पर कर्मचारी या पुजारी रहेंगे, पुजारी को क्या दिया जायेगा, उनकी क्या जिम्मेदारी होगी, इसके विषय में इनका विधेयक बिल्कुल मौन है ।

---

†दिनांक 5 सितम्बर, 1983 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

भगवान भोले नाथ शंकर तो उनकी झोली खुद ही भर देंगे ।

श्री राम गोविन्द--

श्री काशी विश्वनाथ मंदिर को हिन्दू धर्म और हिन्दू विचारधारा के मानने वाले लोग बड़ी श्रद्धा से देखते हैं । मान्यवर, इसमें चोरी की जो 2--4 घटनाएं हुई हैं, यह हम सबके लिये दुख की बात है । लेकिन यह जो विधेयक आज लाया गया है और इसमें जितनी व्यवस्थायें लागू करने की बात कही गयी है, उससे श्रीमन्, हमको ऐसा महसूस होता है कि हिन्दू धर्म में विश्वास रखने वाले लोगों को आगे चल कर के पछताना पड़ेगा । इसमें इन्होंने उल्लेख किया है कि इस परिषद् में प्रख्यात हिन्दू धर्म को मानने वाले लोगों को रखा जायेगा । वे कौन से प्रख्यात हिन्दू धर्म को मानने वाले लोग होंगे, यह मैं जानना चाहता हूं ? मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि इसको आपने कौन सी योग्यता रखी है, कैसे इसका वर्गीकरण करेंगे कि कौन प्रख्यात धर्मावलम्बी लोग हैं और कौन प्रख्यात हिन्दू हैं? इसमें आगे दिया है अन्य धर्मावलम्बी आदमी, इसके मानें दूसरे भी धर्म के लोग, एक जगह तो उन्होंने हिन्दू जोड़ दिया, उसके आगे कहा कि अन्य धर्मावलम्बी आदमी भी इसमें सदस्य हो सकते हैं । तो, इसके माने मन्त्री जी आपने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दूसरे धर्म के लोगों को समाहित करने की जगह छोड़ रखी है, जो एक अच्छी बात नहीं है । इससे बहुत पर यह मंदिर धर्म स्थल न हो कर, समाजवादी स्थल हो जायेगा । और, मेरा स्पष्ट आरोप है मन्त्री जी कि प्रख्यात हिन्दू और प्रख्यात धर्मावलम्बी शब्द जहां पर आप रखे हैं कहीं आपकी ऐसी मंशा तो नहीं है कि उसमें आप अपने दल के लोगों को भर दें और कह दें कि यह प्रख्यात धर्मावलम्बी हैं। मीटर से नापने की तो कोई व्यवस्था है नहीं कि आप नाप लेंगे कि यह बहुत धार्मिक हैं और यह बहुत हिन्दू हैं । यह जो जगह आपने छोड़ रखी है, यह भी ठीक नहीं है ।

अगर आप विश्वनाथ जी के मन्दिर को अच्छी तरह से रखना चाहते थे, उसकी सम्पत्ति को सुरक्षित रखना चाहते थे या उसके दर्शनार्थियों की सुविधा को बढ़ाना चाहते थे, तो क्यों नहीं पूरे मन्दिर को सरकार के अन्दर ले लिया, जैसे दक्षिण के मन्दिरों की व्यवस्था होती है । आपने भी देखा होगा कि वहां पर तमाम व्यवस्था सरकार के हाथ में है । मन्दिर के पुजारी पण्डे, उनके रहने खाने और परिवार के पालन पोषण की भी व्यवस्था है । जो लोग मन्दिर में दर्शन करने जाते हैं, उनके भी रहने की व्यवस्था है । जो चढ़ावा आयेगा, उसका क्या होगा ? उसका रख-रखाव कौन करेगा ? एक यह पवित्र काम के लिए जो विधेयक ले आये हैं, इसको वापस ले लें । इसमें बहुत सी ऐसी जगहें छोड़ रखी हैं, जिसमें गड़बड़ होने की भी आशंका है । इसको वापस ले लें और त्रुटियों को दूर करें, तब एक अच्छी शक्ल का विधेयक पेश करें तो समझ में आता है । इस तरह के विधेयक का कोई औचित्य नहीं लगता । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अननुमोदन प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मन्त्री (श्री गुलाब सेहरा)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर विधेयक, 1983 पर विचार किया जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

भाई राम गोविन्द जी ने यह तो कहा ही कि यह पवित्र विधेयक है । मैं भी मानता हूं कि हिन्दू सम्प्रदाय की जो भावनायें इसके साथ निहित हैं । अगर आप इतिहास ' देखें तो विश्वनाथ जी की प्रतिमा, द्वादश ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर और कदालेश्वर में से एक मानी जाती है । इसका इतिहास है कि अकबर के समय में राजा टोडरमल जी ने इसका निर्माण कराया, राजा मान सिंह ने इसका जीर्णोद्धार कराया, अहिल्या बाई भी इससे सम्बद्ध रहीं। वर्ष 1839 में राजा रंजीत सिंह ने ढाई मन सोना इस मन्दिर के लिये दिया था । हिन्दू धर्म के मानने वाले लोगों की भावना इसके साथ जुड़ी हुई है । इसका विशेष रूप से अधिग्रहण किसी मजबूरी में किया गया है । वहां 4 महन्तों का आधिपत्य था । वे 1899 से मुकदमेबाजी करते चले आ रहे थे, लेखा-जोखा नहीं था, दर्शनार्थियों को सुविधा नहीं थी, रोशनी की व्यवस्था नहीं थी, सफाई की व्यवस्था नहीं थी और लगातार 1962 में 1969 में, 1976 में और 1980 में चोरियां हुई । 4-5 जनवरी, 1983 में भी चोरी हुई । तब इस अधिग्रहण की बात चली बनारस बन्द हुआ पूरे देश के लोग जो इसके प्रति भावना रखते थे, उनमें आक्रोश उत्पन्न हुआ, तब इसका अधिग्रहण किया गया ।

कुछ चीजें बतायीं हमने बोर्ड आफ ट्रस्टीज बनाया, जिस पर आपको एतराज है । वाराणसी नगर के बारे में "हर हर महादेव" का नारा मुझे याद है कि 1911 में जब राजा बनारस जिस रास्ते से निकल जाते थे, पीछे से आवाज लगती थी 'हर हर महादेव" । राजा वाराणसी जो हिन्दू धर्म की भावनाओं और काशी विश्वनाथ मन्दिर की आस्था को बनाये रखने वाले राजा हैं, उन्हें इस बोर्ड आफ ट्रस्टी का अध्यक्ष बनाया गया है । श्रीमन इस ट्रस्ट के बनाने के बाद हमने विशेष रूप से 5 आदमियों का नामांकन किया, जिसमें से विशेष रूप से 2 व्यक्ति प्रख्यात हिन्दू धर्म की आस्था रखने वाले हैं जिन्हें हिन्दू मैथालोजी एवं हिन्दू विचारधाराओं का अपार ज्ञान है, उनका नामांकन किया गया है और तीन व्यक्तियों को और रखा गया है जो हिन्दू धर्म काण्ड पर आस्था रखते हैं । फिर इस मन्दिर का कार्य सुचारु रूप से चले तो इसके लिए विभिन्न विभागों के सेक्रेट्रीज, समाज कल्याण विभाग, कल्चरल एफेयर्स, फायनेन्स विभाग और ला विभाग के चार सेक्रेट्रीज नियुक्त किये गये । दूसरे बनारस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर जो हिन्दू धर्म को सांस्कृतिक कार्यों में आगे ले जाने में अग्रणी माने जाते हैं, उनको भी इसमें रखा गया है । साथ ही इन सब के अलावा दिन प्रति दिन इसकी कार्य-प्रणाली में सुधार होता रहे और कार्य सचारु रूप में चले इसके लिए 19 आदमियों की एक कार्यकारी समिति बनायी गयी है, जो रोजमर्रा के कामों को देखेगी , इस समिति में जिलाधीश, एस0 एस0 पी0 व अन्य अधिकारी हैं ।

श्रीमन्, इसका अधिग्रहण हमने 28 जनवरी को किया था और इस बीच इस अध्यादेश द्वारा जो भी उपलब्धियां हुयी हैं, उनको बताना भी जरूर चाहूंगा वह यह कि श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर की सम्पत्ति का जो असेसमेन्ट किया गया है वह साढ़े 15 करोड़ रु0 है । दूसरे शासन ने 11 लाख रु0 ट्रस्ट को ऋण के रूप में दिये हैं, जिसमें से 6 लाख रु0 की लागत का अरघा सोने से मंढ़वाया गया है जो चोरी चला गया था तथा 5 लाख रु0 बैंक में इस बात के लिए जमा कराया गया है ताकि उसके ब्याज से मन्दिर का कार्य सुचारु रूप से चलता रहे और इस जनवरी से ले कर अब तक 3 लाख 80 हजार रु0 का जो चढ़ावा चढ़ा, उसको हमने फिक्स डिपाजिट में जमा करा दिया है । जबकि हमने इसको ग्रहण नहीं किया था, उस समय महन्त द्वारा जो आमदनी दिखायी जाती थी, वह केवल 300, 400

[श्री गुलाब सेहरा---]

या 506 रु0 ही थी, लेकिन इस वक्त जो आमदनी है प्रति दिन की वह एक हजार से लेकर 15 सौ तक है चढ़ावे की । माननीय सदस्य, श्रीराम गोविन्द जी ने जो पुजारी की बात कही, लगता है आप पढ़ते-लिखते बिल्कुल नहीं हैं और नहीं अखबार वगैरह पढ़ते हैं, वरना ऐसी बात न कहते और न ही यहां के मैटर्स को देखने का प्रयास करते और नाम है आपका राम और गोविन्द दोनों । तो हमारा इस सिलसिले में कहना यह है कि पहले पुजारी को 8 रु0 प्रति माह दिया जाता था, जो बंधुआ मजदूरों के रूप में रक्खे जाते थे ।

(इस समय 5 बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

तो मैं यह कह रहा था श्रीमन्, बन्धुआ मजदूरी वहां लागू थी और 8 रु0 रोज पर और भोजन पर पूजा अर्चना करने के लिए महन्त लोग वहां पर पुजारी रखा करते थे । हमने विशेष रूप से तय किया है और अब उनको 300 रु0 प्रति माह और दोपहर का भोजन हम अपनी ओर से उपलब्ध कराते हैं । श्रीमन्, हमने स्वयं वहां जाकर व्यवस्था को देखा है, विशेष रूप से मैं वहां की व्यवस्था देखने के लिए गया था वहां पर । तो देखा वहां पंखे कम थे तो हमने 11 पंखे और 20 ट्यूब उपलब्ध कराये । वहां के ट्यूबवैल जो कि यात्रियों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए था, वह खराब था, उसे हमने ठीक करवाया ।

हमने इसमें और भी पुण्य का काम प्रारम्भ किया कि काशी विश्वनाथ मन्दिर में पूजा अर्चना के टाइम पर दूध चढ़ता है तो उसको हमने निराश्रित बच्चों को इस चढ़ावे के दूध के वितरण की व्यवस्था कर दी है । शाम को गरीब बच्चों को यह दूध वितरित किया जाता है । इसके अलावा सफाई की तथा पीने के पानी की व्यवस्था भी की है । श्रीमन्, जो उस मन्दिर की परम्परा है कि महीने के प्रत्येक सोमवार को संन्यासियों को भोजन कराना है, तो इसमें करीब 51 संन्यासियों को प्रति सोमवार हम भोजन करवाते हैं और प्रति दिन 30 गरीबों को भोजन कराया जाता है ।

श्रीमन्, एक नई चीज हमने की है काशी विश्वनाथ मन्दिर में । मैं चाहता हूं कि साढ़े पन्द्रह करोड़ रुपये का जो उसका असेस्मेंट है, उससे हम इतनी कुछ आय कर लें कि उससे हम काशी विश्वनाथ मन्दिर को और सुविधायें प्रदान कर सकें । इसके लिए हमने एक व्यवस्था यह की है कि जो श्रद्धालु परिवार 5,000 रु0 ट्रस्ट को देगा, हम उसको साल में एक बार अन्दर पूजा करने की अनुमति प्रदान करेंगे । इसमें इस तरह से अब तक एक लाख रुपया आ चुका है । हमारे देश की नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने सबसे पहले 5,000 रु0 इसके लिए भेजा कि मेरे परिवार को सबसे पहले इसकी अनुमति दी जाय ।

श्री मोहन सिंह---

आपका जो ऐक्ट है उसके अनुसार तो वे पारसी हैं और पारसी उस हिसाब से वहां पूजा नहीं कर सकते हैं ।

श्री गुलाब सेहरा---

तो यह मोहन सिंह के शब्दों में और महान बात है । अभी सावन के महीने में हमने काशी विश्वनाथ मन्दिर में श्रृंगार का आयोजन किया । आपको आश्चर्य होगा श्रीमन्, इस साल इतनी अच्छी व्यवस्था थी कि इस साल काशी

विश्वनाथ मन्दिर का जो श्रृंगार किया गया तो परम्परागत तरीके से उसमें जितनी चढ़ावे की व्यवस्था थी, तो हमने वहां पर पुलिस चौकी स्थापित की थी लेकिन एक भी अराजक तत्व ने किसी महिला को जंजीर नहीं खींची या कोई चीज चोरी नहीं गयी ।

श्री मोहन सिंह---

यह इस लिए ऐसा हुआ कि आप जो वहां नहीं पहुंचे ।

(हंसी)

श्री गुलाब सेहरा---

तो श्रीमन्, मैं कह रहा था कि पुलिस चौकी स्थापित होने के बाद वहां किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं घटित हुई ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद---

मान्यवर, मंत्री जी कह रहे थे काशी विश्वनाथ मन्दिर में इन्होंने श्रृंगार करवाया तो कहीं इन्होंने तो नहीं मूर्ति को छू दिया था कि वह अपवित्र हो गयी हो ।

श्री गुलाब सेहरा---

देवता कभी भी अपवित्र नहीं होते , यह संकुचित विचारधारा के लोग हैं जो सोच लेते हैं कि किसी के छू लेने से मूर्ति अपवित्र हो जाता है । तो मैं यह कह रहा था, क्योंकि यह बात उठायी गयी है । मैं कहना चाहता हूं कि अगर हिन्दुओं में देवता हैं चाहे वह पीपल के पेड़ के नीचे की पिन्डी ही क्यों न हो, तो वह हर हर महादेव की है । जहां पर किसी जाति विशेष की बात नहीं है । इससे ज्यादा आप समाजवादी व्यवस्था क्या चाहते हैं ।

मेरा आपसे कहना है कि यह बहुत ही पवित्र काम है । इसमें लोगों की भावना जुड़ी हुई है । संशोधन जो आये हैं वह केवल संशोधन देने की आदत के कारण आये हैं । संशोधन देने की विरोध पक्ष की आदत है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अन्धे की तरह न चलें। अन्धा चक्का चलाता था, इस काम के लिए अन्धे को ही नियुक्त किया जाता है, वह चक्का खींचता जाता है धार चाहे कैंची पर रखी जाये या चाकू पर रखी जाये । उसका काम तो केवल खींचना है । मैं कहना चाहता हूं कि आप उस अन्धे की भूमिका को न अदा करें। जो पवित्र काम है उसमें आप मेरा सहयोग दें और साथ दें जिससे हम उसको आसानी से और कुशलता से कर सकें । काशी विश्वनाथ मंदिर हमारे हृदय से लगा हुआ है । जिस प्रकार से बद्रीनाथ और केदारनाथ के मन्दिरों में ट्रस्ट बनाकर वहां के प्रबन्ध को ठीक किया गया है उस प्रकार से काशी विश्वनाथ के मन्दिर में भी ट्रस्ट बनाकर वहां के प्रबन्ध को सुचारू रूप से चलाना है । मैं माननीय हुकुम सिंह जी से निवेदन करूंगा कि इसमें पवित्र भावना छिपी हुई है इसलिए वह अपना संशोधन वापस ले लें और इसको पारित करें ।

*श्री हुकुम सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर विधेयक, 1983 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर प्रस्तुत करें ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो अन्धे के चक्के की बात कही वह उन पर बिल्कुल चरितार्थ होती है । बिना विधेयक को पढ़े, बिना उसका अध्ययन किए अन्धे की तरह चक्का खींचे चले जा रहे हैं । उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि इसका परिणाम क्या होगा । कोल्हू के बैल की तरह चले जा रहे हैं आंख पर पट्टी बांध कर । मान्यवर, इस बिल के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं । काशीविश्वनाथ मन्दिर बहुत ही पुराना मन्दिर है। इसमें प्रदेश और देश के लोगों की आस्था है । इसका प्रबन्ध अब तक ऐसे लोगों के हाथ में था जिसके कारण इसकी यह स्थिति हो गयी है, लेकिन मान्यवर, जो विधेयक माननीय मंत्री जी लाये हैं, उसको आप देखें । उसकी धारा 3 में लिखा है कि कोई व्यक्ति जब तक वह हिन्दू धर्मावलम्बी न हो, न्यास परिषद् या कार्यपालिका समिति के सदस्य या मुख्य कार्यपालिका अधिकारी या मन्दिर के किसी कर्मचारी के रूप में होने या रहने के पात्र न होगा और जब कोई व्यक्ति हिन्दू न रह जाये तब वह उस पद पर नहीं रह जायेगा और उस रूप में किसी शक्ति का प्रयोग या किसी कृत्य का निर्वहन करना बन्द कर देगा ।

इसी प्रकार से इस विधेयक की धारा 6 में दिया हुआ है कि नियत दिनांक से मन्दिर और उसके विन्यास का शासन और प्रशासन न्यास परिषद् में निहित होगा जिसे श्री काशी बिश्वनाथ मन्दिर न्यास परिषद् कहा जायेगा । न्यास परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होगें--

सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, सांस्कृतिक कार्य विभाग, सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार वित्त विभाग, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग, सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, न्याय । विधायी विभाग, निदेशक, सांस्कृतिक कार्य, आयुक्त वाराणसी, मण्डल जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी, कुलपति सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी । क्या यह आवश्यक है कि यह सब अधिकारी हिन्दू ही हों । क्या यहां के वित्त सचिव सिक्ख नहीं हो सकते, या वहां के आयुक्त मुसलमान नहीं हो सकते । आपके इस विधेयक के अनुसार कोई जन प्रतिनिधि उसका सदस्य नहीं हो सकता तो मैं नहीं समझता कि इस लोकतंत्र में और यहां के ऐसे सेक्यूलर स्टेट में यह कैसे सम्भव होगा कि आप किसी को यह मजबूर कर देंगे कि बनारस में जो आयुक्त होगा, सचिव होगा, जिलाधिकारी होगा या कोई अधिकारी होगा, वह हिन्दू ही हुआ करेगा । किसी भी धर्मावलम्बी को पदेन सदस्य होना चाहिए ।

मान्यवर, आप धारा 19 को देखें । कार्यपालिका समिति का गठन इस तरह से हुआ है कि आयुक्त उसके अध्यक्ष हों, जिलाधिकारी और अन्य अधिकारी उसके पदेन सदस्य हों । मैं नहीं समझता कि किस प्रकार से उन दोनों चीजों का गठन हो सकेगा और वे किस प्रकार से उसमें बल दे पायेंगे । सबसे निराशा की बात यह है कि उसमें किसी भी जनप्रतिनिधि को शामिल नहीं किया गया है । क्या बनारस में जिला परिषद् का गठन आप नहीं करना चाहते और क्या आप

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

समझते हैं जिला परिषद् के अध्यक्ष का उसमें इन्वाल्वमेन्ट न हो, क्या महापालिका का महापौर उसका सदस्य न हो ? इन जनप्रतिनिधियों को वंचित करके और अधिकारियों को उसका सारा काम सौप देना चाहते हैं तो यह किस तरह से औचित्यपूर्ण है । माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि हमने मन्दिर के श्रृंगार के लिए मेला लगा दिया और यह कर दिया और वह कर दिया । मेला आप कहीं भी लगा सकते हैं । कभी-कभी इन महत्वपूर्ण बातों की तरफ भी आपका ध्यान जाता है । क्या आपने सोचा है कि इसका क्या प्रभाव होने वाला है, रिफरेक्शन होने वाला है । इसके साथ ही साथ आज प्रदेश भर की कोई ऐसी संस्था नही है जहां पर प्रदेश के खजाने से अनुदान न दिया जाता हो या करोड़ों रुपए के बजट में जहां पर यहां के जनप्रतिनिधियों की सदस्यता न हो । यह मन्दिर जितना महत्वपूर्ण है इसमें विधान मंडल के सदस्यों को वंचित रखा गया है । इसका कोई कारण नहीं है । मुझे आशा है कि इन तमाम बातों पर विचार करने के लिए इस विधेयक को प्रवर समिति को सौप देंगे । इसीलिए प्रवर समिति के गठन का प्रविधान है कि यदि इस तरह के विधायकों में कोई भूल रह गई हो तो उसमें उस पर विचार करके हम किसी सही निर्णय पर पहुंच सकें । मैं आशा करता हूं कि कम से कम हमारे समाज कल्याण मंत्री जो हमेशा समाज में कम और बाहर ज्यादा रहते हैं, इन बातों पर अवश्य विचार करेंगे ।

*श्री काशीनाथ मिश्र--

अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े ध्यान से माननीय मंत्री जी की बात सुन रहा था । जहां तक इस विधेयक का प्रश्न है उसके सुसंचालन के लिए नियम बनने चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है । लेकिन जैसा कि हुकुम सिंह जी ने कहा कि कौन-कौन से व्यक्ति उस कार्यपालक समिति में होंगे । मैं समझता हूं सरकारी सचिव और अन्य सरकारी अधिकारी काशी विश्वनाथ का संचालन नहीं कर सकते हैं । जहां तक हिन्दू धर्म का सवाल है, मैंने भी इसके बारे में अध्ययन किया है । हर जगह सनातन धर्म लिखा हुआ है । मैंने इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी को लिखकर भी दिया है कि विधेयक में जहां-जहां हिन्दू धर्म शब्द आया है वहां पर सनातन धर्म कर दिया जाय । मान्यवर, कहीं किसी पुराण में, किसी वेद में 'हिन्दू' शब्द नहीं आया है । 18 पुराण और चारों वेदों में जिनकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, उनमें कहीं भी हिन्दू शब्द नहीं आया है । सनातन धर्म स्वतः सेक्यूलर है । यह हमारा दावा है । सनातन धर्म जब मानवीय सभ्यता विश्व में प्रस्फुटित हुई तब ही सनातन धर्म पृथ्वी में आया । जितने धर्मों को आप देखेंगे चाहे वह सिक्ख धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो और जैन धर्म को तो आपने अंगीकृत कर लिया है लेकिन जितने भी धर्म आज दुनिया में हैं वे सब सनातन धर्म से ही बने हैं । इसलिए मैं कहता हूं कि सनातन धर्म सेकुलर है । जगतगुरु शंकराचार्य जिन्होंने चार धामों की स्थापना की बद्रीनाथ, द्वारिकापुरी आदि में वे नित्य प्रार्थना करते थे--

माता पार्वती पिताश्च महादेवो,

शिव भक्ता मम बांधवा, स्वदेशे त्रिभुवनत्रयः ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री काशीनाथ मिश्र--]

शंकराचार्य महाराज कहते हैं कि तीनों भुवन हमारा देश है और शिव भक्त हमारे बांधव हैं। शिव का अर्थ उन्होंने ज्ञान से लिया है। तो सनातन धर्म का मतलब ही मानवमात्र से है जो सेकुलर है। हमारे पार्लियामेन्ट में भी लिखा है--

अयं निजा परावेत्ति गणना लघु चेतसां,
उदार चरितानाम् बसुधेव कुटुम्बकं।

यह हमारा है यह दूसरे का है यह छोटी बुद्धि वाले कहते हैं। उदार लोग सारी बसुधा को कुटुम्ब समझते हैं। जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा सचमुच में देवताओं में शंकर भगवान ही समाजवादी हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि जहां-जहां हिन्दू शब्द आया है उसे हटा दिया जाय और उसके स्थान पर सनातन धर्म रख दिया जाय। कौन उसमें सदस्य रहेगा कौन नहीं रहेगा उसके लिए मैं कहूंगा कि सरकारी लोगों से उसको दूर रखिए। बौद्धों का मन्दिर नजदीक में बनारस में है उनमें से रखिये तथा सनातन धर्म के बड़े-बड़े पंडितों को उसमें रखिए, सरकारी लोग उसमें क्या करेंगे, शराब पीकर वहां जाकर क्या करेंगे? मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। सोच-समझ कर इसमें यह चीजें रखी जायं ताकि आलोचना की कोई जगह इसमें न रह जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

डा0 रामकृष्ण उपाध्याय--

हिन्दुस्तान से हिन्दू तथा हिन्दी शब्द निकाल दिये जाने चाहिए इनका कहना है इस पर बहस हो जाय।

श्री अध्यक्ष--

इस विधेयक के लिए आधा घंटे का समय निर्धारित था, कृपया आप जल्दी इसमें करें।

*श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, अपने संविधान के अनुसार शासन किसी धर्म को प्रोत्साहित नहीं कर सकता है। इसकी धारा 3 हमारे संविधान और कानून दोनों के खिलाफ है इसको निकाल दिया जाना चाहिए जैसा काशीनाथ जी ने कहा। दूसरी बात न्यास के किसी सदस्य को राज्य सरकार को शक्ति है लेकिन अध्यक्ष को हटाने के बारे में कोई प्रावधान नहीं है। डा0 विभूति नारायण सिंह जी अगर पागल हो जायं तो उनको निकालने की प्रक्रिया क्या होगी, इसकी प्रक्रिया कोई नहीं की गयी है। एक व्यक्ति विशेष की तांजिदगी इस पद पर स्थापित कर देंगे। मैं चाहता हूं कि माननीय विभूति नारायण जी बहुत दिनों तक जिंदा रहें लेकिन कभी न कभी तो मरेंगे उनके रिक्त स्थान की पूर्ति कैसे होगी इसका प्राविधान इस विधेयक में नहीं किया है। इसलिए इसको साफ करना चाहिए।

दूसरी बात एक सुझाव के रूप में कहना चाहता हूं कि आपने काशी विश्व नाथ मन्दिर का न्यास बना दिया। लेकिन आगे आने वाले दिनों में भीड़ बढ़ती

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जायेगी, जिन्होंने इस मन्दिर को देखा है वे जानते हैं कि वहां पर कितनी कम जगह है। इसलिए उसके आस-पास के जो मन्दिर हैं उनका भी अधिग्रहण करना चाहिए जिससे वहां आने वाले लोगों को सुविधा दी जा सके।

तीसरा सुझाव कालांतर में जो मन्दिर की सम्पत्ति पंडों ने अपने नाम कर ली और जो बहुत सी जमीनें थीं उनको किसी तरह से धोखाधड़ी से कागज में अपने नाम करवा लिया उसके बारे में भी आपको जांच समिति बनानी चाहिए और जो भी सम्पत्ति किसी कारण से किसी ने अपने नाम कर ली है उसको भी अधिग्रहण करके इस मन्दिर के ट्रस्ट के नाम कर देनी चाहिए। इसके साथ ही साथ वहां कुछ विद्यालय चलते हैं जो मन्दिर से सम्बन्धित है लेकिन उनका कुछ लोग निजी सम्पत्ति के रूप में उपभोग कर रहे हैं। इसलिए ऐसी संस्थायें जो मन्दिर से सम्बन्धित हैं उनको इस विधेयक के जरिए, इसे व्यापक बन कर, उनका अधिग्रहण करके इस न्यास के अन्तर्गत लाना चाहिए। इसी के साथ में प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री चन्द्र बली ब्रह्मचारी—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर विधेयक पर मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूं। मान्यवर, मंत्री जी ने जो विधेयक रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं और मैं कुछ सुझाव इसमें देना चाहता हूं। मान्यवर, श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर इस विश्व का सर्वमान्य एक अद्वितीय महत्व वाला मन्दिर है। यहां जो भक्त पूजापाठ के लिए आते हैं उनकी संख्या लाखों में है और वह वहां स्नान और पूजा पाठ करते हैं। लेकिन कुछ अव्यवस्था के कारण सरकार का ध्यान जनता की प्रार्थना पर गया और सरकार ने इसको अधिग्रहण किया और उसकी कुछ व्यवस्था किया।

मान्यवर, मन्दिर की व्यवस्था के सम्बन्ध में मुझे सुझाव सबसे पहले यह देना है कि वहां की व्यवस्था समिति में जो लोग हों, एक तो लिख देना चाहिए कि शराब पीने वाला व्यक्ति व्यवस्था में न रखा जाय, यह उसकी अयोग्यता मानी जाय। दूसरा सुझाव है कि भगवान शंकर के पूजन की परम्परा हमारे सनातन से चली आ रही है वह उत्तरोतर बढ़ती रहे, उसमें कमी न हो और जो व्यवस्था है उसमें वैदिक पाठशाला की स्थापना होनी चाहिये ताकि वेद पाठ करने वालों को सुविधा प्राप्त हो सके और सच्चर भगवान की पूजापाठ वह करवा सकें। मान्यवर, यह सही है कि जो वहां व्यवस्थापक लोग हैं उनमें कुछ जनप्रतिनिधियों को, कुछ स्वयंसेवी संस्थायें जो हैं उनको भी उसमें लाना चाहिए ताकि वहां की व्यवस्था ठीक से चल सके।

मान्यवर, काशी विश्वनाथ मन्दिर की बड़ी महिमा है और उनके प्रभाव क्षेत्र को देखकर सरकार से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि इसकी व्यवस्था ऐसे की जाय कि सरकार और समाज दोनों का कल्याण हो सके।

मान्यवर, पुनः मैं आदरणीय सदन से और मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि उसमें जो अच्छे काम हों उनके लिये सुझाव दें और सरकार उनको माने।

श्री अध्यक्ष--

माननीय यदुनाथ सिंह, आप केवल दो मिनट बोलें ।

*श्री यदुनाथ सिंह--

मान्यवर, माननीय लोकपति त्रिपाठी जी की सरकार की ओर से जो यह विधेयक का स्वरूप रखा गया है इसका मैं विरोध करता हूं । इसमें डाक्टर विभूति नारायण सिंह को चेयरमैन बनाने की बात रखी गयी है । भूतपूर्व काशी नरेश, डा0 विभूति नारायण सिंह, जिनको हर-हर महादेव का स्वरूप दिया जाता है, को चेयरमैन बनाना गलत है । यह तो बराबर हरिजन विरोधी रहे हैं । ऐसे विवादग्रस्त व्यक्ति को आपने चेयरमैन बनाया है कि जिसके कारण जनता में रोष है । इनमें कोई भी ऐसी खूबी नहीं है जिसके कारण आपने इनको चेयरमैन बनाया । मैं इसमें यह संशोधन करता हूं कि आप उस परिषद् में नगरमहापालिका तथा जिला परिषद् के चेयरमैन को रखिये, जन प्रतिनिधियों को रखिये, उसमें जिला मजिस्ट्रेट, नगर मजिस्ट्रेट तथा अन्य अधिकारियों को रखने की जरूरत नहीं है ।

(व्यवधान)

उसमें जन प्रतिनिधियों को रखने की जरूरत है ।

उसमें बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के वाइस चान्सलर को रखना चाहिये था । वाराणसी में उस विश्वविद्यालय का अपना एक विशेष महत्व है । उनका इसमें न रखना बहुत गलत होगा । आप इस विश्वविद्यालय के वाइस चान्सलर को उसका चेयरमैन बना सकते थे । किन्तु आप अपने निहित स्वार्थों से, वेस्टेड इन्टरेस्ट के कारण, भूतपूर्व काशी नरेश को चेयरमैन बनाया है ।

मान्यवर, काशी नरेश के यहां अन्डर ग्राउन्ड करोड़ों की सम्पत्ति छिपी हुई है, हीरे-जवाहरात रखे हुए हैं, जहां पर नाग और नागिन का पहरा रहता है । आपको उसके अधिग्रहण की बात करनी चाहिये थी । भूतपूर्व काशी नरेश जैसे आदमी को चेयरमैन बनाने से सारी व्यवस्था ही चौपट हो जायेगी ।

(व्यवधान)

रामनगर की पूरी जनता इसके खिलाफ है ।

(व्यवधान)

श्री काशी नाथ मिश्र--

यह क्या काशीनरेश पर भाषण हो रहा है ।

(हंसी--व्यवधान)

(कुछ सदस्यों द्वारा श्री यदुनाथ सिंह को बताने पर ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--

आप लोग कृपया उनको बहकायें नहीं। आप कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह--

दश इवमेघ के बारे में भी नहीं जानते हैं। आज यह जो विधेयक सेहरा जी ने रखा है, इसे तो कमला पति त्रिपाठी जी को रखना चाहिए था, लेकिन परम्परा को निभाकर एक हरिजन मंत्री के द्वारा उसको रखा गया है। लेकिन वहां हरिजन मंत्री के जाने के बाद मंदिर को गंगाजल से धोया गया था, जैसे जगजीवन राम के जाने के बाद भी उसे गंगाजल से धोया गया था, तो क्या अब हर बार गंगा जल से उसे धोया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री राम गोविन्द--

मान्यवर, मेरा मंत्री जी पर यह स्पष्ट आरोप है कि उन्होंने कतई इस विधेयक को पढ़ा नहीं है, न उनको इसके बारे में कोई ज्ञान है। आपने अपने लुभावने भाषण को देकर लोगों का ध्यान तो अवश्य आकर्षित किया है, लेकिन वास्तविकता उसमें कुछ नहीं है। मैंने जिन बिन्दुओं की ओर मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित किया है, उनको देखते हुए आप यह बिल वापस लें और उनको पूरा करके इसको आप लाएं। इसके साथ में अपने प्रस्ताव पर जोर देता हूं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मन्त्री जी विधेयक तो पास करा ही लेंगे, लेकिन मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं, आप जिनको इस न्यास का चेयरमैन बनाने जा रहे हैं, क्या उनसे आप इस आशय का एक शपथ-पत्र लेंगे कि इस मंदिर में हरिजन प्रवेश करेगा, इसमें उनको कोई एतराज नहीं होगा ?

*श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, यहां कुछ शंकाएं उठायी गयी हैं, उनका मैं एक-एक मिनट में उत्तर दे दूं। इस विधेयक की धारा 6(3) को यदि आप देखें तो जो पदेन सदस्य हैं, यदि उनमें कोई हिन्दू धर्मावलम्बी नहीं है, तो उसका सेक्रेन्ड अफसर उसकी मीटिंग को अटेंड करेगा। 'हिन्दू शब्द इसलिए रखा गया है, क्योंकि वह बहुत व्यापक है, 'सनातनी' रख देंगे तो वह बहुत संकुचित हो जाएगा। जो एसेट्स हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के, उसके लिए मैंने इस बिल में ट्रस्ट को यह अधिकार दिया है कि जहां-जहां काशी विश्वनाथ मंदिर की सम्पत्ति है, उसको खोज-खोजकर उसके अधिग्रहण करने का उसको पूरा अधिकार होगा।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गुलाब सेहरा--]

तीसरी चीज यह है कि मंदिर के आस-पास, जैसा मोहन सिंह जी ने कहा, हमने सौन्दर्यीकरण की एक योजना बनायी है। इस योजना को लागू करने के लिए हमको वहां के लोगों को मुआवजा देना होगा, तभी वह खूबसूरत मंदिर बन सकेगा। हमारे पास उसका प्रारूप है, धन की व्यवस्था होते ही जो लोगों की भावना है, उसके अनुरूप मंदिर को सुन्दर बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। ओझा जी ने कहा कि काशी नरेश जी की भावना हरिजनों के बारे में अलग है, तो मैं बताना चाहता हूं कि वह केवल प्रचार किया गया है। ऐसी बात नहीं है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

हमने यह निश्चयात्मक रूप से कहा है, मुझे उनकी विचारधारा के बारे में निजी जानकारी है और इस आदरणीय सदन को भी होगी, तो क्या मंत्री जी उन्हें न्यास का अध्यक्ष बनाने के पूर्व उनसे कोई शपथ-पत्र लेंगे या कोई जानकारी हासिल करेंगे कि हरिजनों के मंदिर प्रवेश पर उनको कोई आपत्ति नहीं होगी ?

(व्यवधान)

(श्री मुख्तार अनीस के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

मुख्तार अनीस जी, आप बैठिए, आप बाद में कह लीजिएगा। अब हुकुम सिंह जी।

श्री मुख्तार अनीस--

मैं केवल एक मिनट आपसे चाहता हूं...।

श्री अध्यक्ष--

नहीं आप बैठें।

*श्री हुकुम सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, अभी दो-तीन बातों पर जो प्रकाश डाला, मैं केवल यह कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं कि इस विधेयक के बारे में मंत्री जी को छोड़कर 8 माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। इसमें तीन सत्ता पक्ष के भी हैं। दोनों पक्षों के सदस्यों ने इस बात पर बल दिया है कि इसमें संशोधन की आवश्यकता है। इस सम्मानित सदन के किसी भी माननीय सदस्य ने अपने भाषण में इस विधेयक का समर्थन नहीं किया है। तो मान्यवर, ऐसी स्थिति को देखकर, दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों की भावनाओं को देखते हुये मेरा आग्रह है कि इसके ऊपर पुनर्विचार करें। दूसरी बात जो आपने कही है कि नम्बर एक अगर कोई हिन्दू नहीं है तो नम्बर दो सदस्य हो जायगा। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकारी अधिकारी जब सेवा में लिया जाता है तो उसके लिये घोषणा पत्र दाखिल करते हैं। कोई ऐसी बात नहीं लिखी जाती है। केवल नाम से जानकारी करते हैं कि कौन हिन्दू

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है या कौन मुसलमान या सिक्ख या पारसी है। आप नम्बर दो खुद हैं। तो आप विचार करें कि यह जो विरोधाभास हैं, यदि आपकी नीयत सही है, इस मन्दिर का प्रबन्ध करना चाहते हैं तो इन विरोधाभासों को दूर करें। अधिकारियों के चंगुल में न आयें, यह तमाम पैसा खा जायेंगे।

श्री मुख्तार अनीस—

माननीय, मेरा निवेदन यह है कि जब काशी विश्वनाथ मन्दिर से भगवान शंकर का मुकुट चोरी गया था तो काशी नरेश ने वक्तव्य दिया था। उन्होंने वक्तव्य में कहा था कि इस मन्दिर का देवत्व 1956 से पूर्व समाप्त हो गया था क्योंकि उस वक्त मन्दिर में हरिजन प्रवेश हुआ था। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जिस काशी नरेश ने यह वक्तव्य दिया कि देवत्व ही नहीं रहा तो उसको इस न्यास का अध्यक्ष बनाने की क्या आवश्यकता है?

(जन स्वास्थ्य मन्त्री के खड़े होने पर)

श्री मोहन सिंह—

व्यवस्था का प्रश्न है, यह कैसे प्रकाश डाल सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—

उनको अधिकार है।

जन स्वास्थ्य मन्त्री (श्री लोकपति)—

मैं आपकी बुद्धि का खेल देखना चाहता था और देखा कि उसमें कुछ नहीं है। माननीय, माननीय हुकुम सिंह जी ने जिन संशोधनों को रखा है वह सब सेक्टेरियन हैं। जिस दल में वह हैं उसका पूर्ण असर उनके ऊपर हो गया है। जहां यह पैदा हुये थे, जिस सेवा में थे, यह वह सब धो गया है। कल तक हम बन्धुवा मजदूर थे आज आप बन गये हैं। श्रीमन् यह किसी सम्प्रदाय की चीज नहीं है और न यह किसी हिन्दू की चीज है। यह राष्ट्रीय भावना से सम्बन्ध रखती है। काशी विश्वनाथ मन्दिर किसी एक संप्रदाय का मन्दिर नहीं है।

श्री मोहन सिंह—

लिखा यही है।

श्री लोकपति—

कहा यही जाता है। तो श्रीमन्, यह भारतवर्ष की सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। भारतवर्ष में सारे हिन्दू ही नहीं रहते हैं। आपकी भावना जरूर इस बात से ताल्लुक रखती है क्योंकि आपका जांघिया वालों के साथ कुछ समझौता हो गया है।

श्री मोहन सिंह—

माननीय, इनका साया उतारना है तो जांघिया पहनना ही पड़ेगा।

श्री लोकपति—

माननीय, मोहन सिंह जी क्या बोल रहे हैं। इनके पूर्वजों को हमने ब्रह्म हत्या के पाप से उबारा था। इसीलिए सरयूपारी ब्राह्मण कहलाये। मोहन सिंह जी के जो पूर्वज थे उनको पुनः हम लोगों ने आर्य बनाया था। तो माननीय, जिस परिस्थिति में काशी विश्वनाथ मन्दिर को शासन ने लिया था, जिस परिस्थिति में काशी विश्वनाथ मन्दिर था, और जो स्वरूप उसको देने की जरूरत है वह इसी तरह से हो सकता है, जो यह विधेयक आया है। आपकी भावना सही है, यह प्रजातांन्त्रिक देश है, हर जगह प्रजातन्त्र है। मगर यह जो यूनिट बनेगी यह इसी सदन के अन्तर्गत रहेगी। क्यों आप खफा हैं सरकारी अधिकारियों से, हर चीज में सरकारी अधिकारी। सरकारी अधिकारी उत्तर प्रदेश के सदन का सेवक है, इसका कर्मचारी है। यह सदन उसका कर्मचारी नहीं है।

(मेजों की थपथपाहट।)

तो श्रीमन्, इसमें विवाद की आवश्यकता नहीं है। इसको समाप्त करें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

आप हमें संरक्षण दें। मैंने एक नीतिगत प्रश्न, जो सीधे इससे जुड़ा है और प्रदेश की 11 करोड़ जनता की भावना से जुड़ा है, पूछा है। उसका जवाब नहीं आया। मैं फिर उसी पर आता हूं। काशी नरेश श्री विभूति नारायण सिंह के न्यास का अध्यक्ष बनाने से पूर्व क्या मन्त्री जी कोई शपथ-पत्र उनसे लेंगे कि मन्दिर में हरिजन प्रवेश करेगा तो उनका विरोध नहीं होगा।

श्री लोकपति—

आज काशी विश्वनाथ मन्दिर में हरिजन प्रवेश करता है और काशी नरेश न्यास के अध्यक्ष हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप वापस ले रहे हैं?

श्री राम गोविन्द—

नहीं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (तृतीय) अध्यादेश, 1983 का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर, विधेयक, 1983 को इस सदन को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर विधेयक, 1983 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड 2 से 5

2—इस अधिनियम के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम विधि या प्रथा या रूढ़ि, संविदा, विलेख या प्रलेख, किसी न्यायालय के का अध्यारोही निर्णय, डिक्री या आदेश या किसी न्यायालय द्वारा निश्चित की गयी प्रभाव स्कीम में किसी बात के होते हुये भी, प्रभावी होंगे ।

3—कोई व्यक्ति, जब तक वह हिन्दू धर्मावलम्बी न हो, न्यास- अधिनियम परिषद् या कार्यपालक समिति के सदस्य या मुख्य कार्यपालक अधिकारी के अधीन या मन्दिर के किसी कर्मचारी के रूप में होने या रहने के लिए कार्य करने पात्र नहीं होगा और जब कोई व्यक्ति हिन्दू न रह जाय तब वह वाले हिन्दू उस पद पर न रह जायगा और उस रूप में किसी शक्ति का प्रयोग होंगे या किसी कृत्य का निर्वहन करना बन्द कर देगा ।

4—इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न परिभाषाएं हो,—

(1) "नियत दिनांक" का तात्पर्य ऐसे दिनांक से है जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे ;

(2) "अर्चक" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो मन्दिर में किसी पूजा, सेवा, कर्मकांड या अन्य धार्मिक अनुष्ठान का सम्पादन या संचालन करता है और उसमें पुजारी, पंडा, पुरोहित या सेवक भी सम्मिलित है ;

(3) "न्यास परिषद्" का तात्पर्य धारा 6 के अधीन गठित न्यास परिषद् से है ;

(4) "मुख्य कार्यपालक अधिकारी" का तात्पर्य धारा 16 के अधीन नियुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी से है ;

(5) "विन्यास" का तात्पर्य समस्त स्थावर या जंगम सम्पत्ति से है जो मन्दिर की, हो या उसके अनुपोषण या अनुरक्षण या सुधार के लिए या मन्दिर में किसी पूजा, सेवा, कर्मकांड, समारोह या अन्य धार्मिक अनुष्ठान के लिए या उससे सम्बन्धित किसी दान के लिए दी या अर्पित की गयी हो और उसमें मन्दिर में प्रतिष्ठित देव प्रतिमाएं, मन्दिर का परिसर और मन्दिर की सीमा के भीतर किसी व्यक्ति को मन्दिर या उसमें प्रतिष्ठित देव प्रतिमाओं के लिए दिया गया या देने के लिए आशयित सम्पत्ति का दान भी सम्मिलित है ;

(6) "कार्यपालक समिति" का तात्पर्य धारा 19 के अधीन गठित कार्यपालक समिति से है ;

(7) "विहित" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों या जारी किये गये अधिसूचित आदेश द्वारा विहित से है ;

(8) "धर्मार्थ अर्पण" का तात्पर्य मन्दिर की सीमाओं के भीतर या अन्यत्र द्रव्य या पदार्थ के ऐसे अर्पण से है, जो मन्दिर में किसी पूजा, सेवा, कर्मकांड, समारोह या धार्मिक अनुष्ठान के सम्पादन या संचालन से सम्बद्ध हो और उसमें डाक या तार से भेजा गया धन या चेक या बैंक ड्राफ्ट भी सम्मिलित है जिसका अभिप्राय या आशय यह हो कि उसका वैसा उपयोग मन्दिर में किया जाय ;

(9) "मन्दिर" का तात्पर्य वाराणसी नगर में स्थित आदि विश्वेश्वर के मन्दिर से है, जो श्री "काशी" विश्वनाथ के मन्दिर के नाम से विख्यात है, और सार्वजनिक धार्मिक पूजा स्थल के रूप में उपयोग में लाया जाता है और हिन्दू मात्र के लिए समर्पित या उनके लाभार्थ है या ज्योतिर्लिंग के साधिकार सार्वजनिक धार्मिक पूजा स्थल के रूप में उपयोग में लाया जाता है और उसमें समस्त गौण मन्दिर, उपासना स्थल, गौण उपासना स्थल और समस्त अन्य देव प्रतिमाओं के स्थान मंडप, कूप, जलाशय और अन्य आवश्यक निर्माण और उससे सम्बद्ध भूमि और नियत दिनांक के बाद उसमें जो परिवर्धन किया जाय वह भी सम्मिलित है ;

(10) "मन्दिर निधि" का तात्पर्य धारा 23 के अधीन गठित मन्दिर निधि से है ।

अध्याय--दो

न्यास परिषद्

मन्दिर और उसके विन्यास का निहित होना

5—मन्दिर और उसका विन्यास श्री काशी विश्वनाथ के विग्रह में निहित होगा ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 2 से 5 तक इस विधेयक के अंग माने जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड 6

6—(1) नियत दिनांक से मन्दिर और उसके विन्यास का न्यास शासन और प्रशासन न्यास परिषद् में निहित होगा जिसे श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर न्यास परिषद् कहा जायगा । परिषद् का गठन

(2) न्यास परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्—

(क) डाक्टर विभूति नारायण सिंह जो न्यास परिषद् के अध्यक्ष भी होंगे ;

(ख) श्री जगत गुरु शंकराचार्य, शृंगेरी ;

(ग) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, सांस्कृतिक कार्य विभाग—पदेन ;

(घ) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, वित्त विभाग—पदेन ;

(ङ) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग—पदेन ;

(च) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, न्याय/विधायी विभाग, यथास्थिति में, ऐसी रीति से जो विहित की जाय—पदेन ;

(छ) निदेशक, सांस्कृतिक कार्य, उत्तर प्रदेश—पदेन ;

(ज) आयुक्त, वाराणसी मंडल—पदेन ;

(झ) जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी—पदेन ;

(ञ) कुलपति, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी—पदेन ;

(ट) दो ऐसे स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्ति जो मन्दिर के कार्यकलापों के प्रबन्ध और प्रशासन का और उसमें की जाने वाली पूजा, सेव, कर्मकांड या धार्मिक अनुष्ठान का अच्छा ज्ञान और अनुभव रखते हों, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायगा ।

(ठ) हिन्दू धर्मशास्त्र में निष्णात तीन प्रख्यात हिन्दू विद्वान, जो राज्य सरकार द्वारा नाम—निर्दिष्ट किये जायेंगे ।

(3) यदि न्यास परिषद् का कोई सदस्य सदैव अपने कर्त्तव्य का पालन इस तथ्य के कारण नहीं कर सकता है कि वह हिन्दू नहीं है तो इस निमित्त उसके अधीनस्थ जो निकटतम व्यक्ति उपलब्ध हो, वह समय विशेष पर न्यास परिषद् का सदस्य होगा ।

(4) न्यास परिषद् निगमित निकाय होगी जिसका शाश्वत् उत्तराधिकार होगा और उपरोक्त नाम से जो वाद प्रस्तुत कर सकता है या जिसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकता है ।

(5) न्यास परिषद् का गठन और उसमें प्रत्येक परिवर्तन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जायगा ।

श्री माधव प्रसाद--

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खन्ड 6 के उप खन्ड (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप खंड रख दिया जाय--

"(2) न्यास परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्--

(क) डाक्टर विभूति नारायण सिंह जो न्यास परिषद् के अध्यक्ष भी होंगे,

(ख) श्री जगत गुरु शंकराचार्य श्रृंगेरी,

(ग) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, सांस्कृतिक-कार्य विभाग पदेन,

(घ) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, वित्त विभाग-पदेन,

(ङ) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग-पदेन,

(च) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, न्याय विधायी/विभाग, चक्रानुक्रम में, ऐसे रीति से जो विहित की जाय-पदेन,

(छ) आयुक्त, वाराणसी मंडल-पदेन,

(ज) जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी--पदेन,

(झ) कुलपति, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी-पदेन,

(ञ) दो ऐसे स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्ति जो मंदिर के कार्यकलापों के प्रबन्ध और प्रशासन का और उसमें की जाने वाली पूजा, सेवा, कर्मकान्ड या धार्मिक अनुष्ठान का अच्छा ज्ञान और अनुभव रखते हों, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायगा,

(ट) हिन्दू धर्म शास्त्र में निष्णात तीन प्रख्यात हिन्दू विद्वान जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे ।"

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी स्वीकार हैं ?

श्री गुलाब सेहरा--

स्वीकार है ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 6 के उपखंड (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रख दिया जाय--

"(2) न्यास परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्--

(क) डाक्टर विभूति नारायण सिंह जो न्यास परिषद के अध्यक्ष भी होंगे,

(ख) श्री जगत गुरु शंकराचार्य श्रृंगेरी,

(ग) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, सांस्कृतिक कार्य विभाग-पदेन,

(घ) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, वित्त विभाग-पदेन,

(ङ) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग-पदेन,

(च) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, न्याय विधायी विभाग, चक्रानुक्रम में, ऐसे रीति से जो विहित की जाय-पदेन,

(छ) आयुक्त, वाराणसी मंडल, पदेन,

(ज) जिला मैजिस्ट्रेट, वाराणसी-पदेन,

(झ) कुलपति, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, पदेन,

(ञ) दो ऐसे स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्ति जो मंदिर के कार्य-कलापों के प्रबन्ध और प्रशासन का और उसमें की जाने वाली पूजा, सेवा, कर्मकांड या धार्मिक अनुष्ठान का अच्छा ज्ञान और अनुभव रखते हों, जिन्हे राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा,

(ट) हिन्दू धर्मशास्त्र में निष्णात तीन प्रख्यात हिन्दू विद्वान जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 6 इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 7 से 18 तक

7--(1) न्यास परिषद के पदेन सदस्य से भिन्न प्रत्येक सदस्य पदावधि अपने नाम-निर्देशन की अधिसूचना के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा :

परन्तु धारा 6 की उपधारा (2) के खंड (क) या खन्ड (ख) में विनिर्दिष्ट सदस्य अपने जीवन पर्यन्त पद धारण करेगा ;

परन्तु यह और भी कि कोई सदस्य पुनः नाम निर्देशन के लिए पात्र होगा ।

(2) न्यास परिषद के किसी सदस्य के पद म आकस्मिक रिक्ति को जो मृत्यु, पद त्याग, हटाये जाने के कारण या अन्यथा हो, पूर्ति उसी रीति से की जायेगी जैसी धारा 6 में विनिर्दिष्ट है ।

न्यास परिषद् के किसी सदस्य को हटाने के लिए राज्य सरकार की शक्ति

8--(1) राज्य सरकार न्यास परिषद् के किसी सदस्य को जो अध्यक्ष या पदेन सदस्य से भिन्न हो, अयोग्यता या दुराचार के आधार पर हटा सकती है ।

(2) न्यास परिषद् का कोई सदस्य इस धारा के अधीन तब तक नहीं हटाया जायेगा जब तक उसे अपने हटाये जाने के विरुद्ध कारण दर्शित करने का युक्तिसंगत अवसर नहीं दिया गया है ।

(3) इस धारा के अधीन राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी ।

न्यास परिषद् की बैठक

9--(1) न्यास परिषद् की बैठक सामान्यतया प्रत्येक तिमाही में एक बार ऐसे दिनांक को और ऐसे समय और स्थान पर होगी जिसे न्यास परिषद के द्वारा अवधारित किया जाय या, यथा स्थिति, अध्यक्ष के द्वारा निदेशित किया जाय ।

(2) न्यास परिषद् की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में ऐसा सदस्य करेगा जिसे न्यास परिषद द्वारा अवधारित किया जाय ।

(3) धारा 6 की उपधारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट सदस्य, यदि वह न्यास परिषद् की किसी बैठक में उपस्थित होने से असमर्थ है तो वह किसी व्यक्ति को जो हिन्दू हो, उस बैठक में उपस्थित होने के लिए लिखित रूप में प्राधिकृत कर सकता है ।

(4) न्यास परिषद् की किसी बैठक में कोई कार्य तब तक सम्पादित नहीं किया जायगा जब तक कम से कम पांच सदस्य उपस्थित न हों ।

(5) न्यास परिषद् कार्य सम्पादन के लिए ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगी जैसी विनियमों द्वारा अवधारित की जाय ।

(6) न्यास परिषद् की किसी बैठक में उत्पन्न होने वाले सभी प्रश्न उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से निर्णीत किये जायेंगे और मत बराबर होने पर अध्यक्ष निर्णायक मत देगा ।

(7) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जो न्यास परिषद् का सचिव होगा, न्यास परिषद् के कार्यवाही वृत्त के सम्यक् अभिलेख और अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होगा और कार्यवृत्त की एक प्रति राज्य सरकार को सूचनार्थ प्रेषित करेगा ।

न्यास परिषद् के कार्य और कार्यवाही का अधिप्रमाणीकरण

10--न्यास परिषद् के समस्त आदेश और विनिश्चय और न्यास परिषद के कार्य और कार्यवाही के अभिलेख को अध्यक्ष के हस्ताक्षर से या यदि न्यास परिषद् ऐसा प्राधिकृत करे तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किया जायगा ।

11--न्यास परिषद् का कोई कार्य या कार्यवाही न्यास परिषद् के रिक्ति होने गठन में किसी रिक्ति या त्रुटि होने के कारण अविधिमान्य नहीं होगी । — न्यास परिषद् के कार्य करने की शक्ति पर भी

12--राज्य सरकार, आदेश द्वारा, समय-समय पर न्यास परिषद् के अध्यक्ष या सदस्यों को ऐसे भत्ते ऐसी रीति से और ऐसे समय पर मन्दिर निधि से दिये जाने के लिए निदेश दे सकती है जैसी वह अवधारित करे । — न्यास परिषद् के सदस्यों को भत्ता

13--(1) न्यास परिषद् मन्दिर और उसके विन्यास की या उसकी अंगीभूत समस्त जंगम और स्थावर सम्पत्ति, द्रव्य, मूल्यवान वस्तु, आभूषण, अभिलेख, दस्तावेज, भौतिक पदार्थ और अन्य आस्तियों का कब्जा लेने और रखने का हकदार होगी । — न्यास परिषद् का मन्दिर और उसकी सम्पत्ति पर कब्जा

(2) प्रत्येक व्यक्ति जिसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में यथा-उपरोक्त कोई ऐसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति, द्रव्य, मूल्यवान वस्तु, आभूषण, अभिलेख, दस्तावेज, भौतिक पदार्थ या अन्य आस्तियां हैं, इस अधिनियम के अधीन अपेक्षा किये जाने पर उसे मुख्य कार्यपालक अधिकारी के समक्ष न्यायोचित अपवादों के अधीन रहते हुए, प्रस्तुत करेगा और देगा ।

14--इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, न्यास परिषद् का यह कर्त्तव्य होगा कि-- — न्यास परिषद् के कर्त्तव्य

(क) मन्दिर में श्री काशी विश्वनाथ और अन्य विग्रहों की दैनिक या सावधिक, सामान्य या विशेष, पूजा, सेवा और कर्मकांड, समारोह और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के हिन्दू शास्त्रों और धर्मग्रन्थों और प्रथा के अनुसार सम्यक् और उचित सम्पादन की व्यवस्था करे ;

(ख) मन्दिर में सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार जिसमें प्रकाश व्यवस्था, स्वास्थ्यप्रद वातावरण और समुचित स्तर की स्वच्छता भी सम्मिलित है, उसका अनुरक्षण सुनिश्चित करे ;

(ग) मन्दिर की निधि, द्रव्य, मूल्यवान वस्तु, आभूषण और अन्य सम्पत्ति की निरापद अभिरक्षा सुनिश्चित करे ;

(घ) मन्दिर की सम्पत्ति और ऐहिक कार्यों के परिरक्षण और प्रबन्ध के लिए पर्याप्त व्यवस्था करे ;

(ङ) विन्यास निधि का व्यय दानकर्त्ताओं की इच्छा जहां तक उसकी जानकारी हो या निश्चित रूप से की जा सके, उसके अनुसार किया जाना सुनिश्चित करे ;

(च) तीर्थ यात्रियों और पूजा करने वालों द्वारा उचित ढंग से पूजा किये जाने के लिये सुविधाओं की व्यवस्था करे;

(छ) तीर्थ यात्रियों और पूजा करने वालों की सुविधा और चिकित्सा सम्बन्धी सहायता के लिये व्यवस्था करे ;

(ज) तीर्थ यात्रियों और पूजा करने वालों के लाभार्थ निम्न लिखित कार्य करें--

(एक) उनके आवास के लिए भवनों का निर्माण ;

(दो) सफाई सम्बन्धी निर्माण कार्य ;

(तीन) संचार साधनों में सुधार ;

(चार) ऐसे अन्य विषय जो विहित किये जायें ;

(झ) वेतनभोगी कर्मचारियों को उपयुक्त परिलब्धियों के भुगतान की व्यवस्था करे ;

(ञ) ऐसी सभी अन्य बात करे जो मन्दिर और उसके विन्यास के कार्यों के कुशल प्रबन्ध और तीर्थ यात्रियों और पूजा करने वालों की सुविधा के लिये आनुषंगिक और सहायक हों ।

न्यास परिषद् की शक्ति

15--न्यास परिषद् समस्त ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी जो इस अधिनियम के अधीन उसके कर्तव्यों और कृत्यों के पालन के लिये आवश्यक या आनुषंगिक हों और विशेष रूप से उसे यह शक्ति होगी कि--

(क) मन्दिर में किसी पूजा, सेवा, कर्मकांड, समारोह या धार्मिक अनुष्ठान के सम्पादन के लिए फीस निर्धारित करे ;

(ख) ऐसी सूचना और लेखा की मांग करे जो उसकी राय में उसका यह समाधान करने के लिए आवश्यक है कि मन्दिर और उसके विन्यास का अनुरक्षण और प्रशासन उचित रीति से किया जा रहा है और उसकी निधि का विनियोग उन प्रयोजनों के लिए हो रहा है जिनके लिए उनका अस्तित्व है या उनकी स्थापना की गई थी ;

(ग) मन्दिर के परिसर के भीतर और मन्दिर के ऐसे क्षेत्र में जो इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाय निम्नलिखित को प्रतिषिद्ध करे ;

(एक) किसी मादक पेय या औषधि का विक्रय, कब्जा, उपयोग या उपभोग ;

(दो) मांस या मांसयुक्त किसी खाद्य पदार्थ का विक्रय, कब्जा, बनाया जाना या उपभोग ;

(तीन) किसी पशु या पंक्षी का किसी प्रयोजन के लिये वध करना या उसकी जान लेना या उसे विकलांग करना ;

(च) ताश, पाशा, चौपड़, रुपया या जुआ खेलने के लिए किसी अन्य उपकरण से जुआ खेलना ;

(घ) ऐसे अन्य बातों को करना या करने के लिए निदेश देना जो विहित की जाय ।

अध्याय—तीन

मन्दिर अधिष्ठान

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

16—(1) राज्य सरकार मन्दिर के लिए एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त करेगी ।

(2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी की सेवा की शर्तें जिसमें उसकी नियुक्ति के लिए अर्हता और उसे देय वेतन और भत्ता भी सम्मिलित है, ऐसी होंगी जैसी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जायं :

परन्तु वेतन और सेवा की अन्य शर्तों के बारे में मुख्य कार्यपालक अधिकारी के अधिकार, उसकी नियुक्ति के पश्चात इस प्रकार परिवर्तित नहीं किये जायेंगे कि उसके लिए अलाभकर हों ।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी की शक्ति और कर्तव्य

17—(1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी मन्दिर का प्रमुख कार्यपालक अधिकारी होगा और न्यास परिषद् के नियंत्रण के अधीन रहते हुए मन्दिर के ऐहिक कार्य और उसके विन्यास के प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी होगा ।

(2) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए मुख्य कार्यपालक अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि—

(क) न्यास परिषद और कार्यपालक समिति के विनिश्चय और आदेश को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कार्यान्वित करे ;

(ख) मन्दिर में धर्मार्थ अर्पण के उचित संग्रह, अनुरक्षण और निस्तारण की व्यवस्था करे और उसका पूर्ण और उचित लेखा रखे ;

(ग) मन्दिर के समस्त अभिलेख, आभूषण, मूल्यवान वस्तु, धन, मूल्यवान प्रतिभूति और सम्पत्ति की अभिरक्षा और उनके परिरक्षण और अनुरक्षण के लिए उपयुक्त व्यवस्था करे ;

(घ) न्यास परिषद् के कार्यवाही-वृत्त का अभिलेख रखें और अनुरक्षण करें ;

(ङ) ऐसे निर्माण-कार्य या आपूर्ति के लिए टेन्डर मांगे और टेन्डर को स्वीकार करे जिसका मूल्य या धनराशि पांच हजार रुपये से अधिक न हो;

(च) मन्दिर के कर्मचारियों पर नियंत्रण रखे और अनुशासन भंग के मामलों में उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही करें ;

(छ) ऐसी अन्य सभी बातें करें जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन आरोपित उसके कर्त्तव्यों के सम्यक् पालन के लिए अपेक्षित हों ।

आपात काल में मुख्य कार्यपालक अधिकारी की शक्ति

18--(1) आपातकाल में मुख्य कार्यपालक अधिकारी किसी कार्य के निष्पादन या किसी बात के किये जाने के लिए निदेश दे सकता है जो उस वर्ष के बजट में उपबन्धित नहीं है या जो उसकी राय में मन्दिर या उसके विन्यास के परिरक्षण के लिये या मन्दिर में आने-जाने वाले तीर्थ-यात्रियों या पूजा करने वालों के स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा के लिये या मन्दिर में पूजा, सेवा, कर्मकांड, समारोह या अनुष्ठान के सम्यक् सम्पादन के लिये तुरन्त आवश्यक और अपरिहार्य है और यह भी निर्देश दे सकता है कि ऐसे कार्य के निष्पादन या ऐसी बात के किये जाने के खर्च का भुगतान मन्दिर निधि से किया जायगा ।

(2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी इस धारा के अधीन किये गये कार्य की आख्या, न्यास परिषद् और कार्यपालक समिति को तुरन्त देगा और उस कार्य के कारणों को भी बतायेगा और तत्पश्चात् कार्यपालक समिति की संस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, न्यास परिषद् ऐसी कार्यवाही करेगी जैसी वह उचित समझे ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 7 से खण्ड 18 तक इस विधेयक के अंग माने जांय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 19

कार्यपालक समिति

19--(1) एक कार्यपालक समिति होगी जो न्यास परिषद् या राज्य सरकार के निदेशों के अधीन रहते हुए, मन्दिर के कार्यों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के लिये उत्तरदायी होगी ।

(2) कार्यपालक समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:--

(क) आयुक्त, वाराणसी मण्डल	सभापति
(ख) जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी	सदस्य
(ग) ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी	सदस्य
(घ) मुख्य चिकित्सा अधिकारी, वाराणसी	सदस्य
(ङ) धारा 6 की उपधारा (2) के खण्ड (ट) में विनिर्दिष्ट न्यास परिषद् के सदस्य	सदस्य पदेन

(च) मुख्य कार्यपालक अधिकारी .. सदस्य सचिव ।

(3) यदि कार्यपालक समिति का कोई सदस्य तदेव अपना कर्त्तव्य इस तथ्य के कारण सम्पादित नहीं कर सकता कि वह हिन्दू नहीं है तो इस निमित्त उसके अधीन उपलब्ध निकटतम व्यक्ति समिति में कार्य करेगा ।

(4) कार्यपालक समिति को किसी अन्य उपयुक्त व्यक्ति को जिनकी संख्या दो से अधिक नहीं होगी, सदस्य के रूप में अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए सहयोजित करने की शक्ति होगी ।

(5) कार्यपालक समिति ऐसी शक्ति का प्रयोग और ऐसे कृत्य का सम्पादन करेगी जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उसे प्रदान किये जायं, या न्यास परिषद् के द्वारा उसे सौंपे जायें ।

श्री माधव प्रसाद—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 19 के उपखण्ड (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जाय—

"(2) कार्यपालक समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्—

(क) आयुक्त, वाराणसी मण्डल—सभापति

(ख) जिला मैजिस्ट्रेट, वाराणसी—सदस्य ।

(ग) ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी—सदस्य ।

(घ) प्रशासक/मुख्य नगर अधिकारी, नगर महापालिका, वाराणसी———सदस्य ।

(ङ) धारा 6 की उपधारा (2) के खण्ड (अ) में विनिर्दिष्ट न्यास परिषद् के सदस्य—सदस्य पदेन ।

(च) मुख्य कार्यपालक अधिकारी—सदस्य सचिव ।"

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 19 के उपखण्ड (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जाय—

"(2) कार्यपालक समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्—

(क) आयुक्त, वाराणसी मण्डल,	..	सभापति
(ख) जिला मैजिस्ट्रेट, वाराणसी	..	सदस्य
(ग) ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी	..	सदस्य
(घ) प्रशासक/मुख्य नगर अधिकारी, नगर महापालिका, वाराणसी	..	सदस्य

(ङ) धारा 6 की उप धारा (2) के खण्ड
(ञ) में विनिर्दिष्ट न्यास परिषद् के सदस्य.. सदस्य पदेन

(च) मुख्य कार्यपालक अधिकारी.....सदस्य सचिव ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड 19 इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 20 से 47 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

मन्दिर के वर्तमान कर्मचारियों के बारे में उपबन्ध

20—(1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी यथाशीघ्र एक अनुसूची तयार करेगा जिसमें मन्दिर के अधिष्ठान में सम्मिलित व्यक्तियों के पदनाम, कोटिक्रम और कर्त्तव्य का उल्लेख होगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुसूची को तैयार करते समय मुख्य कार्यपालक अधिकारी किसी हित का, जिसका दावा कोई व्यक्ति करे, प्रकृति के सम्बन्ध में किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश को या मन्दिर सम्बन्धी किसी प्रथा या रूढ़ि को मान्यता देगा और कार्यान्वित करेगा ।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुसूची उन प्रस्तावों सहित जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को देय वेतन या भत्तों के बारे में मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा रखे जायें, न्यास परिषद् को प्रस्तुत किये जायेंगे और ऐसी अनुसूची न्यास परिषद् द्वारा उसमें किये गये किसी परिवर्तन या उपान्तर के अधीन रहते हुए, अनुमोदित किये जाने पर प्रवृत्त होगी और ऐसे व्यक्ति सेवायोजन की ऐसी शर्तों के हकदार होंगे, जो विहित की जायें ।

मन्दिर के कर्मचारी

21—(1) इस निमित्त बनाये गये किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, न्यास परिषद् या यथास्थिति, मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐसे कर्मचारियों को ऐसे पदनाम सहित जैसा विहित किया जाय, नियुक्त कर सकता है और उनको ऐसी शक्ति और ऐसे कृत्य सौंप सकता है, जो इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ आवश्यक समझे जावें ।

(2) कर्मचारी ऐसे वेतन और भत्ते के हकदार होंगे और वे ऐसी सेवा शर्तों से जिनमें अर्हता और भर्ती की प्रणाली की शर्तें भी सम्मिलित हैं, नियंत्रित होंगे जैसी विहित की जायें ।

(3) कोई कर्मचारी सेवा से तब तक नहीं हटाया जायगा जब तक उसे सुनवाई का युक्तिसंगत अवसर न दिया गया हो ।

अर्चक

22—(1) मन्दिर से सम्बद्ध या उसमें सेवारत प्रत्येक अर्चक मन्दिर में पूजा, सेवा, कर्मकांड, समारोह और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के लिये और उससे सम्बद्ध अन्य सामान्य या विशेष दैनिक या सावधिक

सेवा के उचित सम्पादन और संचालन के लिये उत्तरदायी होगा और न्यास परिषद् या कार्यपालक समिति या मुख्य कार्यपालक अधिकारी या मन्दिर का कोई अन्य कर्मचारी अर्चक के तदेव कर्त्तव्यों के निर्वहन में हस्तक्षेप नहीं करेगा ।

(2) अर्चक अपनी सेवाओं के लिये ऐसे पारिश्रमिक का हकदार होगा जो उसके और न्यास परिषद् के बीच अनुबन्धित हो, और ऐसे अनुबन्ध के अभाव में इस निमित्त बनाये गये नियमों के अनुसार अवधारित हो और किसी अन्य पारिदेय या परिलब्धि का हकदार नहीं होगा सिवाय उसके जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अनुज्ञात हो ।

अध्याय---चार

सम्पत्ति और लेखा

मन्दिर निधि

23---(1) 'श्री काशी विश्वनाथ' मन्दिर निधि के नाम से एक निधि का गठन किया जायगा जो न्यास परिषद् में निहित होगा और जिसका प्रशासन उसके द्वारा किया जायगा और उस निधि में निम्न-लिखित सम्मिलित होगा, अर्थात्---

(क) मन्दिर की जंगम और स्थावर सम्पत्ति से प्राप्त आय,

(ख) श्री काशी विश्वनाथ के विग्रह या मन्दिर में किसी अन्य विग्रह को प्रदत्त या प्रदत्त करने के लिये आशयित धनार्थ अर्पण,

(ग) राज्य सरकार द्वारा अनुदान या ऋण के रूप में कोई अंशदान,

(घ) मन्दिर में या उसके लिये किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया कोई दान या पुण्यार्थ दान,

(ङ) जनता, स्थानीय प्राधिकारी या संस्था द्वारा दिया गया कोई अन्य उपहार या अंशदान,

(च) इस अधिनियम के अधीन आरोपित सभी जुर्माना और शास्ति,

(छ) इस अधिनियम के अधीन सभी वसूली ।

(2) मन्दिर निधि का उपयोग इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित या अनुज्ञात प्रयोजनों के लिये किया जायगा ।

कर्मकाण्ड या समारोह हेतु व्यय-मान का निर्धारण

24---(1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियत दिनांक से तीन मास के भीतर मन्दिर हेतु व्ययमान और मन्दिर से सम्बद्ध विभिन्न उद्देश्यों के लिये आवंटनीय धनराशि के निर्धारण के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा ।

(2) ऐसे प्रस्ताव अर्चकों से परामर्श के पश्चात् और अर्पण की प्रथा के अनुसार या अन्यथा पूजा या अर्पण की सामान्य या विशेष, दैनिक या सविधिक सेवा, कर्मकाण्ड, समारोह या अन्य धार्मिक अनुष्ठान से सम्बन्धित अपेक्षाओं का सम्यक् ध्यान रखते हुए तैयार किया जायगा ।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रस्ताव ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से न्यास परिषद् को प्रस्तुत किये जायेंगे, जो विहित किये जायं ।

(4) न्यास परिषद् प्रस्ताव को ऐसी रीति से प्रकाशित करायेगी जैसी विहित की जाय और कोई हितबद्ध व्यक्ति अपनी आपत्तियों या सुझावों को ऐसे प्रकाशन के दिनांक से तीस दिन की अवधि के भीतर प्रस्तुत कर सकता है ।

(5) आपत्तियों और सुझावों पर जो उपधारा (4) के अधीन प्राप्त हों, विचार करने के पश्चात् न्यास परिषद, ऐसे प्रस्तावों पर, उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों को और मन्दिर की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए ऐसे आदेश पारित करेगी जिसे वह उचित समझे ।

(6) उपधारा (5) के अधीन पारित आदेश की एक प्रति विहित रीति से प्रकाशित की जायगी ।

(7) उपधारा (5) के अधीन आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार को अपील कर सकता है और ऐसी अपील पर पारित आदेश अन्तिम होगा ।

(8) उपधारा (5) के अधीन निश्चित व्ययमान का समय-समय पर पुनरीक्षण किया जा सकता है, और उपधारा (1) से (5) के उपबन्ध ऐसे पुनरीक्षण पर, यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

(9) तत्समय प्रवृत्त व्ययमान मन्दिर निधि पर प्रथम प्रभार होगा और उपयंक्त के सिवाय उसमें परिवतन नहीं किया जायगा ।

बजट

25--(1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में उस वर्ष के लिए प्राक्कलित आय और व्यय का (जिसे आगे बजट कहा गया है) एक विवरण-पत्र न्यास परिषद् को ऐसी रीति से प्रस्तुत करेगा, जैसी विहित की जाय और न्यास परिषद् उपान्तर के बिना या ऐसे उपान्तर के साथ, जिसे वह उचित समझे, बजट का अनुमोदन कर सकती है ।

(2) प्रत्येक बजट में निम्नलिखित के लिये पर्याप्त व्यवस्था होगी--

(एक) मन्दिर में विग्रह की पूजा, सेवा, कर्मकाण्ड, समारोह और अन्य धार्मिक अनुष्ठान का उचित सम्पादन,

(दो) मन्दिर के समस्त दायित्वों का सम्यक् निर्वहन,

(तीन) काम चलाऊ बचत पूंजी और आरक्षित निधि का अनुरक्षण,

(चार) तीर्थ यात्रियों, पूजा करने वालों या मन्दिर में हितबद्ध व्यक्तियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुविधा के लिये किया जाने वाला प्रबन्ध,

(पांच) मन्दिर और उससे सम्बद्ध भवनों का निर्माण, मरम्मत और सुधार, और

(छः) ऐसे अन्य विषय, जो विहित किये जायं ।

(3) न्यास परिषद् के अनुमोदन के पश्चात् बजट राज्य सरकार को ऐसे दिनांक के पूर्व जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त निश्चित किया जाय, प्रस्तुत किया जायगा ।

(4) बजट स्वीकृत करने के पूर्व राज्य सरकार अपना यह समाधान करेगी कि विहित काम चलाऊ बचत पूंजी के अनुरक्षण और मन्दिर और उसके विन्यासों के समस्त दायित्वों को पूरा करने के लिये बजट में पर्याप्त व्यवस्था की गयी है और राज्य सरकार को बजट के किसी भाग का उपान्तर करने की शक्ति होगी जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी व्यवस्था की गयी है ।

(5) राज्य सरकार का बजट को स्वीकृत करने वाला विनिश्चय मुख्य कार्यपालक अधिकारी को ऐसे दिनांक तक संसूचित किया जायगा जो विहित किया जाय और उसके अभाव में यह समझा जायगा कि राज्य सरकार के द्वारा बजट किसी उपान्तर के बिना स्वीकृत कर दिया गया है ।

(6) न्यास परिषद् के लिये यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि वह कोई व्यय करे जो बजट में स्वीकृत नहीं है या जो बजट में व्यवस्थित किसी धनराशि को परिवर्तित करने का प्रभाव रखता है ।

(7) जब किसी नई सेवा के लिये जिसकी प्रकल्पना बजट में नहीं की गयी है, अनुपूरक या अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता उत्पन्न हो, तब मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रस्तावित व्यय का अनुपूरक प्राक्कलन प्रस्तुत करेगा और उपधारा (1) से (6) के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित ऐसे अनुपूरक प्राक्कलन पर लागू होंगे ।

(8) यदि कोई व्यक्ति मन्दिर की सम्पत्ति की आमदनी से कोई भुगतान किसी रूढ़ि या प्रथा के आधार पर या अन्यथा किसी हित के कारण पाने का हकदार है जो उसे मन्दिर के कार्यों के प्रशासन में है तो ऐसी भुगतान उसको उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में अपेक्षित व्यय को यथाविधि पूरा करने के बाद किया जायगा और ऐसा भुगतान करने में आवश्यक समानुपातिक समायोजन भी किया जा सकता है ।

नियमित लेखा का

26--न्यास परिषद् नियमित लेखा ऐसे प्रपत्र में जिसे राज्य सरकार अनुमोदित करे और ऐसे विवरण सहित जो विहित किया जाय, रखवायेगी ।

लेखा-परीक्षा

27--(1) प्रति वर्ष या यदि राज्य सरकार किसी मामले में ऐसा निदेश दे तो उससे कम अवधि में भी ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, लेखा की परीक्षा करायी जायगी ।

(2) ऐसी लेखा परीक्षा राज्य सरकार द्वारा या उसके निदेश के अधीन नियुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा की जायगी ।

(3) ऐसे लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक और लेखा परीक्षा का व्यय मन्दिर निधि से राज्य सरकार के द्वारा वसूल किया जायगा ।

(4) मन्दिर के कार्यों के प्रशासन से सम्बद्ध सभी व्यक्तियों का यह कर्तव्य होगा कि वे लेखा परीक्षकों के समक्ष ऐसे सभी लेख, अभिलेख और दस्तावेज प्रस्तुत करें या करायें और उनको ऐसी सभी सूचनायें प्रस्तुत करें जो अपेक्षित हों और उनको ऐसी सभी सहायता और सुविधायें प्रदान करें जो लेखा परीक्षा के लिये आवश्यक हों ।

(5) लेखा परीक्षा को पूरा करने के पश्चात लेखा परीक्षक एक आख्या जिसमें ऐसे विवरण होंगे जो निहित किये जायं, मुख्य कार्यपालक अधिकारी को प्रेषित करेगा और ऐसी आख्या की प्रति राज्य सरकार को भी प्रेषित करेगा ।

(6) लेखा परीक्षक के द्वारा इंगित त्रुटियों और अनियमितताओं को इस निमित्त विनिर्दिष्ट समय के भीतर ठीक किया जायगा और उसकी आख्या राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायगी ।

अधिभार

28--(1) यदि धारा 27 की उपधारा (6) के अधीन प्राप्त अनुपालन आख्या पर विचार करने के पश्चात और ऐसी जांच करने के पश्चात् जो आवश्यक हो, राज्य सरकार का विचार है कि न्यास परिषद् के किसी सदस्य ने या किसी अन्य व्यक्ति ने कोई अवैध, अनियमित या अनुचित व्यय किया है या उपेक्षा या दुराचार से मन्दिर के धन या अन्य सम्पति की हानि की है या उसे बरबाद किया है तो वह न्यास परिषद् के ऐसे सदस्य को या सम्बन्धित अन्य व्यक्ति को नोटिस जारी कर सकती है कि वह कारण दर्शित करे कि उसके विरुद्ध अधिभार का आदेश क्यों न पारित किया जाय और उसके स्पष्टीकरण पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् आदेश द्वारा, इस प्रकार व्यय की गयी धनराशि को या इस प्रकार हानि पहुंचाई गयी या बरबाद की गयी सम्पति की धनराशि या मूल्य को प्रमाणित कर सकती है और निदेश दे सकती है कि ऐसी धनराशि की वसूली उससे व्यक्तिगत रूप से की जाय ।

(2) उपधारा (1) के अधीन न्यास परिषद् के सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध पारित अधिभार के आदेश से लेखा या किसी अन्य विषय के लिये जिसका निस्तारण ऐसे आदेश द्वारा अन्तिम रूप से नहीं किया गया है, बाद संस्थित करने में रुकावट नहीं होगी ।

(3) अधिभार की धनराशि को इस प्रकार वसूल किया जा सकता है मानो वह भू-राजस्व का बकाया हो ।

सम्पत्ति के अर्जन या अन्तरण सम्बन्धी उपबन्ध

29--(1) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई स्थावर सम्पति मन्दिर के लिए और उसकी ओर से अर्जित नहीं की जायगी और मन्दिर को या उसके किसी प्रयोजन के लिए विन्यस्त किसी स्थावर सम्पति का अन्तरण नहीं किया जायगा ।

(2) मन्दिर के कब्जा में किसी आभूषण या अन्य मूल्यवान सम्पत्ति या खराब न होने वाली जंगम सम्पत्ति का अन्तरण न्यास परिषद् की पूर्व स्वीकृत के बिना नहीं किया जायगा और यदि उस सम्पति का मूल्य दस हजार रुपये से अधिक है तो राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन भी आवश्यक होगा ।

(3) राज्य सरकार उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कोई स्वीकृति प्रदान तब तक नहीं करेगी जब तक उसका यह विचार न हो कि सौदा मन्दिर के लिये आवश्यक या लाभदायक है और उसका प्रतिफल युक्तिसंगत और उचित है ।

(4) स्थावर सम्पत्ति के अर्जन या अन्तरण के लिये कोई प्रस्ताव ऐसे प्रपत्र में और ऐसे विवरण सहित प्रस्तुत किया जायगा जैसा विहित किया जाय ।

(5) राज्य सरकार अपना विनिश्चय ऐसे प्रस्ताव की प्राप्ति के दिनांक से तीन मास के भीतर मुख्य कार्यपालक अधिकारी को संसूचित करेगी और, यदि कोई विनिश्चय ऐसी अवधि में संसूचित नहीं किया जाता है तो यह समझा जायगा कि प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया गया है ।

धन उधार लेने पर निर्बन्धन

30--मन्दिर के लिए और उसकी ओर से कोई धन राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी व्यक्ति से उधार नहीं लिया जायगा ।

संविदा

31--इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अधीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी मन्दिर के लिए और उसकी ओर से सभी संविदाओं को निष्पादित और हस्ताक्षरित करेगा और सभी कार्य करेगा :

परन्तु किसी कार्य के निष्पादन या कोई आपूर्ति करने के लिए संविदा के प्रसंग में जिसकी धनराशि या मूल्य दस हजार रुपये से अधिक हो, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी ।

अध्याय पांच

निरीक्षण

निरीक्षण कराये जाने के बारे में राज्य सरकार को शक्ति

32--(1) राज्य सरकार को मन्दिर के प्रशासन और वित्त से सम्बन्धित किसी विषय के बारे में निरीक्षण या जांच ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसे वह उचित समझे कराने का अधिकार होगा ।

(2) यदि राज्य सरकार, विनिश्चय करे कि उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जांच करायी जाय तो वह न्याय परिषद को सूचना देगी और न्यास परिषद् के द्वारा नाम निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को ऐसे निरीक्षण या जांच के समय उपस्थित रहने और तद्‌र्व सुने जाने का अधिकार होगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जांच करने के लिए नियुक्त व्यक्ति को सिविल न्यायालय की समस्त शक्ति प्राप्त होगी जो उसे सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन वाद का परीक्षण करते समय शपथपूर्वक साक्ष्य लेने, और साक्षियों की उपस्थिति बाध्य करने और दस्तावेजों और भौतिक पदार्थों की प्रस्तुतीकरण के लिए विवश करने के प्रयोजनार्थ प्राप्त हैं ।

(4) राज्य सरकार ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम को ऐसे निदेशों सहित जो वह उचित समझे, न्यास परिषद् को संसूचित करेगी ।

(5) न्यास परिषद् उपधारा (4) के अधीन दिये गये निदेशों का अनुपालन करेगी और ऐसे समय में जिसे राज्य सरकार नियत करें उसे इस निमित कृत कार्यवाही की आख्या प्रस्तुत करेगी ।

निदेश देने की शक्ति

33—राज्य सरकार इस अधिनियम से उत्पन्न होने वाले या सम्बन्धित विषयों के बारे में ऐसे निदेश दे सकती हैं जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों से असंगत न हों और जिन्हें वह उचित समझे और ऐसे निदेशों का अनुपालन करना न्यास परिषद् का कर्तव्य होगा ।

अध्याय—छः

शास्ति

मन्दिर सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने प्रतिरोध या अवरोध के लिये दण्ड

34—जो कोई धारा 18 की उपधारा (2) के उपबन्धों का उल्लधन करता है या इस अधिनियम के अधीन न्यास परिषद् या मुख्य कार्यपालक अधिकारी के द्वारा या प्राधिकार के अधीन कब्जा लिये जाने में साशय प्रत्तिरोध या अवरोध उत्पन्न करता हैं, या कराता है वह कारावास से, जो एक वर्ष तक हो सकता है या जुर्माना से या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

न्यास परिषद के कतिपय निदेशों के उल्लंधन के लिये दण्ड

35—जो कोई धारा 15 के खण्ड (ग) के अधीन दिये गये किसी निदेश का उल्लधन करता हैं, वह कारावास से, जो छः मास तक हो सकता है, या जुर्माना से, जो एक हजार रुपये तक हो सकता हैं, या दोनों से दण्डनीय होगा ।

अध्याय—सात

प्रकीर्ण

कार्यपालक अधिकारी और मन्दिर का कर्मचारी जब या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धो के अधीन कार्य कर रहा हो या कार्य करने का अभिप्राय रखता हो, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझा जायगा। — 36—न्यास परिषद या कार्यपालक समिति के सदस्य, मुख्य मन्दिर के कर्मचारी लोक सेवक होंगे

प्रशासन आख्या — 37—(1) न्यास परिषद् प्रतिवर्ष राज्य सरकार को मन्दिर के कार्यों के प्रशासन के बारे में आख्या ऐसे समय पर प्रस्तुत करेगी जो राज्य सरकार अवधारित करे ।

(2) इस धारा के अधीन तैयार की गयी आख्या विहित रीति से प्रकाशित की जायगी और यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जायगी ।

कुछ मामलों में दायित्व से छूट — 38—न्यास परिषद् या न्यास परिषद् कार्यपालक समिति के किसी सदस्य या मुख्य कार्यपालक अधिकारी या मन्दिर के कर्मचारी के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन का अन्य विधिक कार्यवाही या इस अधिनियम के अधीन तद्भावनापूर्वक किये गये या करने का अभिप्राय रखने वाली किसी बात के लिए नहीं लाया जायगा या लायी जायगी ।

अभिलेख मंगाने की राज्य सरकार की शक्ति — 39—राज्य सरकार मन्दिर के कार्य से सम्बन्धित किसी मामले का अभिलेख मंगा सकती है और उसका परीक्षण कर सकती है और यदि सन्तुष्ट हो कि न्यास परिषद, कार्यपालक समिति, मुख्य कार्यपालक अधिकारी या मन्दिर के किसी कर्मचारी का कोई आदेश या विनिश्चय इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार नहीं है तो ऐसा आदेश दे सकती है जिसे वह उचित समझे ।

लोक अधिकारी द्वारा प्रतिलिपि या उद्धरण दिया जाना — 40—सभी लोक अधिकारी जिनकी अभिरक्षा में मन्दिर सम्बन्धी कोई अभिलेख, रजिस्टर, आख्या या अन्य दस्तावेज या उसकी कोई जंगम या स्थावर सम्पत्ति हो, न्यास परिषद् या कार्यपालक समिति या मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा यथा अपेक्षित प्रतिलिपि या उद्धरण देंगे ।

तलाशी और अभिग्रहण — 41—(1) इस अधिनियम के अधीन किसी सम्पत्ति, द्रव्य, मूल्यवान वस्तु, आभूषण, अभिलेख, दस्तावेज या भौतिक पदार्थ का कब्जा लेने के दौरान मुख्य कार्यपालक अधिकारी को किसी परिसर में, किसी युक्तिसंगत समय पर प्रवेश करने और उसकी तलाशी लेने या लिवाने की शक्ति होगी ।

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तलाशी और अभिग्रहण सम्बन्धी उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित इस अधिनियम के अधीन ली जाने वाली तलाशी और अभिग्रहण पर लागू होंगे ।

वर्तमान सम्पत्ति का उपयोग

42--नियत दिनांक के ठीक पूर्व मन्दिर और उसके विन्यास की या उसके अंगोभूत समस्त सम्पत्ति और आस्तियों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाता रहेगा जिसके लिये उनका उपयोग किया जा रहा था या ऐसे दिनांक को या उसके पश्चात् उपयोग किये जाने का आशय था ।

अपवाद

43--इस अधिनियम की किसी बात से कोई व्यक्ति किसी सक्षम अधिकारितायुक्त न्यायालय में किसी अधिकार को, जिसका दावा वह कर रहा हो, स्थापित करने के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही करने से प्रवारित नहीं होगा ।

कठिनाई दूर करने की शक्ति

44--यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि के भीतर, अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध कर सकती है, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो ।

नियम बनाने की शक्ति

45--राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बन सकती है ।

विनियम बनाने की शक्ति

46--इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, न्यास परिषद् अपने कार्यों के संचालन से सम्बन्धित किसी विषय के लिए या किसी अन्य विषय के लिए जिसके लिए विनियम बनाये जा सकते हैं, इस अधिनियम के अधीन विनियम बना सकती है ।

निरसत और अरवाद

47--(1) उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (तृतीय) अध्यादेश, 1983 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 20 सन् 1983,

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपाधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था ।

उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर विधेयक, 1983

श्री काशी विश्वनथ मंदिर, वाराणसी और उसके विन्यास के समुचित और अधिक अच्छे प्रशासन और उससे सम्बद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चौंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

अध्याय--एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम, 1983 कहा जायेगा ।

उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (तृतीय) अध्यादेश, 1983 के 235
अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर
विधेयक, 1983

(2) यह 28 जनवरी, 1983 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 20 से खण्ड 47 तक, खण्ड-1 प्रस्ताव और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर विधेयक, 1983, जैसा सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर विधेयक, 1983 जैसा सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

मुझे नियम 51 के अन्तर्गत 10 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उनमें से एक श्री मुईद अहमद की स्वीकार हुई जो कानपुर निवासी श्री महावीर शर्मा की पुलिस द्वारा पिटाई के सम्बन्ध में है, और बाकी अस्वीकृत हुई ।

(समय 5 बजकर 50 मिनट)

श्री लल्लू सिंह, एडवोकेट, निवासी 12 आर्या नगर, लखनऊ के अपहरण की घटना के संबंध में वक्तव्य ।

*हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री गुलाब सेहरा)--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 31-8-83 को 6 बजे प्रातः श्री लल्लू सिंह पूर्व की भांति डी० ए० वी० कालेज के मैदान की ओर अपने पुत्र श्री अशोक कुमार सिंह के साथ घूमने जा रहे थे । श्री अशोक कुमार सिंह द्वारा लिखाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार जैसे ही वह कालेज गेट की ओर मुड़े उनके मकान के नीचे रहने वाले श्री गिरीश पाल सिंह, बिजय बहादुर सिंह तथा अवर सिंह ने श्री लल्लू सिंह पर हाकियों से हमला किया और इस प्रहार से श्री सिंह गिर गये । अशोक कुमार सिंह चिल्लाने लगे इतने में वे लोग श्री लल्लू सिंह को उठाकर ले गये और कार में लेकर भाग गये। मकान मालिक के खास दोस्त और पेरोकार श्री गिरीश पाल सिंह से श्री

*वक्ता ने भाषण का पुर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गुलाब सेहरा—]

लल्लू सिंह से मुकदमें बाजी चल रही है और पुरानी रंजिश है । यह रिपोर्ट थाना नाका हिंडोला पर धारा 147/148/149, 323/364 भा0 दं0 वि0 के अतर्गत हुई जिसकी विवेचना स्वयं प्रभारी निरीक्षक द्वारा प्रारम्भ की गई । घटना की सूचना पाते ही क्षत्राधिकारी, पुलिस अधीक्षक नगर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक तथा पुलिस महानिदेशक घटना स्थल पर पहुंचे । इस अपराध की विवेचना सी0 आई0 डी0 के साहचर्य से स्थानीय पुलिस कर रही थी परन्तु अब विवेचना अपराध शाखा अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दी गयी है ।

किरायेदार एडवोकेट, श्री लल्लू सिंह तथा उनके मकान मालिक श्री अमरजीत सिंह के मध्य मकान खाली कराने के संबंध में मुकदमेंबाजी एवं रंजिश का होना प्रकाश में आया है । अपराध शाखा द्वारा मामले की गहराई से जांच प्रचलित है ।

अवध बार कौंसिल (हाई कोर्ट) में अधिवक्ताओं ने दिनांक 5-9-83 के पश्चात् अपना कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है । लखनऊ बार कौंसिल एवं सेन्ट्रल बार कौंसिल ने 12-9-83 तक हड़ताल जारी रखने का निश्चय किया है ।

श्री मोहन सिंह—

माननीय मन्त्री जी को चूंकि एक वक्तव्य देना था इसलिए एक औपचारिकता का ज्ञान करा दिया । यह जो वक्तव्य है यह इस बात की सफाई नहीं देता कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जांच के दौरान किसी निष्कर्ष पर पहुंच चुकी हो । आपकी ओर से आश्वासन दिया गया कि लाश ढूढ़ लेंगे और प्रदेश को आश्वस्त कर दिया गया । इस एफ0 आई0 आर0 में जिन अभियुक्तों का नाम लिया गया है अभी तक उनमें से कितनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है इस एफ0 आई0 आर0 में जो कहानी कही गयी है जिसके आधार पर पुलिस छानबीन कर रही है इससे सदन को अवगत कराने का कष्ट करें ?

श्री गुलाब सेहरा—

इस घटना के बाद पुलिस की ओर से शासन की ओर से कदम उठाए गये । यह घटना 6 बजे हुई । 8.45 पर रिपोर्ट लिखाई गई उस वक्त समस्त जिलों में जहां मोटरें चलती थी उनको चेक किया गया । टेलीविजन पर फोटो प्रकाशित किया गया । इस दौरान यदि किसी की लाश मिली तो उसे उस फोटो से मिलाया गया । पुलिस के अधिकारियों को बाराबंकी, रायबरेली, भदोई, उन्नाव, सीतापुर, जौनपुर, बनारस इत्यादि जगहों पर सूचना भेजी गयी । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जो अपराधी हैं उनकी बहुत गहन छानबीन चल रही है । और पूछताछ की जा रही है मुझे आशा है कि जिन्होंने लल्लू सिंह के साथ यह किया है वह आपके सामने 2-3 दिन में आ जायेंगे ।

श्री रेवती रमण सिंह—

यह 31 तारीख की घटना है और आज 7 तारीख हो गई । मान्यवर, इस घटना को हुए 6-7 रोज हो गये और पुलिस बराबर कहती रही कि 2-3 दिन में पता चल जाएगा लेकिन आज तक कोई अभियुक्त पकड़ा नहीं गया और कोई भी कार्यवाही की नहीं गई है ।

जिससे यह पता चल सके कि लल्लू सिंह जीवित हैं या उनकी हत्या कर दी गई है । क्योंकि अभी तक उनका कोई पता नहीं चला है । सी0 आई0 डी0 उनकी तलाश कर रही है, पुलिस उनकी तलाश कर रही है, सरकार उनके तलाश में लगी हुई है किन्तु शर्म की बात है कि आज तक उनका पता नहीं चल पाया । मान्यवर, राजधानी में ऐसी कार्यवाही हुई है । आप कहते हैं कि 2-3 दिन के अन्दर हम आपको बता देंगे । मैं आपसे यह स्पष्ट जानना चाहता हूं कि क्या आप इसकी सूचना इस सदन को 9 तारीख तक दे देंगे ?

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, जो जांच चल रही है, जिन लोगों को इन्स्टीगेट किया जा रहा है, वह जनहित में बताना उचित नहीं है । लेकिन मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं । कुछ लोग नामजद हैं और कुछ लोग फरार हैं । इस सम्बन्ध में हमने 16 जगह छापे मारे, जिनमें से कुछ लोग पकड़े गये तथा कुछ लोगों के पकड़े जाने की आशा है, इसलिए मैं आप लोगों को आश्वस्त कर रहा हूं कि कुछ लोग हमारे शिकंजे में हैं जिन्होंने यह कांड किया ।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, यह एक गम्भीर घटना है । इस प्रदेश की राजधानी में अपहरण हो गया । विधान मण्डल का सत्र चल रहा है और सरकार कहती है कि इसका पता चल जायेगा । माननीय मन्त्री जी कहते हैं कि डाइरेक्टर जनरल आफ पुलिस से लेकर एक छोटा सा सिपाही मौके पर गया, किन्तु आज तक इस बात का वे पता नहीं लगा सके । इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा था कि 3 दिन के अन्दर पता चल जायेगा, किन्तु आज आप कहते हैं कि 2 दिन के बाद इसका पता लग जायेगा । इस सम्बन्ध में मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह स्पष्ट जानना चाहता हूं कि क्या वे इसकी सूचना इस सत्र के उठने से पहले, इस सदन में दे देंगे ?

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, जिस प्रकार का इनवेस्टीगेशन हो रहा है और जिसका जिक्र अवध बार एसोसियेशन के सदस्यों ने हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी से कहा कि शासन की ओर से इस सम्बन्ध में काफी गहनता से जांच की जा रही है और उस जांच से वे संतुष्ट हैं ।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं कह रहा था कि कुछ अपराधी हमारे पास हैं, इन्ट्रोगेशन चल रहा है और कुछ बाकी हैं । मैं यह कह रहा था कि इस कांड का ज्योंही मेरे पास पूरा विवरण आ जायेगा उससे मैं इस सदन को अवगत करा दूंगा ।

श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर यह एक गम्भीर घटना है और वह भी एक प्रतिष्ठित वकील की अपहरण की घटना है । इस घटना के सम्बन्ध में मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी तक पुलिस के निष्कर्षों से उनके बारे में क्या पता चला है ? क्या वे जीवित हैं या उनका स्वर्गवास हो गया है ?

[श्री मुख्तार अनीस—]

दूसरा, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जो रिपोर्ट उनके पुत्र ने लिखवायी है, उसे आज कई दिन हो चुके हैं। उसमें से आज तक कितने लोग गिरफ्तार किये जा चुके हैं ? इस लखनऊ में पुलिस के दो हिस्से हैं। पुलिस इसकी इन्कवायरी नहीं कर पा रही है तो क्या माननीय मन्त्री जी इस घटना की जांच सी० बी० आई० द्वारा कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह कोई प्रश्न नहीं उठता है। इसका उत्तर उन्होंने दे दिया है।

श्री हुकुम सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मन्त्री जी ने अपने निष्कर्मेपन के बारे में जो प्रमाण-पत्र देना चाहा है, उसी के सन्दर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें खुद ललन्लू सिंह जी के पुत्र के द्वारा एफ० आई० आर० लिखायी गयी, जिसमें कुछ व्यक्तियों को नामजद किया गया। मैं यह जानकारी चाहता हूं कि आज 8—9 दिन की जांच के दौरान कोई तथ्य ऐसे प्रकाश में आये हैं कि जिन लोगों को नामजद किया गया है, वे वास्तव में अपराधी हैं और क्या उन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ?

श्री गुलाब सेहरा—

एफ० आई० आर० में नामजद किया गया और अन्य स्रोत भी हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि श्री ललन्लू सिंह के जीवन के बारे में, जनहित में, और जो हम कर रहे हैं, उसको बताना सम्भव नहीं है। जो चीज हम कर रहे हैं, यदि उसको अगर हम डिस्क्लोज कर दें, तो जिस चीज को हम चाहते हैं, जिस चीज को हम प्राप्त करना चाहते हैं, वे प्राप्त नहीं होंगी।

श्री अध्यक्ष—

बहुत प्रश्न हो गये इस पर, अब इसको समाप्त करें।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या उनको यह जानकारी है कि 5 तारीख को जब एक बैठक वकीलों की हो रही थी, लखनऊ बार एसोसिएशन में वहां एक सूचना आयी थी, एक पत्र आया था जिसमें अनुरोध किया गया कि वे किसी एक ऐसे स्थान पर हैं, जहां लखनऊ के दो गैंग हैं जिनके बारे में माननीय मन्त्री जी को जानकारी है या नहीं उनमें से एक गिरोह ने उनको अपहृत किया हुआ है और यदि उनको 7 तारीख के पहले नहीं छुड़ाया गया तो उनकी जान को खतरा है। तो मैं जानना चाहता हूं कि इस पत्र की जानकारी माननीय मन्त्री जी को है या नहीं ? दूसरा सवाल मेरा यह है कि यदि उसमें कुछ वास्तविकता है, तो क्या उसके विषय में छानबीन की गयी है ?

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, बहुत से तथ्य हैं, बहुत सी जानकारियां हैं। मैं निवेदन यही करूंगा कि जनहित में उनको न पूछा जाय।

श्री मित्रसेन--

माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि श्री लल्लू सिंह ने अपने अपहरण के पूर्व सरकार को, गृह मन्त्री को या गृह सचिव को या पुलिस प्रशासन को इस तरह की कोई सूचना दी थी या शिकायत की थी कि उन्हें फलां-फलां व्यक्तियों से खतरा है, हमारी सुरक्षा की जाय ? और उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी थी ?

श्री गुलाब सेहरा--

इसकी कोई सूचना नहीं है ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने जो बातें कहीं हैं, वे सब सही हैं । जनहित में बताना नहीं चाहते, नहीं तो नुकसान हो सकता है और जो भी बातें कहीं हैं, वे सब ठीक हैं । लेकिन, मैं एक बड़ी छोटी सी बात की ओर माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि श्री लल्लू सिंह के सुपुत्र श्री अशोक कुमार ने जो नामजद रिपोर्ट लिखायी है, उसमें तीन व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है । माननीय अध्यक्ष महोदय, इन तीन व्यक्तियों के नाम नामजद रिपोर्ट है और नाका हिण्डोला के थाने के मुंशी ने इसे धारा 147/148/149 के अन्तर्गत पंजीकृत किया । मैं जानना यह चाहता हूं कि यह धारा 147/148/149 किस आधार पर लागू की गयी ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, 3 व्यक्ति नामजद किये गये । उसमें दफायें लगायी गयी नामजद की । मैंने अपने वक्तव्य में दिया है कि आपसी रंजिश थी । यह लिखा है तो निगाह सबकी पहले उन पर पड़ती है ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

यह दफायें कैसे लगीं ?

श्री गुलाब सेहरा--

एफ0 आई0 आर0 में जो "आदि" लिखा है, उसकी वजह से यह दफायें लगायी गयी है ।

(घोर व्यवधान)

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

आपके वक्तव्य में तो "आदि" नहीं लिखा हुआ है, या तो आपका यह वक्तव्य गलत है ।

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी, "हां" या "ना" में उत्तर दीजिये, इसको जल्द समाप्त कीजिये । सूचना उपलब्ध न हो तो सूचना मंगा लीजिये ।

श्री गुलाब सेहरा—

श्री अशोक कुमार सिंह ने लिखा है कि श्री गिरीश पाल सिंह, विजय बहादुर सिंह तथा अमरजीत सिंह तथा अन्य कई लोग. . . .

(मद संख्या 25 पुकारे जाने पर)

(घोर व्यवधान)

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

यह वक्तव्य अपूर्ण है ।

श्री हुकुम सिंह—

सदन को गुमराह किया जा रहा है । 3 आदमी दिखाये गये हैं । अब कहा जा रहा है कि 3 से ज्यादा हैं ।

(पुनः मद संख्या 25 पुकारे जाने पर)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

इस पर बहुत प्रश्न हो गये हैं, आप लोग बैठिए ।

श्री हुकुम सिंह—

माननीय मंत्री जी ने सदन को गुमराह किया है । श्री लल्लू सिंह का पता लगाने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया है । मैं इसके विरोध में अपने दल सहित सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री हुकुम सिंह अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री अकबाल हुसैन—

मान्यवर, इसमें तथ्यों को छिपाया गया है, अतः कांग्रेस (एस) सदन का त्याग करती है ।

(श्री अकबाल हुसैन सदन त्याग कर चले गये)

श्री खैरुल बशर—

इस वक्तव्य के द्वारा लीपा-पोती की गयी है । यह वक्तव्य अधूरा है । मैं इसके विरोध में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य की हैसियत से सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री खैरुल बसार भी सदन त्याग कर चले गये ।)

[समय 6 बजकर 7 मिनट]

श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही, सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य

*हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री गुलाब सेहरा)—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 2-9-83 को श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही, सदस्य विधान सभा, दारुलशफा के पूर्वी गेट के पास अनशन पर बैठे थे। इस अनशन के सम्बन्ध में माननीय विधायक द्वारा न तो जिला प्रशासन को सूचना दी गई और न लखनऊ नगर में लागू की गई दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत उन्होंने इस हेतु स्वीकृति ही प्राप्त की।

माननीय विधायक के साथ और कई लोग बैठे थे। बैठक का यह स्थान बहुत ही व्यस्त है और दारुलशफा को जाने वाला मुख्य रास्ता है। माननीय सदस्य के जनपद में उनके कुछ विरोधी भी हैं। सदस्य महोदय के साथ बैठे हुए कुछ व्यक्ति रास्ते पर चलने वाले कुछ आगन्तुकों को विरोधी दल के व्यक्ति समझकर उत्तेजनाप्रद नारे लगा रहे थे और इससे आने जाने वालों को अवरोध उत्पन्न हो रहा था। इस उत्पन्न हो रहे अवरोध पर अन्य लोगों ने आपत्ति की और तद्नुसार विधायक जी द्वारा किये जा रहे अनशन का भी विरोध हुआ तथा शांति भंग की सम्भावना पैदा हो गई। मौके पर उपस्थित मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधिकारियों ने श्री शाही तथा उनके अन्य साथियों को समझाने का प्रयास किया परन्तु उसका कोई परिणाम न निकला। अतः तात्कालिक शान्ति भंग की सम्भावना को दृष्टिगत करते हुए श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही सहित 27 व्यक्तियों को 3-9-83 को लगभग एक बजे दन्ड प्रकिया संहिता की धारा 151/107/116 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया। इसके उपरान्त सभी को सक्षम कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कर उनके निर्देशानुसार जिला कारागार, लखनऊ भेजा गया।

उपरोक्त कार्यवाही से किसी भी व्यक्ति के जनतांत्रिक अधिकारों अथवा संविधान की कोई अवज्ञा नहीं हुई, अपितु कार्यवाही पूर्णतः वैधानिक है। प्रदेश के सामान्य लोगों व जनप्रतिनिधियों में व्यापक असंतोष की बात सही नहीं है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी का बयान अपने आप में इतना झूठ है कि उसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते ह। माननीय मंत्री जी ने अपने इस बयान में कहा कि जिले में उनके प्रति कुछ लोग विरोधी हैं, इसलिये उनको बन्द कर दिया गया है तो इस तरह तो बीर बहादुर सिंह जी के और स्वयं सेहरा साहब के न मालूम कितने विरोधी हैं, रोज गुत्थम-गुत्थी होती रहती है तो इन लोगों को बन्द कर दिया जाए और इस आदरणीय सदन में हर बैठने वाले माननीय सदस्य का कोई न कोई अवश्य विरोधी है तो इन सब को बन्द कर दिया जाए। यह बात समझ में नहीं आती और इस प्रकार से बन्द करने का कोई औचित्य समझ में नहीं आता है। माननीय विधायक शांतिपूर्वक बैठे हुए अनशन कर रहे थे, उन्हें रात के दो बजे जेल भेज दिया गया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न करें ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मैं वक्तव्य की संदिग्धता की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और यह जानना चाहता हूं कि श्री शाही को ऐसा निर्णय किन परिस्थितियोंवश लेना पड़ा और उनकी मांगे क्या थीं और आपको उनकी मांगों को पूरा करने में क्या कठिनाई थी ?

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, वक्तव्य में स्पष्ट किया गया है शांति भंग का अंदेशा था, दूसरे दो पार्टियों द्वारा आपस में क्लेश पैदा होने का अंदेशा था, इसलिए ऐसा किया गया कि कोई घटना न घटने पाए । दूसरे श्री शाही द्वारा दफा 144 के अन्तर्गत अनशन किये जाने की कोई परमीशन भी नहीं ली गयी थी । दूसरे जो माननीय सदस्य ने उनकी मांगों के बारे में जानना चाहा है तो उनकी पहली मांग यह थी कि चन्द्रभान सत्पती एवं उप अधीक्षक श्री चंद्रिका राम के सम्पूर्ण कार्य-काल की जांच करवाई जाए और इन लोगों का अविलम्ब स्थानान्तरण किया जाए । दूसरी मांग थी कि गोरखपुर की समस्त चीनी मिलों पर, मिलस मजदूरों के बकाये का भुगतान अविलम्ब कराया जाए और तीसरी मांग थी कि विश्वविद्यालय गोरखपुर में शिक्षा शुल्क में जो 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, उसको भी अविलम्ब वापस लिया जाए ।

श्री राजकुमार राय—

माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जैसा कि आपके वक्तव्य के अनुसार वहां पर धारा 144 लागू थी उन्हीं दिनों श्री शाही दो तारीख को अनशन पर बैठे हुए थे और उन्हें जो गिरफ्तार किया गया है, वह 3 तारीख को किया गया है तो इस प्रकार से श्री शाही ने धारा 144 का 24 घंटे का ब्रीच किया तो कानूनन उन्हें 148 ताजीरातहिद के तहत गिरफ्तार किया जाना चाहिए था क्योंकि इसी दफा के अन्तर्गत उनका जुर्म था, तो वहां पर मौजूद मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारियों ने उन्हें दफा 148 में गिरफ्तार क्यों नहीं किया ? और दफा 151 में क्यों गिरफ्तार किया गया, क्या उन्होंने दफा 151 का दुरुपयोग नहीं किया ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री मोहन सिंह—

माननीय मंत्री जी ने अपने शासन के निकम्मेपन का जो प्रदर्शन अपने इस वक्तव्य में किया है कि इस राज्य में सुरक्षित वही है जो जेल में बन्द कर दिया जाए । आपने अपने वक्तव्य में दो पार्टियों के बीच झगड़े के अंदेशे की बात कही है तो वह दो पार्टियां कौन-कौन सी थीं ? क्या उस पार्टी के कुछ व्यक्तियों को जिनसे आपको अन्देशा था, आपने उनको गिरफ्तार किया ? यदि नहीं किया, तो क्यों नहीं किया ?

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, जब वे वहां पर अनशन पर बैठे थे और वहां अनशनकारी नारे लगायेंगे तो चलते-फिरते लोग रुकेंगे ही, तो जो एग्रेसिव हुआ उसके अनुसार कार्यवाही की गयी ।

श्री मुख्तार अनीस--

क्या वीरेन्द्र प्रताप शाही ने जिला प्रशासन को सूचित किया था कि उनकी जान को खतरा है ? यदि हां, तो इस दिशा में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, यह जो मांगें उन्होंने दी हैं वह शासन के विचाराधीन हैं ।

श्री मुख्तार अनीस--

उनके निरन्तर बयान आते रहे कि उन्होंने लिख कर मुख्य मंत्री को दिया ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें ।

श्री रुद्र प्रताप सिंह--

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कब तक ये झूठ बोलते रहेंगे और कब तक धोखा देते रहेंगे । इन्होंने कहा है कि उनके अनशन करने के स्थान पर लोगों का आना-जाना था और नारे लगाने से अवरोध उत्पन्न हो रहा था तो उनको बन्द कर दिया गया । तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि उनको वहां से हटा लेने से क्या वह स्थान खाली हो गया । यह तो बताइये कि केवल उन्हीं से खतरा था या आपको स्वयं से खतरा है ?

श्री गुलाब सेहरा--

जब दफा 144 शहर में लगी है तो उसमें उन्हें परमिशन लेनी चाहिये थी ।

श्री रुद्र प्रताप सिंह--

एक शाही को आपने बन्द कर दिया और जो खुले आम हथियार लिये घूम रहे हैं उनका आप क्या कर रहे हैं ?

श्री मारकण्डेय चन्द--

शाही जी की मांगें जनहित में थीं, उसमें कोई विवाद नहीं था जो शिक्षा शुल्क बढ़ाया गया है उसको वापस लेने के लिए कहना क्या शान्ति को भंग करना हो सकता है ? उनकी सारी मांगें जनहित में थीं इसे आप मानें या न मानें । एक चीज आपने कही कि सुरक्षा का खतरा था तो पूछता हूं कि यदि कोई विधायक या सदस्य जनहित में सरकार से मांग करे तो क्या आप उसके सुरक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकते थे ? क्या आपकी पुलिस वहां पर नहीं लगाई गई थी ?

श्री गुलाब सेहरा--

वक्तव्य में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अन्य लोगों ने आपत्ति की और तदनुसार विधायक जी द्वारा किए जा रहे अनशन का भी विरोध हुआ तथा शान्ति भंग होने की सम्भावना पैदा हो गई । मौके पर यदि शान्ति भंग होने लगे तो कार्यवाही करनी पड़ती है ।

श्री मसरूर जाफरी--

मान्यवर, अपने वक्तव्य में मन्त्री जी ने यह कहा है कि जितने आने-जाने वाले थे उनको अवरोध उत्पन्न हो रहा था। मान्यवर, मैं यह पूछना चाहता हूं कि वह कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने कम्प्लेन की है, उनका नाम आप बता दीजिये ?

श्री गुलाब सेहरा--

वहां पर मैजिस्ट्रेट मौजूद थे। उन्होंने परिस्थिति को देखते हुए यह कार्यवाही की।

श्री मंजूर अहमद--

मान्यवर, मन्त्री जी के वक्तव्य से सम्बन्धित जो उन्होंने कहा कि दो पार्टियों में क्लेश था, झगड़ा था इसलिए उनको बन्द कर दिया। तो दूसरी पार्टी का नाम क्या है, क्या उनमें से किसी को गिरफ्तार किया, यदि किया है तो उनका नाम बतला दें ?

श्री गुलाब सेहरा--

दूसरी पार्टी का प्रश्न नहीं है। जो भी अवरोध करते हुए पाये गये, उनको पकड़ लिया गया।

श्री केदार नाथ सिंह--

मान्यवर, अभी मन्त्री जी ने अपने बयान में यह कहा कि वहां पर अवरोध उत्पन्न हो रहा था जहां पर वे अनशन कर रहे थे और शान्ति भंग होने का अन्देशा पैदा हो गया था। तो मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कौन लोग ऐसे उधर से गुजर रहे थे जिनको देख कर उत्तेजना पूर्ण नारे लगाये जा रहे थे और उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं ?

श्री गुलाब सेहरा--

इसकी कोई जानकारी नहीं है।

(व्यवधान)

(श्री मित्रसेन तथा श्री खैरुल बशर, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री राम गोविन्द तथा श्री रुद्र प्रताह सिंह ने वक्तव्य की प्रतियां फाड़कर सदन के बीच खाली स्थान पर फेंकी)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय मंत्री जी ने हमारी किसी भी बात का ठीक से उत्तर नहीं दिया है और जो सही तथ्य हैं उनको छिपाया है। इसलिये हम सदन का त्याग करते हैं।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

(व्यवधान)

श्री खैरुल बशर--

यह सरकार विरोध पक्ष को बल पूर्वक दबाने की कोशिश करती है इसके पास और कोई सिद्धान्त नहीं है । यह जनतंत्र के हत्यारे हैं । गुलाब सेहरा जी ने जो वक्तव्य दिया है वह अनर्गल है । मैं इसके विरोध में सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री खैरुल बशर भी सदन त्याग कर चले गये ।)

(समय 6 बजकर 20 मिनट)

पूर्वी उत्तर प्रदेश में अवर्षण के कारण खरीफ की फसल नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश .... ।

कुमारी अलमेलु अम्माल--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । जहां पर सूखा है उसको सरकार ने सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है । अब मोहन सिंह जो चर्चा ला रहे हैं तो मैं जानना चाहती हूं कि यह चर्चा विरोध में है या उसके माफिक है ।

श्री मुईद अहमद--

मान्यवर, आप समय निर्धारित कर दें ।

श्री अध्यक्ष--

मैं निवेदन करूंगा कि इस पर बहुत से सदस्य बोलना चाहते हैं । तो मैं चाहूंगा कि 5-7 मिनट से अधिक आप समय न लें । आप संक्षेप में कहें ।

*श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश गम्भीर सूखे की चपेट में आ गया है । वाराणसी मंडल, फैजाबाद मंडल और गोरखपुर मंडल की हालत बहुत ही दयनीय है । इतनी कम वर्षा आज तक नहीं हुई है । बारिश कभी इतनी विलम्ब से नहीं हुई । इसका नतीजा यह हुआ है कि जो खरीफ की फसल है, जो धान की बेड़ रख छोड़ी गई थी, उसको लगाने का अवसर नहीं मिला, उसकी रोपाई नहीं हो सकी है । नतीजा यह हुआ है कि सारा पुर्वी उत्तर प्रदेश भुखमरी के कगार पर आ गया है और गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है । सरकार ने इसको समझा है और सरकार ने उनको सूखाग्रस्त घोषित किया है और लगान की वसूली को स्थगित कर दिया है । मैं इतना और कहना चाहता हूं कि सरकार को कि उन इलाकों में राहत कार्य अभी तक नहीं चलाये गये हैं । मान्यवर, सूखे की स्थिति को देखते हुए लगान माफी के आदेश होने चाहिए, कालेज में पढ़ने वाले लड़कों की फीस माफ होनी चाहिए और जो राष्ट्रीय एकीकृत योजना के जो काम हो रहे हैं उनमें त्वरित गति लानी चाहिए । मान्यवर, यह चर्चा न तो विरोध में है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मोहन सिंह—]

और न पक्ष में है । सूखे की गम्भीर समस्या की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया है । मैं इन शब्दों के साथ थोड़े समय में इस चर्चा का प्रारम्भ करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

नियम 52 के अन्तर्गत मंत्री जी को कुछ कहना है ।

राजस्व मंत्री (श्री बंजनाथ कुरील)—

माननीय, यह बात सही है कि इस वर्ष वर्षा जो जून में साधारण वर्षा है वह 97.1 है जिसके मुकाबले केवल 83.2 हुई । जुलाई में सामान्य वर्षा 294.7 है जिसके मुकाबले में 263.4 हुई । अगस्त में 291.5 सामान्य वर्षा है जिसके मुकाबले केवल 279.7 हुई । इस तरह से जून में 85.7 प्रतिशत, जुलाई में 90.3 प्रतिशत और अगस्त में 95.9 प्रतिशत वर्षा हुई है । इसको हम सामान्य वर्षा कह सकते हैं । परन्तु असन्तुलन हो गया । पूर्वी जिलों में कम वर्षा हुई है और अन्यत्र कुछ ज्यादा हुई है । पूर्वी 21 जिले इससे प्रभावित हुए हैं । जैसे वाराणसी, मिर्जापुर, फैजाबाद, बलिया, आजमगढ़, गोंडा, बस्ती, इलाहाबाद, प्रतापगढ़--ये मुख्य रूप से प्रभावित हुए हैं । इसके लिए निर्देश दिए गए हैं कि वहां पर सबसे पहले सिंचाई के जो साधन हैं उनका पूरी क्षमता के साथ उपयोग किया जाय ।

एक सदस्य—

यह केवल कागजों पर हो रहा है ।

श्री बंजनाथ कुरील—

बीच में जो नहर काटी जाती हैं उनकी रोकथाम के लिए होम गार्ड और पुलिस का प्रबन्ध किया गया, लिफ्ट केनाल को बिजली मिले, ग्रामीण अंचलों में बिजली की सप्लाई सुनिश्चित रहे, खराब ट्यूबवेलों और गूलों की मरम्मत शीघ्र कराई जाय, खराब ट्रांसफारमरों को ठीक किया जाय, सीमेन्ट की व्यवस्था की जाय, जानवरों के पीने के पानी के लिए नहरों, नलकूपों, तालाबों और जलाशयों को भरा जाय और यदि कहीं पीने के पानी की दिक्कत हो तो उसे भी सुनिश्चित किया जाय । इसके अतिरिक्त वसूली 3 माह तक रोक दी गई है और जहां 50 प्रतिशत से अधिक का नुकसान हुआ है उसके बकाये के लिए भी स्थगन आदेश हुये हैं साथ ही उत्पीड़न जो सूखा पीड़ित लोगों का होता है उसकी रोकथाम के लिए कदम उठाए गए हैं । पैसा भी इन जिलों को दिया गया है ।

इस तरह से इलाहाबाद को राहत के काम के लिए 8 लाख 40 हजार तथा दैवी आपदा के लिए 1 लाख 50 हजार वाराणसी के लिये 7 लाख बीस हजार तथा दैवी आपदा के लिये 1 लाख, मिर्जापुर के लिये 23 लाख तथा दैवी आपदा के लिये 3 लाख 50 हजार, जौनपुर के लिये 4 लाख और दैवी आपदा के लिये 50 हजार, बलिया के लिये 11 लाख 50 हजार और दैवी आपदा के लिये 3 लाख 50 हजार, गाजीपुर के लिये 6 लाख रुपये तथा दैवी आपदा के लिये 50 हजार, बस्ती के लिये 6 लाख और दैवी आपदा के लिये 50 हजार, आजमगढ़ के लिये 6 लाख 60 हजार दैवी आपदा के लिये 50 हजार, फैजाबाद के लिये 6 लाख 25 हजार और

दैवी आपदा के लिये 50 हजार, गोंडा के लिये 6 लाख 65 हजार और दैवी आपदा के लिये 50 हजार, प्रतापगढ़ के लिये 4 लाख और दैवी आपदा के लिये 1 लाख 50 हजार रुपये दिये गये । मान्यवर, इसके अतिरिक्त एन० आर० पी० के अन्तर्गत भी पैसा दिया गया । उसके लिये इलाहाबाद को 50 लाख रुपये, आजमगढ़ को 50 लाख रुपये, बस्ती को 50 लाख रुपये, फैजाबाद को 50 लाख रुपये, मिर्जापुर को 50 लाख रुपये, वाराणसी को 50 लाख रुपये, गाजीपुर को 50 लाख रुपये, जौनपुर को 50 लाख रुपये, इलाहाबाद को 50 लाख रुपये, प्रतापगढ़ 25 लाख रुपये, गोंडा 25 लाख....

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

अभी मंत्री जी बोल रहे हैं । आप लोग बैठिये ।

श्री बैजनाथ कुरील --

इसके अलावा पहले फसलों में जो दैवी आपदा से नुकसान हुआ था उसके जो प्रस्ताव आये थे वह भी मंजूर हो गये हैं । उसमें मिर्जापुर में खरीफ 1389 फसली के लिये 7,09,788.00 रु०, खरीफ 1398 फसली म 1,17,951.00 रु०, खरीफ 1387 फसली के लिये 19,86,263.96 रु०, रबी 1388 फसली के लिये 2,14,955.58 रु०, खरीफ 1384 फसली 3,81,101.67 रु० । इसी तरह अन्य जिलों के भी हैं, आजमगढ़ रवी 1388 फसली के लिये 31,896.11 रु०, गोंडा में रवी 1389 फसली के लिये 3,16,297.35 रु० खरीफ 1386 फसली के लिये 7,44,150.00 रु०, खरीफ 1387 फसली के लिये 39,31,687.31 रु०, खरीफ 1385 फसली के लिये 3,27,170.09 रु०, फैजाबाद खरीफ 1388 फसली के लिये 12,39,384.26 रु०, खरीफ 1389 फसली के लिये 1,89,226.70 रु० ।

श्री अध्यक्ष---

माननीय मंत्री जो संक्षेप में बता दीजिये ।

श्री बैजनाथ कुरील---

प्रतापगढ़ में खरीफ 1388 फसली के लिये 14,42,651.90 रु०, खरीफ 1387 फसली के लिये 15,86,791.09 रु० । तो इस तरह और भी जिले हैं ।

श्री राजकुमार राय---

मान्यवर, एक निवेदन है, यह जो सुविधायें दी गयी हैं इसकी सूची माननीय सदस्यों को दिलवा दें ताकि सब लोग जान जायं ।

श्री अध्यक्ष---

यह जो सूची पड़ी है इसको छपाकर माननीय सदस्यों को बंटवा दें ।

श्री बैजनाथ कुरील---

ठीक है ।

श्री राममोविन्द--

श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में बोलने का अवसर दिया ।

श्री श्याम नरायन तिवारी --

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, यह जो लिस्ट पढ़ी इसमें गोरखपुर का नाम नहीं है वहां पर भयंकर सूखा पड़ा हुआ है ।

श्री अध्यक्ष--

आप गोरखपुर का मसला भी देख लीजियेगा ।

श्री रामगोविन्द--

मान्यवर, डिस्ट्रिक्ट बलिया सूखे से बिलकुल जल रहा है । लोगों का कहना है कि आज तक इतना भयंकर सूखा कभी नहीं पड़ा । माननीय मंत्री जी वर्षा के आकड़े पढ़ रहे थे और जो वर्षा हुई, बता रहे थे वह हुई नहीं । आप लखनऊ में रहते है यहां वर्षा हुई होगी । मुझे आंकड़ों पर संदेह है : बलिया जिले में, हमारे विधान सभा क्षेत्र में अधिकांशत: धान की खेती होती है और वर्षा के अभाव में आजतक किसान रोपाई नहीं कर सका । यहां तक जो कुओं के पानी से धान की रोपाई किये थे वह भी वर्षा के अभाव में सूख गये । मुख्य मंत्री जी का 8 दिन पहले बयान आया है कि यह निर्देश दिये गये हैं कि ट्यूबवेल शतप्रतिशत चलाये जायं लेकिन आदेश तब गया जबकि फसल पहले ही सूख गयी । इसलिए मंत्री जी आकस्मिक निरीक्षण करें तो बलिया में कम से कम 45 प्रतिशत ट्यूबवेल बंद हैं और जो शेष हैं वह मशीनरी के खराबी के कारण अक्सर बंद रहते हैं । इसलिए बलिया में ट्यूबवेल विभाग बेकार रहा है ।

मान्यवर, नहर विभाग के कुछ अधिकारी कुछ स्वार्थी लोगों और राजनीतिक नेताओं के वशीभूत होकर नहरों में पानी बंद करके उनकी सफाई का काम कर रहे थे और पैसा बना रहे थे । इसलिए वहां नहरों का सर्वे करायें तो पानी कम दिया गया पाया जायेगा जिससे कि फसल सूख गयी । मान्यवर, बलिया जिला कृषि पर आधारित है और कृषि चौपट हो गयी, जिससे किसानों की अब कोई आय नहीं होगी । फलस्वरूप किसानों और जनता के सामने भुखमरी और अकाल की स्थिति पैदा हो गयी है और पशुओं के सामने चारे का संकट पैदा हो गया है । इसलिए किसान सोच रहा है कि हम अपना पेट कैसे भरेंगे और पशुओं को क्या खिलायेगा ?

मान्यवर, बलिया जिले में मंत्री जी के विभाग से और अन्य विभागों के देयों की वसूलियां की जा रही हैं और जो नहीं देते हैं उनको जेलों में बंद किया जा रहा है । पूछने पर कि वसूली तो बंद की गयी है तो वह लोग कहते हैं कि विधान सभा में ऐसे ही कह दिया जाता है और आर्डर हमारे पास नहीं आया है । इसलिए मंत्री जी यदि देयों की वसूलियां स्थगित की गयी हैं तो इसके सम्बन्ध में स्पष्ट आदेश जिला मुख्यालयों पर भेजें कि कोई भी अमीन कोई वसूली के लिये जायेगा तो वह दण्ड का भागी होगा । और यदि देयों के वसूली स्थगित करने के आदेश नहीं भेजे हैं तो तत्काल वसूलियों को स्थगित करें ।

माननीय, ऐसी स्थिति में जो अनुदान दिया गया है वह बहुत ही कम है और मंत्री जी को जिलों में ऐसे कार्यक्रम चलाने चाहिये जिससे गरीब लोग अपनी जीविका चला सकें ।

माननीय, छात्रों की पूरे वर्ष की फीस माफ करना चाहिए और देयों की वसूली बंद करना चाहिए । सूखे से किसान के सामने जो अन्न का संकट पैदा हो गया है उसके लिये सस्ते गल्ले की दुकानें खोलकर अन्न की उपलब्धि करायें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

श्री निर्भय नारायण सिंह ।

(व्यवधान)

आप लोग बैठ जायं मैंने श्री निर्भय नारायण सिंह को बुला लिया है ।

*श्री निर्भय नारायण सिंह—

माननीय, सूखे की चर्चा पर मैंने नियम 52 में प्रस्ताव दिया था लेकिन उसके पहले श्री मोहन सिंह जी का प्रस्ताव नियम 52 में आ चुका था जिसमें मेरा प्रस्ताव भी नत्थी है ।

माननीय, बलिया जिले में सूखे के बारे में चर्चा हुई किन्तु मैं पूरे प्रदेश के बारे में कहना चाहता हूं ।

मैं यह कहना चाहता हूं पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश भयंकर सूखे की चपेट में है । गोरखपुर, वाराणसी, इलाहाबाद और फैजाबाद कमिश्नरीज में सूखा ही सूखा है । यहां पर धान ही सबसे अधिक पैदा हो सकता है और बिना धान पानी के नहीं हो सकता । साधारण वर्षा से हमारे लोगों का काम नहीं चलता, अतिरिक्त सिंचाई की व्यवस्था होना बहुत जरूरी है । पूर्वी उत्तर प्रदेश में धान के लिये पानी की व्यवस्था करना तो दूर रहा, आदमियों के जीवन यापन के लिये पीने तक के लिये पानी नहीं मिल पा रहा है । पिछले लगातार दो सालों से सूखा पड़ने के कारण किसान बरबाद हो गया है । नहरों के किनारे पहले कुछ अच्छी फसल हो जाया करती थी, इस बार वह भी नहीं हो पायी । टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है । मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 10 दिन से टेल पर पानी नहीं गया है । नहरें सूखी पड़ी हुई हैं ।

सरकार कहती है कि बिजली पर्याप्त मात्रा में दी जा रही है, पर न कहीं बिजली पहुंच रही है न ही सिंचाई की व्यवस्था दिखायी दे रही है । आदेश देने में और क्षेत्र में काम होने में अन्तर है । केवल आदेशों से काम होने वाला नहीं है । मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि चारों कमिश्नरियों में, एक-एक कमिश्नरी में एक-एक कैबिनेट रैंक का मंत्री मौके पर भेजा जाये और वह जाकर देखें कि वहां की क्या हालत है और क्या व्यवस्था हो रही है । सिंचाई के साधनों का कहां तक उपयोग हो रहा है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री निर्भय नारायण सिंह—]

मेरे क्षेत्र में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पम्पिंग सेट्स के लिये बिजली नहीं उपलब्ध हो पा रही है। जानबूझ कर बिजली उद्योगों को दी जा रही है। नलकूप आधे से ज्यादा खराब पड़े हैं। जो ठीक हैं, वे बिजली न मिलने के कारण बन्द रहते हैं। आज हालत यह हो गयी है कि गरीब किसान, फसल नष्ट हो जाने के कारण, रबी की फसल का बीज खाने के लिये मजबूर हो गये हैं। चारे की भी समस्या उत्पन्न हो गयी है। पशुओं के लिये चारा नहीं मिल रहा है। आवश्यक वस्तुओं की कीमत बढ़ती जा रही है। सरकारी दूकानों से चावल, गेहूं और मिट्टी के तेल की सप्लाय नहीं हो रही है। लोगों में त्राहि-त्राहि मची हुई है।

पेयजल की जो समस्या है, अगर वह शीघ्र हल न की गयी तो भयंकर संकट आ जायेगा। मेरा सुझाव यह है कि ऐसे समय में अगर कोई विद्यार्थी अपनी फीस नहीं दे पाता है तो उसका नाम स्कूल से न काटा जाये। अगर कोई सरकारी देय को नहीं दे पाता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही न की जाये। बिजली का पैसा अगर किसी ने नहीं दिया है तो बिजली का कनेक्शन उसके नलकूप से न काटा जाये।

मान्यवर, जो पैसा सरकार ने तकावी के रूप में दिया है उसे देख कर हंसी आती है। एक-एक जिले के लिये जितना पैसा दिया गया है वह एक गांव के लिये भी काफी नहीं है। लगातार सूखे के कारण वर्षा का ट्रेंड ही बदलता जा रहा है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिये। इससे लड़ने के लिये सिंचाई की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिये। परमानेंट सिंचाई की व्यवस्था होना चाहिये, वरना भविष्य में भयंकर संकट का सामना करना पड़ेगा।

श्री ऊदल—

मान्यवर, मैंने मंत्री जी का बयान बड़े गौर से सुना, पता नहीं कहां की बरखा उन्होंने नोट कर ली है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं वाराणसी मंडल में सिर्फ 15 मिलीमीटर वर्षा हुई है। इसके लिए मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप इसका सर्वे कराइये। आप ऐसे लोगों को राहत पहुंचा रहे हैं; दैवी आपदाओं से पीड़ित किसानों को छूट देने का कानून आपका अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है। उसके आधार पर लकीर को फकीर बनी हमारी सरकार और हमारे मंत्री जी चलते आ रहे हैं।

मुद्दत से हमने मांग की है कि छूट देने के नियमों में परिवर्तन किया जाए, लेकिन आज तक उसमें परिवर्तन नहीं हुआ। जब तक 50 प्रतिशत किसान की हानि नहीं होगी, छूट नहीं दी जाएगी। 15 मिलीमीटर से ज्यादा बरसा नहीं हुई बनारस और इलाहाबाद के पूरे मंडल में, हंडिया और जमुना नदी के उस पार हमने देखा है, वहां कुछ नहीं है, घास जल गयी है और आप बैठकर पोथन्ना पढ़ रहे हैं। एक घंटा आप पोथन्ना सुनाना चाहते हैं। आपकी रिपोर्ट गलत और असत्य है, झूठ तो नहीं कहूंगा, क्योंकि वह असंसदीय शब्द है, श्रीमन् यह कुछ लाख रुपया देते हैं—एन0 आर0 ई0 पी0 में और कुछ तकावी में उससे कुछ होने वाला नहीं है। 90 प्रतिशत भदई फसल का नुकसान हो गया है। खरीफ की मुख्य फसल जो धान है, वह 40 प्रतिशत लगी नहीं है और शेष 60 प्रतिशत बरसा के अभाव में सूख रहा है। मंत्री जी कह रहे थे कि जानवरों

के पीने के पानी के लिए, लेकिन यहां तो इंसान के पीने के लिए पानी नहीं है। हमें तो पहले उनकी चिन्ता है। कहां है आपकी पेयजल योजना ? एक चल रही थी, लेकिन उसे आपने बन्द करके हैण्ड पम्प की योजना स्वीकार कर ली। यह सरकार क्या करना चाहती है ?

इस निकम्मी सरकार से हम केवल बकवास कर रहे हैं। ज्यों-ज्यों दवा की त्यों-त्यों मर्ज बढ़ता गया, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। अब मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि ट्यूबवेल 40 प्रतिशत बन्द हैं, वह आपके आदेश से नहीं चलेगा, उपाध्याय जी और रेवतीरमण जी इसे अच्छी तरह से जानते हैं। कैसे चलेगा ? न कहीं स्टार्टर है, न कहीं बुश है और न अन्य कोई उनका सामान है। आपके सारे स्टोर्स खाली पड़े हैं।

बिजली तो श्रीमन्, कहीं मिलती नहीं। मैं माननीय कुरील जी, माल मंत्री की बात आपको बताना चाहता हूं, वह एक दिन प्राइवेट बात कह रहे थे, जब कि उनके क्षेत्र के कुछ लोग उनसे मिलने आए थे कि हमारे क्षेत्र मलिहाबाद में 4 घंटे, 6 घंटे से अधिक बिजली नहीं मिलती है। मैं यह अपने कान की सुनी बात आपके सामने बता रहा हूं। तो जब आपकी हालत यह है तो और लोगों की हालत क्या होगी, यह कल्पना करने की चीज है।

श्री अध्यक्ष—

आप समय का ध्यान कीजिए।

श्री ऊदल—

तो बिजली को आप देखिए, सूखे से प्रभावित लोगों को कारगर राहत दीजिए। यह जो अनिवार्य वस्तुएं हैं, उनके वितरण की प्रणाली फेल हो चुकी है, इसको आप ठीक कीजिए। हमारे यहां इलाहाबाद में, गोरखपुर वाराणसी व फैजाबाद मंडल में सूखे से लोग मर रहे हैं और इनके अधिकारी—कुरील साहब के अधिकारी कमिश्नरी स्तर के और मंडलीय स्तर के 'बाढ़ बचाओ' योजना पर विचार कर रहे हैं। हम तो सूखे से मर रहे हैं आपके अधिकारियों को बाढ़ से सम्बन्धित मीटिंग करने की क्या आवश्यकता है ? मैं आपसे नम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं कि लगान माफ कराइये। सभी देयों की वसूली स्थगित करके खर्चिया बोझ क्यों लाद रहे हैं इसको खत्म करिये। विद्यार्थियों की फीस माफ करें। अनिवार्य वस्तुओं की वितरण प्रणाली जो है वह फेल हो गयी है उसकी व्यवस्था करिये। पेयजल की जो पुरानी स्कीम है, नलकूप लगाकर, नाली बनाकर जो पेयजल की सप्लाई होती थी उसकी व्यवस्था कीजिये और इस पर युद्धस्तर पर काम कीजिये नहीं तो मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि लोग मर जायेंगे और आपको श्राप देते ही जायंगे। मैं यही आपसे कहना चाहता हूं।

(श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री मसरूर जाफरी—

मान्यवर, यह तो चेम्बर में अपनी बात मनवा लेंगे।

श्रीमती कमला साहनी--

मान्यवर, मुझे भी बोलने का मौका दे दें ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर ।)

श्री अध्यक्ष--

इन्होंने समर्थन किया है इसमें इनको बुलवा रहा हूं ।

एक सदस्य--

मान्यवर, आप हम लोगों को जरूर बुलवा दीजिये ।

श्री अध्यक्ष--

आप 12 बजे तक बैठिये मुझको कोई एतराज नहीं है ।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी--

माननीय अध्यक्ष जी...।

श्री अध्यक्ष--

आप दूसरे माइक पर आ जायं ।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी--

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय निर्भय नारायण जी के प्रस्ताव का समर्थन मैंने किया था माननीय निर्भय नारायण जी ने उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के बारे में भी कहा उससे अपने को सम्बद्ध करके मैं बोल रहा हूं । मान्यवर, उत्तर प्रदेश में सूखे की समस्या बड़ी गम्भीर है । इलाहाबाद जनपद में मेरे क्षेत्र मंझनपुर की ओर मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, मेरा क्षेत्र शहर से 90 किलोमीटर दूर बांदा और फतेहपुर के बार्डर पर है । जहां तक सूखे की समस्या है तो यह पूरे प्रदेश की समस्या है लेकिन मेरे क्षेत्र में दोहरी मार पड़ी है । एक तरफ सूखा है और दूसरी तरफ किशनपुर पम्प खराब हो गयी है । शासन के आदेश से यह पम्प लगायी गयी थी । वहां के अधिकारियों ने बताया है कि किशनपुर पम्प नहर फेल हो गयी है इसके बनाने के लिए 2 वर्ष तक व्यवस्था नहीं होगी । जहां पूरे प्रदेश में कुदरती सूखा पड़ा है वहीं शासन ने जो व्यवस्था बनायी थी वह असफल हो रही है । मैं आपसे चाहूंगा कि वहां पर तत्काल व्यवस्थ करें और कोई आपका आदेश इसके लिए जाय और मेरे क्षेत्र मंझनपुर में तत्कालीन व्यवस्था की जाय । इलाहाबाद के लिए जो धनराशि की व्यवस्था की गयी है वह बहुत कम है । हमारे जिले में जमुना पार, गंगापार और दोआबा है जिसमें दोआबा बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है ।

अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करुंगा कि मेरे क्षेत्र मंझनपुर में विशेष व्यवस्था की जाय । 1982-83 में वहां पर नलकूप नहीं लगाये गए है । वहां पर नहर की व्यवस्था फेल हो रही है । तो मेरे क्षेत्र में ट्यूबवेलों की व्यवस्था की जाय और सबके क्षेत्रों के बराबर वहां पर ट्यूबवेल लगाये जायं । वहां पर ट्यूबवेलों की बहुत कमी है । वहां पर ट्यूबवेलों को लगाने की व्यवस्था तुरन्त की जाय ।

में मान्यवर, आपके माध्यम से कौशाम्बी ब्लाक के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। वहां पर विद्युत् लाइन नहीं है। वहां पर हरिजनों के लिए नलकूप स्वीकृत है लेकिन वहां ट्यूववेल लगाया नहीं जा रहा है क्योंकि वहां पर विद्युत् लाइन नहीं है। जहां गांव-गांव में बिजली पहुंचाई जा रही है वहां पर पूरे ब्लाक में विद्युत् लाइन नहीं है। तो इसकी व्यवस्था तत्काल करने की कृपा कर।

*श्री श्याम नरायन तिवारी--

मान्यवर, सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश भयंकर सूखे में है और आप तो स्वयं इस बात को महसूस कर सकते हैं। जितनी बारिश इस वर्ष हुई आंकड़े जो भी दिये जायं लेकिन मान्यवर, एक बात बिल्कुल सही ह कि इस वर्ष इस ऋतु में बारिश बहुत कम हुई है। जिसकी वजह से पूर्वी उत्तर प्रदेश भयंकर सूखे की चपेट में आ गया है। लोगों ने कुछ दिन बरसात का इंतजार किया जो कुछ उनके घर में था उसका डीजल खरीद कर बेहन डाला। किसी तरीके से लागत लगाया। खाद में खर्च किया कुछ खेत बोये नहीं गए किसी तरीके से जो कुछ थोड़ा बहुत रोपनी हुई है वह सूख रही है। घर के अन्दर जो था वह खर्च हो गया। मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल पा रही है। तमाम मजदूर पूर्वी उत्तर प्रदेश के ट्रेन में बैठकर पंजाब और हरियाणा की तरफ देशान्तर में निवास के लिए मजबूर हो रहे हैं। चारे की समस्या आने वाली है खाने की समस्या जो लोग मजदूरी पर आश्रित थे....।

श्री मसरूर जाफरी--

व्यवस्था का प्रश्न है। तिवारी जी को तो प्रधानमंत्री जी डिप्टी स्पीकरी दे रही हैं।

श्री अध्यक्ष--

व्यवस्था का सवाल नहीं है। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

श्री श्याम नरायन तिवारी--

जनाधार का जो 20 सूत्र है उसका जो पहला सूत्र हर खेत को पानी देने का है। विश्वास से मैं कह सकता हूं कि यह सूत्र बहुत सूखा है। मेरे क्षेत्र म पिछले 4 वर्षों में कोई नलकूप नहीं लगा नहरों में पानी नहीं है। इस सूत्र की तरफ निहायत लापरवाही बरती जा रही है। नलकूप चल नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या कारण मुझे मैकेनिज्म नहीं आती है। किसी तरह से किसान अपने पास से सामान खरीदता है, लगता ह और एक दो दिन में पयूज हो जाता है पता नहीं किस तरह का सामान खरीदा जाता है। पूरी की पूरी व्यवस्था अस्त-व्यस्त है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पेयजल की व्यवस्था की जाय, आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई की जाय और उसके वितरण प्रणाली को और मजबूत किया जाय। सभी देयों को माफ किया जाय और विद्यार्थियों की फीस माफ की जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश की भयावह स्थिति है उसी से सम्बद्ध इलाहाबाद कमिश्नरी खासकर इलाहाबाद, फतेहपुर जिलों की वही स्थिति है। लेकिन इलाहाबाद और बनारस से मिला हुई तहसील हंडिया की स्थिति और भी भयावह है।

श्री ऊदल--

मेजा की भी.....।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

दोनों तहसीलों की स्थिति भयावह है। इस दैवीय आपदा का किस प्रकार मुकाबला किया जा सकता है इसकी तरफ मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। दैवीय आपदा पड़ने पर पहली चीज यह की जाती है कि किसानों के लगान की वसूली बन्द कर देते हैं। कभी-कभी लगान वसूली बन्द करके दूसरे वर्ष लिया जाता है वह और तकलीफ देह हो जाता है। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि लगान माफी की प्रक्रिया अपनाई जाय ताकि कुछ राहत मिल सके और वसूली तो तत्काल बन्द कर ही दें। इसी तरह कोआपरेटिव की वसूली और जो अन्य वसूलियां है उनको भी तत्काल रोक दिया जाय।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो नलकूप लगे हैं उनकी हालत बहुत ही दयनीय है। हमारे यहां इलाहाबाद में मीटिंग हुई थी। उसमें हम विधायक लोग उपस्थित थे सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 45 प्रतिशत नलकूल खराब पड़े हैं। जब सरकारी आंकड़े के हिसाब से 45 प्रतिशत खराब हो रहे है तो उसकी स्थिति क्या होगी? एक निवेदन और करना चाहता हूं। मान्यवर, वह यह हैं कि किसानों के साथ-साथ खेतिहर मजदूर हैं वह बिल्कुल बेसहारा हो गये हैं। खेती सूख गई है कोई मजदूरी का सहारा नहीं है। मान्यवर, भट्ठों का काम भी आन्दोलनों के कारण बन्द हो गया है। मेरा निवेदन है कि काम के बदले अनाज योजना तत्काल शुरू करा दें। कृपा करके यह देख लें, सारे ट्यूबवेल खराब पड़े हुये हैं। जिन्होंने सिंचाई के लिये ट्यूबवेल के पानी में अपना पैसा लगा दिया वह भी बेकार हो गया है और उन्हें ज्यादा नुकसान हो गया। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि हंडिया तहसील की दयनीय स्थिति पर विचार करें और शीघ्र ही राहत पहुंचाने की व्यवस्था करें।

*श्री माता प्रसाद पांडेय--

मान्यवर, जो चर्चा चल रही है इसमें सदैव से ही कुछ परेशानियों का उल्लेख किया जाता रहा है। कभी सूखे की तो कभी बाढ़ की। शासन द्वारा इसे दूर करने का कोई उपाय नहीं निकाला गया। मान्यवर, हमारा जिला नेपाल के बार्डर से मिला हुआ है और जो गरीब तबके के लोग थे वह नेपाल में चले जाते थे और वहां से मजदूरी कर लेते थे। लेकिन अब यह भी सम्भव नहीं है। मान्यवर, आज हिन्दुस्तान में ही नहीं हमारे बार्डर में भी सूखा की स्थिति है जो मजदूर हैं वह नेपाल में जाकर रोजगार नहीं पा सकते हैं। इसलिये भुखमरी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की समस्या उत्पन्न हो गयी है। मान्यवर, मेरा एक सुझाव है यदि आप राशन उनको सस्ते दामों में नहीं दिलवा सकते हैं तो हर तहसील में राशन की 4-5 दुकानें खुलवा दीजिए जिससे उनको सस्ते दाम में राशन सुलभ हो सके।

मान्यवर, जो सरकारी देय है उन पर ब्याज लग जाता है। मेरी शासन से मांग है जो वसूली आप करें सरकारी देय की, तो जो ब्याज है उसको न लें और लगान तो पूरी माफ कर दें। सिंचाई के जो संसाधन हैं, हमारा बस्ती जिला सिंचाई के मामले में बहुत पीछे है। वहां सिंचाई के साधन है ही नहीं। हमारे क्षेत्र में केवल पांच ट्यूबवेल हैं। मैं सिंचाई मंत्री से कहना चाहता हूं कि जो इस हेतु बजट है उसका पैसा वहां के इंजीनियरों को मिला ही नहीं है। वह पम्प सेट नहीं खरीद सकते। जो ट्यूबवेल लगाये गए हैं उन पर जल्दी से जल्दी पम्पसेट लगाये जायें। मान्यवर, यह जो 15 किलो राशन प्रत्येक परिवार को दिया गया तो भुखमरी को आदत हमारे ऊपर न डालिए आप हमसे काम लीजिए अधिक से अधिक और अधिक से अधिक मजदूरी दीजिए। मान्यवर, यह गेहूं जो बंटता है इसमें लूट हो जाती है जो गरीबों में जान होती है वह भी नहीं रह पाती। जो लोग राशन लाते हैं वह बाजारों में चला जाता है बहुत भ्रष्टाचार होता है मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जनप्रतिनिधियों के माध्यम से नियंत्रण करने का प्रयास कीजिए। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि 50 लाख जो आप दे रहे हैं वह काफी नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री मुईद अहमद--

पूर्वांचल जिले में सूखे की जो स्थिति है उसमें मान्यवर, सुलतानपुर जिले की स्थिति बड़ी भयावह है। हमारे माननीय राजस्व मंत्री जी ने कुछ आंकड़े बताये कि इतने इंच वर्षा हुई, इतने प्रतिशत वर्षा हुई तो अधिकारी भले ही सरकार को सन्तोष दे दें कि जून में इतनी वर्षा हुई और अगस्त में इतनी लेकिन स्थिति यह है कि कोई अभी तक कोई भी ताल तलैया भरा नहीं है, जबकि हर बरसात में जून, जुलाई में ही भर जाते थे, जिसकी वजह से जानवर भी मर रहे हैं। मान्यवर, जो स्थिति सूखे की है सुलतानपुर जिले में, लोग बताते हैं कि आज बरसात हुई, तो कारण यह है कि दस कदम पर बरसात हुई और आगे नहीं। इस तरह की स्थिति प्रत्येक जिले में है। सुलतानपुर जिले में ही ब्लाक के एक हिस्से में हुई और दूसरे हिस्से में बरसात नहीं हुई।

सुल्तानपुर जिले का दुबेपुर और कुड़वार क्षेत्र सबसे ज्यादा त्रस्त है, जहां सूखा पड़ा है। लोगों को धान की रोपाई के लिए आवश्यकता थी लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। ट्यूबवेल खराब हैं। सींचने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। हायडिल के ट्रान्सफार्मर जले रहते हैं लेकिन कोई ठीक कराने के लिए तैयार नहीं है। मान्यवर, जहां तक राहत की बात है, जो प्राकृतिक प्रकोप है उससे तो कोई नहीं लड़ सकता लेकिन राहत के लिए जो धन पहुंचता है उससे कोई ठोस लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है। यदि लाभ पहुंचाना है तो रबी की बुआई के लिए गेहूं के बीज भेज दीजिए। और जो बकाया है उसकी वसूली स्थगित कर दीजिए। लगान माफ कर दीजिए। मान्यवर, सूखे से जितनी हानि होती है, बाढ़ से किसान को उतनी हानि नहीं होती।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री केदार नाथ सिंह--

मान्यवर, मुझे यह जानकर भारी आश्चर्य है कि गोरखपुर मण्डल में केवल दो जिले सूखा क्षेत्र घोषित किये गये हैं। मान्यवर, गारखपुर की लम्बाई पूरब उत्तर की ओर तथा चौड़ाई उत्तर दक्षिण की तरफ है। मान्यवर, चौड़ाई से लम्बाई ज्यादा है। मान्यवर, इसके चारों तरफ बलिया, आजमगढ़ और बस्ती है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अनुमान कर लिया है कि गोरखपुर में ही केवल मानसून बरसा है। पूर्व से जो आया वह गोरखपुर में बरसा। जहां से भी आया गोरखपुर में बरसा। मान्यवर, मुझे बड़े दुख के साथ कहना है कि बांसगांव, सदर, फरेंदा और महराजगंज जो तहसील है वहां सूखे की स्थिति भयावह है। मान्यवर, यह सही है कि नहर के पानी से सिंचाई की सुविधा लोगों को प्राप्त है। लेकिन जो नहर के किनारे की आस-पास की भूमि है वहीं की भूमि सुरक्षित है और अन्यत्र गोरखपुर जिले में भयंकर सूखा पड़ा है, बस्ती में सूखा पड़ा है गोरखपुर और देवरिया में सूखा पड़ा है। मैं समझता हूं इसीलिए गोरखपुर मण्डल के दोनों जिलों के विधायक उत्तेजित हो गये और बोलने का प्रयास कर रहे हैं। मान्यवर, यह बड़े आश्चर्य की बात है और मेरा यह दावा है और आप फिर से दोनों जिलों का सर्वे करा लीजिए आपको खुद ही ज्ञात हो जायगा कि किसी प्रकार से फसल सुरक्षित नहीं है।

मान्यवर, दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि उसमें सूखा क्षेत्र के अन्तर्गत कुछ सघन गन्ना क्षेत्र भी है वहां भी सूखा पड़ा है। तो मैं यह चाहता हूं कि मान्यवर, गन्ना क्षेत्र के अन्दर तकावी आप मिल मालिकों से दिलवायें। उनसे कहें कि वे गन्ना किसानों की कीमत का भुगतान करें। मान्यवर, दूसरी चीज जिसकी मैं मांग करना चाहता हूं वह छात्रों की फीस है। छात्रों की फीस को पूर्ण रूप से माफ कर दिया जाय। खाद्यान्न योजना को व्यापक रूप से चलाया जाय ताकि गरीब मजदूरों को राहत मिल सके।

तीसरी चीज जिसकी मैं मांग करता हूं वह है नहरों तथा नलकूपों के रख-रखाव की। गन्ना किसानों का जो बकाया पैसा है उसका भुगतान कर दिया जाय ताकि वे कर्जखोर न रहें और अपने पैरों पर खड़े हो सकें। तकावी का जहां तक सवाल है इसे भी मैं अपने क्षेत्र में उचित रूप से प्रयोग करवाना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री पंचानन राय--

मान्यवर, आज पूरा पूर्वांचल जल रहा है। माननीय मंत्री जी ने इस सदन में इस बात को सिद्ध करने का प्रयास किया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आंकड़ों को पूर्वी उत्तर प्रदेश के आंकड़े बतायें। मान्यवर, मेरा कहना यह है कि वास्तव में जो जिले सूखाग्रस्त हैं उन्हीं के आंकड़े प्रस्तुत करने चाहिये।

मान्यवर, दो बातें कहना चाहता हूं। आजमगढ़ जिले में, जहां तक मेरी निजी जानकारी है, 50 परसेन्ट नलकूप बन्द पड़े हैं। मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र का स्वयं निरीक्षण किया तो पाया कि 60 ट्यूबवेल्स बन्द पड़े हैं, जिसकी सूचना मैंने इन्जीनियर को दी। किन्तु इन्जीनियर ने कहा कि न तो पिछले वर्ष इनके रख-रखाव के लिए कोई पैसा आवंटित हुआ है और न ही इस वित्तीय वर्ष में पैसा आवंटित किया गया है इसलिए इनका रख-रखाव नहीं किया जा सकता। 1981

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में जो नलकूप लगाये गये वे चालू हालत में नहीं हैं। 1982 में पैसा आवंटित नहीं हुआ तथा 1983 में भी पैसा आवंटित नहीं किया गया है। तमाम नलकूप बन्द पड़े हुए हैं। माननीय सिंचाई मंत्री जी स्वयं जाकर इसका वेरीफिकेशन कर कर लें। वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की भी इस सम्बन्ध में रिपोर्ट आयी है, उसमें भी यही लिखा गया है कि नलकूप बन्द पड़े हैं। किसानों के पास जो कुछ था, वह उन्होंने खेतों में लगा दिया। अब उनके पास कुछ भी नहीं है। सूखा पड़ने की वजह से वे लोग बरबाद हो गए हैं।

मान्यवर, बिजली के बारे में माननीय मंत्री जी ने आदेश दे दिये हैं कि गांवों में बिजली की सप्लाई ज्यादा समय तक की जाय। लेकिन बिजली की सप्लाई ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं हो पा रही है। क्योंकि सारे अधिकारी शहरों में रहते हैं, यदि एक घंटा भी बिजली बन्द हो गई तो उनको काफी तकलीफ हो जाती है, इसलिए उन्होंने गांवों की बिजली में कटौती करके अपने यहां 24 घंटे बिजली की सप्लाई चालू की है। इस प्रकार जो बिजली शहरों में 24 घंटा दी जा रही है उसका बोझ भी ग्रामीण किसान पर पड़ रहा है, फलस्वरूप बिजली की सप्लाई न होने तथा सिंचाई सुविधायें न होने के कारण वहां के किसानों में हाहाकार मचा हुआ है।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने तकाबी के रूप में बलिया को तो 12 लाख रुपये आबंटित किया तथा आजमगढ़ को 6 लाख रुपए आबंटित किया है। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि किस आधार पर उन्होंने यह पैसा आवंटित किया है। सूखे के आधार पर किया है या जन संख्या के आधार पर किया है। जिस आधार पर पैसा अबंटित किया गया होगा वह तो आफिसर्स को मालूम होगा।

छात्रों की फीस को निश्चित रूप से माफ कर दिया जाय। पिछले साल सूखे से पीड़ित क्षेत्रों के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि फीस को माफ कर दिया जायेगा, किन्तु उसके बावजूद भी छात्रों से फीस ली गई। मैं पुनः इस सदन में कहना चाहता हूं कि जो सूखे से पीड़ित क्षेत्र हैं वहां पर छात्रों की फीस माफ कर दी जाय। जहां तक लगान का सम्बन्ध है, उसे या तो पूर्ण रूप से माफ कर दिया जाय अन्यथा नहीं। क्योंकि उससे बाद में कोई फायदा होने वाला नहीं है। बिजली की सप्लाई गांवों में नियमित रूप से की जाय। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

*श्री रुद्र प्रताप सिंह--

मान्यवर, आपने मुझे समय दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। पहले तो मुझे सख्त अफसोस की बात है कि हमारे बुजुर्ग मन्त्री का जो यहां बयान हुआ है, वह जैसे किसी बुजुर्ग अध्यापक का बयान हो गया है कि जैसे एक बुजुर्ग अध्यापक थे, वे लड़कों को एक नाला क्रास करा रहे थे, उसमें ऐसा था कि उसमें 4 फीट पानी था अन्दर को और बाहर किनारे पर 1 या 2 फीट पानी था तो उन्होंने उसका हिसाब लगाया, लड़कों की लम्बाई का उन्होंने 3 फीट का हिसाब लगाया, उसका अनुपात लगा कर उन्होंने हिसाब लगाया और लड़कों से कहा कि तुम लोग सब नाला पार हो जाओगे, नाव की जरुरत नहीं है, तो जब लड़के नाला पार करने लगे, तो उससे 4 फीट से कम होने की वजह से बीच में ही डूब गये, पार ही नही हो पाये, उसी तरह का बयान बिल्कुल मन्त्री जी का है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रुद्र प्रताप सिंह]—

मान्यवर, मुझे एक दूसरी बात पर भी अफसोस है, जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं,

(इस समय 7 बज कर 17 मिनट पर अधिष्ठाता श्री दिवाकर विक्रम सिंह पीठासीन हुए।)

माननीय मुख्य मन्त्री जो ने एक बयान निकाला था तीन तारीख के अखबार में, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जितनी भी नहरें हैं, अगर उन नहरों में तीन दिन के अन्दर पानी नहीं आता है तो निश्चित रूप से हम कार्यवाही करेंगे। उसके तत्काल बाद मैंने एक पत्र लिखा कि हमारे जिले में वर्षा बिल्कुल नहीं हुई, मई-जून में हुई, उसके बाद हुई नहीं, नहरों की सफाई कराके और उसे पानी दिलायें लेकिन, वे उसका अभी तक कोई कारगर इलाज नहीं कर सके। ऐसी स्थिति में स्थिति यह उत्पन्न हो गयी कि बेहन जो पड़े हुए थे, वे खेत में ही रह गये। नहरी इलाकों में मामूली सा काम हुआ। इसके साथ ही माननीय मन्त्री जी ने जो 15 किलो, 10 किलो या 5 किलो की जो बात कही और उसके साथ-साथ जो लगान माफी की बात आयी उसके सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि यह भिक्षा की बात बिल्कुल समाप्त कर देनी चाहिए और जैसा कि माता प्रसाद पाण्डेय जी ने भी कहा, आप राहत के काम ज्यादा दीजिये जिसमें गरीब लोग काम करें और उस काम के बदले अनाज लायें जिससे अपनी रोजी रोटी चलायें। आज स्थिति यह भी उत्पन्न हो गयी है कि 50 फीसदी लड़कों के नाम फीस न जमा हो पाने की वजह से कट गये हैं और दूसरी ओर बोर्ड के फार्म भी भरे जा रहे हैं। बोर्ड के फार्म के बाबत सचिव के यह आदेश हो गये हैं कि यदि 31 तारीख तक फीस नहीं पेमेंट कर दी जायेगी, तो उसके बाद से 20 रुपये लेट फीस के हिसाब से लिया जायेगा। देवरिया जनपद में विशेष कर और जनपद बलिया, आजमगढ़ गोरखपुर पूर्वांचल के लगभग सभी जिलों में यह स्थिति हो गयी है कि आधे लड़कों द्वारा हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट के बोर्ड के फार्म नहीं भरे जा रहे हैं। वे नहीं भर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में मांग करता हूं कि इस आखिरी तिथि को बढ़ाया जाय और जितने लड़कों के पास फीस की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, सरकार उनकी फीस बोर्ड की फीस माफ कराके, तत्काल उनका नामांकन कराने की कृपा करें।

(लाल बत्ती जलने पर)

श्री रुद्र प्रताप सिंह—

मान्यवर, एक मिनट का समय और दे दें। मान्यवर, ट्यूबवेल की बात देख लीजिये। स्थिति क्या है यदि स्टार्टर है, तो आपरेटर नहीं है और यदि आपरेटर है तो फिर नाली नहीं है, तो कैसे पानी जायेगा खेतों में? पानी तभी जायेगा, जब स्टार्टर हो, आपरेटर हो और नाली हो। लेकिन किसी न किसी कमी की वजह से पानी हमारे खेतों में नहीं जा रहा है, जिससे जिले की समस्या गम्भीर हो गयी है। लगान माफी की बात की गयी।

जो अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त। मैंने माननीय जैराज गौतम जी को बुला लिया है।

श्री रुद्र प्रताप सिंह--

मान्यवर, अन्तिम बात कह कर बात समाप्त कर दूंगा। मान्यवर, राजस्व विभाग द्वारा तभी सहायता जिलों में दी जाती है, जब 50 फीसदी नुकसान का आंकलन कर लिया जाता है । मैं मांग करता हूं कि इस अंग्रेजों के द्वारा बनाये हुये पुराने नियम को यह सरकार बदले और बदल कर तुरन्त आदेश पारित करे कि 25 फीसदी नुकसान की स्थिति में भी सरकार किसानों को राहत पहुंचायेगी । अगर आप यह नहीं करते हैं, तो यह समझा जायेगा कि आप किसानों के सच्चे हमदर्द नहीं हैं । मैं मांग करता हूं कि राजस्व संहिता में आप परिवर्तन करायें ।

*श्री जै राज गौतम--

मान्यवर, यह बात सही है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में, चाहे वह फैजाबाद मण्डल हो, चाहे वह गोरखपुर मण्डल हो--इन मण्डलों में जितने भी जिले हैं, वे सब बुरी तरह सूखे से प्रभावित हैं । और, श्रीमन्, उसमें से, विशेष रूप से मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, जब यह पता लगा कि फैजाबाद जो हमारे पड़ोस का जनपद है, उसको सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया, लेकिन उसी के बगल के सुलतानपुर को अभी भी सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया गया । स्थिति यह है कि हमारे अपने जिले में श्रीमन्, 50 प्रतिशत किसानों ने लेट वर्षा होने की वजह से धान की रोपाई की और जिन्होंने रोपाई भी की, पानी के कम बरसने की वजह से, सिंचाई में भी ट्यूबवेल्स में बिजली की कमी की वजह से, उन्होंने सिंचाई नहीं की।

आज स्थिति यह है कि अखण्डतगर और कादीपुर में बी० डी० सी० की मीटिंगें हुई । उसपर सर्वसम्मति से प्रस्ताव करके भेजा गया कि इस जनपद को सूखा ग्रस्त घोषित किया जाय । उसके लिये आवश्यक है कि विषय परिस्थिति में वसूलयाबी को रोक दिया जाय और जो तमाम राजकीय ट्यूबवेल्स हैं, मेरी अपनी जानकारी है कि राजकीय ट्यूबवेल्स 30 से 40 प्रतिशत तक खराब हैं । कहीं विद्युत् की खराबी से कहीं यांत्रिक खराबी से खराब पड़े हैं । मेरे एक ब्लाक में 25 ट्यूबवेल्स की खराबी बतायी गयी । जहां-जहां नये ट्यूबवेल्स लगाये हैं, वहां पर मोटर्स नहीं हैं । राजकीय ट्यूबवेल्स को 24 घंटे चलाया जाना चाहिये ताकि जो फसलें बची हुई हैं, किसान उनकी रक्षा कर सके । छात्रों की फीस भी निश्चित रूप से मांफ की जानी चाहिये । जो माइनर्स हैं, जो अधूरी हैं, तब तक पानी नहीं पहुंच रहा है जैसे--पहाड़पुर, बस्तीपुर, रतनपुर, बलिया, कोलपुर माइनर हैं, वे अधूरी पड़ी हुई हैं, खुदाई नहीं हुई है । उनकी खुदाई की जाय । राजकीय ट्यूबवेल्स को लगातार बिजली दी जाय, छात्रों की फीस मांफ की जाय और सुल्तानपुर को सूखा ग्रस्त जिला घोषित किया जाय ।

*श्री मसरूर जाफरी--

मैं आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । जनपद गोंडा, जहां 4 वर्षों से सैलाब सूखे से पीड़ित रहा है । मेरे जिले की 4 तहसीलों में कोई नहर नहीं है । मेरे जिले में एक मीटिंग हुई थी, सिंह साहब गये थे, रीजनल मीटिंग हो रही थी । एक ही प्रश्न नलकूप विभाग से किया था कितने नलकूप चालू हालत में हैं, वे एक का भी जवाब नहीं दे पाये । वास्तविकता यह है कि 60 प्रतिशत नलकूप खराब हालत में हैं । बिजली की कटौती की जा रही है । हालत यह है कि अगर नलकूप कहीं ठीक है तो गूल तो है नहीं । जब से मेन्टीनेन्स और कांस्ट्रक्शन अलग हुआ है, एक ईंटा लगा कर काम दिखा दिया जाता है, गुल भी नहीं है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मसरूर जाफरी]--

जनपद गोंडा जो सैलाब से पीड़ित रहता था आज सूखे से पीड़ित है । मैं जिस क्षेत्र से आया हूं, वहां पर जून, जुलाई में भी वर्षा नहीं हुई है । 60 प्रतिशत नलकूप बेकार पड़े हुए हैं । इस महंगाई में जो राजकीय राशन की दुकाने हैं, उन पर सामान नहीं मिल रहा है । हमारे यहां पी0 डब्लू0 डी0 में कुछ काम चल रहा था । सार्वजनिक निर्माण मन्त्री ने पी0 डब्लू0 डी0 को दो खण्डों में बांट दिया है--भवन और कांस्ट्रक्शन । यह शासन की नीति से अलग हटकर किया गया। मन्त्री महोदय से निवेदन किया गया । आपके आदेश हुए लेकिन उनका पालन नहीं हुआ । सारा काम ठप्प पड़ा है । जनपद गोंडा में भुखमरी की स्थिति है सारा सरकारी खर्च चाहे कोआपरेटिव का हो या कहीं और का हो । तो यह नौबत है, मान्यवर, आज ऐसी स्थिति में वहां पर सारी वसुलियों जारी हैं इन वसूलियों को माफ किया जाए ।

श्री अधिष्ठाता--

आप कृपया बैठ जाएं अब आपके भाषण का समय समाप्त हो गया है । आप कृपया बैठ जाएं ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण चर्चा पर बोलने का अवसर दिया । माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो राजस्व के आंकड़े प्रस्तुत किये हैं, मुझे ऐसा लगा जैसे के पूरे विभाग के अधिकारी चेरा पूंजी के दौरे पर गये हों और वहां से लौटने पर यह आंकड़े दे दिये हों मान्यवर, दैवी प्रकोप जहां होती है वहां पर केवल सरकारी आंकड़ों से राहत नहीं मिलती। अभी जो माननीय सदस्य जाफरी साहब बोल रहे थे, उनका क्षेत्र सम्भवतःबस्ती जनपद से मिला हुआ है, और बस्ती जनपद को जहां तक मेरी सूचना है कि सूखाग्रस्त घोषित किया गया है, लेकिन गोंडा जनपद को आज तक शासन द्वारा सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है ! इसलिए मैं अपनी जानकारी के अनुसार माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि गोंडा जनपद को भी सूखाग्रस्त घोषित किया जाए और इसकी पुष्टि हेलीकाप्टर, रेल या बस द्वारा की जा सकती है, गोंडा जनपद जाकर उन स्थानों का निरीक्षण कर लिया जाए, यदि सही पाया जाए तो उसे भी सूखाग्रस्त घोषित कर दिया जाए और यदि सही न पाया जाए तो मेरे द्वारा जो भी वक्तव्य दिया गया है, उसको मैं वापस ले लूंगा, लेकिन जब वहां यह स्थिति पायी जाए तो वहां से वापस आने के बाद अवश्य सूखाग्रस्त घोषित किया जाए ।

साथ ही सुझाव रूप में आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूं कि जो तीन माह तक वहां पर वसूली स्थगित की गयी है, इससे और भी वहां के किसान परेशानी में पड़ जायेंगे क्योंकि इन 3 माह के अन्दर उनकी कौन सी फसल तैयार हो जायेगी । इसलिए अनुरोध है कि वहां पर जिन-जिन प्रकार की वसूलियां होनी हैं, उन सब को स्थगित किया जाए तथा काम के बदले खाद्यान्न योजना वहां पर लागू की जाएं । जिससे लोगों को राहत मिल सके ।

*श्री खैरुल बशर--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बेहद आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण चर्चा पर बोलने का मौका दिया । मैं इस सदन को बताना चाहता

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हूं कि आज सारा पूर्वान्चल जल रहा है ? इलाहाबाद और गोरखपुर को बस से और रेल से भी यात्रा की है और यही नहीं आजमगढ़, बलिया और लखनऊ अ ते वक्त भी सारे क्षेत्र को देखा है। इलाहाबाद, गोरखपुर और फैजाबाद मंडल पूरे के पूरे जल रहे हैं। ऐसी भयंकर तबाही और बर्बादी अपने जीवन में इसके पहले कभी नहीं देखी। किसान आज बिल्कुल निराश होकर रह गया है, उसे आज कोई आशा नहीं रह गयी, लेकिन माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है मुझे ७८ ५। क कहीं कुल मिलाकर परिस्थिति सामान्य है, न कह दें और यही हुआ था, उन्होंने यही कह दिया। जबकि आज पूर्वी उत्तर प्रदेश की हालत बहुत खराब है, सारे धान सूख गये और फसलें नष्ट हो गयीं और 75 फीसदी तो हमारे यहां के किसानों ने फसल बोई ही नहीं है। और जो बोयी भी गयी वह सूखे के कारण से खत्म हो गयीं हमारे क्षेत्र में अधिकांश ट्यूबवेल खराब हैं, कुछ तो बिजली के न उपलब्ध होने के कारण चल नहीं पा रहे हैं, किसी के ट्रान्सफारमर जले हुए हैं, तीन-तीन महीने हो गये हैं लेकिन वे बदले नहीं गये हैं। इसलिये मैं सरकार से मांग करूंगा कि बिजली युद्धस्तर पर 24 घंटे दी जाय और वहां के ट्यूबवेल को फ्यूज लगा कर उसे तुरन्त ठीक कराया जाय और नहरों में पानी दीजिये। पूर्वान्चल में आजमगढ़ में एक भी नहर नहीं है, ऊसर एरिया है।

बलिया, गाजीपुर क्षेत्रों की बच्चों की फीस माफ की जाय और सारी वसूलियाबी को साफ किया जाय। खाद्यान्न योजना चालू की जाय, इसके किय बिना और कोई रास्ता नहीं है। नहीं तो लोगों की भुखमरी से मौतें होंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

चूंकि बहुत से सदस्य बोलने के लिये हैं तो मैं दो इधर से एक उधर से बोलने के लिये नाम पुकारूंगा।

*श्री राज कुमार राय--

अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने ऐसे समय में जबकि पूर्वान्चल के जिले अनावर्षण के कारण आग में जल रहे हैं, आपने मुझे अपना विचार प्रकट करने के लिये अवसर दिया है। मान्यवर, माल मंत्री जी ने जो सदन के समक्ष वर्षा की स्थिति रखी है चाहे वह गलत हो, चाहे सही होयह वह जाने और जैसी चाहे कार्यवाही करें। लेकिन माननीय सदस्यों की भावनाओं को अधिष्ठाता जी आप यहां सुन रहे हैं, माल मंत्री जी भी मौजूद हैं। इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि जिन-जिन माननीय सदस्यों ने जिन-जिन जिलों के बारे में यहां बताया है वहां की स्थिति वर्षा न होने के कारण बहुत गम्भीर है। किसान कोई बुवाई नहीं कर सका है, कहीं रोपाई नहीं हुई है। गांव का मजदूर बैठा है, उसे काम देने के लिये किसानों के पास काम नहीं है। सारी फसल सूख गयी है, रोपाई कहां से हो पायेगी। खेत में पड़ी खाद और बीज बेकार चले गये हैं। नहरें भी बिजली के अभाव में ठीक काम नहीं कर रही हैं और खेतों में पानी नहीं पहुंच रहा है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सदन को सूचित करना चाहता हूं कि पूरे पूर्वान्चल प्रदेश के नलकूप 30 से ले कर 40 प्रतिशत तक खराब हैं चाहे उनमें मेकेनिकल डिफेक्ट हो, चाहे टेक्नीकल डिफेक्ट हो। सामान्य तौर पर जो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राज कुमार राय--]

राहत को मद नलकूपों के लिये सरकार देती है तो वह पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी आजमगढ़ को नहीं दी गयी है । नलकूपों की ऐसी स्थिति के कारण मैं आपसे मांग करता हूं कि आप निश्चित रूप से वहां की वसूलयाबी को माफ कर दीजिये. स्कूली लड़कों की फीस की जरूर माफ कर दीजिये । तकाबी जो देते हैं, वह तो दें ही लेकिन मान्यवर, जो दूसरी आवश्यकतायें हैं उनके लिये जो रकम आप दें, वह वहां के लिये भी जरूर मंजूर करें जैसे कि एन0 आर0 पी0 के द्वारा दी जाती है वह कम हो या ज्यादा हो, उनके उपयोग के लिये वह रुपया अवश्य दिया जाय। लेकिन होता क्या है कि सबको मालूम है कि वह धनराशि दी जायेगी तो अधिकारी और कर्मचारी अपनी आंखें उस पर लगाये बैठे हुए हैं, उनकी गिद्ध दृष्टि इस पर लगी हुई है फर्जी मस्टर रोल बना कर सारा रुपया खत्म कर दिया जायेगा । इसलिये मैं माननीय सदन से अनुरोध करूंगा कि जिन क्षेत्रों को रुपया दिया जाय उसकी सूची आप उस क्षेत्र के विधायकों को जरूर दे दें और उसकी आप बराबर चेकिंग करायें और वहां का विधायक उसे देखे कि वह काम हुआ है या नहीं हुआ ।

पूर्वान्चल में वाटर लागिंग की समस्या बहुत जबरदस्त है । उसका अध्ययन करने के लिये केन्द्र से कोई दल आ रहा है । 12 तारीख को जौनपुर और वाराणसी में वे मीटिंग करेंगे । कोई केन्द्रीय विभाग के सचिव है श्री महेन्द्र सिंह, वह आ रहे हैं अध्ययन करने के लिये ।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करें । सबको समय मिल जायेगा बोलने के लिये ।

*श्री वृद्धि नारायण सिंह--

मान्यवर, अधिष्ठाता महोदय, आज आपने मुझे सूखे के विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया है, जिसके लिए मैं आपका बड़ा आभारी हूं । मान्यवर, लगान की माफी शासन ने घोषित कर दी है । माफी नहीं घोषित की बल्कि वसूली स्थगित की है । अभी सम्मानित साथियों ने अनुरोध किया है कि जो कुछ हो वह माफी की शक्ल में किया जाय, स्थगित करने से किसानों पर बोझ बढ़ता है । माननीय अधिष्ठाता जी, मेरा तो यह सुझाव है कि लगान की माफी के बजाय जो सहकारिता विभाग का या कृषि विभाग का या दूसरे विभागों का कर्जा है उसको माफ कर दिया जाय । मैं चाहूंगा कि अगर उसे पूर्ण रूप से माफ न किया जा सके तो जो इस वर्ष का ब्याज है उसको अवश्य माफ कर दिया जाय । आज सूखे में सबसे बड़ी आवश्यकता है सिंचाई और सिंचाई के लिए बिजली की । यह हमारे लिए सबसे बड़ी बाधा का कारण बन गयी है ।

ट्रान्सफारमर खराब रहते हैं, समय से बिजली नहीं आती है और छोटे-मोटे यन्त्र जो खराब हो जाते हैं उनके बनने में बहुत समय लगता है जो प्राइवेट पम्पिंग सेट हैं वह बिजली के कारण ही प्रभावित हो जाते हैं । आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर 4-6 पम्पिंग सेट न हों लेकिन सभी बिजली का कनेक्शन न मिलने के कारण प्रभावित रहते हैं । उससे हम सारे लोग प्रभावित होते हैं तो हमारी स्पेसिफिक शिकायत है कि बिजली नहीं मिलती है अतः बिजली की सप्लाई पर बल

देना होगा । वाराणसी में ज्ञानपुर तहसील है जो सूखे से बहुत प्रभावित हैं । मिर्जापुर और दक्षिणांचल और इलाहाबाद की मेजा तहसील और वाराणसी की ज्ञानपुर तहसील सूखे से बहुत ही प्रभावित हैं । सूखा होने से वहां के किसान बुरी तरह से पीड़ित हैं । हमारे साथियों ने कहा, पन्द्रह मिलीमीटर भी इस तहसील में पानी नहीं बरसा है । जहां पर 450 नलकूप हैं, लेकिन उनमें से करीब-करीब 30-40 प्रतिशत नलकूप खराब रहते हैं तथा वहां पर सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । मान्यवर, मैं इन शब्दों के साथ सिंचाई के लिए बिजली की सप्लाई पर बल देता हूं और आपके द्वारा सरकार से निवेदन करता हूं कि इस पर गम्भीरता से विचार किया जाय ।

श्री राधेश्याम पटेल--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज आपने मुझे सूखे की चर्चा पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया है इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं । मान्यवर, इलाहाबाद सूखे की चपेट में आ गया है और जिसके कारण यहां का किसान भुखमरी की स्थिति में आ गया है । मान्यवर, हमारे क्षेत्र में सिंचाई के मुख्य दो साधन हैं-एक नहर और दूसरा नलकूप । नलकूप जैसा माननीय सदस्यों ने बताया हमारे क्षेत्र में 75 प्रतिशत नलकूप खराब रहते हैं । इस स्थित को मैंने स्वयं भी जाकर देखा है । किसी में स्टार्टर नहीं है, किसी में गूलें नहीं है, किसी में मशीन नहीं है, इस तरह से अधिकतर नलकूप खराब पड़े हुए हैं जो नलकूप खराब हैं अगर उनको ठीक करने के लिए अधिक से अधिक धन नहीं दिया जायगा तो बोई गयी फसल भी समाप्त हो जाएगी ।

मान्यवर, मऊआइमा 'रजबहा है उसमें पानी नहीं दिया जाता है । बिजली की समस्या है । 5-6 घंटे से अधिक बिजली नहीं दी जाती है । मैं चाहूंगा कि बिजली की सप्लाई ठीक प्रकार से की जाय । मान्यवर, अगर राहत का काम ठीक प्रकार से नहीं चलाया गया तो मजदूर भुखमरी की कगार पर आ जायेंगे ।

श्री ध्रुप राय--

अधिष्ठाता जी, पूर्वांचल दैविक आपदाओं से ग्रसित है । सूखे की आपदा है जिस पर नियंत्रण की आवश्यकता है । पानी की वृष्टि की कमी है और माननीय मन्त्री जी ने जो आकड़े दिये हैं उससे और वृष्टि से कोई सम्बन्ध नहीं है । मान्यवर, यदि हमारे यहां अश्रेषा और मघा में जल वृष्टि न हो तो खरीफ की फसल नष्ट हो सकती है । यही नहीं गेहूं और गन्ने पर भी इसका असर पड़ता है । खरीफ की फसल में मकई खतम हो गई और अगहनी का बीज भी नहीं बोया जा सका । गन्ने की उत्पत्ति आधे से ज्यादा नहीं रह गयी है । देवरिया जिले का पूर्वांचल भी इस आपदा से ग्रस्त है । हमारे जिले में आधे में नहरें हैं जिनमें जल प्रवाहित नहीं हो रहा है । नहरों की कुछ माइनरें अभी भी सूखी पड़ी हैं । बार-बार कहने के बाद भी उसमें जल की कमी है । मैं माननीय मन्त्री जी से कहता हूं कि उसमें यह आदेश दें कि हर नहर में पूरा जल प्रवाहित किया जाय । बिजली की कमी है जिससे नलकूप भी नहीं चल रहे हैं । ऐसी स्थिति में देवरिया जिले को राहत कार्य पहुंचाये जायं । राहत ऐसी नहीं कि पैसा और अनाज लेकर जन समूह में बांट दिया जाय बल्कि ऐसे काम किये जायं कि जिससे सड़कें बन सके, विकास के कार्य हो सकें, बन्धे बन सकें और इस

[श्री ध्रुप राय—]

तरह से उन्हें राहत पहुंच सके । इन शब्दों के साथ में आपसे निवेदन करूंगा कि देवरिया जिले को सूखाग्रस्त घोषित किया जाय ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

10 मिनट मन्त्री जी को चाहिए और 10 मिनट ही बाकी है । उन्हें एक-आध मिनट दे दिया जायेगा ।

श्री मारकन्डेय चन्द—

मान्यवर, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं । मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मन्त्री जी से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि गोरखपुर का तो आपने नाम लिया लेकिन गोरखपुर मंडल के बस्ती, आजमगढ़, देवरिया जिले जो सम्मिलित किये गये हैं क्या मानसून वहां नहीं बरसा और गोरखपुर में बरस गया । घाघरा नदी के दक्षिण में पानी नहीं बरसा और उसके उत्तर में पानी बरस गया । यह अन्तर नहीं होना चाहिए । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गोरखपुर के जो आपने आंकड़े दिये हैं वह गलत हैं । उसमें आपने गोरखपुर को अलग कर दिया है । इसलिये आप कृपा करके गोरखपुर को भी उसमें सम्मिलित करने की कृपा करें और जो सुविधा दूसरे जिलों को दे रहे हैं वही यहां भी दें ।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

एक सदस्य—

मान्यवर, 5 मिनट का समय बढ़ा दिया जाय ।

(सिंचाई मन्त्री का नाम पुकारे जाने पर)

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

अध्यक्ष महोदय का जो आदेश है उसका पालन किया जायेगा लाचारी है । माननीय सदस्य उत्तेजित न हों ।

(व्यवधान)

सभी के साथ ऐसा होता है । डेढ़ घंटे का समय निर्धारित है उसके अन्दर ही समाप्त करना है ।

(श्री जसवन्त सिंह विष्ट के खड़े होने तथा उनके कुछ कहने पर)

श्री अधिष्ठाता—

विष्ट जी, आप कृपया बैठें ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । एक मिनट मेरी बात सुन लें ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आपकी व्यवस्था बाद में सुन ली जायेगी । आप सिंचाई मन्त्री को पहले सुनें । डेढ़ घंटे में इसको समाप्त करना है । कृपया बठें ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, हमारे यहां भी यही स्थिति है....

श्री अधिष्ठाता--

माननीय विष्ट जी माननीय मन्त्री जी का उत्तर सुन लें, आप बैठ जायं ।

(व्यवधान)

माननीय विष्ट जी डेढ़ घंटे की चर्चा है जो पूर्वांचल में सूखे के सम्बन्ध में है । पहाड़ से इसका क्या तालुक है । आप बैठ जायं ।

सिंचाई मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

मान्यवर, समय कम है मैं केवल दो चार बातें ही कहूंगा ।

श्री दूधनाथ राजभर--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । यहां पर सूखा पर चर्चा हो रही है सारा पूर्वांचल सूखे से त्रस्त है इस पर डेढ़ घंटे की चर्चा आपने स्वीकार की है । बहुत से माननीय सदस्य अपनी समस्याओं को बताना चाहते हैं । पूर्वांचल में आज इससे तबाही हो रही है इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि चर्चा का समय बढ़ा दीजिये ताकि सबको कहने का मौका मिल जाय । क्योंकि हम अपने क्षेत्रों से बहुत सी चीजों को कहने के लिए लाये हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

समय कार्यमंत्रणा समिति ने निश्चित किया है । इस पर कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री दूधनाथ राजभर--

कम से कम एक घंटा का समय और बढ़ा दें ।

श्री अधिष्ठाता--

इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । कार्यमत्रणा समिति ने समय निर्धारित किया है ।

*श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, जो चर्चा हो रही है । इसमें यह आदेश अभी नहीं जून के महीने में कर दिये गये हैं कि जो भी नलकूप खराब हैं उनको ठीक किया जाय । आप जानते हैं कि जो मेनटेनेन्स का पैसा मिलता है वह प्रति नलकूप 3 हजार रुपया मिलता है और विभाग का कहना है कि 3 हजार में मेनटेनेंस नहीं हो पाता है । इसके बावजूद भी यह कहा गया है कि हर हालत में ट्यूबवेल ठीक रहने चाहिये । अभी तक जो रिपोर्ट हमारे पास आई है उसमें हमारे पास 18 हजार नलकूप हैं उनमें से करीब 12 सौ नलकूप ऐसे हैं जो खराब पड़े हैं । हम चाहते हैं कि कैसे उनको ठीक किया जाय । माननीय सदस्यों ने कहा कहीं 50 परसेंट खराब हैं कहीं कुछ बताया तो ऐसा नहीं है । यह मैं मानता हूं कि काफी नलकूप खराब हो जाते हैं हम देख रहे हैं कि उनको कैसे ठीक किया जाय । जहां तक नहरों की बात है नहरें पूरी क्षमता में चल रही हैं । नदियों में पानी है जिसकी वजह से नहरों में पानी है और वह ठीक से चल रही हैं । हमारा प्रयास है कि हर तरह से सूखे से निपटा जाय । माननीय राजस्व मन्त्री जी ने बहुत सी बातों का इशारा किया है मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार हर तरह से तैयार है कि जनता को राहत मिले ।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । पूर्वांचल में सूखे की स्थिति पर डेढ़ घंटे की चर्चा का समय माननीय अध्यक्ष जी ने निर्धारित किया है । पूर्वांचल में देवरिया और देवरिया में पडरौना सबसे ज्यादा इससे पीड़ित है वहां महामारी की स्थिति पैदा हो गयी है । पहले जब गेहूं की फसल तैयार हुई थी उस समय भयंकर ओलावृष्टि हो गयी और आज वहां सूखे से तबाही हो रही है । लोग भूखों मर रहे हैं । वहां 36 हजार टन गल्ले की जरूरत है उसके बजाय दो हजार टन गल्ला बांटा जा रहा है । जहां तक वसूली का सम्बन्ध है वसूली और वह वसूली स्थगित न की जाय बल्कि समूची लगान की माफी कर दी जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

अभी माननीय मन्त्री जी को उत्तर देना है । आपको अपनी बात कहनी थी वह कह दी ।

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, वर्षा का औसत मैंने बताया उसमें माननीय सदस्यों को कुछ गलतफहमी हो गयी । मैंने पूरी वर्षा जो माह जून और अगस्त में हुई उसको बताया पूरे वर्ष में जो वर्षा होनी चाहिये थी और जो हुई उसके आंकड़े बताये और साथ ही मैंने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के 11, 12 जिलों में बरसात कम हुई । तो ऐसा समझा गया कि मैंने यह कह दिया कि बरसात सभी जगह पूरी हुई । श्री ऊदल जी ने बताया कि वाराणसी में बहुत कम बरसात हुई 20·7 मिलीमीटर हुई । इसी तरह से मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया में बरसात बहुत कम हुई । तो मेरा मतलब यह नहीं था कि पूर्वा जिलों में अच्छी बरसात है । यह नहीं । इसलिये जो बिन्दु माननीय सदस्यों ने उठाये हैं--एक तो यह है कि बिजली के ड्यूज हैं जिसके लिये कनेक्शन न काटे जायं तो इस सम्बन्ध में मैंने आदेश दे दिये हैं कि इस समय कोई कनेक्शन न काटा जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दूसरी बात छात्रों की फीस माफ की जाय यह कही गयी। तो जब कोई दैवी आपदा आती है तो शिक्षा विभाग को लिखते हैं कि प्रभावी क्षेत्र में छात्रों की फीस माफ कर दी जाय तो लिखा जा रहा है। वह विचार करेंगे और फीस-माफी होगी।

तीसरी बात यह कही गयी कि गोरखपुर में सूखा है लेकिन उसका इसमें नाम नहीं है। नाम भले हो न हो लेकिन दैवी आपदा के लिए 12 लाख रुपया वहां भेज दिया है, यदि कोई दिक्कत है तो वहां काम होगा। चौथी बात की गयी कि जो धन आबंटित हुआ है वह बहुत कम है तो सभी जिलाधीशों को निर्देश दे दिये गये हैं कि वह खर्च करना शुरू करें और यदि अधिक धन की आवश्यकता है तो टेलेक्स द्वारा सूचना दें तो हम टेलेक्स द्वारा अतिरिक्त धन आबंटित करेंगे, धन की कोई कमी नहीं है और हम युद्धस्तर पर सूखा से लड़ेंगे। तो पूरा प्रबन्ध हम करेंगे और सिंचाई विभाग इसमें हमारी मदद करेगा और हम भी राहत कार्य करेंगे। लेकिन यह दैवी आपदा है। नुकसान जो हुआ उसकी पूर्ति तो हम नहीं कर सकते केवल सहारा दे सकते हैं।

मान्यवर, एक बात कही गयी कि वसूली का स्थगन कर दिया जाता है लेकिन लैन्ड रेवेन्यू का इससे कोई फायदा नहीं होता है। तो स्थगन तुरन्त के लिए हम करते हैं और उसके बाद छूट के प्रस्ताव मांगते हैं, जब प्रस्ताव आते हैं तो उन पर विचार होता है और तब वापस जाते हैं। पिछली दो तीन फसलों को दैवी आपदा से नुकसान हुआ था, छूट के प्रस्ताव आये थे और शासन की स्वीकृति होकर वापस गये हैं और 8 करोड़ रुपये स्वीकृत होकर गया है। इसलिए मान्यवर, प्रक्रिया है कि तुरन्त स्थथन करते हैं और उसके बाद 50 फीसदी जहां नुकसान होता है उस पर प्रस्ताव छूट के आते हैं जिनपर विचार होता है और छूट दी जाती है। मान्यवर यह कहा जाता है कि एक दम से वसूली की जाती है तो हम बताना चाहते हैं कि एकदम से वसूली नहीं करते हैं बल्कि स्थगन के बाद वसूली जब शुरू करते हैं तो मौजूदा डिमांड और स्थगित की हुई धनराशि का 1/6 वसूल करते हैं, इस तरह से सुविधा से वसूली करते हैं। दूसरी बात कहना चाहता हूं कि 3 1/8 एकड़ जोत के किसानों को लगान माफ है जिसमें 70 प्रतिशत लोग कवर हो जाते हैं, केवल 30 प्रतिशत किसानों को लगान देना होता है जिनको सुविधा देकर वसूल करते हैं, जैसा कि अभी पहले बताया है।

मान्यवर, जो इस समय किसानों को कठिनाई है वह बैंक ड्यूज की है, लगान की नहीं है इसलिये यह तो किसान के हाथ में है कि बैंकों से पैसा ले या न ले और बैंक हमारे हाथ में नहीं हैं, इसलिये यह कठिनाई है। माता प्रसाद जी ने कहा कि निःसहाय लोगों को जो हम अन्न बाटते हैं, हमने उन्हें भिखमंगा बना दिया है। ऐसी बात नहीं है। असहाय लोगों को दूसरी ओर से कोई सहायता चूंकि उनको नहीं मिल पाती, इसलिये पहले भी ऐसे लोगों को यह बांटा गया है और हम दे रहे हैं, इसमें भिखमंगा बनाने की बात नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री मारकन्डेय चन्द--

जिन सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पैसा दिया गया है वह क्या एन० आर० ई० पी० का पैसा दिया गया है या अलग से दिया गया है ?

श्री बंजनाथ कुरील--

वह एन० आर० ई० पी० का पैसा नहीं है, अलग से दिया गया है ।

(व्यवधान)

एक सदस्य--

गोरखपुर को सूखाग्रस्त क्या आप घोषित करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री बंजनाथ कुरील--

अगर वहां सूखा है तो जरूर होगा ।

श्री वृद्धि नारायण सिंह--

सूखाग्रस्त क्षेत्रों में विद्यार्थियों की क्या फीस माफ करेंगे ?

श्री बंजनाथ कुरील--

मैंने अपने भाषण में पहले ही कहा, माननीय सदस्य ने सुना नहीं, जब भी दैवी आपदा आती है हम शिक्षा विभाग को माफी के लिये लिखते हैं और वह माफ होती है ।

(व्यवधान)

कुमारी अलमेलु अम्माल--

हमारा बस्ती जिला सबसे पिछड़ा हुआ है, वहां भयंकर सूखा है, उसे क्यों छोड़ दिया गया है . .

(व्यवधान)

श्री बंजनाथ कुरील--

मैंने कहा है कि जिलाधिकारिषों को यह कह दिया गया है कि वे टेलेक्स द्वारा तुरन्त जहां जरूरत हो सहायता के लिए मांग करें । उसका हम तुरन्त प्रबन्ध करते हैं । पैसे की कोई कमी नहीं है इसके लिये ।

श्री अधिष्ठाता--

अब हम उठते हैं, कल 11 बजे फिर बैठेंगे जिन माननीय सदस्यों को कोई समस्या हो, वे माननीय राजस्व मंत्री जी को लिखकर दे दें । अब हम उठते हैं । चर्चा समाप्त ।

(इसके बाद सदन 7 बजकर 58 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
7 सितम्बर, 1983

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी "क"

[देखिए नियम 38 (2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 9 पर ।]

तालिका

कि0 मी0	गहराई मीटर में		
	बाईं	बीच	दाईं
195.00	0·95	0.45	0·95
194·00	0·90	0·45	0·90
193·00	1·30	0·50	1·30
192·00	1·30	0·50	1·30
191·00	0·97	..	1·15
190·00	0·46	0·15	0·90

नत्थी "ख"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 28 का उत्तर पीछे पृष्ठ 51 पर ।)

क्रम संख्या	नाम शिक्षण संस्था	अनुसूचित जाति के छात्रों के कुल प्राप्त आवेदन-पत्र की संख्या	अनुसूचित जाति के छात्रों के स्वीकृत प्रार्थना पत्रों की संख्या		आपत्ति में भेजे गये प्रार्थना-पत्रों की संख्या
			कक्षा 9	कक्षा 10	
1	2	3	4	5	6
1	श्री शिवाजी नेशनल इन्टर कालेज, हांसीपुर	109	58	37	14
2	शान्ति निकेतन इंटर कालेज, पचोखोरा	63	28	29	6
3	जंग बहादुर सिंह, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शाहगंज, ओस्हथा	47	23	14	10
4	चन्द्र शेखर आजाद, उच्चतर मध्यमिक विद्यालय, गौरा	18	9	3	6
5	किसान इन्टर कालेज, राजगढ़	50	15	21	14
6	स्वामी गोविन्दा श्रम इन्टर कालेज, पेड़पुरा	44	17	18	9
7	शिव प्रताप इन्टर कालेज, पवारीकला	10	10	..	..
8	बापू अपरोध इन्टर कालेज, लालगंज	45	19	16	..
9	राजकीय इन्टर कालेज, बुद्धी	75	27	40	8
10	गांधी इन्टर कालेज, कच्छवा	36	17	18	1
11	लालवर्ती सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मनुउर	11	6	5	..
12	श्री शिव इन्टर कालेज, मिर्जापुर	11	5	6	..

1	2	3	4	5	6
13	श्रीमती देवकली इन्टर कालेज जमालपुर	29	7	22	..
14	माध्यमिक विद्यालय, विन्दमगंज	43	17	9	17
15	आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अलदलहाट	28	13	15	..
16	श्री बृजराज आदर्श इन्टर कालेज, चौखड़ा	25	16	7	2
17	आदर्श इन्टर कालेज, तिसुन्दर पुर	17	8	8	1
18	जनता इन्टर कालेज, बरेवा	10	5	5	..
19	राजकीय इन्टर कालेज, शेरपुर	32	14	16	2
20	सरदार पटेल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जफरपुरा	23	5	18	..
21	आर्य कन्या इन्टर कालेज, मिर्जापुर	10	6	3	1
22	माधव विद्या मंदिर इन्टर कालेज, पुरषोत्तमपुर	10	6	4	..
23	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अनपरा	12	11	..	1
24	बसन्त विद्यालय इन्टर कालेज, मिर्जापुर	6	6	..	..
25	महेश भट्टाचार्या इन्टर कालेज, अकोड़ी	2	2	..	..
26	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, चिपकी	12	8	3	1
27	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सिरसियाठ	11	2	6	3
28	सुन्दरमुन्दर नगरपालिका बालिका इन्टर कालेज, मिर्जापुर	3	2	1	..
29	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, घोरावल	14	4	8	2

1	2	3	4	5	6
30	रेल कर्मचारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, चोपन	4	4	..	..
31	राजकीय इन्टर कालेज, मिर्जापुर	13	6	4	3
32	राजकीय कन्या इन्टर कालेज, चुनार	7	4	3	..
33	विन्ध्य विद्यापीठ इन्टर कालेज, मिर्जापुर	17	10	5	2
34	जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सरासी, पा0	11	6	5	..
35	छत्रपति शिवाजी इन्टर कालेज, खजुराल	25	10	14	1
36	नोटीफाइड एरिया उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अहरौरा	9	4	5	..
37	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गागपुर	6	3	2	1
38	मिश्री लाल इन्टर कालेज, मौवयिा	23	8	8	7
39	सीमेन्ट फैक्ट्री इन्टर कालेज, डाला	8	4	2	2
40	ओबरा इन्टर कालेज, ओबरा	4	2	2	..
41	राम प्रसाद सिंह वा0 इन्टर कालेज, शेरपुर	2	1	1	..
42	ए0 एल0 जे0 इन्टर कालेज, मिर्जापुर	49	14	30	5
43	सरदार पटेल इन्टर कालेज, कोलना	28	16	5	7
44	सीमेन्ट फैक्ट्री उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गुर्मा	1	1	..	..
45	राजस्थान इन्टर कालेज, मौजीपुर	18	7	6	5
46	बी0 एल0 जे0 इन्टर कालेज, मिर्जापुर	18	6	10	2

1	2	3	4	5	6
47	शिव प्रताप इन्टर कालेज, पवारीकला	12	..	12	..
48	रमवन्ती देवी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नौगांव	27	17	7	3
49	महाशक्ति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, विड़सड़ा	58	28	23	7
50	मानमाधव विद्या मंदिर, विजय पुर	11	8	2	1
51	जनताजनार्दन इन्टर कालेज, भुड़कुड़ा	38	22	9	7
52	सर्वोदय इन्टर कालेज, अथवार	17	..	17	..
53	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मठना	5	1	4	..
54	महाराणा प्रताप इन्टर कालेज, सीसोधाम, रायपुरो	11	3	8	..
55	जयहिन्द इन्टर कालेज, अहरौरा	47	19	24	4
56	जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बरगवाँ छुवा	13	1	10	2
57	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मधुपुर	15	9	3	3
58	श्री शंकराश्रम इन्टर कालेज, सीखड़	64	29	28	7
59	राजा शारदा महेश इन्टर कालेज, राबर्ट्सगंज	33	..	33	..
60	रा0 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कौन	34	18	16	..
61	राजकीय इन्टर कालेज, मिर्जा-पुर, वृद्धो	33	7	15	11
62	नवज्योति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गरौड़ी	5	2	..	3
63	श्री मौजी स्वामी इन्टर कालेज श्रीषदासधाम	19	19	..	..
64	पी0 डी0 एन0 डी0 इन्टर कालेज, चुनार	15	13	..	2
65	माता प्रसाद माताभीख इन्टर कालेज, मिर्जापुर	11	9	..	2
	योग ..	1510	668	655	187

नत्थी "ग"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 46 का उत्तर पीछे पृष्ठ 58 पर) ।

सूची "क"

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1983 के प्रथम बुधवार के लिये निर्धारित श्री राम आसरे वर्मा के अतारांकित प्रश्न संख्या 46 के सम्बन्ध में विवरण।

वर्तमान अधिशासी अभियन्ता ने खन्ड का चार्ज दिनांक 15 जून, 1982 को लिया था। उनके कार्यकाल में कराये गये निम्नलिखित कार्य विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं :

1—मडवा नहर पर सेवा मार्ग का निर्माण।

2—नया गांव नहर पर सेवा मार्ग का निर्माण।

3—अम्बारी नहर पर सेवा मार्ग का निर्माण।

4—जाजूपारा नहर पर मील 6—0—0 से टेल तक सेवा मार्ग का निर्माण।

5—आलमनगर माइनर पर सेवा मार्ग का—निर्माण।

6—पारा राजबहे का सुदृढ़ीकरण एवं क्षमता बढ़ाना।

7—पिहानी राजबहे का सुदृढ़ीकरण एवं क्षमता बढ़ाना।

8—गडरवा राजबहे का सुदृढ़ीकरण एवं क्षमता बढ़ाना।

9—हरदोई ब्रांच की विभिन्न रीचों का सुदृढ़ीकरण।

10—लखनऊ ब्रांच के विभिन्न रीचों का सुदृढ़ीकरण।

11—चन्देरी स्केप की भारी सफाई एवं क्षमता बढ़ाना।

12—चन्देरी स्केप की टेल फाल की मरम्मत का कार्य।

13—हरई स्केप की भारी सफाई एवं क्षमता बढ़ाना।

14—सरमिन राजबहे की भारी सफाई।

15—सिंघना राजबहे की भारी सफाई एवं सुदृढ़ीकरण।

16—सिंघना राजबहे पर मील 6—7—165 पर पुल का निर्माण कार्य।

17—अन्तौरा माइनर की टेल गूल को पक्का करना एवं गूल कलवर्ट का निर्माण।

18—नरायनपुर माइनर की टेलगूल पर पुल का निर्माण कार्य।

19—पिहानी राजबहे की टेलगूल पर पुल का निर्माण कार्य।

20—गुजराई ताल ड्रेन के सेक्शन को ठीक किया गया है।

21—बिलग्राम राजबहे के सड़क को ऊंचा कराया गया तथा सफाई कराई गई ।

22—माना माइनर पर सड़क का निर्माण प्रगति में है।

23—सदरपुर माइनर पर सड़क का निर्माण प्रगति में है ।

24—बरखेरा माइनर पर सड़क का निर्माण प्रगति पर है ।

25—ककेड़ी माइनर पर सड़क का निर्माण प्रगति पर है ।

26—सहोरा माइनर पर सड़क का निर्माण प्रगति में है ।

27—शर्मा माइनर पर सड़क का निर्माण प्रगति पर है ।

28—सिकन्दरपुर माइनर पर सड़क का निर्माण प्रगति पर है ।

29—बरहा माइनर पर सड़क का निर्माण प्रगति पर है ।

30—बलेहरः माइनर पर सड़क का निर्माण कार्य कराया गया है ।

31—मऊ ड्रेन का विशेष सुधार एवं भारी रेग सफाई ।

32—भदवाना ड्रेन का विशेष सुधार एवं भारी रेग सफाई ।

33—भदेसर मऊ ड्रेन का विशेष सुधार एवं भारी रेग सफाई ।

34—निम्नलिखित माइनरों पर नये एस/आर बनाया गया :

(1) महमूबपुर माइनर 3–0 कि0मी0 ।

(2) कदूरी माइनर 6–4 कि0मी0 ।

(3) सफियापुर माइनर 3–2 कि0 मी0 ।

(4) कुडरी माइनर 4–0 कि0 मी0 ।

(5) तरौना माइनर 4–0 कि0मी0 ।

35—वाजिदपुर माईनर के सेवा मार्ग का पुनरोद्धार 6–4 कि0मी0 ।

36—सिधौल राजबहे का सेवा मार्ग का पुनरोद्धार 13–0 कि0मी0 ।

37—गुरदयालपुरवा माइनर का 2–45 कि0मी0 नव निर्माण ।

38—पंढाई माइनर का 2–6 कि0 मी0 का नव निर्माण ।

39—हैबलपुर ड्रेन पर 1–2 कि0मी0 का नव निर्माण ।

40—बलेन्दा ड्रेन (राइटमोना ड्रेन) पर 3–0 कि0 मी0 सफाई ।

41—जलबा खेडा ड्रेन पर 1–0 कि0 मी0 का आधुनिकीकरण का कार्य ।

42—मुस्तफाबाद ड्रेन पर 1–7 कि0मी0 पर नवनिर्माण कार्य ।

43—फिरोजपुर ड्रेन पर 4–0 कि0मी0 पर नवनिर्माण कार्य ।

44—बम्बमा खेड़ ड्रेन पर 2–6 कि0मी0 नवनिर्माण कार्य ।

45—मदारा ड्रेन पर 8–0 कि0 मी0 आधुनिकीकरण कार्य ।

46—अशरफाबाद ड्रेन पर 3–0 कि0 मी0 नवनिर्माण का कार्य ।

47—महोलिया ड्रेन पर 4–6 कि0मी0 सफाई का कार्य ।

48—हथोड़ा ड्रेन पर मील 9–1–400 पर एक नं0 बन्धे का निर्माण ।

49—हथोड़ा ड्रेन पर विशेष सफाई के अन्तर्गत 29–5 कि0मी0 बेशरम की सफाई ।

50—भडायल ड्रेन पर 18–6 कि0 मी0 बेशरम जंगल की सफाई ।

51—कतरोली ड्रेन पर 9–6 कि0मी0 सफाई ।

52—समसपुर ड्रेन पर 6–0 कि0मी0 पर बेशरम सफाई ।

53—कटघरा ड्रेन पर 6–0 कि0मी0 बेशरम सफाई ।

54—बक्सापुर ड्रेन पर 9–2 कि0मी0 सफाई ।

55—अहिरोरी ड्रेन पर 11–2 कि0मी0 बेशरम की सफाई ।

56—गोडाकर ड्रेन पर 11–4 कि0मी0 विशेष सफाई का कार्य ।

57—छोईवा ड्रेन पर 19–0 कि0मी0 बेशरम सफाई का कार्य ।

58—बेता ड्रेन पर 9–6 कि0 मी0 सफाई का कार्य ।

59—उमरारी ड्रेन पर 5–0 कि0मी0 सफाई ।

60—बख्शापुर ड्रेन पर 5–0 कि0 मी0 सफाई ।

61—जफरा ड्रेन पर 5–0 कि0मी0 सफाई ।

62—फकहा ड्रेन पर 2–0 कि0मी0 सफाई ।

63—कोट ड्रेन पर 2–0 कि0मी0 सफाई ।

64—बम्बहना खेडा ड्रेन पर 2 नं0 पुलियों का निर्माण ।

65—फरीदपुर माइनर 2–6 कि0मी0 निर्माण ।

66—फरीदपुर माइनर पर एक नं0 पुलिया का निर्माण ।

67—हरई, समरेहटा, सहावतनगर रेगुलेटर पर तीन नं0 स्टीलगेट का का कार्य ।

68—सुल्तानपुर कोट रेगुलेटर पर एक नं0 स्टीलगेट का कार्य प्रगति में है ।

69—पोखरी ड्रेन पर 3–2 कि0 मी0 सफाई का कार्य ।

सूची (ख)

वर्तमान अधिशासी अभियन्ता, हरदोई की नियुक्ति के पूर्व चल रहे कार्यों का विवरण

क्र0 सं0	कार्य विषय	अभ्युक्ति
1	2	3
1	उस्मानपुर अल्पिका निर्माण	इसके अन्तर्गत 3·2 कि0 मी0 नहर बननी थी, जिसमें से 1 कि0 मी0 नहर बनाई जा चुकी है। शेष नहर भूमि अध्याप्ति न हो सकने के कारण नहीं बन सकी। स सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।
2	हर्रई स्केप के कि0 मी0 5.5.317 एवं टेल फाल के क्षतिग्रस्त भाग का कार्य	कार्य पूर्ण हो गया है।
3	बिलग्राम राजबहे के ग्राम तकौलो की पुलिया का निर्माण	कार्य पूर्ण हो गया है।
4	कुतुब माइनर का निर्माण	कार्य पूर्ण हो गया है।
5	टिकुनी निरीक्षण भवन व कालोनी का विद्युतीकरण	कार्य पूर्ण होगया है।
6	बालामऊ रेगुलेटर पर स्टेली गेट का कार्य	कार्य पूर्ण हो गया है।
7	पिहानी माइनर का निर्माण	इसके अन्तर्गत 2–3 कि0 मी0 की नहर बननी थी, जिसमें 1–2 कि0 मी0 निर्मित की गई। भूमि अध्याप्ति होने पर शेष कार्य कराया जायेगा।
8	जमसारा से कटका माइनर का निर्माण	कार्य पूर्ण हो गया है।
9	हथोड़ा ड्रेन पर 5–1–0 पर पुल का निर्माण	इन दोनों कार्यों के अन्तर्गत फाउन्डेशन से स्लेब लेविल तक कार्य करा दिया गया है। कार्य चल रहा है।
10	हथोड़ा ड्रेन पर 2–6–0 पर पुल का निर्माण	
11	हथोड़ा ड्रेन पर 9–1–0 पर डाइवर्सन बांध बनाना	कार्य पूर्ण हो चुका है।

नत्थी "घ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 53 का उत्तर पीछे पृष्ठ 61 पर।)

क्रम-संख्या	माइनर का नाम	31 अल्पिकाओं पर किया गया व्यय वर्ष 1981-82 से मार्च, 1982 तक	22 अल्पिकाओं पर किया गया व्यय अप्रैल, 1982 से मार्च, 1983 तक
1	2	3	4
		रु0	रु0
1	नीवी माइनर (जरगो)	1,458·00	..
2	पथरौरा माइनर (,,)	10,997·00	75,996·00
3	धरहपुर माइनर	2,678·00	4,874·00
4	पचगडा माइनर	4,771·00	..
5	रोशनपुर माइनर	..	958·00
6	खुटहा माइनर	1,433·00	4,926·00
7	हमीदपुर माइनर	3,798·00	5,261·00
8	देवलासी माइनर	2,695·00	7894·00
9	रीवा माइनर	4,515·00	..
10	मुइली माइनर	4,439·00	..
11	अतरौली माइनर	8,534·00	4,936·00
12	विशुनपुर जरहा माइनर	517·00	..
13	खुनका माइनर	..	12,168·00
14	कोलना माइनर	16,130·00	22,370·00
15	सझौली माइनर	4,963·00	..
16	जमुई माइनर	1,098·00	10,329·00
17	मानिकपुर एवं मरेहरा माइनर	15,289·00	9,889·00
18	बरेबां माइनर	..	..
19	फिरोजपुर माइनर	..	4,821·00
20	धरवासपुर माइनर	..	4,816·00

1	2	3	4
21	बयालपुर माइनर	..	..
22	बेलवारी माइनर	3,064·00	..
23	कोछिया माइनर	526·00	..
24	चन्द्रछाली माइनर	..	1,207·00
25	हिनौती माइनर	494·00	..
26	तियरा माइनर	1,441·00	..
27	मदीवल माइनर	1,377·00	..
28	बेलहर राजवाहा	..	..
29	सिकन्दरपुर माइनर	623·00	..
30	सेतरिया माइनर	355·00	..
31	जमालपुर माइनर	427·00	..
32	मुडहुआ माइनर	..	2,692·00
33	जाफरखानी माइनर	675·00	1,011·00
34	फकरही माइनर	721·00	2,783·00
35	पाटिहटा माइनर	4,700·00	14,722·00
36	आनन्दीपुर माइनर	3,076·00	1,085·00
37	घरिया माइनर	7,859·00	3,086·00
38	खेमईपुर माइनर	..	3,696·00
39	कंचनपुर माइनर	2,479·00	972·00
40	नीवी माइनर (गरई)	4,513·00	..
41	फरेहदा माइनर	1,117·00	..
42	खरका माइनर	..	..
	योग ..	1,17,262·00	1,99,402·00

नत्थी "ङ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 109 का उत्तर पीछे पृष्ठ 85 पर)

जनपद फैजाबाद के नलकूपों की सूची

क्रम संख्या	जनपद	तहसील	ब्लाक	नलकूप सं0 समूह	ग्राम
1	2	3	4	5	6
1	फैजाबाद	अकबरपुर	कटेहरी	235 अकबरपुर	सिलावट प्रथम
2	,,	,,	,,	236 ,,	सिलावट द्वितीय
3	,,	,,	,,	237 ,,	जलालपुर सेहरा प्रथम
4	,,	,,	,,	244 ,,	जलालपुर सेहरा द्वितीय
5	,,	,,	,,	245 ,,	हिड़ीपकड़िया प्रथम
6	,,	,,	,,	246 ,,	हिड़ीपकड़िया द्वितीय
7	,,	,,	,,	247 ,,	हिड़ीपकड़िया तृतीय
8	,,	,,	,,	253 ,,	आदमपुर
9	,,	,,	,,	254 ,,	रामपुर हरिनन्दन

उत्तर प्रदेश विधान सभा

10	,,	,,	,,	255	,,	कसड़ा
11	,,	,,	,,	256	,,	प्राणनाथपुर
12	,,	,,	,,	257	,,	बलईपुर
13	,,	,,	,,	258	,,	नसीरपुर
14	,,	,,	,,	259	,,	मथानी
15	,,	,,	,,	260	,,	सेमरी
16	,,	,,	,,	261	,,	पखनपुर
17	,,	,,	,,	262	,,	हिड़ीपकड़िया चतुर्थ
18	,,	,,	,,	263	,,	रघुनाथपुर
19	,,	,,	,,	264	,,	सुभाकरपुर
20	,,	,,	,,	265	,,	कोरचा
21	,,	,,	,,	266	,,	कल्यानपुर
22	,,	,,	भेटी	238	,,	रामनगरकरी
23	,,	,,	,,	239	,,	जैतूपुर प्रथम
24	,,	,,	,,	240	,,	जैतूपुर द्वितीय
25	,,	,,	,,	241	,,	विशुनपुर
26	,,	,,	,,	242	,,	मानिकपुर
27	,,	,,	,,	243	,,	मुकुन्दीपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6
28	फैजाबाद	अकबरपुर	भीटी	248	अकबरपुर बरहा
29	,,	,,	,,	249	,, बासुपुरवनियानी
30	,,	,,	,,	250	,, लोहजरा
31	,,	,,	,,	251	,, मोहम्मदपुर
32	,,	,,	,,	252	,, नरहरपुर
33	,,	,,	,,	270	,, काही प्रथम
34	,,	,,	,,	272	,, जुवा
35	,,	,,	,,	273	,, सया
36	,,	,,	,,	274	,, पहुती
37	,,	,,	,,	275	,, सिगवन पुरषोत्तम पट्टी
38	,,	,,	,,	276	,, परवरभारि प्रथम
39	,,	,,	,,	277	,, भीटी प्रथम
40	,,	,,	,,	278	,, भीटी द्वितीय
41	,,	,,	,,	279	,, इटवा
42	,,	,,	,,	292	,, काही द्वितीय
43	,,	,,	,,	293	,, अढ़नपुर
44	,,	,,	,,	301	,, हृदयपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "च"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या–126 का उत्तर पीछे पृष्ठ 91 पर ।)

परिशिष्ट––1

हिन्दू जिन पर वरिष्ठ अधिकारी की जांच आख्या अपूर्ण पाई गई :––

(1) अखिल भारतीय अपराध निरोधक समिति द्वारा संशोधन पारित करके श्री परिपूर्णानन्द वर्मा के आजन्म संस्था के अध्यक्ष बने रहने विषयक प्राविधान को नियमानुसार निबन्धक समितियां, चिट फन्ड, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित न कराया जाना ।

(2) प्रगति आश्रम हाई स्कूल बालागंज, लखनऊ में कृषि, विज्ञान के शिक्षण हेतु 3/4 एकड़ भूमि की उपज का उपभोग अध्यक्ष द्वारा निजी हित में किया जाना ।

(3) समिति द्वारा स्मारिका के मुद्रण डाक व्यय आदि का भुगतान स्कल के खाते एवं रोकड़ बही में अंकित किया जाना ।

(4) समिति के अध्यक्ष होने के नाते स्कूल के अध्यक्ष को सम्पूर्ण भारत में यात्रा करने हेतु रेल विभाग द्वारा फ्री पास मिला होने के बावजूद कतिपय यात्राओं हेतु रेल किराया चार्ज करना ।

(5) कृषि विज्ञान पढ़ाने के लिये अप्रशिक्षित अध्यापक को नियुक्त किया जाना ।

(6) समिति द्वारा संचालित उक्त स्कूल के जाति विशेष के अध्यापकों/कर्मचारियों को ही नियुक्ति किया जाना ।

(7) शिक्षा संहिता के नियम लागू होने के बावजूद स्कूल के लिये की जाने वाली नियुक्तियों में नियमानुसार जिला विद्यालय निरीक्षक की स्वीकृति न लिया जाना ।

(8) संस्था को स्वीकृति अनुदान से संबंधित विन्दुओं पर जांच आख्या न भेजा जाना ।

नत्थी "छ"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 176 का उत्तर पीछे पृष्ठ 109 पर ।)

नेशनल प्लान्ट इन्ट्रोडक्शन ब्यूरो, नई दिल्ली के माध्यम से निम्नलिखित फलदार पौधे उनके सम्मुख लिखे देशों स्थानों से आयात किये गये और इनको विकसित किया जा रहा है ।

पौधों का नाम	प्रजाति की संख्या	कतिपय देशों, स्थानों का नाम जहां से मंगाये गये
1—हेजलनट	6	पश्चिमी जर्मनी (इगाडा के माध्यम से)
2—सेब	110	इग्लैन्ड/यू0 एस0 ए0 ।
3—नाशपाती	28	इग्लैन्ड/साइबेरिया ।
4—आडू	30	इग्लैन्ड तथा यू0 एस0 ए0 ।
5—प्लम	27	तदेव
6—चेरी	32	फ्रान्स, जर्मनी, इंग्लैन्ड ।
7—बादाम	6	अमेरिका ।
8—अखरोट	37	पश्चिमी जर्मनी (इगाडा के माध्यम से)

नत्थी "ज"

(देखिये पीछे पृष्ठ 138 पर ।)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के 7वें बुधवार के लिए निर्धारित श्री माता प्रसाद पान्डेय द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 6 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
6--क्या पर्वतीय विकास मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रोद्यौगिक विश्व-विद्यालय पन्तनगर जो कि गढ़वाल जिले के रानी चौरी नामक स्थान पर अरबों रुपये की एक विशेष योजना चला रहा है, की रानी चौरी में अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए ढाई हजार एकड़ जमीन देने का आश्वासन शासन की तरफ से दिया गया था ? यदि हां, तो वह जमीन अभी तक क्यों नहीं उपलब्ध करायी गयी ?	गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पन्तनगर के तत्वावधान में टेहरी-गढ़वाल जनपद के रानी-चौरी नामक स्थान में हिल कैम्पस प्रायोजना स्थापित करने का निर्णय पंचम प्लान के वर्ष 1975 में लिया गया था । पंचम प्लान में इसका परिव्यय 4,995 रु0 करोड़ का रखा गया था । इस प्रायोजना की स्थापना हेतु 2,000 (दो हजार) एकड़ वन भूमि उपलब्ध कराये जाने का पूर्व में निर्णय लिया गया था । परन्तु इतनी भूमि के लेने में अधिक पेड़ों के कटान की सम्भावना पाई गई । अतः वर्तमान शासकीय नीति के अनुसार यह उपयुक्त समझा गया कि फिलहाल प्रायोजना के कार्यान्वयन हेतु हिल कैम्पस रानीचौरी को आवश्यकतानुसार 202 हैं, (500 एकड़) वन भूमि उपलब्ध कराई जाय जिसके सम्बन्ध में सक्रिय कार्यवाही की जा रही है ।

बलदेव सिंह आर्य,
मन्त्री,
पर्वतीय विकास विभाग ।

पी० एस० यू० पी०--92 विधान सभा--27-2-84--813--(पी०डी०) ।
92 वि० सभा--19